



59वीं (2008–09) वार्षिक रिपोर्ट

संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड
नई दिल्ली-110069

<http://www.upsc.gov.in>



संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अधीन
की गई अपेक्षा के अनुसार
संघ लोक सेवा आयोग अपनी उनसठवीं रिपोर्ट
राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।

यह रिपोर्ट
01 अप्रैल, 2008 (चैत्र 12, शक 1930) से
31 मार्च, 2009 (चैत्र 10, शक 1931)
तक की अवधि के लिए है।

विषय – सूची

संक्षिप्तियों की सूची viii

वर्ष 2008-09 के दौरान आयोग का गठन ix

अध्यायों की सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	कार्य सारांश	1
2	संक्षिप्त इतिहास एवं पिछले वर्षों के दौरान कार्यभार	3
3	परीक्षाओं द्वारा भर्ती	7
4	साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती	13
5	भर्ती नियम, सेवा नियम तथा भर्ती की पद्धति	19
6	पदोन्नतियां और प्रतिनियुक्तियां	21
7	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व	27
8	अनुशासनिक मामले	31
9	आयोग की सलाह को लागू करने में विलम्ब	33
10	सरकार द्वारा आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया जाना	35
11	विविध	45
12	कृतज्ञता ज्ञापन	49

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
I	आयोग के माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यों के जीवन-वृत्त.....	51
II	आयोग द्वारा की गई सिफारिशें क : उम्मीदवारों/पदाधिकारियों की उपयुक्तता से संबंधित	59
III	आयोग द्वारा की गई सिफारिशें – ख : भर्ती नियमों, सेवा मामलों से संबंधित.....	59
IV	परीक्षाओं द्वारा भर्ती-वर्ष 2008-09 के दौरान सिविल पदों/सेवाओं के लिए की गई सिफारिशों का विवरण.....	60
V	परीक्षाओं द्वारा भर्ती-वर्ष 2008-09 के दौरान रक्षा पदों/सेवाओं के लिए की गई सिफारिशों का विवरण.....	61
VI	आयोग द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित परीक्षाएं.....	62
VII	आयोग द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान आयोजित की गई, लेकिन वर्ष 2008-09 के दौरान पूरी की गई/अंतिम रूप दी गई परीक्षाएं.....	64
VIII	साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती-वर्ष 2008-09 के दौरान उन मामलों/पदों की स्थिति, जिनके लिए अध्याचनाएं प्राप्त हुई तथा अनुशंसा की गई	66
IX	वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित की गई परीक्षाओं के अन्तर्गत आने वाली सेवाएं	67
X	विभिन्न परीक्षाओं के लिए व्यक्तित्व परीक्षण बोर्डों के अध्यक्ष	70
XI	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा-2007 तथा 2008 में वैकल्पिक विषय के रूप में किसी एक भारतीय/विदेशी भाषा के साहित्य सहित बैठे उम्मीदवारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण	71
XII	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा-2007 तथा 2008 में बैठे उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा देने के माध्यम (भारतीय भाषाएं/अंग्रेजी) को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण	72
XIII	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा-2007 : उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण	76
XIV	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा-2007 में बैठे उम्मीदवारों की विश्वविद्यालय/ संस्था-वार संख्या की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों की सफलता दर	85
XV	इंजीनियरी सेवा परीक्षा-2007 : उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण.....	91
XVI	इंजीनियरी सेवा परीक्षा-2007 : व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों की विश्वविद्यालय/संस्था-वार संख्या	100
XVII	भारतीय वन सेवा परीक्षा-2007 : उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण.....	103
XVII-A	भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008 : उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण.....	110
XVIII	इंजीनियरी, चिकित्सा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों की मंत्रालय-वार संख्या, जिनके लिए वर्ष 2008-09 के दौरान अध्याचनाएं प्राप्त हुई	117
XIX	इंजीनियरी, चिकित्सा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों की मंत्रालय-वार संख्या, जिन्हें वर्ष 2008-09 के दौरान विज्ञापित किया गया	118
XX	मामलों का विवरण, जिनके लिए वर्ष 2008-09 के दौरान विज्ञापन के बाद, अध्याचनाएं रद्द/आशोधित की गई	119
XXI	इंजीनियरी पदों का विषय-वार विवरण, जिनके लिए वर्ष 2008-09 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया.....	124
XXII	वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों का विषय-वार विवरण, जिनके लिए वर्ष 2008-09 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया.....	125

परिशिष्ट	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
XXIII	गैर-तकनीकी पदों का विषय-वार विवरण, जिनके लिए वर्ष 2008-09 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया.....	126
XXIV	चिकित्सा पदों का विषय-वार विवरण, जिनके लिए वर्ष 2008-09 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया.....	127
XXV	उन मामलों का विवरण, जिनके लिए वर्ष 2008-09 के दौरान उपयुक्त उम्मीदवार नहीं पाए गए.....	128
XXVI	विपुल मात्रा में भर्ती के मामले, जिनको वर्ष 2008-09 के दौरान अंतिम रूप दिया गया.....	138
XXVII	ऐसे संवर्ग जहां वर्ष 2008 की चयन सूची तैयार करना अपेक्षित नहीं था- शून्य रिक्ति/कोई पात्र नहीं.....	139
XXVIII	अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति-वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित बैठकें.....	140
XXIX	न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप आयोजित पुनरीक्षा बैठकें.....	141
XXX	अखिल भारतीय सेवाएं-वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित नहीं की गई चयन समिति की बैठकें.....	142
XXXI	मंत्रालय/विभाग, जिन्होंने वर्ष 2008-09 के दौरान ग्रुप 'क' एवं 'ख' पदों/सेवाओं में की गई तदर्थ नियुक्तियों की अर्ध-वार्षिक विवरणियां नहीं भेजीं.....	143
XXXII	मंत्रालयों/विभागों, के ग्रुप 'क' एवं 'ख' पदों/सेवाओं में की गई तदर्थ नियुक्तियां, जो वर्ष 2008-09 के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक चली तथा अर्ध-वार्षिक विवरणियों द्वारा आयोग को सूचित की गई.....	144
XXXIII	वर्ष 2008-09 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का मंत्रालय/विभाग-वार विवरण तथा विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा आरक्षित/अनारक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्ति हेतु संस्तुत किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या.....	151
XXXIV	वर्ष 2008-09 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों का विवरण, जिनके लिए इन वर्गों के किसी भी उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया.....	153
XXXV	वर्ष 2008-09 के दौरान साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से अनारक्षित रिक्तियों के लिए संस्तुत किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की संख्या.....	154
XXXVI	वर्ष 2008-09 के दौरान निपटाए गए अनुशासनिक मामले.....	158
XXXVII	वर्ष 2008-09 के दौरान आयोग द्वारा अनुशासनिक मामलों में दी गई सलाह का मंत्रालय-वार विवरण.....	159
XXXVIII	सरकार द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव, संस्तुति की तारीख से एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से भेजे गए मामलों की संख्या का मंत्रालय-वार विवरण (31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार).....	161
XXXIX	सरकार द्वारा भर्ती नियम अधिसूचित नहीं किए जाने वाले मामलों की संख्या और विलम्ब की अवधि दर्शाने वाला विवरण (31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार).....	163
XL	1 सितम्बर, 1958 को संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली के जारी होने के बाद से सं.लो.से. आयोग के अधिकार क्षेत्र से पृथक किए गए पद/सेवाएं.....	167
XLI	आयोग में कर्मचारियों की संख्या का विस्तृत विवरण.....	169
XLII	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों तथा विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व.....	174
XLIII	वर्ष 2008-09 के दौरान सं.लो.से. आयोग की प्राप्ति एवं व्यय दर्शाने वाला विवरण.....	175
XLIV	आयोग के भूतपूर्व अध्यक्षों तथा सदस्यों की सूची.....	176

संक्षिप्तियों की सूची

प्रशा.	प्रशासन	क.नि. (एम.ए.)	कला निष्णात
अ.भा.से.	अखिल भारतीय सेवा	वा.नि. (एम.कॉम)	वाणिज्य निष्णात
अप.	अपराहन	इं.नि. (एम.इ.)	इंजीनियरी निष्णात
स.भ.नि.आ.	सहायक भविष्य निधि आयुक्त	वि.नि. (एम.एससी.)	विज्ञान निष्णात
प.आ.अ.	पद आवेदक अनुपात	(इंजी.)	(इंजीनियरी)
इं.स्ना. (बी.ई.)	इंजीनियरी स्नातक	प्रौ.नि. (एम.टेक.)	प्रौद्योगिकी निष्णात
वि.स्ना. (बी.एससी. (इंजी.))	विज्ञान (इंजी.) स्नातक	मं.	मंत्रालय
प्रौ. स्ना. (बी.टेक.)	प्रौद्योगिकी स्नातक	वि.	विविध
के.प्र.अ.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण	से.का.स.	सेवा का सदस्य
के.सि.से.	केन्द्रीय सिविल सेवा	मं.प्र.	मंत्रालय का प्रतिनिधि
(व.नि.अ.)	(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली	रा.रा.क्षे.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
मु.इ.	मुख्य इंजीनियर	को.उ.न.पा.ग.	कोई उपयुक्त नहीं पाया गया
के.लो.नि.वि.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	सं.	संख्या
के.स.आ.से.	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा	गै.रा.सि.से.	गैर-राज्य सिविल सेवा
के.स.आ.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	अ.पि.व.	अन्य पिछड़े वर्ग
वि. (डि. ऑफ)	विभाग	रा.भा.	राजभाषा
वि. (डि.)	विभाग	अनुशं	अनुशंसित
का. एवं प्र.वि.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	भ.	भर्ती
दू.सं.वि.	दूरसंचार विभाग	से.नि.	सेवानिवृत्त
वि.प.स.	विभागीय पदोन्नति समिति	प.अ.अ.	पद अनुशंसा अनुपात
क.रा.बी.नि.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	अनु.सां.एवं वि.	अनुसंधान, सांख्यिकी एवं विश्लेषण
प.सु.	परीक्षा सुधार	अ.जा.	अनुसूचित जाति
पू.	पूर्वाहन	च.स.बै.	चयन समिति की बैठक
भू.वि.प.	भू-विज्ञानी परीक्षा	स्पे. क्ला.रे.अ.	स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज
महा.प्र.	महा प्रबन्धक	रा.सि.से.	राज्य सिविल सेवा
सर.	सरकार	वि.अ.या.	विशेष अनुमति याचिका
स.	समूह	अ.अ.आ.सी.वि.	अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक
भा.प्र.से.	भारतीय प्रशासनिक सेवा	प्रति.परी.	(ग्रेड 'ख' / ग्रेड-1) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा
भा.आ.से.	भारतीय आर्थिक सेवा	अ.ज.जा.	अनुसूचित जनजाति
भा.व.से.	भारतीय वन सेवा	श.वि. एवं ग.उप.	शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन
भा.वि.से.	भारतीय विदेश सेवा	अना.	अनारक्षित
जां.अ.	जांच अधिकारी	सं.रा.क्षे.	संघ राज्य क्षेत्र
भा.डा.से.	भारतीय डाक सेवा	सत.	सतर्कता
भा.पु.से.	भारतीय पुलिस सेवा	से.प्र.	से प्रभावी
भा.सां.से.	भारतीय सांख्यिकी सेवा	व.	वर्ष
लाख	गणना संख्या — 1,00,000 मापने की की इकाई के रूप में प्रयुक्त		

संघ लोक सेवा आयोग

(1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक)

श्री सुबीर दत्ता	अध्यक्ष ^{\$}
प्रो. डी.पी. अग्रवाल	अध्यक्ष [#]
सुश्री परवीन तल्हा	सदस्य
श्री के. रॉय पॉल	सदस्य
प्रो. के. एस. चलम	सदस्य
प्रो. ई. बालागुरुसामी	सदस्य
श्रीमती शशि उबान त्रिपाठी	सदस्य
प्रो. पुरुषोत्तम अग्रवाल	सदस्य
डॉ. के. के. पॉल	सदस्य
लेफ्टि. जनरल (सेवानिवृत्त) निर्भय शर्मा,	सदस्य [@]
श्री आई. एम. जी. खान	सदस्य ⁺
श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा	सदस्य ^x

अध्यक्ष तथा सदस्यगणों के जीवनवृत्त का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-I में दिया गया है।

- \$ 16 अगस्त, 2008 को पद त्याग दिया
 # 16 अगस्त, 2008 (अपराहन) को पदभार ग्रहण किया
 @ 7 मई, 2008 को पदभार ग्रहण किया
 + 9 जून, 2008 (अपराहन) को पदभार ग्रहण किया
 X 18 अगस्त, 2008 को पदभार ग्रहण किया

कार्य सारांश

अध्याय

1

वर्ष 2008-09 के दौरान

- संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा पद्धति द्वारा भर्ती के अंतर्गत 12 परीक्षाएं, सिविल सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए आठ तथा रक्षा सेवाओं के लिए चार परीक्षाएं आयोजित कीं, कुल 9,41,517 आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा उन पर कार्रवाई की गई; सिविल सेवाओं/पदों के लिए 6,845 उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया (रक्षा सेवाओं के लिए साक्षात्कार रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए) तथा विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए 4,104 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई, इनमें से सिविल सेवाओं/पदों के लिए 2,567 (परिशिष्ट-IV) तथा रक्षा सेवाओं/पदों के लिए 1,537 उम्मीदवार थे (परिशिष्ट-V)।

(अध्याय 3)

- सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2008 से केवल सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा में चलने में असमर्थ एवं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित उन उम्मीदवारों को, जहां उनकी प्रमुख कार्य-निष्पादन क्षमता (लेखन) (कम से कम 40% तक अक्षमता) प्रभावित होती है, प्रतिघंटा 20 मिनट के हिसाब से अतिरिक्त समय दिया गया है। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को किसी लिपिक (स्क्राइब की अनुमति नहीं है।

(अध्याय 3)

- आयोग को साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 1,743 पदों के संबंध में 385 अधियाचनाएं प्राप्त हुईं। अवशिष्ट अधियाचनाओं पर विचार करते हुए, आयोग ने 3007 पदों के संबंध में सभी 587 अधियाचनाओं पर कार्रवाई की। इनमें से 393 पदों के संबंध में 88 अधियाचनाओं को मंत्रालयों/विभागों से स्पष्टीकरण न मिलने के कारण समाप्त हुआ मान लिया गया। वर्ष 2008-09 के दौरान कुल 1,247 पदों के संबंध में 293 अधियाचनाएं विज्ञापित की गईं। तथापि, 100 पदों के संबंध में 24 अधियाचनाओं पर भर्ती कार्रवाई, उनके विज्ञापन के बाद, मंत्रालयों/विभागों के अनुरोध पर रद्द हुई मान ली गई।

(अध्याय 4)

- रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, सीधी भर्ती के मामलों में कुल 46,648 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, 6,419 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, 4,492 उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों की संख्या 865 थी।

(अध्याय 4)

- 1,016 पदों से संबंधित 247 मामलों में 46,478 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, 865 उम्मीदवारों की अनुशंसा अन्तिम रूप से की जा सकी, इस प्रकार पद आवेदक अनुपात 46 तथा पद अनुशंसा अनुपात 0.85 दर्ज किया गया।

(अध्याय 4)

- साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के चार मामलों में, जहां आवेदकों की संख्या रिक्तियों की तुलना में काफी अधिक थी, साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की समुचित संख्या में शार्टलिस्ट करने हेतु भर्ती परीक्षण आयोजित किए गए। इसके अलावा, सहायक निदेशक (हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि), केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के लिए एक प्रवीणता परीक्षण भी आयोजित किया गया।

(अध्याय 4)

- सीधी भर्ती के 151 पदों के लिए, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाया गया। ऐसे अधिकतर पदों के लिए चिकित्सा, इंजीनियरी अथवा वैज्ञानिक योग्यताओं में विशेषज्ञता अपेक्षित थी।

(अध्याय 4)

- आयोग ने पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आमेदन आदि के लिए उम्मीदवारों/अधिकारियों की उपयुक्तता से संबंधित 6,478 अनुशंसाएं कीं।

(अध्याय 6)

- आयोग ने 18,858 अधिकारियों के सेवा अभिलेखों पर विचार किया तथा (क) 6,056 अधिकारियों की केन्द्रीय सेवाओं में पदोन्नति के लिए तथा (ख) 422 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति/आमेदन पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा की।

(अध्याय 6)

- आयोग ने परीक्षा द्वारा भर्ती के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए 1215 उम्मीदवारों की अनुशंसा की। इन आंकड़ों के अलावा, अ. जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के 59 उम्मीदवारों की अनारक्षित पदों के लिए अनुशंसा की गई।

(अध्याय 7)

- आयोग ने साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से 77.0 प्रतिशत आरक्षित पदों को भरने के लिए अनुसूचित जाति के 112, अनुसूचित जनजाति के 44 तथा अन्य पिछड़े वर्ग के 198 उम्मीदवारों की अनुशंसा की। इन आंकड़ों में अनुसूचित जाति के 23 अनुसूचित जनजाति के 4 तथा अन्य पिछड़े वर्गों के 58 उम्मीदवार शामिल नहीं हैं, जिन्हें अनारक्षित पदों के लिए अनुशंसित किया गया था।

(अध्याय 7)

- आयोग ने, साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 34 पदों में से 18 उम्मीदवारों की अनुशंसा की।

(अध्याय 7)

- 65 मामलों में, साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से आयोग द्वारा पहले अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों के नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में या तो एक वर्ष से अधिक समय का विलम्ब हुआ या मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने संबंधी अपेक्षित सूचना नहीं दी गई।

(अध्याय 9)

- परीक्षा द्वारा भर्ती हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों के 178 ऐसे मामले थे, जिनमें यह देखा गया कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने में एक वर्ष या इससे अधिक का विलम्ब हुआ।

(अध्याय 9)

- ऐसे 11 मामले हैं, जिनमें सरकार द्वारा आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया; इनमें दस मामले अनुशासनिक प्रकृति के हैं तथा एक मामला पदोन्नति संबंधी है।

(अध्याय 10)

- आयोग ने उन 10 उम्मीदवारों पर शास्तियां (परीक्षा के संबंध में) लगाईं, जो परीक्षाओं में जानकारी को छिपाने, नियमों का उल्लंघन करने, अनुचित साधनों का प्रयोग करने के दोषी पाए गए थे।

(अध्याय 11)

संक्षिप्त इतिहास एवं वर्षों के दौरान कार्यभार

अध्याय

2

1. लॉर्ड ली की अध्यक्षता में भारत में सुपीरियर सिविल सेवा संबंधी रॉयल कमीशन ने 1924 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना की अनुशंसा की गई। इसके फलस्वरूप 1 अक्टूबर, 1926 को प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर रॉस बार्कर थे। लोक सेवा आयोग को प्रदान किए गए सीमित परामर्शी कार्य तथा हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रणेताओं द्वारा इस पहलू पर लगातार बल दिए जाने के परिणामस्वरूप भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के पश्चात् फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग कहलाया जाने लगा तथा 26 जनवरी, 1950 को भारत के संविधान के लागू होने के साथ ही, इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। 1926 से अब तक भूतपूर्व अध्यक्षों तथा सदस्यों की सूची परिशिष्ट-XLIV में दी गई है।

2. संविधान के अनुच्छेद 320 में निर्दिष्ट आयोग के कार्य, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रकार हैं :

(क) सभी सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए

निम्नलिखित द्वारा भर्ती करना :-

- (i) मौखिक परीक्षा सहित या इसके बिना लिखित परीक्षा या इनके अनुपूरण के लिए साक्षात्कार;
- (ii) साक्षात्कार;
- (iii) पदोन्नति,

(ख) सिविल पद-धारक सरकारी सेवकों से संबंधित अनुशासनिक मामलों पर सरकार को सलाह देना।

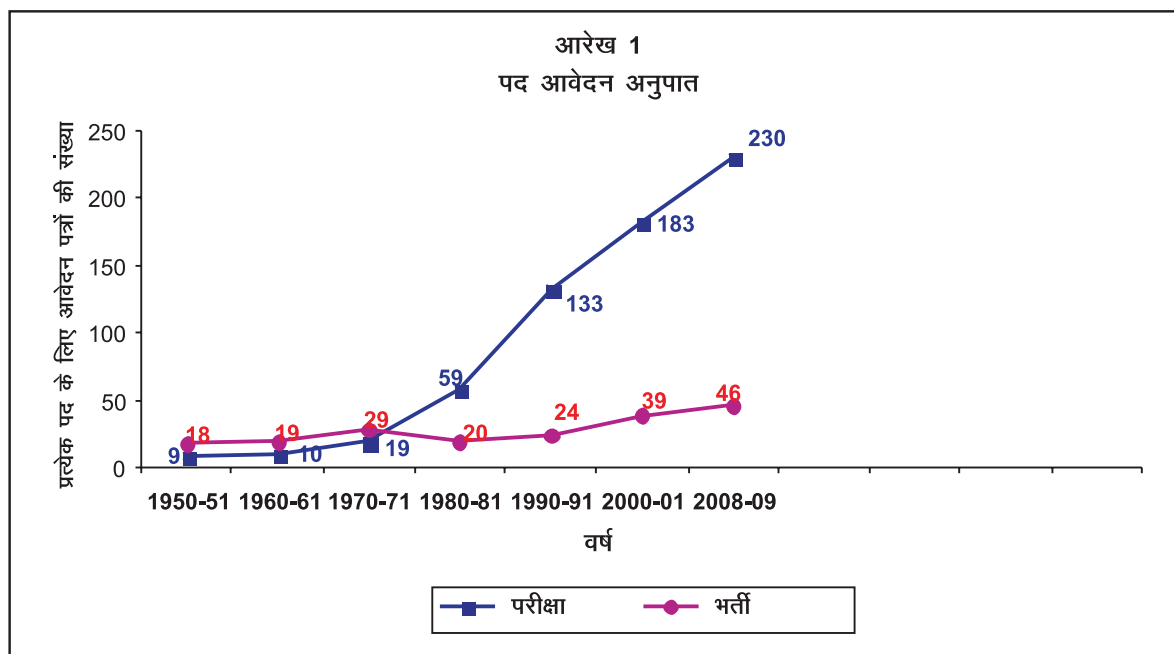
3. आयोग के वर्तमान कार्यभार की, 1950-51 से तथा उसके बीच की अवधि से तुलना सारणी 1 से 4 तथा आरेख 1 से 4 में दर्शाई गई है। प्राप्त आवेदन पत्रों, साक्षात्कार किए गए तथा अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या सारणी 1 एवं आरेख 1 में दर्शाई गई है। आयोग द्वारा निपटाए गए अनुशासनिक मामलों की संख्या सारणी 2 और आरेख 2 में दर्शाई गई है। आयोग द्वारा संसाधित भर्ती नियमों के मामलों की संख्या सारणी 3 और आरेख 3 में दर्शाई गई है। विभागीय पदोन्नति हेतु संसाधित अभिलेखों की संख्या (जिनमें अखिल भारतीय सेवाओं की बैठकें भी शामिल हैं) सारणी 4 और आरेख 4 में दर्शाई गई है।

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

सारणी 1 : परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा भर्ती

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या			साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवार			अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या			
	परीक्षा	भर्ती	कुल	परीक्षा	भर्ती	कुल	परीक्षा	भर्ती		कुल
								अनु.	उपयुक्त नहीं पाए गए	
1950-51#	24,680	18,047	42,727	3,383	6,484	9,867	2,780	883	120	3,783
1960-61	34,349	36,833	71,182	4,862	9,078	13,940	3,298	1,727	249	5,274
1970-71	81,539	65,197	1,46,736	3,473	13,706	17,179	4,187	2,059	190	6,436
1980-81	2,43,374	58,748	3,02,122	9,256	14,090	23,346	4,093	2,591	361	7,045
1990-91	6,15,850	72,079	6,87,929	13,838	16,788	30,626	4,625	2,341	655	7,621
2000-01	7,62,501	48,019	8,10,520	3,351	8,045	11,396	4,177	1,050	179	5,406
2008-09	9,41,517	46,648	9,88,165	6,845	4,492	11,337	4,104	865	151	5,120

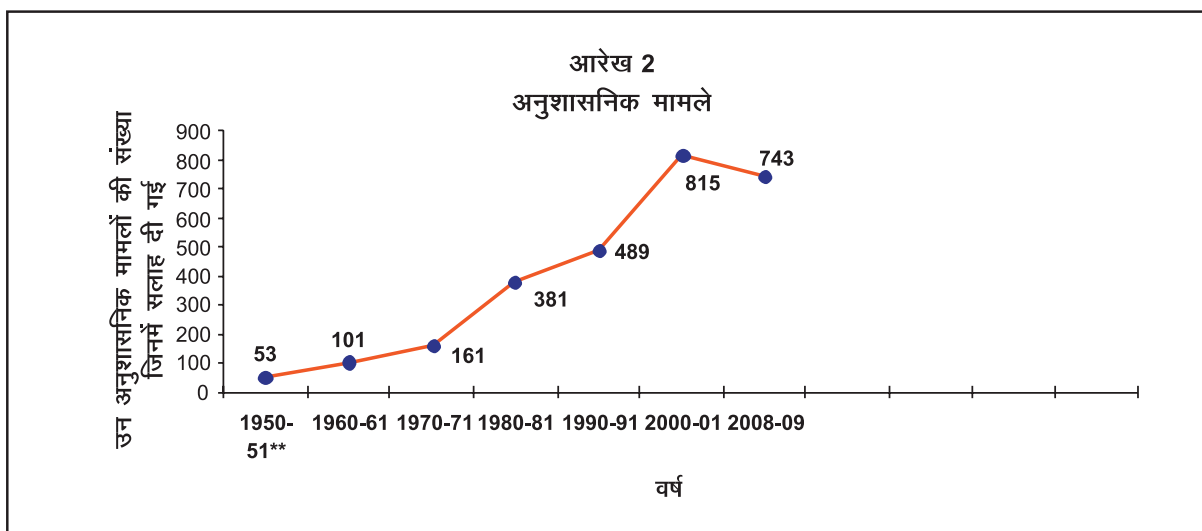
ये आंकड़े 26 जनवरी, 1950 से 31 मार्च, 1951 तक के हैं।



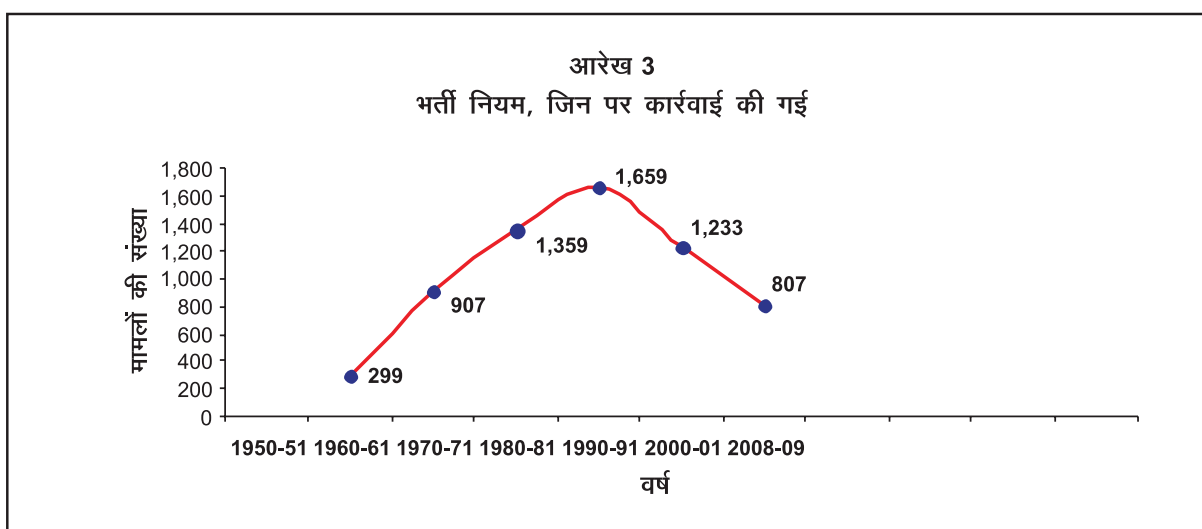
सारणी 2 : अनुशासनिक मामले	
वर्ष	अनुशासनिक मामलों की संख्या जिनमें सलाह दी गई
1950-51*	53
1960-61	101
1970-71	161
1980-81	381
1990-91	489
2000-01	815
2008-09	743

सारणी 3 : भर्ती नियम संबंधी मामले	
वर्ष	भर्ती नियम संबंधी मामले जिन पर कार्रवाई की गई
1950-51	--
1960-61	299
1970-71	907
1980-81	1,359
1990-91	1,659
2000-01	1,233
2008-09	807

* ये आंकड़े 26 जनवरी, 1950 से 31 मार्च, 1951 तक के हैं।



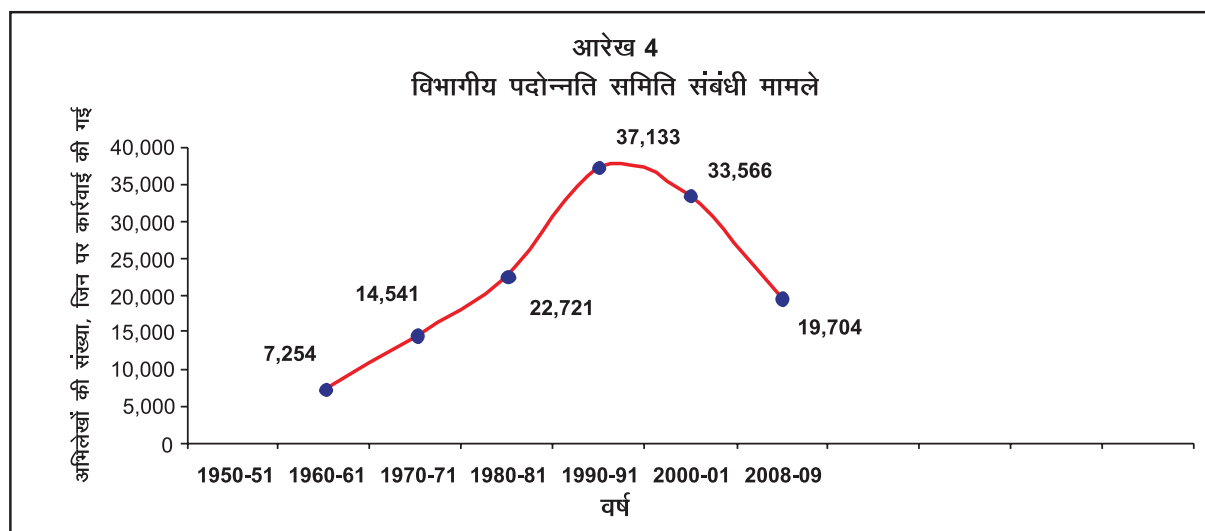
* ये आंकड़े 26 जनवरी, 1950 से 31 मार्च, 1951 तक के हैं।



वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

सारणी 4 : पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन संबंधी मामले

वर्ष	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन संबंधी मामलों की संख्या, जिनमें अनुशंसा की गई	
	अखिल भारतीय सेवाओं के अलावा मामले	अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल करने के लिए अधिकारियों के रिकार्ड का निपटान
1950-51	-	-
1960-61	5,200 अधिकारियों के अभिलेख	2,054
1970-71	12,924 अधिकारियों के अभिलेख	1,617
1980-81	20,711 अधिकारियों के अभिलेख	2,010 (499 अधिकारी शामिल)
1990-91	35,645 अधिकारियों के अभिलेख	1,488 (543 अधिकारी शामिल)
2000-01	32,726 अधिकारियों के अभिलेख	840 (268 अधिकारी शामिल)
2008-09	18,858 अधिकारियों के अभिलेख	846 (299 अधिकारी शामिल)



परीक्षा द्वारा भर्ती

अध्याय
3

1. आयोग ने वर्ष 2008-2009 के दौरान 12 परीक्षाओं का आयोजन किया—सिविल सेवाओं/पदों के लिए आठ तथा रक्षा सेवाओं के लिए चार, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

सिविल सेवाओं/पदों के लिए

- (क) सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2008 (सि.से.प्रा.)
 (ख) सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2008 (सि.से.प्र.)
 (ग) भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008 (भा.व.से.)
 (घ) इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2008 (इं.से.प.)
 (ङ) भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2008 (भा.आ.से./भा.सां.से.)
 (च) भूविज्ञानी परीक्षा, 2008 (भू.वि.प.)
 (छ) केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेन्ट) परीक्षा, 2008 (के.पु.ब.)
 (ज) सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2009 (स.चि.से.)

रक्षा सेवाओं के लिए

- (क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी (रा.र.अ. तथा नौ.से.अ.) के लिए दो परीक्षाएं—राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2008 तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2008
 (ख) सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (सं.र.से.) के लिए दो परीक्षाएं—सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2008 तथा सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2009

आवेदन पत्रों की संख्या

2. वर्ष 2008-2009 के दौरान, आयोग ने पिछले वर्ष के 10,99,634 आवेदन पत्रों की तुलना में, 9,41,517 आवेदन पत्र प्राप्त किए। नीचे दी गई सारणी पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परीक्षाओं के आवेदकों की संख्या को दर्शाती है।

सारणी 1

परीक्षा	2006-07	2007-08	2008-09
सिविल			
1. सि.से. (प्रा.)	383983	333680	325433
2. सि.से. (प्र.)	7692	9158	11669
3. भा.व.से.	35601	31887	32872
4. इं.से.प.	65219	53711	65156
5. भा.आ.से./भा.सां.से.	4617	4038	3958
6. अ.अधि.सी.वि.प्र.प.	@1851	--	--
7. स.चि.से.	#27589	# 25519	# 29096
8. स्पे.क्ला.रे.अप्रे.	--	106260	-
9. भू.वि.प.	3210	2687	3359
10. के.पु.ब.	95433	74368	68088
कुल (सिविल)	625195	641308	539631
रक्षा			
1. रा.र.अ. एवं नौ.से.अ. (I)	216260	248165	177922
2. रा.र.अ. एवं नौ.से.अ. (II)	139069	105291	106346
3. सं.र.से. (II)	63737	53868	53794
4. सं.र.से. (I)	\$64028	\$ 51002	\$ 63824
कुल (रक्षा)	483094	458326	401886
कुल योग	1108289	1099634	941517

सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा—2007, वर्ष 2006-07 में आयोजित की गई, सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा—2008, वर्ष 2007-08 के दौरान आयोजित की गई तथा सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा—2009, वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित की गई।

\$ सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I)—2007, वर्ष 2006-07 के दौरान आयोजित की गई। सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I)—2008, वर्ष 2007-08 के दौरान आयोजित की गई। सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I) 2009, वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित की गई।

@ अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख' / ग्रेड -I) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2005, वर्ष 2006-07 के दौरान आयोजित की गई।

-- परीक्षा आयोजित नहीं की गई।

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

परीक्षा में प्रविष्ट उम्मीदवारों की संख्या

3. निम्नलिखित सारणी परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की परीक्षा-वार संख्या दर्शाती है :-

सारणी 2

परीक्षा	2006-07	2007-08	2008-09
सिविल			
1. सि.से. (प्रा.)	195803	161469	167035
2. सि.से. (प्र.)	7496	8886	11330
3. भा.व.से.	8882	7696	7659
4. इं.से.प.	16824	17239	21753
5. भा.आ.से./भा.सां.से.	1334	1077	£
6. अ.अधि.सी.वि.प्र.प.	\$1266	-	-
7. स.चि.से.	# 19791	# 16324	#14775
8. स्पे.क्ला.रे.अप्रे.	-	72727	-
9. भू.वि.प.	1334	*	*987 **1553
10. के.पु.ब.	53896	41130	38106
कुल (सिविल)	306626	326548	263198
रक्षा			
1. रा.र.अ. एवं नौ.से.अ. (I)	134431	121447	88676
2. रा.र.अ. एवं नौ.से.अ. (II)	78825	48810	46010
3. स.र.से. (II)	38796	30272	30945
4. स.र.से. (I)	@ 48746	@ 37897	@ 29352
कुल (रक्षा)	300798	238426	194983
कुल योग	607424	564974	458181

* भूविज्ञानी परीक्षा, 2007 संबंधी सूचना 2008-09 में उपलब्ध करा दी गई थी।

** भूविज्ञानी परीक्षा, 2008 संबंधी सूचना।

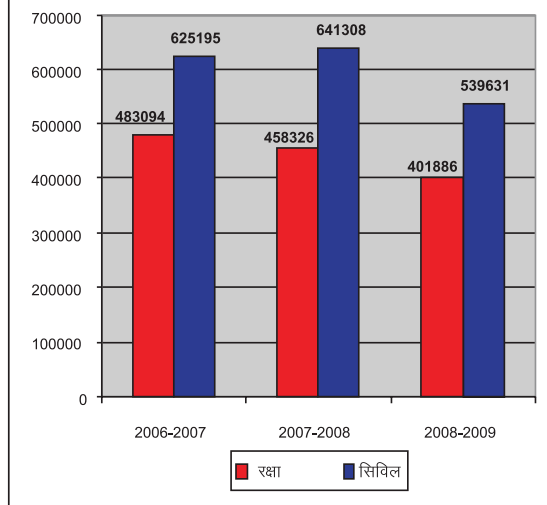
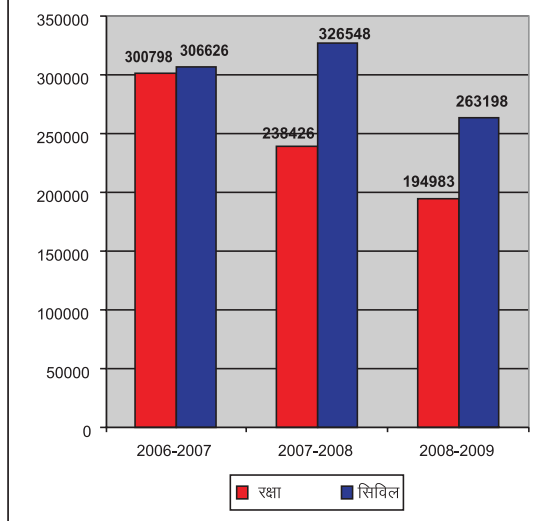
सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा-2007, वर्ष 2006-07 में आयोजित की गई, जिसकी सूचना वर्ष 2007-08 में उपलब्ध कराई गई, सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2008, वर्ष 2007-08 में आयोजित की गई, जिसकी सूचना वर्ष 2008-09 में उपलब्ध कराई गई और सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2009, वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित की गई, जिसकी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

@ सम्मिलित रक्षा सेवा (I) परीक्षा-2007, वर्ष 2006-07 में आयोजित की गई, जिसकी सूचना वर्ष 2007-08 में उपलब्ध कराई गई, सम्मिलित रक्षा सेवा (I) परीक्षा 2008, वर्ष 2007-08 में आयोजित की गई, जिसकी सूचना 2008-09 में उपलब्ध कराई गई तथा सम्मिलित रक्षा सेवा (I) परीक्षा-2009, वर्ष 2008-09 में आयोजित की गई, जिसकी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

\$ अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख' / ग्रेड-1) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2005, वर्ष 2006-07 के दौरान आयोजित की गई।

£ सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

— परीक्षा आयोजित नहीं की गई।

आवेदकों की संख्या**प्रविष्ट उम्मीदवारों की संख्या**

साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार

4. आयोग केवल सिविल सेवाओं/पदों हेतु ही साक्षात्कार करता है। रक्षा सेवाओं के संबंध में, साक्षात्कार एवं शारीरिक योग्यता परीक्षण आदि हेतु परीक्षा परिणाम, रक्षा मंत्रालय को भेजे जाते हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान, आयोग ने सिविल सेवाओं/पदों के बारे में वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान आयोजित की गई निम्नलिखित परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर साक्षात्कार आयोजित किए :-

- (क) सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा-2007
- (ख) केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा-2007
- (ग) भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा-2007
- (घ) भूविज्ञानी परीक्षा-2007
- (ङ) सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा-2008
- (च) भारतीय वन सेवा परीक्षा-2008

5. साक्षात्कारों के आयोजन में अनेक सलाहकारों की भी सेवाएं ली गईं। विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट व्यक्तियों का सलाहकारों के रूप में चयन किया जाता है। उपर्युक्त परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न व्यक्तित्व परीक्षण बोर्डों के अध्यक्षों के नाम परिशिष्ट-X में और उनके जीवन-वृत्त परिशिष्ट-I में दिए गए हैं।

6. कुल मिलाकर, आयोग ने विभिन्न सिविल सेवाओं/पदों के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान 6,845 उम्मीदवारों का साक्षात्कार/सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया। रक्षा सेवा परीक्षाओं के संबंध में, साक्षात्कार, शारीरिक फिटनेस परीक्षण आदि रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा संचालित किए गए। अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2005 के संबंध में केवल सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया गया। विभिन्न सिविल सेवाओं/पदों के लिए आयोग द्वारा साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारों की परीक्षा-वार संख्या सारणी 3 में दी गई है।

अनुशंसित उम्मीदवार

7. आयोग ने वर्ष 2008-09 के दौरान सिविल के साथ-साथ रक्षा सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु 4,104 उम्मीदवारों को अनुशंसित किया। रक्षा सेवाओं के लिए नियुक्ति हेतु अनुशंसाएं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं तथा रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित साक्षात्कारों पर आधारित थीं। अनुशंसित उम्मीदवारों की परीक्षा-वार संख्या नीचे दी गई है :-

सारणी 3		
क्र. सं.	परीक्षा	वर्ष 2008-09 के दौरान साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारों की संख्या
सिविल सेवाओं/पदों हेतु		
1	सि.से. (प्र.), 2007	1883
2	इं.से.प., 2007*	943
3	स.चि.से., 2008	1537
4	के.पु.ब. (सहा.कमां.), 2007	924
5	भा.आ.से./भा.सां.से., 2007	65
6	भू.वि., 2007	523
7	भा.व.से., 2008	230
8	अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2005 **	740
कुल		6845

* 2008-09 में सूचना उपलब्ध हुई है, 2007-08 में साक्षात्कार आयोजित किए गए।

** परीक्षा में केवल सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया गया।

सारणी 4		
क्र. सं.	परीक्षा	वर्ष 2008-09 के दौरान अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या
क) सिविल सेवाओं/पदों हेतु		
1.	सि.से.(प्र.) 2007	638
2.	इं.से.प., 2007	304
3.	भा.व.से., 2007	40
4.	भा.व.से., 2008	84
5.	के.पु.ब., 2007	366
6.	भा.आ.से./भा.सां.से., 2007	29
7.	भू.वि., 2007	175
8.	सं.चि.से., 2008	556
9.	अनुभाग अधिकारी ग्रेड, 2005	375
कुल		2567
ख) रक्षा सेवाओं/पदों के लिए		
1.	रा.र.अ. (II), 2007	292
2.	स.र.से. (II), 2007	448
3.	स.र.से. (I), 2008	341
4.	रा.र.अ. (I), 2008	456
कुल		1537
(क) और (ख) का कुल योग		4104

पद आवेदक अनुपात

8. किसी एक परीक्षा के आवेदन पत्रों की संख्या को उस परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या से भाग देने पर पद आवेदक अनुपात (ए पी आर) प्राप्त होता है। पद आवेदक अनुपात से प्रत्येक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवाओं/पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों का सूचकांक प्राप्त होता है। ए पी आर आकलनों के अनुसार,

सिविल सेवा परीक्षा-2007 द्वारा भरे गए प्रत्येक पद के लिए 455 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जबकि वर्ष, 2006 के लिए यह संख्या 720 थी। भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007 के संबंध में, प्रत्येक पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 797 थी, जो सभी परीक्षाओं में सबसे अधिक थी।

विवरण सारणी 5 में दिया गया है।

पद अनुशंसा अनुपात

9. अंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या को पदों की संख्या से भाग देने पर पद अनुशंसा अनुपात (आर.पी.आर.) प्राप्त होता है। जब पद अनुशंसा अनुपात

का मान एक होता है, तो इसका अर्थ है कि सभी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन हुआ है। जब पद अनुशंसा अनुपात एक से कम होता है, तब चयनित उम्मीदवारों की संख्या पदों की संख्या से कम होती है। जैसा कि नीचे सारणी से स्पष्ट है कि सिविल सेवा परीक्षा-2007, भारतीय वन सेवा परीक्षा-2008, इंजीनियरी सेवा परीक्षा 2007, केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेन्ट) परीक्षा-2007, भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा-2007, सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा-2008 तथा अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख' / ग्रेड-1) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2005 में पद अनुशंसा अनुपात एक से कम है। कभी संबंधी विवरण परिशिष्ट-IV में दिया गया है।

सारणी 5

परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	आवेदकों की संख्या	अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या	पद आवेदक अनुपात	पद अनुशंसा अनुपात
सिविल सेवा परीक्षा, 2007	734	3,33,680	638	455	0.87
भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007	40	31,887	40	797	1.00
भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008	85	32,872	84	387	0.99
इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2007	352	53,711	304	153	0.86
केन्द्रीय पुलिस बल (सहा. कमा) परीक्षा, 2007	413	74,368	366	180	0.89
भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2007	33	4,038	29	122	0.88
भूविज्ञानी परीक्षा, 2007	175	2,687	175	15	1.00
सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2008	615	25,519	556	41	0.90
अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख' / ग्रेड-1) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2005	576	1,851	375	3	0.65
कुल	3,023	5,60,613	2,567	185	0.85

सिविल सेवा परीक्षा, 2007 की विशेषताएं अनुशंसाएं

10. सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2007 का परिणाम अंतिम रूप से 26 जून, 2008 को घोषित किया गया। परिणाम में, आयोग ने कुल 638 उम्मीदवारों की अनुशंसा की, जिनमें अ.जा. के 109, अ.ज.जा. के 53, अ.पि.व. के 190 तथा शारीरिक रूप से अक्षम 22 उम्मीदवार शामिल थे।

महिला उम्मीदवार

11. सिविल सेवा परीक्षा, 2007 के परिणामों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित महिला उम्मीदवारों की संख्या

143 थी, जबकि वर्ष 2006 में यह 101 थी। सिविल सेवा परीक्षा, 2006 तथा सिविल सेवा परीक्षा, 2007 में भाग लेने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या क्रमशः 669 तथा 894 थी। सिविल सेवा परीक्षा, 2006 तथा सिविल सेवा परीक्षा, 2007 के आधार पर क्रमशः 195 तथा 306 महिला उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया।

सारणी 6

वर्ष	परीक्षा में बैठी	साक्षात्कार की गईं	अनुशंसित
2006	669	195	101
2007	894	306	143

शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवार

12. सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2007 के आधार पर शारीरिक रूप से अक्षम जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई, उनकी संख्या 22 थी।

साक्षात्कार

13. सिविल सेवा परीक्षा, 2007 हेतु सात व्यक्तित्व परीक्षण बोर्डों का गठन किया गया। उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण के लिए भाषा माध्यम के रूप में अंग्रेजी या किसी भी एक भारतीय भाषा को अपनाने का विकल्प दिया गया था। 1,883 उम्मीदवारों में से (वास्तव में साक्षात्कार के लिए 1,886 उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त की थी, किंतु तीन उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुए) जो उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित हुए, उनमें से 1309 उम्मीदवारों ने अंग्रेजी को, जबकि 574 उम्मीदवारों ने किसी एक भारतीय भाषा को साक्षात्कार के माध्यम के रूप में चुना, जिसका विवरण सारणी 7 में दिया गया है।

सारणी 7	
भाषा का नाम	उम्मीदवारों की संख्या
बंगला	1
गुजराती	6
हिन्दी	520
कन्नड़	2
मराठी	13
तमिल	20
तेलुगु	10
उर्दू	2
कुल	574

प्रधान परीक्षा में भारतीय भाषाएं

14. 2007 की परीक्षा के लिए किसी भारतीय भाषा के साहित्य को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1,567 थी। भाषा-वार ब्यौरा परिशिष्ट-XI में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य वैकल्पिक विषयों के उत्तर देने के लिए किसी भारतीय भाषा को माध्यम के रूप में चुनने वाले उम्मीदवारों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-XII में दिया गया है।

उम्मीदवारों की योग्यताएं

15. नियुक्ति हेतु अनुशंसित 638 उम्मीदवारों में से, 277 स्नातकोत्तर थे और 361 स्नातक थे। सफल उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यताओं का विवरण, उनके द्वारा लिए गए

विषय तथा उनका आयु-वार विश्लेषण आदि परिशिष्ट-XIII में दिया गया है तथा आवेदन करने वाले तथा चयनित उम्मीदवारों का विश्वविद्यालय-वार विवरण परिशिष्ट-XIV में दिया गया है।

16. यह भी उल्लेखनीय है कि सिविल सेवा परीक्षा नियमावली, 2007 के नियम 16(4) एवं (5) के प्रावधानों के अनुसार, आयोग ने 192 उम्मीदवारों की एक समेकित आरक्षित सूची बनाई। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर, आयोग द्वारा 96 उम्मीदवारों का परिणाम (द्वितीय योग्यता-क्रम सूची) घोषित किया जाएगा।

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2007 की विशेषताएं

17. इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2007 की अधिसूचना 20 जनवरी 2007 को जारी की गई थी। इस अधिसूचना के प्रत्युत्तर में 53,711 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया। कुल आवेदकों में से 51,696 उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रवेश मिला। लिखित परीक्षा 9 जून 2007 से आयोजित की गई, जिसमें कुल 17,239 उम्मीदवार बैठे। परीक्षा के लिखित भाग का परिणाम 11 जनवरी, 2008 को घोषित किया गया। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए कुल 1,016 उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त की जिनमें अ.जा. के 169, अ.ज.जा. के 77, अ.पि.व. के 364 तथा शारीरिक रूप से अक्षम 14 उम्मीदवार शामिल थे। 13 मार्च, 2008 से 28 मार्च, 2008 तक उम्मीदवारों के साक्षात्कार आयोजित करने के लिए सात व्यक्तित्व परीक्षण बोर्डों का गठन किया गया। अंतिम परिणाम 5 जून, 2008 को घोषित किया गया तथा कुल 304 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई, जिनमें अ.जा. के 52, अ.ज.जा. के 24, अ.पि.व. के 89 तथा शारीरिक रूप से अक्षम 05 उम्मीदवार शामिल थे। नोडल मंत्रालय अर्थात् रेलवे बोर्ड से आरक्षित सूची के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उम्मीदवारों की योग्यताएं

18. उम्मीदवारों का योग्यता, समुदाय, विषय, आयु, लिंग-वार तथा विश्वविद्यालय-वार विश्लेषण क्रमशः परिशिष्ट-XV और परिशिष्ट-XVI में दिया गया है।

भारतीय वन सेवा परीक्षा

19. भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007 के लिए उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-XVII में दिया गया है और भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008 का ब्यौरा परिशिष्ट-XVII (क) में दिया गया है।

वर्ष के दौरान लागू किए गए परिवर्तन

20. आयोग ने वर्ष के दौरान विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित बड़े परिवर्तन लागू किए :-

जम्मू एवं कश्मीर राज्य में रहने वाले उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करना

21. जैसा कि आयोग की पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने के लिए अतिरिक्त समय का लाभ 31 दिसम्बर, 2008 तक बढ़ा दिया गया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, आयोग ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए रियायत अवधि की सुविधा को आगे एक और वर्ष की अवधि अर्थात् 31 दिसम्बर, 2009 तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

केवल सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा में चलने में असमर्थ एवं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित उम्मीदवारों को प्रति घंटा बीस मिनट के हिसाब से अतिरिक्त समय दिया जाना।

22. केवल सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा में चलने में असमर्थ एवं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित उन उम्मीदवारों को, जहां उनकी प्रमुख कार्यनिष्पादन क्षमता (लेखन) (कम से कम 40 प्रतिशत तक अक्षमता) प्रभावित होती है, प्रतिघंटा बीस मिनट के हिसाब से अतिरिक्त समय दिया गया है। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को किसी लिपिक (स्क्राइब) की अनुमति नहीं है।

परीक्षा आयोजित नहीं की गई

23. रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, आयोग ने अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड I) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2006 से 2008 तक अधिसूचित नहीं कर सका, क्योंकि केन्द्रीय सचिवालय सेवा (श्रेणी-I) के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए उम्मीदवारों के पात्रता संबंधी परीक्षा नियम जिन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है, विवादग्रस्त है, और यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष लंबित है।

साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती

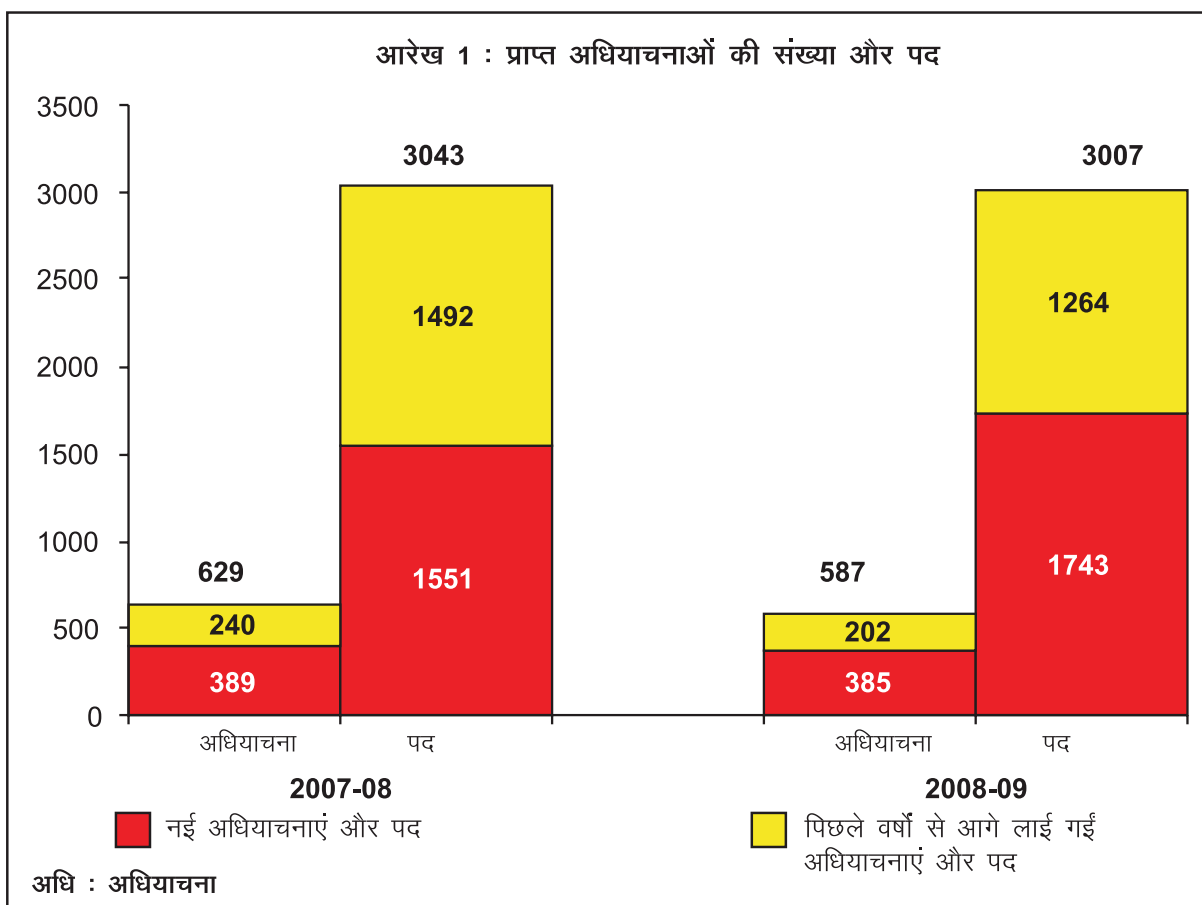
अध्याय 4

1. साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती उन रिक्तियों को भरने के लिए की जाती है, जो आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के अन्तर्गत नहीं आती हैं। इस प्रक्रिया में, मंत्रालयों / विभागों से विभिन्न पदों के लिए अधियाचनाएं प्राप्त होती हैं। अधियाचनाएं सांविधिक संगठनों, स्थानीय प्राधिकरणों या सार्वजनिक संस्थाओं से भी प्राप्त होती हैं, जिनके लिए आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 321 के अन्तर्गत भर्ती की जाती है।

प्राप्त अधियाचनाओं की संख्या

2. आयोग को पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त 1,551 पदों से संबंधित 389 अधियाचनाओं की तुलना में वर्ष 2008-09

के दौरान 1,743 पदों से संबंधित 385 अधियाचनाएं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हुईं। पिछले वर्षों से आगे लाई गई अधियाचनाओं/पदों की संख्या को शामिल करते हुए, आयोग ने 2007-08 के दौरान 3043 पदों से संबंधित 629 अधियाचनाओं की तुलना में, वर्ष 2008-09 के दौरान 3,007 पदों से संबंधित कुल मिलाकर 587 अधियाचनाओं पर कार्यवाई की। इनमें से 393 पदों से संबंधित 88 अधियाचनाएं, मंत्रालयों/विभागों से स्पष्टीकरण न मिलने के कारण उन्हें वापस भेज दी गईं तथा उन्हें समाप्त हुआ माना गया। पिछले दो वर्षों के दौरान पदों से संबंधित प्राप्त अधियाचनाओं की संख्या आरेख 1 में दर्शाई गई है।

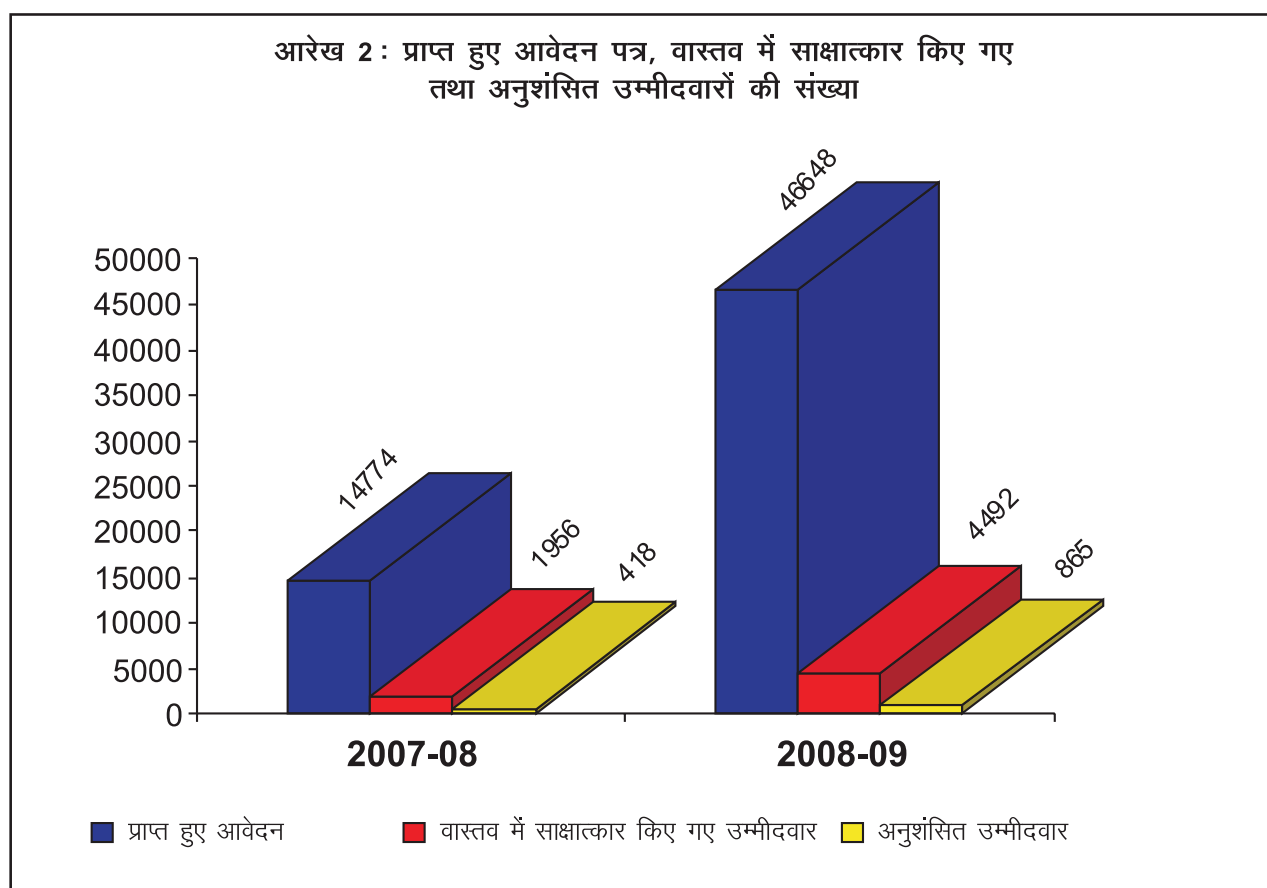


3. आरेख 1 दर्शाता है कि हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 2008-09 के दौरान मंत्रालयों / विभागों द्वारा आयोग को नए सिरे से भेजी गई अधियाचनाओं की संख्या में कुछ कमी आई है, तथापि वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त हुई इन नई अधियाचनाओं से संबद्ध पदों की संख्या (1,743), वर्ष 2007-08 के संगत आंकड़ों (1,551) की तुलना में ज्यादा थी। वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त 1,743 पदों का मंत्रालय-वार विवरण, जिनके लिए अधियाचनाएं प्राप्त हुई, परिशिष्ट XVIII में दिया गया है।

प्राप्त हुए आवेदन, साक्षात्कार किए गए तथा अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या

4. रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, आयोग ने 1,247 पदों के संबंध में आवेदन हेतु 293 मामलों के लिए विज्ञापन जारी किए। उन पदों की मंत्रालय-वार संख्या परिशिष्ट XIX में दी गई है, जिन्हें वर्ष 2008-09 के दौरान विज्ञापित किया गया। तथापि, 100 पदों से संबंधित 24 अधियाचनाओं के संबंध में भर्ती प्रक्रिया उनके विज्ञापित होने के बाद

न्यायालय आदेशों, अधियाचनाओं को वापस लेने आदि जैसे विभिन्न कारणों से रद्द मानी गई। अन्य छः मामलों में विज्ञापनों को आशोधित कर दिया गया। उन मामलों का ब्यौरा परिशिष्ट XX में दिया गया है, जिनमें वर्ष 2008-09 के दौरान अधियाचनाओं को रद्द/आशोधित किया गया था। पिछले वर्षों से आगे लाए गए लम्बित मामलों पर विचार करते हुए, वर्ष 2008-09 के दौरान 3,007 पदों के संबंध में आयोग द्वारा कुल मिलाकर 587 अधियाचनाओं पर कार्रवाई की गई। वर्ष 2008-09 के दौरान आयोग को कुल 46,648 आवेदन प्राप्त हुए। वर्ष 2008-09 के दौरान, 6,419 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया तथा 4,492 उम्मीदवारों का वास्तव में साक्षात्कार किया गया। इसके अलावा, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभिन्न पदों के लिए आयोग द्वारा 865 उम्मीदवारों को अनुशंसित करते हुए 1016 पदों से संबंधित 247 मामलों का निपटान किया गया। आरेख 2 से यह देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान वास्तव में साक्षात्कार किए गए एवं अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।



सारणी 1 : वर्ष 2008-09 के दौरान अंतिम रूप दिए गए पदों और अनुशंसित उम्मीदवारों की विस्तृत विषय-वार संख्या

विस्तृत विषय	पदों की संख्या	आवेदकों की संख्या	अनुशंसित उम्मीदवार	पद आवेदक अनुपात	पद अनुशंसा अनुपात
इंजीनियरी	317	12,311	296	39	0.93
वैज्ञानिक एवं तकनीकी (इंजीनियरी को छोड़कर)	209	9,954	182	48	0.87
गैर-तकनीकी	287	14,382	249	51	0.87
चिकित्सा	203	9,831	138	49	0.68
योग	1,016	46,478	865	46	0.85

टिप्पणी : 1. पद आवेदक अनुपात : पदों की संख्या द्वारा विभाजित आवेदकों की संख्या
2. पद अनुशंसा अनुपात : पदों की संख्या द्वारा विभाजित अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या

5. वर्ष 2008-09 के दौरान, आयोग द्वारा प्राप्त अध्यायनाओं, स्पष्टीकरण के लिए मंत्रालयों को लौटाई गई अध्यायनाओं, कार्यवाही के लिए प्रभावी मामलों, अंतिम रूप दिए गए मामलों आदि की संख्या संबंधी समग्र स्थिति परिशिष्ट-VIII में दर्शाई गई है।

6. वर्ष 2008-09 के दौरान, 1,016 पदों हेतु 46,478 आवेदन पत्रों से संबंधित 247 मामलों में भर्ती को अंतिम रूप दिया गया, जिसके लिए 6,404 उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया तथा 4,425 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया और विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए 865 उम्मीदवारों को अनुशंसित किया गया।

7. अंतिम रूप दिए गए पदों, अनुशंसित उम्मीदवारों, पद आवेदक अनुपात तथा पद अनुशंसा अनुपात की विस्तृत विषय-वार संख्या सारणी 1 में दी गई है।

8. इंजीनियरी, वैज्ञानिक तथा तकनीकी (इंजीनियरी को छोड़कर), गैर-तकनीकी तथा चिकित्सा की, प्रत्येक की विस्तृत श्रेणियों में विषय/विशेषज्ञता-वार तथा समुदाय-वार अंतिम रूप दिए गए पदों की संख्या तथा उनके लिए वर्ष 2008-09 के दौरान आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या क्रमशः परिशिष्ट XXI, परिशिष्ट XXII, परिशिष्ट XXIII, तथा परिशिष्ट XXIV में दी गई है। पिछले वर्ष के संगत आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2008-09 में भिन्नता की प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण (विषय-वार) परिशिष्ट-II में दिया गया है।

भर्ती परीक्षण

9. उम्मीदवारों की संख्या, रिक्तियों की संख्या की तुलना में बहुत अधिक होने पर, भर्ती परीक्षण से उम्मीदवारों को, समुचित संख्या में शॉर्ट लिस्ट करने में मदद मिलती है। ऐसे मामलों में अंतिम मूल्यांकन के लिए परीक्षण में उम्मीदवारों के निष्पादन को कुछ महत्व दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे परीक्षण यदा-कदा उन मामलों में भी प्रयुक्त किए जाते हैं, जहां अनिवार्य योग्यताओं में न्यूनतम दक्षता स्तर दिए गए हों। दोनों ही मामलों में अंतिम चयन के लिए भर्ती परीक्षण के बाद साक्षात्कार होता है।

10. वर्ष 2008-09 के दौरान, 172 पदों के संबंध में चार भर्ती मामलों में भर्ती परीक्षण किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सहायक निदेशक (हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि), केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के पद के लिए एक प्रवीणता परीक्षण भी किया गया है। इन मामलों के ब्यौरे सारणी-2 में दिए गए हैं।

भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने में लगने वाला औसत समय

11. पिछले वर्ष 2007-08 के दौरान सामान्य भर्ती मामलों के निपटान में पूर्ण अध्यायनाओं के प्राप्त होने की तारीख से अनुशंसा की तारीख तक औसतन 13.7 महीने की तुलना में, वर्ष 2008-09 के दौरान औसतन 10.6 माह का समय लगा जो कि काफी कम है।

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

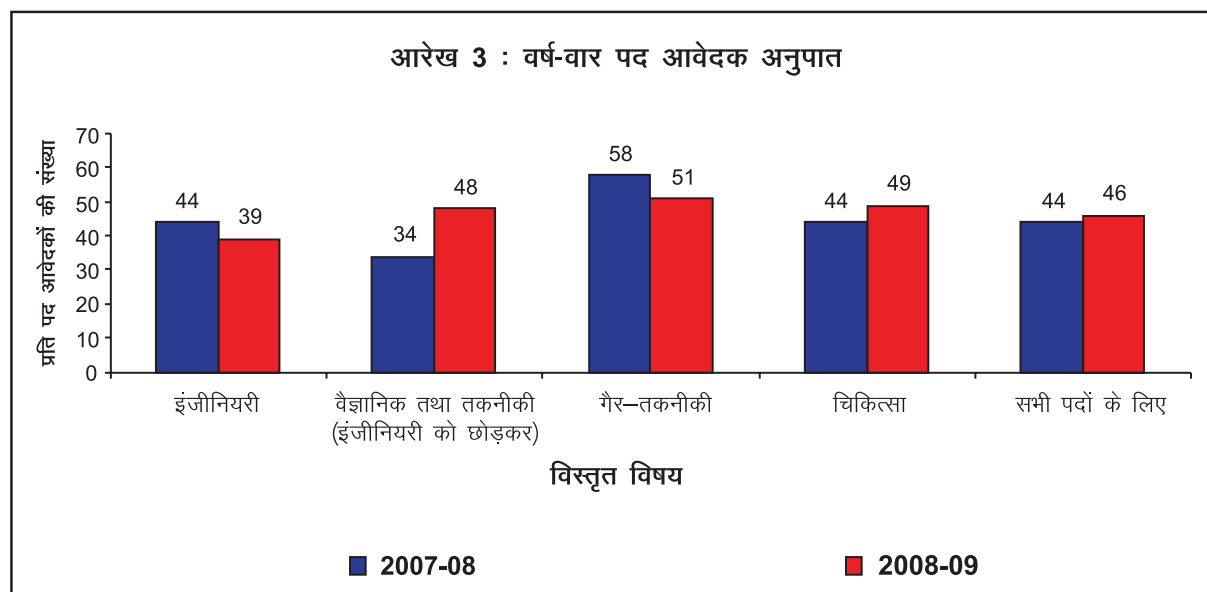
पद आवेदक अनुपात

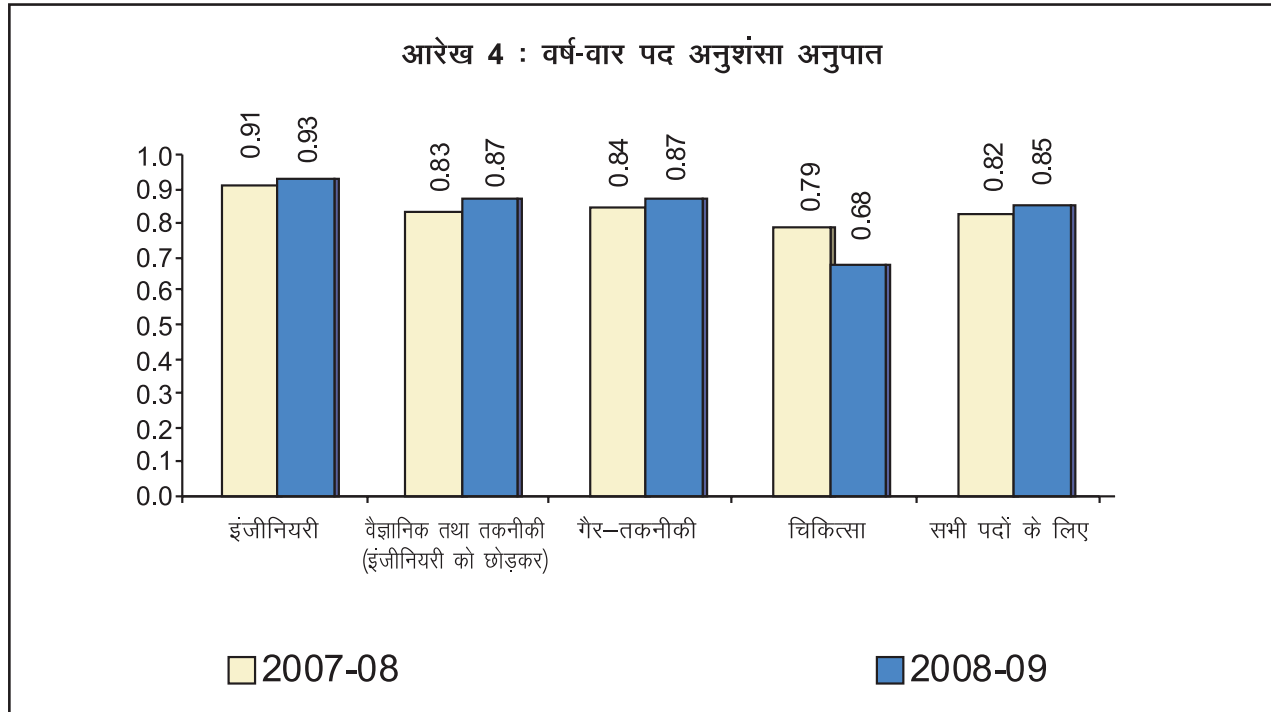
12. पद आवेदक अनुपात (ए पी आर) किसी पद के लिए प्रत्याशी उम्मीदवारों की संख्या की सूची को दर्शाता है। साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के उन मामलों में प्रति पद औसतन 46 आवेदक थे, जिन्हें वर्ष 2008-09 में

अंतिम रूप दिया गया। आरेख 3 से यह मालूम होता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इंजीनियरी तथा गैर-तकनीकी पदों के संबंध में प्रति पद आवेदकों की संख्या में भारी कमी हुई है। तथापि, वैज्ञानिक और तकनीकी तथा चिकित्सा पदों के संबंध में पिछले वर्ष की तुलना में प्रति पद आवेदकों की संख्या में मामूली सी वृद्धि हुई है।

सारणी 2 : वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित भर्ती परीक्षण/प्रवीणता परीक्षण

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रु.)	आवेदन करने वाले उम्मीदवार	परीक्षण में बैठे उम्मीदवार	31 मार्च, 2009 की स्थिति
भर्ती परीक्षण						
1	चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी), भारतीय औषध पद्धति और होम्योपैथी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।	23	8000-13500	6,591	3,951	19 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई (न्यायाधीन होने के कारण 4 पदों के परिणाम रोके गए)
2	सहायक लोक अभियोजक अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।	38	6500-10500	3,012	1,878	23 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई (न्यायाधीन होने के कारण 15 पदों के परिणाम रोके गए)
3	कनिष्ठ कार्य प्रबंधक (यांत्रिकी), आयुध कारखाना बोर्ड, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय।	100	7450-11500	3,292	1,733	लिखित परीक्षा परिणाम घोषित तथा साक्षात्कार अभी किया जाना है।
4	श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय), मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय (केंद्रीय), श्रम तथा रोजगार मंत्रालय।	11	6500-10500	3,944	2,072	भर्ती परीक्षण किया गया। परिणाम अपेक्षित है।
प्रवीणता परीक्षण						
1	सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	4	7500-12000	166	29	4 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई। (प्रवीणता परीक्षण)

आरेख 3 : वर्ष-वार पद आवेदक अनुपात



पद अनुशंसा अनुपात

13. पद अनुशंसा अनुपात का एक से कम होना उस पद के लिए योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता / कम उपलब्धता को दर्शाता है। आरेख 4 से यह देखा जा सकता है कि चिकित्सा पदों के संबंध में पद अनुशंसा अनुपात पिछले दो वर्षों के दौरान कम है, जो चिकित्सा विशेषज्ञों, विशेषकर उच्च विशेषज्ञों की सामान्य कमी को दर्शाता है।

14. कुल मिलाकर, वर्ष 2008-09 के दौरान, 151 पदों के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, उनमें से कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं पाया गया, इन पदों में से अधिकांश के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा, इंजीनियरी या वैज्ञानिक योग्यताएं अपेक्षित थीं। उन मामलों का ब्यौरा, जिनके लिए 2008-09 के दौरान उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल सके, परिशिष्ट XXV में दिया गया है।

भारी मात्रा में भर्ती संबंधी मामले

15. कुछ भर्ती मामलों में, आयोग के विज्ञापन के प्रत्युत्तर में, भारी संख्या में अर्थात्, प्रत्येक मामले हेतु 500 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान 475 पदों से संबंधित 17 ऐसे मामलों को अंतिम रूप दिया गया, जिनके लिए 26,553 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। ऐसे मामलों का विवरण परिशिष्ट XXVI में दिया गया है।

सांविधिक निकायों/स्थानीय प्राधिकरणों के लिए भर्ती

16. वर्ष 2008-09 के दौरान, आयोग ने साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से सांविधिक निकायों/स्थानीय प्राधिकरणों के लिए कोई भर्ती नहीं की।

भर्ती नियम, सेवा नियम तथा भर्ती की पद्धति**अध्याय****5**

1. भर्ती नियम बनाने/संशोधन करने और भर्ती की पद्धति को स्थायी रूप में अपनाए जाने का निर्णय करने के लिए भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिए जाने तक प्राप्त संदर्भ की संख्या वर्ष 2008-09 के दौरान 755 रही। वर्ष के आरम्भ में 97 (सत्तानवे) मामले लंबित थे। कुल 852 संदर्भों में से, 807 संदर्भों पर कार्रवाई की गई और 45 संदर्भ शेष रहे।

2. भर्ती नियम बनाने / संशोधन करने और भर्ती की पद्धति को स्थायी रूप में अपनाए जाने का निर्णय करने के लिए वित्त वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए संदर्भों की संख्या नीचे दी गई है।

सारणी 1				
वर्ष	आगे लाए गए	प्राप्त संदर्भ	निपटाए गए संदर्भ	वर्ष के अंत में शेष
2006-07	107	936	973	70
2007-08	70	822	795	97
2008-09	97	755	807	45

3. 209 मामलों में भर्ती मामलों की पद्धति सहित भर्ती नियम बनाने/संशोधन करने हेतु आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित आठ संगठित सेवाओं में आयोग का अनुमोदन लिया गया।

- (i) भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमावली में संशोधन।
- (ii) भारतीय विदेश सेवा 'ख' नियमावली में संशोधन।
- (iii) भारतीय आयुध कारखाना सेवा नियमावली में संशोधन।
- (iv) दिल्ली आशुलिपि सेवा नियमावली का गठन।
- (v) दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (एलोपैथी) नियमावली का गठन।
- (vi) केंद्रीय जल इंजीनियरी (समूह 'ख') सेवा नियमावली में संशोधन।
- (vii) दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली में संशोधन।
- (viii) भारतीय कम्पनी कानून सेवा नियमावली में संशोधन।

4. रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, भर्ती नियमों को बनाने/संशोधन के लिए प्रस्तावों पर कार्रवाई करने और उनके अनुमोदन में आयोग ने औसतन 47 दिन का समय लिया।

5. कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने, आयोग से परामर्श करके जुलाई, 1985 में अनुदेश जारी किए कि जहां मंत्रालय/विभाग इस कारण से नियमित नियुक्तियां करने की स्थिति में न हों कि भर्ती नियम अभी बनाए जाने हैं, तो उन्हें अपने सुझावों सहित पद की भर्ती का तरीका सुनिश्चित करने हेतु परामर्श देने के लिए संदर्भ तत्काल आयोग को भेज देना चाहिए। वर्ष 2008-09 के दौरान, आयोग ने ऐसे 13 प्रस्तावों के संबंध में परामर्श दिया है।

पदोन्नतियां और प्रतिनियुक्तियां

अध्याय 6

अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति

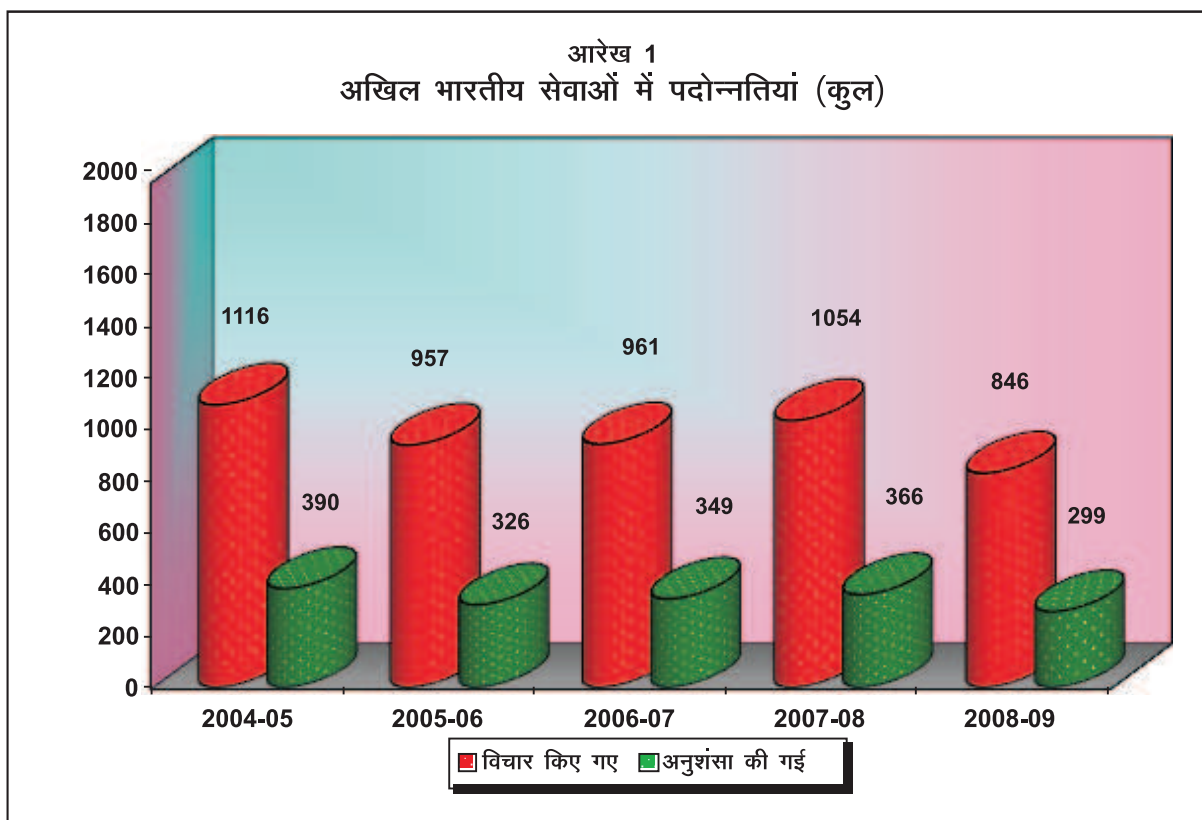
1. राज्य सेवा अधिकारियों की, अखिल भारतीय सेवाओं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा (भा.प्र.से./भा.पु.से./भा.व.से.) में पदोन्नति, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के उपबन्धों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए पदोन्नति संबंधी विनियमों द्वारा शासित होती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में चयन समितियां, विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों का, अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन करती है। भारत सरकार (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) ने दिनांक 25.7.2000 की अपनी अधिसूचना के तहत, भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा संबंधी पदोन्नति विनियमों में वर्ष-वार चयन सूचियां तैयार करने के लिए संशोधन किया है। तदनुसार, विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में

पदोन्नति के लिए, कुछ राज्यों की पिछले वर्षों की चयन सूचियां भी वर्ष 2008 की चयन सूचियों के साथ तैयार की गई थी।

2. पिछले पांच वर्षों के दौरान, अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल करने के लिए जिन विभिन्न राज्यों के अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया और जिनकी अनुशंसा की गई, उनके तुलनात्मक आंकड़े आरेख 1 में दिए गए हैं।

3. वर्ष 2008-09 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग ने विभिन्न राज्यों के 846 अधिकारियों के नामों पर विचार किया और उनमें से 299 अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल करने के लिए अनुशंसा की, जबकि पिछले वर्ष 2007-08 के दौरान कुल 1054 अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया था और उनमें से 366 अधिकारियों को शामिल करने के लिए अनुशंसा की गई थी (देखें सारणी 1)

आरेख 1
अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नतियां (कुल)



सारणी 1 : अनुशंसित अधिकारियों की सेवा-वार संख्या

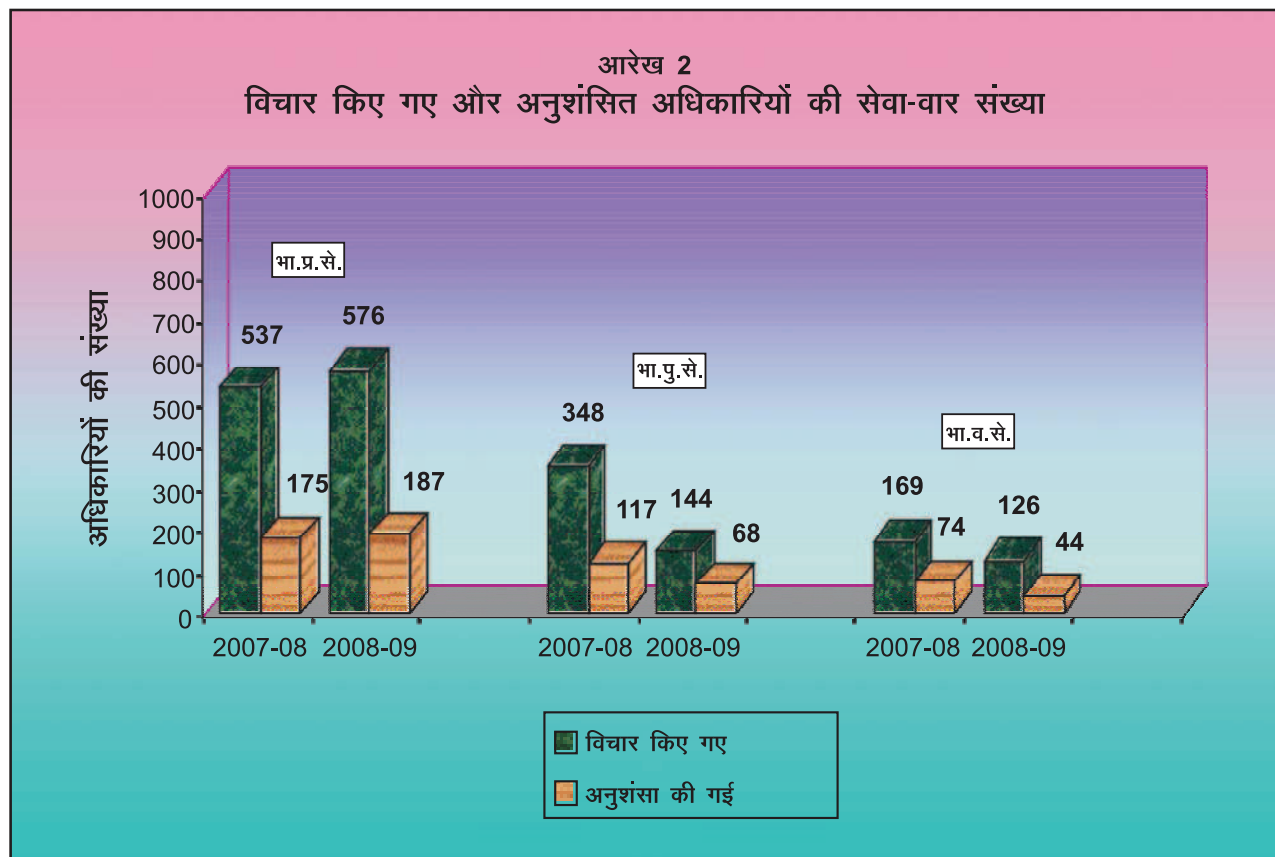
विवरण	2007-08	2008-09
भा.प्र.से. (राज्य सिविल सेवा से)	157	175
भा.प्र.से. (गैर-राज्य सिविल सेवा से)	18	12
भा.पु.से.	117	68
भा.व.से.	74	44
कुल	366	299

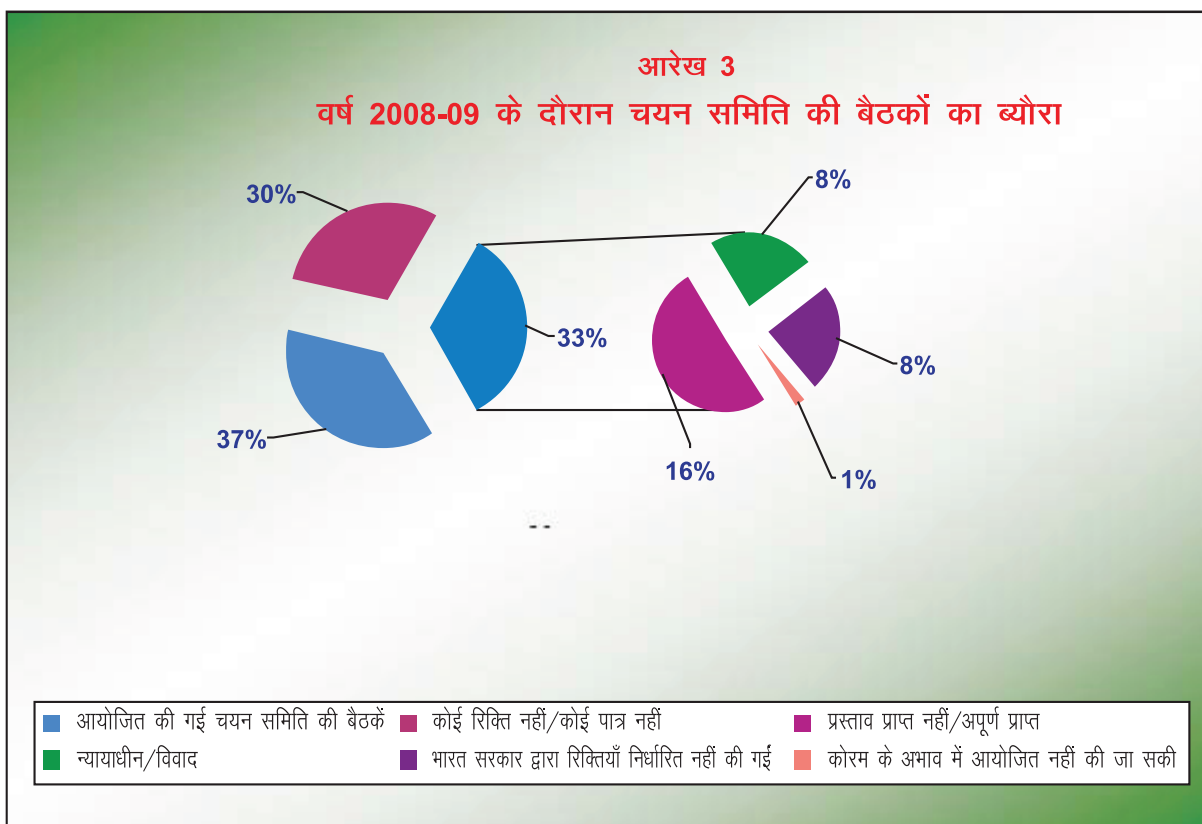
4. पिछले दो वर्षों के दौरान अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल करने के लिए जिन विभिन्न राज्यों के अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया और जिनकी अनुशंसा की गई, उनके तुलनात्मक सेवा-वार आंकड़े आरेख 2 में दिए गए हैं।

5. वर्ष 2008-09 के दौरान कुल 116 संवर्गों/उप-संवर्गों में से 42 संवर्गों/उप-संवर्गों में अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नतियां की गईं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2008-09 के दौरान पिछले वर्षों के लिए 8 संवर्गों के संबंध में भी चयन समिति की बैठकें आयोजित

की गईं।

6. (क) 43 संवर्गों/उप-संवर्गों, जिनके लिए चयन सूचियों को अंतिम रूप दिया गया (ख) 34 संवर्गों/उप-संवर्गों, जिनके लिए रिक्तियां 'शून्य' थीं तथा (ग) एक संवर्ग, जिसके लिए राज्य सेवा का कोई भी अधिकारी पात्र नहीं था (परिशिष्ट-XXVII), को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2008-09 के दौरान चयन समिति की बैठकों में शामिल किए गए संवर्गों की समग्र प्रतिशतता, (2008 की चयन सूचियां तैयार करने के लिए) 67.2 प्रतिशत बैठती है।





7. शेष संवर्गों/उप-संवर्गों के संबंध में विभिन्न कारणों, जैसे भारत सरकार द्वारा रिक्तियों का निर्धारण न किए जाने, अदालती आदेशों/निदेशों, वरिष्ठता संबंधी विवादों, पिछले वर्षों की चयन सूचियों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने/विलम्ब से प्राप्त होने आदि के कारण चयन सूचियां तैयार नहीं की जा सकीं (आरेख-3 देखें)।

8. वर्ष 2008-09 के दौरान, जैसा कि सारणी 2 में संक्षेपित किया गया है, आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार करने के

लिए समीक्षा बैठकों सहित चयन समिति की 68 बैठकें आयोजित की, (विवरण परिशिष्ट-XXVIII एवं XXIX में): एक संवर्ग के संबंध में चयन समिति की बैठक निर्धारित की गई, परन्तु कोरम के अभाव में आयोजित नहीं की जा सकी।

9. उन संवर्गों/उप-संवर्गों की सूची, जिनके लिए पिछले वर्षों की चयन सूचियां तैयार न होने, अपूर्ण प्रस्तावों, विभिन्न अदालतों के स्थगन आदेशों आदि के कारण वर्ष के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी, परिशिष्ट-XXX में दर्शाई गई हैं।

सारणी 2

क्र. सं.	विवरण	संवर्गों/उप-संवर्गों की संख्या
1.	वर्ष 2008 की चयन सूचियां, जिन्हें अंतिम रूप दिया गया	43
2.	पिछले वर्षों की चयन सूचियां, जिन्हें अंतिम रूप दिया गया	17
3.	पुनरीक्षण बैठकें, जो केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/अदालत के निदेशों के अनुपालनार्थ आयोजित की गईं (परिशिष्ट-XXIX)	08
	कुल	68

पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति

10. आयोग (i) केन्द्रीय सेवाओं में पदोन्नति; और (ii) प्रतिनियुक्ति/आमेलन संबंधी कार्य करता है। वर्ष 2008-09 के दौरान, उन्होंने 6,478 अधिकारियों/पदों के संबंध में अनुशंसा की, जबकि वर्ष 2007-08 के दौरान 4,860 अधिकारियों/पदों के लिए अनुशंसा की गई। उक्त अनुशंसाओं के लिए आयोग ने वर्ष 2008-09 के दौरान 18,858 अधिकारियों के सेवा अभिलेखों पर विचार किया, जबकि वर्ष 2007-08 के दौरान 19,592 अभिलेखों पर विचार किया गया था।

केन्द्रीय सेवाओं में पदोन्नतियां

11. आयोग ने केन्द्रीय सेवाओं में विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए 13,342 अधिकारियों से संबंधित 1,423 मामलों पर विचार किया। वर्ष 2008-09 के दौरान विभागीय पदोन्नति समिति की 451 बैठकें बुलाई गई, जिनमें 6,056 अधिकारियों की अनुशंसा की गई। वर्ष 2007-08 के दौरान, आयोग ने 12,397 अधिकारियों से संबंधित 1,282 मामलों पर विचार किया। विभागीय पदोन्नति समिति की 445 बैठकें बुलाई गई, जिनमें 4,547 अधिकारियों की अनुशंसा की गई।

प्रतिनियुक्ति/आमेलन

12. आयोग ने प्रतिनियुक्ति/आमेलन के लिए 5,516 अधिकारियों से संबंधित 846 मामलों पर विचार किया। वर्ष 2008-09 के दौरान, चयन समिति की 197 बैठकें बुलाई गई, जिनमें 422 अधिकारियों की अनुशंसा की गई। वर्ष 2007-08 के दौरान, आयोग ने 7,195 अधिकारियों से संबंधित 1,011 मामलों पर विचार किया तथा चयन समिति की 158 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें 313 अधिकारियों की अनुशंसा की गई।

स्थायीकरण

13. संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त किए गए अधिकारियों का स्थायीकरण 01 जून, 1999 से आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं है, क्योंकि किसी गुप 'क' और 'ख' सेवा में या पद पर आयोग द्वारा सीधे नियुक्त किसी व्यक्ति की ऐसे गुप 'क' और 'ख' पदों पर मूल नियुक्ति या स्थायीकरण करते समय, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

तदर्थ नियुक्तियां

14. गुप 'क' और 'ख' के विभिन्न पदों पर सरकार द्वारा की गई ऐसी सभी नियुक्तियों को तदर्थ माना जाता है, जहां आयोग द्वारा भर्ती की जानी हो और सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा मासिक तथा अर्द्ध-वार्षिक विवरणियों में इनके बारे में आयोग को सूचना भेजना अपेक्षित है। तथापि, वर्ष के दौरान 60 मंत्रालयों/विभागों तथा संघ शासित क्षेत्रों से मासिक/अर्द्ध-वार्षिक विवरणियां प्राप्त नहीं हुई, जैसा कि परिशिष्ट XXXI में दर्शाया गया है।

15. वर्ष 2008-09 के दौरान, 19 मंत्रालयों/विभागों/संघ शासित क्षेत्रों ने गुप 'क' के 66 और गुप 'ख' के 95 पदों पर नई तदर्थ नियुक्तियां किए जाने के बारे में सूचित किया। वर्ष 2007-08 के दौरान 19 मंत्रालयों/विभागों/संघ शासित क्षेत्रों ने गुप 'क' के 106 और गुप 'ख' के 65 पदों पर तदर्थ नियुक्तियां किए जाने के बारे में सूचित किया।

16. वर्ष 2008-09 के अंत तक, तदर्थ नियुक्तियों से संबंधित 128 मामले एक वर्ष से अधिक अवधि तक चल रहे थे। (सारणी 3 देखें)।

सारणी 3

क्र. सं.	वर्ष	गुप 'क'	गुप 'ख'
1	1-2 वर्ष के बीच	14	5
2	2-3 वर्ष के बीच	4	11
3	3-4 वर्ष के बीच	9	12
4	4-5 वर्ष के बीच	3	11
5	5-10 वर्ष के बीच	8	13
6	10 वर्ष से अधिक	13	25
	कुल	51	77

नोट : ऊपर दर्शाए गए आंकड़े मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिसंबर, 2008 में समाप्त होने वाली अवधि की अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े हैं। जिन मंत्रालयों/विभागों ने दिसंबर 2008 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, उनके मामले में जून, 2008 तक की अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाए गए आंकड़ों को लिया गया है।

मंत्रालय-वार विवरण परिशिष्ट XXXII में दर्शाया गया है।

विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा पदोन्नति

17. वर्ष 2008-09 के दौरान पदोन्नति हेतु अनुशंसित 6,056 अधिकारियों में से, अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिए आरक्षित 1,115 रिक्तियों के लिए इन वर्गों के 742 अधिकारियों की अनुशंसा की गई। 373 आरक्षित रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण, किसी भी अ.जा. और अ.ज.जा. अधिकारी की अनुशंसा नहीं की जा सकी। तथापि, अ.जा. और अ.ज.जा. के वर्गों से संबंधित 388 अधिकारियों की, अनारक्षित रिक्तियों के लिए, जहां आरक्षण के आदेश लागू नहीं थे, ग्रुप 'क' पदों के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु अनुशंसा की गई। मंत्रालय-वार/विभाग-वार विवरण परिशिष्ट XXXIII में दिया गया है।

वि.प.स./प्रतिनियुक्ति से संबंधित लंबित मामलों के लिए नई पहल

18. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि

मंत्रालयों/विभागों में उच्चतम स्तर पर पत्राचार करने के पश्चात् भी, लंबित मामलों की संख्या कम करने के अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे थे, आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के साथ बैठक आयोजित कर, गहन कार्रवाई की जाए। इस निर्णय के अनुपालन में, आयोग में प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में, संघ लोक सेवा आयोग के सचिव द्वारा मंत्रालय/विभाग/संस्था-वार आधार पर विस्तृत समीक्षा की गई। सूचना देने एवं तत्पश्चात् आयोग में उस पर विचार करने के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए गए। इससे कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है। सचिव, सं.लो.से.आ. द्वारा प्रगति की नियमित अंतराल में समीक्षा की जा रही है तथा मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को मामलों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाता है, विशेषकर उनका ध्यान उन मामलों की ओर आकर्षित किया जाता है जिनके संबंध में उनसे सूचना की प्रतीक्षा है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व

अध्याय

7

1. आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के लिए नियमों के अनुसार मानदंडों में शिथिलता देते हुए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) के उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई।

परीक्षा द्वारा भर्ती

2. वर्ष 2008-09 के दौरान, भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा-2007, केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेन्ट) परीक्षा-2007 और अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2005 को छोड़कर, आयोग सभी परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के 1215 उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों पर अनुशंसा करने में समर्थ रहा। भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा-2007 में अनुसूचित जातियों की पांच, अनुसूचित जनजातियों की

दो तथा अन्य पिछड़े वर्गों की नौ आरक्षित रिक्तियों के लिए क्रमशः अनुसूचित जाति के तीन, अनुसूचित जनजाति के एक तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आठ उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई। केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेन्ट) परीक्षा 2007 में, अनुसूचित जाति की 56, अनुसूचित जनजाति की 29 तथा अन्य पिछड़े वर्गों की 114 आरक्षित रिक्तियों के लिए क्रमशः अनुसूचित जाति के 54, अनुसूचित जनजाति के 29 तथा अन्य पिछड़े वर्गों के 111 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई। अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2005 में, अनुसूचित जाति की 94 तथा अनुसूचित जनजाति की 66 आरक्षित रिक्तियों के लिए क्रमशः अनुसूचित जाति के 23 तथा अनुसूचित जनजाति के 18 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त अनारक्षित पदों के लिए 59 अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई।

सारणी 1

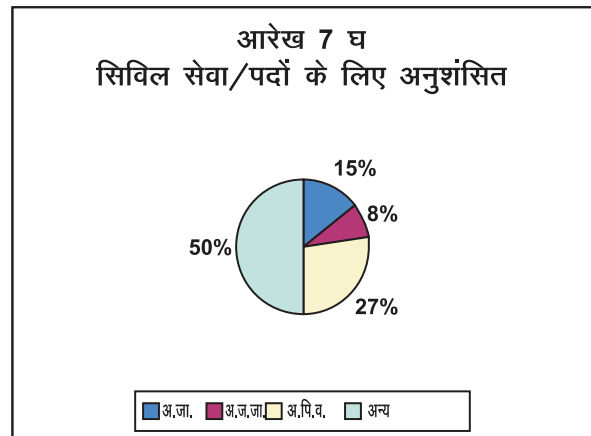
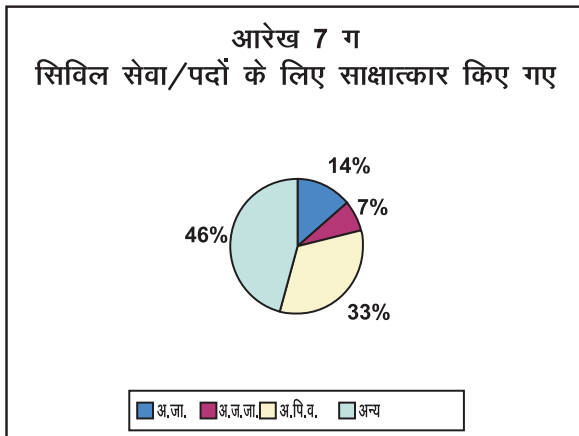
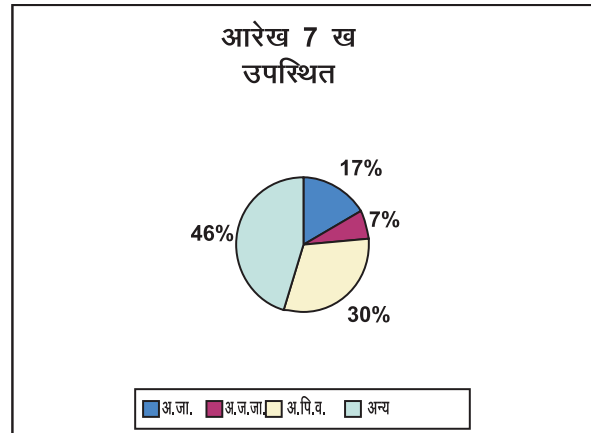
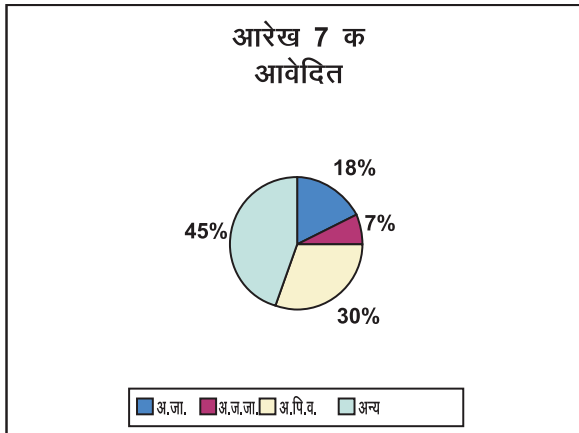
विवरण	2008-09				2007-08			
	आरक्षित पद	आरक्षित पदों के लिए अनुशंसित	कमी	अनारक्षित पदों के लिए अनुशंसित	आरक्षित पद	आरक्षित पदों के लिए अनुशंसित	कमी	अनारक्षित पदों के लिए अनुशंसित
परीक्षा द्वारा भर्ती	1336	1215@	128@@	59	803	(774+1*)	28	21
		91%				97%		

@ आयोग द्वारा अनुशंसित 1215 उम्मीदवारों में से 247 उम्मीदवार वे थे, जिन्होंने सामान्य स्तर पर अर्हता प्राप्त की तथा आयोग बाद में इसी संख्या के बराबर अनुशंसा करने के लिए आरक्षित सूची रखता है (247 उम्मीदवारों में से, इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2007 में, उनके लिए आरक्षित पदों से अधिक, 7 अ.पि.व. के उम्मीदवार अनुशंसित किए गए)।

@@ अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. के लिए आरक्षित पदों की तुलना में अनुशंसित किए गए 128 कम उम्मीदवारों में से, 119 उम्मीदवार अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2005, के थे जिसमें उपयुक्त उम्मीदवार नहीं पाए गए।

* अ.पि.व. के उम्मीदवारों की आरक्षित सूची के यथासमय प्रस्तावित प्रचालन के कारण।

परीक्षाओं के लिए वर्ग-वार उम्मीदवारों की संख्या



साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती

4. वर्ष 2008-09 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों की संख्या तथा इन पदों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या सारणी 2 में दी गई है।

5. वर्ष 2008-09 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित 460 पदों हेतु आयोग ने अनुसूचित जाति के कुल 112, अनुसूचित जनजाति के 44 तथा अन्य पिछड़े वर्गों के 198 उम्मीदवारों की अनुशंसा की।

सारणी 2 : वर्ष 2008-09 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों हेतु भर्ती को अंतिम रूप दिया गया

विवरण	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग
1. आरक्षित पद	127	66	267	460
2. आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार	7,062	1,186	10,307	18,555
3. साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवार	928	279	1,552	2,759
4. साक्षात्कार में उपस्थित उम्मीदवार	665	189	1,036	1,890
5. अनुशंसित उम्मीदवार	112	44	198	354
6. कमी (विवरण परिशिष्ट-XXV में)	15	22	69	106
उपर्युक्त मद-6 में से				
(i) वे पद, जिनके लिए ऐसे किसी भी उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया (विवरण परिशिष्ट-XXXIV में)	6	3	7	16
(ii) वे पद, जिनके लिए आवेदन करने वाले ऐसे उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाया गया।	9	19	62	90

6. इसके अलावा, अनारक्षित पदों के लिए अनुसूचित जाति के 23, अनुसूचित जनजाति के 4 तथा अन्य पिछड़े वर्गों के 58 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई। उनका विवरण परिशिष्ट XXXV में दिया गया है।

7. वर्ष 2008-09 तथा पिछले वर्ष 2007-08 के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों तथा ऐसे अनुशंसित उम्मीदवारों के संबंध में तुलनात्मक जानकारी सारणी 3 में दी गई है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को सेवाकालीन प्रशिक्षण

8. आयोग ने मानदंडों में शिथिलता के आधार पर नियुक्ति हेतु चुने गए अनुसूचित जाति के 37, अनुसूचित

जनजाति के 15 तथा अन्य पिछड़े वर्गों के 44 उम्मीदवारों को सामान्य उम्मीदवारों के स्तर पर लाने के लिए उनके सेवाकालीन प्रशिक्षण की अनुशंसा की। पद पर नियुक्ति के पश्चात्, पद से संबंधित कार्यों के क्षेत्र में 3 महीने से लेकर एक वर्ष तक का सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के उन उम्मीदवारों का, जिनके लिए आयोग ने वर्ष 2008-09 के दौरान सेवाकालीन प्रशिक्षण की अनुशंसा की, समुदाय-वार तथा अवधि-वार विवरण सारणी 4 में दिया गया है।

9. इसके अतिरिक्त, आयोग ने शारीरिक रूप से अक्षम छः व्यक्तियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की अनुशंसा की, जिनमें एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का, तीन अन्य पिछड़े वर्ग के तथा दो सामान्य वर्ग के थे।

सारणी 3 : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों तथा अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या

विवरण	2008-09					2007-08				
	आरक्षित पद	आरक्षित पदों के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अनुशंसित उम्मीदवार	कमी	अनारक्षित पदों के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अनुशंसित उम्मीदवार	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अनुशंसित कुल उम्मीदवार	आरक्षित पद	आरक्षित पदों के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अनुशंसित उम्मीदवार	कमी	अनारक्षित पदों के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अनुशंसित उम्मीदवार	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अनुशंसित कुल उम्मीदवार
साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती	460	354	106	85	439*	249	198	51	19	217*
प्रतिशतता (प्रतिशत)		77.0	23.0		95.4 *		79.5	20.5		87.1*

* अनारक्षित पदों के लिए अनुशंसित अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवार शामिल है।

सारणी 4 : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के उन उम्मीदवारों का समुदाय-वार तथा अवधि-वार विवरण, जिन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए अनुशंसित किया गया

सेवाकालीन प्रशिक्षण की अवधि	समुदाय-वार उम्मीदवार			
	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग
3 महीने	10	2	6	18
6 महीने	16	8	11	35
9 महीने	6	2	7	15
एक वर्ष	5	3	20	28
कुल	37	15	44	96

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

नियुक्ति के लिए अनुशंसित शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति

10. आयोग ने वर्ष 2008-09 के दौरान साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षित 34 पदों हेतु ऐसे 18 व्यक्तियों की

नियुक्ति के लिए अनुशंसा की। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों तथा सीधी भर्ती के मामलों में अनुशंसित ऐसे उम्मीदवारों की विषय-वार संख्या सारणी 5 में दी गई है।

सारणी 5 : वर्ष 2008-09 के दौरान, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों तथा ऐसे अनुशंसित उम्मीदवारों की विषय-वार संख्या

क्र. सं.	विषय	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	ऐसे अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या
1	इंजीनियरी	9	5
2	वैज्ञानिक एवं तकनीकी	9	4
3	गैर-तकनीकी	15	8
4	चिकित्सा	1	1
	कुल	34	18

अनुशासनिक मामले

अध्याय

8

1. सारणी-1, पिछले चार वर्षों और रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोग को भेजे गए अनुशासनिक मामलों, उनके द्वारा निपटाए गए मामलों तथा वर्ष के अंत में शेष बचे मामलों की संख्या को दर्शाती है।

2. वर्ष 2008-09 के दौरान, आयोग को भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (3) (ग) तथा संगत पेंशन नियमावली के अंतर्गत 708 अनुशासनिक मामले प्राप्त हुए, जबकि 1 अप्रैल, 2008 को आयोग के पास लंबित 218 मामले पिछले वर्ष (2007-08) से आगे लाए गए। इस प्रकार वर्ष के दौरान मामलों की कुल संख्या 926 रही। आयोग ने पुनर्विचार के लिए प्राप्त तीन मामलों

सहित 455 मामलों में अपनी सलाह दी। वर्ष के दौरान 288 मामले लौटाए गए। इस प्रकार वर्ष के दौरान कुल 926 मामलों में से, 743 मामले निपटाए गए और वर्ष के अंत में 183 मामले शेष रहे। (सारणी 2 देखें)

3. आरोप/कदाचार के विवरण, उनमें शामिल अधिकारियों का गुप-वार ब्यौरा और शास्ति लगाने/कार्रवाई समाप्त करने/पहले से ही लगाई शास्ति को हटाने संबंधी आयोग के परामर्श को परिशिष्ट XXXVI के चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट में उन मामलों की संख्या को भी दर्शाया गया है, जिन्हें विभिन्न कारणों से संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों को वापस भेजा गया।

सारणी 1

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान भेजे गए परामर्श पत्रों की संख्या	वर्ष के दौरान वापस किए गए मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में शेष बचे मामलों की संख्या
2004-05	287	995	581	322	379
2005-06	379	972	706	311	334
2006-07	334	854	622	262	304
2007-08	304	681	532	235	218
2008-09	218	708	455	288	183

सारणी 2 : वर्ष 2008-09 के दौरान निपटाए गए अनुशासनिक मामले

विषय	वर्ष 2008-09 के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या	वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या	वर्ष 2008-09 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	वर्ष 2008-09 के अंत में लंबित मामलों की संख्या	प्रभावी सलाह के उन मामलों की संख्या, जिनमें सरकार ने 31.03.2009 तक निर्णय ले लिया है।	उन मामलों की संख्या, जिनमें सरकार ने 31.03.2009 तक निर्णय नहीं भेजा है।
अनुशासनिक मामले सामान्य	218	708*	743**	183	273	174
अनुशासनिक मामले						

* अधिकारियों की संख्या को दर्शाता है।

** इनमें अभिलेखों या प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों को वापस किए गए 288 मामले तथा 447 प्रभावी सलाह शामिल है।

4. परिशिष्ट XXXVII में कुल 455 मामलों का मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकार-वार विवरण दर्शाया गया है, जिनमें आयोग ने सलाह दी। यह परिशिष्ट दर्शाता है कि 59 मामले सत्यनिष्ठा की कमी से संबंधित थे तथा 388 मामले दुर्यवहार के अन्य आरोपों या कर्तव्यनिष्ठा के अभाव से संबंधित थे। शेष 8 मामलों में से, आयोग द्वारा दो मामलों में कार्यवाही नए सिरे से आरम्भ करने की सलाह दी गई और तीन मामलों में विविध प्रकार की सलाह दी गई तथा तीन मामलों में पहले की ही सलाह दोहराई गई। सत्यनिष्ठा के अभाव के आरोपों से संबंधित 59 मामलों में से 54 मामलों में, आयोग ने दीर्घ शास्ति लगाने की तथा 4 मामलों में लघु शास्ति लगाने की सलाह दी। अन्य श्रेणी के 388 मामलों के संबंध में, आयोग ने 202 मामलों में दीर्घ शास्ति तथा 126 मामलों में लघु शास्ति अधिरोपित करने की सलाह दी। सत्यनिष्ठा के अभाव के आरोपों के एक मामले में तथा सत्यनिष्ठा के अभाव से इतर आरोपों से संबंधित शेष 60 मामलों में, आयोग ने माना कि या तो आरोप सिद्ध नहीं हुए अथवा जो आरोप सिद्ध हुए, वे ऐसी प्रकृति के नहीं थे कि उनके लिए कोई औपचारिक शास्ति लगाई जाए और इसीलिए, आयोग ने कार्यवाही समाप्त कर दिए जाने अथवा पहले अधिरोपित की गई शास्ति को रद्द कर दिए जाने की सलाह दी।

5. उन 447 मामलों में से (परिशिष्ट-XXXVI का कॉलम 15 देखिए), जिनमें आयोग ने अपना सुविचारित मत प्रेषित किया, 273 मामलों में आयोग का परामर्श स्वीकार करते हुए सरकार ने आदेश पारित किए। शेष 174 मामलों में सरकार के आदेशों/निर्णयों की प्रतीक्षा है। 10 अधिकारियों से संबंधित 10 मामलों में, जिनके संबंध में पिछले वर्षों में आयोग द्वारा सलाह दी गई, सरकार द्वारा पारित आदेश आयोग की सलाह के अनुरूप नहीं थे। उक्त दस मामलों में से एक मामला वर्ष 2004-05 का है, 4 मामले वर्ष 2005-06 के, तीन मामले वर्ष 2006-07 के और दो मामले वर्ष 2007-08 के हैं। इन मामलों का विवरण अध्याय 10 में दिया गया है।

6. आयोग इस बात का उल्लेख करना चाहेगा कि परामर्श के लिए आयोग में प्राप्त होने वाले काफी मामले अधूरे पाए गए। रिपोर्ट के वर्ष के दौरान, लगभग 31.10 प्रतिशत मामले निर्धारित प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अथवा संगत दस्तावेज आदि की आपूर्ति किए जाने के लिए मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों को वापस भेजने पड़े। प्रारंभिक अवस्था में मामलों के अभिलेखों की सावधानीपूर्वक छानबीन किए जाने से मामलों को अंतिम रूप देने में होने वाले विलम्ब को दूर किया जा सकता था।

आयोग की सलाह को लागू करने में विलम्ब

अध्याय 9

1. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी पिछली रिपोर्टों में बार-बार की गई टिप्पणियों के बावजूद, सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग आयोग की सलाह को लागू करने में बहुत समय लेते हैं।

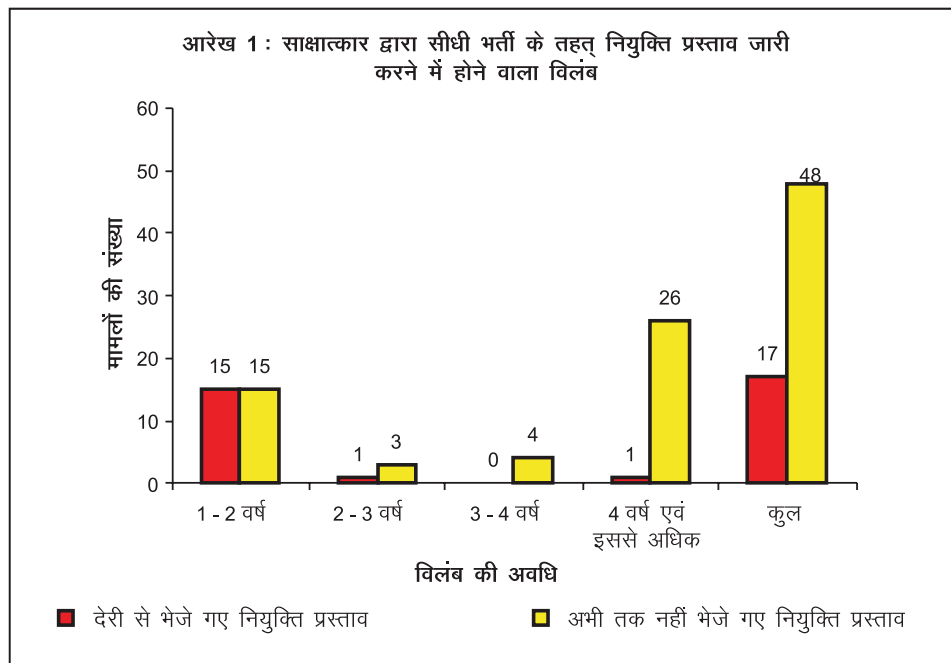
साक्षात्कार के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में विलम्ब

2. 65 मामलों में, संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने आयोग द्वारा पहले ही अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में एक वर्ष से अधिक समय का विलम्ब किया (देखिए परिशिष्ट XXXVIII)। ऐसे 17 मामलों में, नियुक्ति प्रस्ताव एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद जारी किए गए। शेष 48 मामलों में, वर्ष की समाप्ति तक नियुक्ति प्रस्ताव मंत्रालयों/विभागों द्वारा या तो भेजे नहीं गए या अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, हालांकि अनुशंसा की तारीख से एक वर्ष से भी अधिक का समय बीत चुका था (देखिए आरेख-1)।

3. आयोग नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में होने वाले विलम्ब से बचने के महत्व पर जोर देना चाहेगा।

भर्ती नियमों की अधिसूचना जारी करने में विलम्ब

4. आयोग द्वारा अनुमोदित भर्ती नियमों को 10 सप्ताह के भीतर अधिसूचित किया जाना अपेक्षित है। यह देखा गया है कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा, उनके साथ विचार-विमर्श करके बनाए गए नियमों को अधिसूचित करने में काफी विलंब किया जाता है। वर्ष 2007-08 के दौरान, आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद भी 573 मामले अधिसूचना जारी करने के लिए एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित थे। वर्ष 2007-08 के इन 573 लंबित मामलों की तुलना में, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, 656 मामले अधिसूचना जारी करने के लिए एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित थे। इन 656 मामलों में से 229 मामलों में पांच वर्ष से अधिक, 77 मामलों में चार वर्ष से अधिक, 86 मामलों में तीन वर्ष से अधिक, 144 मामलों में दो वर्ष से अधिक तथा 120 मामलों में एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी भर्ती नियम अधिसूचित नहीं किए गए हैं। मंत्रालय/विभाग-वार विवरण परिशिष्ट-XXXIX में दिया गया है। मंत्रालयों/विभागों द्वारा अधिसूचना जारी करने में किया जाने वाला विलंब, सिविल पदों/सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया के मूल उद्देश्य को ही निष्फल कर देता है।



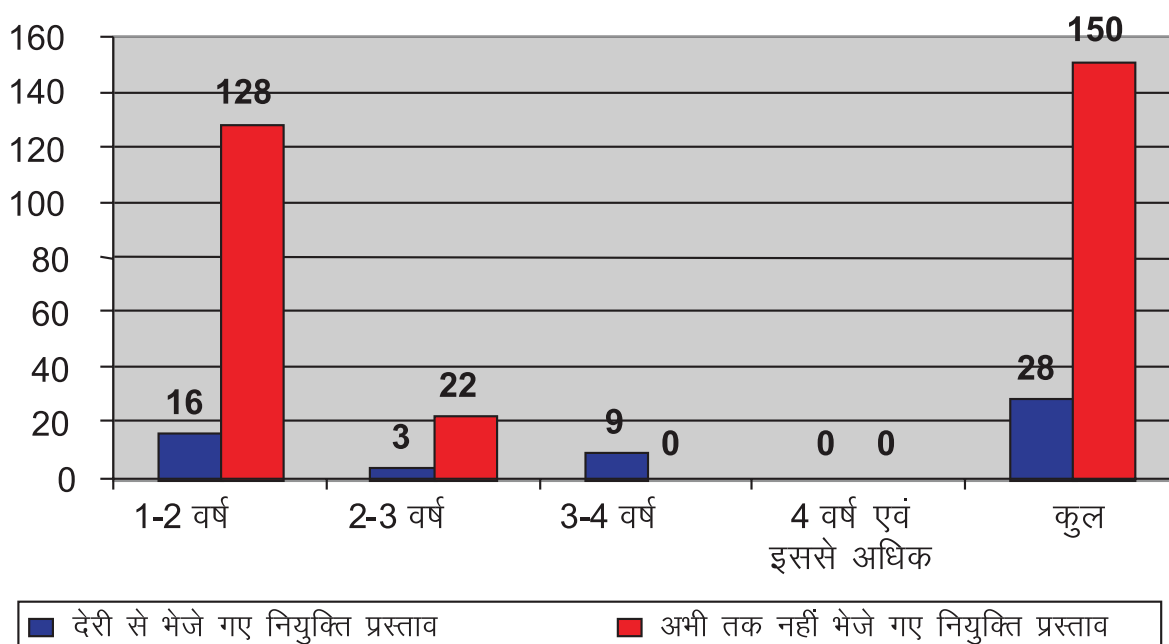
विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में विलंब

5. पिछले वर्ष के 167 मामलों की तुलना में, इस वर्ष 178 मामले ऐसे थे, जिनमें विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में मंत्रालयों/विभागों द्वारा देरी की गई (परिशिष्ट-XXXVIII)। इन 178 मामलों में से, 150 मामले (पिछले वर्ष के 91 मामलों की तुलना में) ऐसे थे, जिनमें अनुशंसा किए जाने के एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नियुक्ति प्रस्ताव भेजे जाने शेष थे। नियुक्ति प्रस्ताव में विलंब के इन 150 मामलों में से, (पिछले वर्ष के 91 मामलों की तुलना में) इंजीनियरी सेवा परीक्षाओं से संबंधित 22 मामलों में तथा भूविज्ञानी

परीक्षाओं से संबंधित 128 मामलों में नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में विलंब हुआ है तथा 1 से 3 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने पर भी अभी तक नहीं भेजे गए हैं।

6. आयोग का यह दृढ़ मत है कि उनके द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को, संबंधित मंत्रालयों द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं कराई जानी चाहिए। यह भी नोट किया गया है कि देरी के ऐसे मामलों में, आयोग द्वारा चुने गए उम्मीदवार इस दौरान किसी अन्य स्थान पर नियुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तथा सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होते, और इस प्रकार, इन उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया निरर्थक और निष्फल हो जाती है। आयोग इस बात की आवश्यकता को दोहराना चाहेगा कि अनुशंसित उम्मीदवारों को यथाशीघ्र नियुक्ति प्रस्ताव भेजने के लिए समुचित उपाय किए जाने चाहिए।

आरेख 2 : परीक्षा द्वारा भर्ती के लिए नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने में विलंब



सरकार द्वारा आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया जाना

अध्याय

10

आयकर विभाग के एक अधिकारी के विरुद्ध आरम्भ की गई अनुशासनिक कार्यवाही

1.1 वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक अधिकारी के विरुद्ध के.सि.से. (व.नि. एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम-16 के अन्तर्गत इस आरोप पर अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गई कि उन्होंने आयकर सहायक आयुक्त, हैदराबाद के रूप में कार्य करते हुए, विभिन्न फर्मों के चार मामलों में मूल्यांकन को अन्तिम रूप देने में इस रूप में अनियमितताएं बरतीं कि पहले मामले में उन्होंने 13 शेयर आवेदकों की प्रामाणिकता के बारे में कोई जांच नहीं की और शास्ति की राशि नहीं उगाही; दूसरे मामले में, उन्होंने निर्धारिती द्वारा एक फर्म से 1,69,700/- रु. की खरीद के दावे की प्रामाणिकता को आयकर निरीक्षक की इस आशय की रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए कि ऐसी कोई फर्म मौजूद ही नहीं है, स्वीकार कर लिया; तीसरे मामले में, 'पी एंड एल' खाते की तुलना में टी डी एस प्रमाण-पत्रों के अनुसार प्राप्त अनुबंध में, राशि की शेष रकम का समाधान नहीं करवाया गया और आरोपित अधिकारी द्वारा अप्रतिभूत ऋण समुचित सत्यापन किए बिना नेमी तरीके से स्वीकार कर लिए गए और इन अप्रतिभूत ऋणों के संबंध में धारा-269 एस एस के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की; तथा चौथे मामले में, वे ए डी आई टी के इन निष्कर्षों से सहमत नहीं हुए कि निर्धारिती 4% की उत्पादन हानि की निर्धारित प्रतिशतता का दावा कर रहा था, बेहिसाब बिक्री की तुलना में बेहिसाब खरीद को बढ़ावा दिया गया और बेहिसाब खरीद के लिए धारा-40(क)(3) का प्रावधान लागू नहीं किया गया। आरोपित अधिकारी द्वारा पेश किए गए बचाव वक्तव्य पर विचार करने पर अनुशासनिक प्राधिकारी ने यह माना कि तीसरे मामले में, आरोपित अधिकारी द्वारा धारा-269 एस एस/271 डी के अन्तर्गत कार्यवाही न किए जाने के आरोप को छोड़कर, सभी आरोप सिद्ध होते हैं। दिसम्बर, 2006 में, वित्त मंत्रालय से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन सहित इस मामले में आयोग का परामर्श मांगने संबंधी संदर्भ प्राप्त हुआ। आयोग ने इस प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपित अधिकारी उल्लिखित चारों मामलों से निपटने में जानबूझकर किए गए किसी कदाचार के दोषी नहीं है। अनुशासनिक प्राधिकारी ने आरोपित अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन कार्य में सक्रियता और सम्पूर्णता की कमी पाई। तथापि, आयोग

ने पाया कि किसी भी छानबीन में कुछ गलतियां और कमियां रह सकती हैं और हो सकता है कि अन्वेषणकर्ता अधिकारी द्वारा कुछ पहलुओं पर विचार किया जाना रह गया हो। अनुशासनिक कार्यवाही में यह देखना होता है कि क्या उस व्यक्ति या फर्म को, जिसके बारे में छानबीन चल रही है, मदद करने की जानबूझकर कोई कोशिश की गई है। इस प्रकरण में की गई गलतियों का अर्थ कदाचार नहीं लगाया जा सकता। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, आयोग ने यह समझा कि इस मामले में आरोपित अधिकारी के विरुद्ध आरम्भ की गई कार्यवाही को समाप्त करके उन्हें दोषमुक्त करना न्यायोचित होगा। तदनुसार, आयोग का परामर्श 10 अगस्त, 2007 को मंत्रालय को संसूचित कर दिया गया।

1.2 मार्च, 2008 में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग से नया संदर्भ प्राप्त हुआ, जिसमें यह बताते हुए परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था कि आरोपित अधिकारी को दोषमुक्त करने की सलाह देते समय, इसके लिए दिए गए तर्क में महत्वपूर्ण त्रुटियां थी; आरोपित अधिकारी द्वारा मूल्यांकन कार्यवाही को अन्तिम रूप देने, मूल्यांकन कार्यवाही और ब्लॉक मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान छानबीन की प्रक्रिया में कतिपय महत्वपूर्ण कमियों को आयोग नहीं देख पाया है और आरोपित अधिकारी को दोषमुक्त करने की सलाह दी है। आयोग की टिप्पणियों को अनुशासनिक प्राधिकारी ने स्वीकार न किए जाने योग्य पाया। तथापि, चूंकि विभाग द्वारा ऐसा कोई अन्य तथ्य/साक्ष्य, जिस पर पहले विचार न किया गया हो और जिससे यह प्रकरण प्रभावित होता हो, प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उनके पहले के परामर्श पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो, इसलिए यह प्रकरण अप्रैल, 2008 में विभाग को लौटा दिया गया।

1.3 नवम्बर, 2008 में, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने आयोग के परामर्श से असहमत होते हुए, इस मामले में आरोपित अधिकारी पर 'परिनिन्दा' की शास्ति अधिरोपित करते हुए आदेश पारित कर दिए।

1.4 चूंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित आदेश आयोग के परामर्श के अनुसार नहीं है, इसे आयोग का परामर्श स्वीकार न करने के मामले के रूप में समझा गया है।

सामान्य केन्द्रीय सेवा के एक अधिकारी के विरुद्ध के.सि.से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम-9 के अन्तर्गत कार्यवाई

2.1 संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग के एक अधिकारी के विरुद्ध के.सि.से. (व.नि. एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम-14 के अन्तर्गत इस आरोप पर अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गई कि उन्होंने, सूरत प्रधान कार्यालय में वरिष्ठ पोस्ट मास्टर के रूप में कार्य करते हुए तथा 17 फरवरी, 2003 से 30 दिन की अवधि के लिए चिकित्सा आधार पर परिणत अवकाश पर रहते हुए, अपने पूर्व अधीनस्थों को सूरत प्रधान कार्यालय के नकदी शेष से उन्हें छः लाख रुपए का भुगतान करने के अनियमित मौखिक आदेश दिए और अपनी पदीय हैसियत के अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उक्त राशि प्राप्त करने के साथ ही उक्त मौखिक आदेशों की बाद में लिखित रूप में पुष्टि नहीं की; दूसरे, उन्होंने सक्षम प्राधिकारी के लिखित आदेशों के बिना छः लाख रुपए की उपर्युक्त राशि प्राप्त की; तीसरे, वे छः लाख रुपए की उक्त राशि किसी पुलिस संरक्षण के बिना सूरत प्रधान डाक कार्यालय के परिसर से बाहर ले गए और चौथे, वे तत्पश्चात् के.सि.से. (आचरण) नियमावली के नियमों, डाक एवं तार वित्तीय पुस्तिका (खंड I) के साथ-साथ, डाक नियम पुस्तिका खंड VI भाग III (छठा संस्करण) के नियम-9 के प्रावधानों के उल्लंघन में, उक्त राशि का समुचित लेखा-जोखा नहीं दे सके। जांच अधिकारी ने आरोपों को सिद्ध हुआ माना। चूंकि, आरोपित अधिकारी सेवा निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर जांच के दौरान सेवानिवृत्त हो गए थे, उक्त कार्यवाही को पेंशन नियमावली के अन्तर्गत जारी समझा गया और राष्ट्रपति ने सक्षम प्राधिकारी के रूप में, आरोपित अधिकारी की पेंशन में कटौती की शास्ति अधिरोपित करने का अनन्तिम निर्णय लेते हुए, इस मामले में जनवरी, 2008 में आयोग का परामर्श लेने के लिए एक संदर्भ भेजा था। आयोग ने इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद पाया कि यह आरोपित अधिकारी द्वारा लापरवाही बरतने का स्पष्ट मामला है, जो दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्य के आधार पर पूरी तरह सिद्ध हो गया है और यह कि उनके प्रमाणित कदाचार के फलस्वरूप, यदि वे सेवा में रहे होते, तो उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा सकता था। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, आयोग ने यह समझा कि आरोपित अधिकारी पर “मासिक पेंशन में स्थायी तौर पर 100% की कटौती” की शास्ति का अधिरोपित किया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार, आयोग का परामर्श 11 अप्रैल, 2008 को मंत्रालय को संसूचित कर दिया गया।

2.2 अक्टूबर, 2008 में डाक विभाग ने आयोग के परामर्श से असहमत होते हुए आरोपित अधिकारी पर “पेंशन में

पांच वर्ष के लिए 50% की कटौती” की शास्ति अधिरोपित करते हुए आदेश पारित कर दिए।

2.3 चूंकि विभाग द्वारा पारित आदेश आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं है, इसे आयोग का परामर्श स्वीकार न करने के मामले के रूप में समझा गया है।

आयकर विभाग के एक अधिकारी के विरुद्ध आरम्भ की गई अनुशासनिक कार्यवाही

3.1 आयकर विभाग के एक अधिकारी के विरुद्ध के.सि.से. (व.नि. एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम-16 के अन्तर्गत इन आरोपों पर अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गई कि उन्होंने उपनिदेशक, आयकर (इनवे.), यूनिट-II, बंगलुरु के पद पर रहते हुए मैसूर ब्रूअरीज लि., बंगलुरु के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-132 के अन्तर्गत तलाशी कार्यवाही में सहायक निदेशक, आयकर द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट अपनी अनुशंसा एवं हस्ताक्षरों से भेज दी। उक्त मूल्यांकन रिपोर्ट में, छानबीन में पाई गई कुल 3,99,55,897/- रु. की बिना हिसाब-किताब की पावतियों (डायरियों/दस्तावेजों ए जी आर 1,2 और 3) को दबा दिया गया और इसके बजाय, निर्धारित की 2.25 करोड़ रुपए की घोषणा को, निर्धारित की बताई नहीं गई आय के समुचित अनुमान के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया। रिपोर्ट में गलती से यह भी मान लिया गया कि छानबीन की कार्यवाही के दौरान जब्त की गई 41,49,380/- रु. की अस्पष्ट नकदी के बारे में निर्धारितियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में बताया गया था। ए डी आई टी की मूल्यांकन रिपोर्ट में कई अनियमितताएं थीं, जिनके परिणामस्वरूप अप्रकटित आय का भारी अवमूल्यांकन किया गया। आरोपित अधिकारी ने इस प्रकार की मूल्यांकन रिपोर्ट बिना सावधानी बरते भेज दी, जिससे ऐसा लगा कि मूल्यांकन रिपोर्ट को मूल्यांकन कार्य पूरा करने के आधार के रूप में अपनाया गया है। आरोपित अधिकारी के लिखित बचाव बयान का परीक्षण करने के बाद, अनुशासनिक प्राधिकारी ने माना कि कोई उपयुक्त लघु शास्ति लगाई जानी चाहिए और आयोग का परामर्श प्राप्त करने के लिए सितम्बर, 2005 में संदर्भ भेजा गया। इसी बीच, 10 अक्टूबर, 2005 को आरोपित अधिकारी से प्राप्त एक अन्य अभ्यावेदन भी आयोग को भेज दिया गया, जिसमें उन्होंने निर्धारण अधिकारी द्वारा आयकर अधिनियम की धारा-154 के अन्तर्गत पारित परिशोधन आदेश पर भरोसा जताया और कहा कि परिशोधन के बाद के अन्तिम परिणाम से मूल्यांकन रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों की पुष्टि होती है। ये आरोप ज्ञापन में दिए गए आंकड़ों का समर्थन नहीं

करते। समग्र दृष्टि में, मूल्यांकन रिपोर्ट में 2.65 करोड़ रुपए के बारे में जानकारी छिपाने का अनुमान लगाया गया तथा अन्ततः आंकी गई आय 2.62 करोड़ रु. बैठी। अन्तर मात्र दो प्रतिशत का है। आयोग ने इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने के बाद यह माना कि मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, सहायक आयकर निदेशक द्वारा आंकी गई अधोषित आय 2.56 करोड़ रुपए बनती है, जबकि निर्धारण अधिकारी द्वारा कर के लिए 2.60 करोड़ रुपए की रकम आंकी गई। इस प्रकार, अधोषित आय में अन्तर केवल चार लाख रुपए का बैठता है और इससे यह बात सामने आई कि अभियोजन ने पावतियों को आय के समतुल्य माना है, जो कि गलत है। फलस्वरूप, अधोषित आय की तुलना कुल आवतियों से करना अनुचित प्रतीत होता है और इसलिए ऐसा लगता है कि लांछन सही तरीके से विरचित नहीं किया गया है। मूल्यांकन रिपोर्ट और धारा-154 के अन्तर्गत निर्धारण आदेश में अधोषित आय में चार लाख रुपए के मामूली से अन्तर के संबंध में आयोग ने पाया कि इतनी बड़ी रकम के निर्धारण में ऐसे मामूली से अन्तर स्वाभाविक हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपित अधिकारी ने जानबूझकर कोई लापरवाही/कदाचार नहीं किया था। साथ ही, आरोपित अधिकारी ने किसी भी नियम अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया है। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, आयोग ने यह समझा कि इस प्रकरण में आरोपित अधिकारी को उन पर लगाए गए आरोपों से मुक्त किया जाना और उनके विरुद्ध आरम्भ की गई कार्यवाही को समाप्त किया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार, आयोग का परामर्श 29 जून, 2007 को वित्त मंत्रालय को संसूचित कर दिया गया।

3.2 मार्च, 2008 में, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने आयोग के परामर्श से असहमत होते हुए, “दो वर्ष की अवधि के लिए असंचयी प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोकने” की शास्ति अधिरोपित किए जाने के आदेश पारित कर दिए।

3.3 चूंकि, सरकार द्वारा पारित आदेश, आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं है, इसे आयोग का परामर्श स्वीकार न किए जाने के मामले के रूप में समझा गया है।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा के एक अधिकारी के विरुद्ध के.सि.से. (व.नि. एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम-14 के अन्तर्गत कार्यवाही

4.1 भारतीय रक्षा लेखा सेवा की एक अधिकारी के विरुद्ध के.सि.से. (व.नि. एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम-14 के अन्तर्गत इस आरोप पर अनुशासनिक

कार्यवाही आरम्भ की गई कि उन्होंने रक्षा लेखा (वायु सेना) नियंत्रक के रूप में कार्य करते हुए, के.सि.से. (आचरण) नियमावली, 1964 में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के विपरीत, अपने और अपने बच्चों की 19 फरवरी, 2001 को नई दिल्ली से पटना और 23 फरवरी, 2001 को वापस नई दिल्ली की निजी हवाई यात्रा के लिए इस बात को भली-भांति जानते हुए एक ट्रेवल एजेंसी से चार हवाई टिकट प्राप्त करके अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया कि उक्त फर्म के साथ उनका सरकारी लेन-देन था। इसके अलावा, उन्होंने उक्त टिकटों का भुगतान नहीं किया, जो बाद में एजेंसी को करना पड़ा था। नियमित जांच के आदेश दिए गए जिसमें जांच अधिकारी ने आरोपों को “आंशिक रूप से सिद्ध” माना। अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की। सक्षम प्राधिकारी ने आरोपित अधिकारी पर कोई उपयुक्त शास्ति अधिरोपित करने का अनन्तिम निर्णय लेते हुए, इस मामले में आयोग का परामर्श लेने के लिए दिसम्बर, 2006 में एक संदर्भ भेजा। आयोग ने इस प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद पाया कि जांच अधिकारी ने आरोप को इस सीमा तक आंशिक रूप से सिद्ध माना है कि आरोपित अधिकारी ने हवाई टिकट प्राप्त करने के लिए अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया; हवाई किराए का भुगतान न करने संबंधी दूसरा अंश सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पूरा भुगतान कर दिया था। उस स्थिति में, आयोग ने पाया कि चूंकि यह सिद्ध हुआ मान लिया गया है कि आरोपित अधिकारी ने एजेंसी से लिए गए टिकटों का भुगतान कर दिया था, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने अपनी पदीय हैसियत का दुरुपयोग किया। यदि उन्होंने एजेंट को टिकटों का भुगतान किए बिना उससे टिकट लिए होते, तो उस स्थिति को उनके द्वारा अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया जाना कहा जा सकता था। आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए, आरोप आंशिक तौर पर भी सिद्ध नहीं होता है और सलाह दी कि आरोपित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त करते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया जाए। तदनुसार, आयोग का परामर्श 24 अगस्त, 2007 को मंत्रालय को संसूचित कर दिया गया।

4.2 अप्रैल, 2008 में रक्षा मंत्रालय (वि.) ने पहले के दिए गए परामर्श पर इस आधार पर पुनर्विचार किए जाने हेतु नया संदर्भ भेजा कि माननीय रक्षा मंत्री ने पाया है कि हालांकि आरोपित अधिकारी को उक्त लेन-देन से कोई वित्तीय लाभ नहीं हुआ था, सरकार के ऐसे वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी को अपने सरकारी कारोबार में और अधिक सावधान और चौकस रहना चाहिए और इसलिए, उन्हें परिनिन्दित किया जाए और भविष्य में और सावधान रहने की सलाह दी जाए। तथापि, चूंकि मंत्रालय ने पुनर्विचार किए जाने की सिफारिश करते हुए ऐसा कोई

नया तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिस पर पहले विचार न किया गया हो और जिनसे इस मामले पर प्रभाव पड़ता हो, इसलिए यह मामला 26 जून, 2008 को उन्हें लौटा दिया गया।

4.3 दिसम्बर, 2008 में, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) ने आयोग के परामर्श से असहमत होते हुए, आरोपित अधिकारी पर “परिनिन्दा” की शास्ति अधिरोपण का आदेश पारित कर दिया।

4.4 चूंकि, पारित आदेश आयोग के परामर्श के अनुकूल नहीं है, इसे आयोग का परामर्श स्वीकार न किए जाने के रूप में माना गया है।

केन्द्रीय सिविल सेवा (ग्रुप 'ख') के एक अधिकारी के विरुद्ध के.सि.से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम-9 के अन्तर्गत कार्यवाई

5.1 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक अधिकारी के विरुद्ध के.सि.से. (व.नि. एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम-14 के अन्तर्गत इन आरोपों पर अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गई और के.सि.से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम-9 के अन्तर्गत जारी समझी गई कि, उन्होंने आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए, प्लेन टैबलर द्वारा काम पर लगाए गए नं. 81 पार्टी के पोर्टरों को वेतन के भुगतान हेतु 15000/- रु. के आकस्मिक बिल के लिए एक चेक अपने हस्ताक्षर से जारी कर दिया; बाद में उपलब्ध दस्तावेजों की छानबीन करते समय यह पता चला कि प्लेन टैबलर ने उक्त विशेष अवधि के दौरान न तो ऐसा कोई आकस्मिक बिल प्रस्तुत किया था और न ही उन्होंने उपर्युक्त बिल का भुगतान प्राप्त किया था; और यह भी कि संबद्ध बिल के सभी समर्थक दस्तावेज, पूर्ववती नं. 81 पार्टी (एन ई सी) के सरकारी रिकॉर्ड के फोल्डरों से गायब पाए गए। इसकी नियमित जांच की गई और जांच अधिकारी ने आरोपों को सिद्ध हुआ माना। आयोग का परामर्श मांगने संबंधी संदर्भ, आरोपित अधिकारी पर पेंशन की कटौती की शास्ति अधिरोपित करने के अनुशासनिक प्राधिकारी के अन्तिम अनुमोदन के साथ मई, 2007 में प्राप्त हुआ। आयोग ने इस प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपित अधिकारी यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि उनके अधीनस्थ खजांची और प्रधान लिपिक ने बिल तैयार करने, उनकी छानबीन करने और उनके हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है। इस चूक/कमी ने बाद में जालसाजी/धोखाधड़ी करने वालों का काम आसान कर दिया। इस प्रकार, आरोपित अधिकारी की पर्यवेक्षीय चूक

के साथ-साथ, रोकड़-बही को अधिप्रमाणित करने का उनका लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण भी स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। आयोग ने यह भी पाया कि हालांकि आरोपित अधिकारी लापरवाह थे और चेक आहरण और वितरण अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए वे सतर्क बने रहने में विफल रहे, जालसाजी/दुर्विनियोजन में उनका शामिल होना सिद्ध नहीं होता है। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, आयोग समझता है कि आरोपित अधिकारी पर उनकी ‘मासिक पेंशन में एक वर्ष के लिए 10% की कटौती’ की शास्ति का अधिरोपित किया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार, आयोग का परामर्श 26 दिसम्बर, 2007 को मंत्रालय को संसूचित कर दिया गया।

5.2 फरवरी, 2008 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, इस मामले में आयोग के परामर्श से असहमत होते हुए, “आरोपित अधिकारी को देय मासिक पेंशन में दो वर्ष की अवधि के लिए 10% की कटौती” की शास्ति अधिरोपित किए जाने के आदेश पारित कर दिए।

5.3 चूंकि सरकार द्वारा पारित आदेश आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं है, इसे आयोग का परामर्श स्वीकार न करने के मामले के रूप में समझा गया है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा, ग्रुप 'क' के एक अधिकारी के विरुद्ध आरम्भ की गई अनुशासनिक कार्यवाही

6.1 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक अधिकारी के विरुद्ध के.सि.से. (व.नि. एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम-14 के अन्तर्गत, इन आरोपों पर अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गई कि दूरदर्शन निदेशालय, प्रसार भारती में उप-महानिदेशक (वित्त) के रूप में कार्य करते हुए, उन्होंने (i) प्रसार भारती बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता के डी डी-1 और डी डी - 7 पर एक प्राइवेट निर्माता के ‘खास खबर’ नामक कार्यक्रम की अवधि और आवधिकता बढ़ाए जाने को मंजूरी दी; उन्होंने उपमहानिदेशक (सी एवं एस) के साथ-साथ, स्वयं भी निर्माता की उनका कार्यक्रम जारी रखने की दलील स्वीकार करते हुए, रिट याचिका वापस लेने के लिए दूरदर्शन की सहमति प्रदान की, जिससे निर्माता के लिए रिट याचिका पर प्रसार भारती के निर्णय और दूरदर्शन के अभिमत के विपरीत, रिट याचिका वापस लेने की अनुमति प्राप्त करना आसान हो गया; (ii) उक्त कार्यक्रम की अवधि और आवधिकता बढ़ाने का अनुमोदन करते समय, उन्होंने शर्तों को अन्तिम रूप देते समय रेट कार्ड का अनुसरण नहीं किया, जो उनके अधिकार में नहीं था और (iii) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना, बैंक फ्री कमर्शियल टाइम के क्रॉस चैनल ट्रांसफर के

उपयोग किए जाने को अनुमोदित कर दिया। जांच अधिकारी ने केवल मद (i) को सिद्ध हुआ माना और अनुशासनिक प्राधिकारी ने इस निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने उक्त अधिकारी पर कोई उपयुक्त दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के अनन्तिम निर्णय के साथ, मई, 2006 में आयोग का परामर्श प्राप्त करने के लिए एक संदर्भ भेजा। आयोग ने, इस प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने के बाद पाया कि प्रसार भारती ने 11 मार्च, 1999 को यह निर्णय लिया था कि किसी भी प्राइवेट निर्माता को दूरदर्शन के राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय चैनलों पर समाचारों की प्रस्तुति एवं प्रसारण की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदनुसार, दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता ने उक्त निर्माता को अपना कार्यक्रम 'खास खबर' बन्द करने के लिए 27 मार्च, 1999 को नोटिस जारी किया था और कोलकाता उच्च न्यायालय ने दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता के उक्त नोटिस के विरुद्ध 31 मार्च, 1999 को निषेधादेश पारित कर दिया। इस पृष्ठभूमि में, जब आरोपित अधिकारी को, कार्यक्रम की समयवधि बढ़ाने का प्राइवेट निर्माता का दिनांक 20 सितम्बर, 1999 का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, तो उन्होंने उक्त प्रस्ताव के पक्ष में राय व्यक्त की, जैसा कि दिनांक 15 नवम्बर, 1999 की उनकी टिप्पणियों से स्पष्ट है। आरोपित अधिकारी ने, आर्थिक लाभ के लिए तत्कालीन उपमहानिदेशक (सी एवं एस) के साथ मिलकर, उक्त प्रस्ताव पर कार्रवाई करके, उक्त कार्यक्रम की अवधि और आवधिकता में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी, जबकि उन्हें प्राइवेट निर्माताओं के कार्यक्रमों के संबंध में प्रसार भारती बोर्ड की अनुमोदित नीति के बारे में पता था। इसके अलावा, रिट याचिका पर प्रसार भारती द्वारा व्यक्त की गई राय से अवगत होते हुए भी, उन्होंने अपनी टिप्पणी में "अनापत्ति" प्रदान कर दी, दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता के निदेशक और प्रसार भारती बोर्ड के सॉलिसिटर से उक्त प्रस्ताव के बारे में फोन से चर्चा करके, निर्माता के पक्ष में अपनी ओर से प्रस्ताव तैयार कर दिया। आरोपित अधिकारी की यह कार्रवाई दर्शाती है कि उन्होंने अपनी भूमिका और दायित्व का उल्लंघन किया, जो केवल वित्तीय पहलू तक ही सीमित रहना चाहिए था। उपर्युक्त के आलोक में आयोग ने यह समझा कि इस प्रकरण में आरोपित अधिकारी पर "उनके समय वेतनमान में संचयी प्रभाव से एक वर्ष की अवधि के लिए दो चरणों की कटौती की शास्ति का इस निदेश के साथ अधिरोपित किया जाना न्यायोचित होगा कि उक्त अवधि के दौरान वे कोई वेतनवृद्धि अर्जित नहीं करेंगे और उक्त कटौती का प्रभाव उनकी भविष्य की वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के रूप में प्रभावित करेगा।" तदनुसार, आयोग का परामर्श दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 को मंत्रालय को संसूचित कर दिया गया।

6.2 मार्च, 2007 में, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन

मंत्रालय ने आयोग के परामर्श से असहमत होते हुए, 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश पारित कर दिए।

6.3 चूंकि, सरकार द्वारा पारित आदेश आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं है, इसे आयोग की सलाह न मानने के मामले के रूप में समझा गया है।

भारतीय लागत लेखा सेवा के एक अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही

7.1 भारतीय लागत लेखा सेवा के एक अधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम-14 के तहत इन आरोपों पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई कि डाक विभाग में निदेशक (वि.स.) के रूप में कार्य करते हुए और वर्ष 2000-01 के लिए एम.पी.सी.एम. परियोजना हेतु लीज आधार पर कम्प्यूटर प्राप्त करने का कार्य करते हुए, उन्होंने निम्नलिखित अनियमितताएं कीं अर्थात् (क) दिनांक 31.05.2000 की निविदा आमंत्रण सूचना को अंतिम रूप दिए जाने और बाद में समाचार-पत्रों में उनका विज्ञापन दिए जाने के पश्चात्, निविदा आमंत्रण सूचना के विशिष्ट विवरण को, एक प्रत्याशित बोलीदाता मैसर्स कॉम्पैक कम्प्यूटर्स (इंडिया) लिमिटेड की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने हेतु, उसमें किए गए परिवर्तनों के प्रति संयुक्त सचिव एवं वि.स. की सहमति की संस्तुति कर दी (ख) उक्त मै. कॉम्पैक कम्प्यूटर्स की बोली को एल. 1 के रूप में आंकते हुए, उन्होंने उक्त प्रस्ताव की जांच करते हुए संयु. सचिव एवं वि.स. की सहमति की सिफारिश की, यद्यपि उनकी निविदा लीज के लिए नहीं थी और निविदा आमंत्रण सूचना के प्रावधानों के अनुरूप अस्वीकृत कर दी जानी चाहिए थी और साथ ही, उन्होंने एक अन्य बोलीदाता मैसर्स आई बी एम की वैध लीज बोली को भी नज़रअंदाज किया (ग) सचिव (डाक) द्वारा 16 मार्च, 2001 को अनुमोदित प्रस्ताव की कमियों का उल्लेख नहीं किया, यह अनुशंसा की कि निधियों के पुनर्विनियोजन के लिए योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से प्राप्त अनुमोदनों के ब्यौरे को, सहमति के लिए फाइल संयु. सचिव एवं वि.स. को प्रस्तुत किए जाने से पहले लिंक किया जाए, जबकि उन्हें यह ज्ञात था कि ई.एफ.सी. का अनुमोदन आवश्यक था। इस गंभीर चूक के परिणामस्वरूप, लीज के बजाय कम्प्यूटरों की तत्काल खरीद करनी पड़ी, जिससे मैसर्स कॉम्पैक कम्प्यूटर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को, उनकी अवैध निविदा पर, उनकी संस्तुति के आधार पर, जो कि अनावश्यक जल्दबाजी में, व्यय विभाग के परामर्श का मिथ्या-निरूपण करते हुए, लागत प्रभाविता के विभिन्न विकल्पों की उचित जाँच किए बिना और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना दी गई थी, 90% भुगतान की स्वीकृति भी मिल गई (घ) वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 10 (29)-ई (सम.)/73 दिनांकित 6.10.1973

के तहत उन्हें प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करने में असफल रहे कि वे सचिव (व्यय) के माध्यम से, वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री के प्रति उत्तरदायी होंगे; दिनांक 21 मार्च, 2001 के क्रय आदेश को जारी होने से रोकने और दिनांक 30 मार्च, 2001 को फर्म को 90% भुगतान किए जाने को रोकने की अनुशंसा न करके अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया। जाँच अधिकारी ने आरोप के घटक (क), (ग), एवं (घ) को आंशिक रूप से सिद्ध और घटक (ख) को सिद्ध नहीं हुआ माना। अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होते हुए यह माना कि आरोपित अधिकारी को आरोप-पत्र के संलग्नक में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सका। तत्पश्चात् 'परिनिन्दा' के अतिरिक्त कोई अन्य गौण शास्ति अधिरोपित करने की केन्द्रीय सतर्कता आयोग की संस्तुति के साथ इस प्रकरण में आयोग का परामर्श माँगते हुए मई, 2005 में एक संदर्भ प्राप्त हुआ। आयोग ने मामले के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करने के बाद पाया कि जहाँ तक घटक (क) एवं (ग) का संबंध है, अनुशासनिक प्राधिकारी ने, अपनी असहमति सूचक टिप्पणी के तहत यह निष्कर्ष दिया कि इन दो घटकों को आरोपित अधिकारी के विरुद्ध सिद्ध हुआ नहीं माना जाना चाहिए। जहाँ तक चौथे घटक (घ) का संबंध है, जांच अधिकारी ने इसे इस सीमा तक आंशिक रूप से सिद्ध हुआ माना है कि यद्यपि क्रय आदेश संयु. सचिव एवं वि.स. द्वारा अनुमोदित किया गया था, आरोपित अधिकारी वित्त मंत्री का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता का उल्लेख करने में असफल रहे और इस प्रकार, क्रय आदेश के जारी होने और 90% भुगतान को रोकने में असफल रहे। अनुशासनिक प्राधिकारी ने, जांच अधिकारी से असहमत होते हुए, उनके विशिष्ट निष्कर्ष का उल्लेख नहीं किया और मात्र यह कहा कि इसे आरोपित अधिकारी द्वारा "जानबूझकर लापरवाही/असावधानी बरतने/अपने अधिकार से अधिक से अधिक विवेक का प्रयोग करना नहीं कहा जा सकता।" आयोग ने पाया कि आरोप की मद, जांच अधिकारी के निष्कर्ष, असहमति-सूचक ज्ञापन और आरोपित अधिकारी के अभ्यावेदन से यह निष्कर्ष निकलता है कि आरोपित अधिकारी ने वित्त मंत्री का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए जाने की अपेक्षा का उल्लेख न करके अपनी कर्तव्यनिष्ठा का निर्वहन नहीं किया। उपर्युक्त के आलोक में, आयोग ने यह समझा कि इस प्रकरण में आरोपित अधिकारी पर 'परिनिन्दा' की शास्ति अधिरोपित किया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार, आयोग का परामर्श 2 नवम्बर, 2006 को मंत्रालय को संसूचित कर दिया गया।

7.2 मई, 2007 में पहले के दिए गए परामर्श पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए मंत्रालय से एक नया संदर्भ यह कहते हुए प्राप्त हुआ कि इस प्रकरण में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिया गया द्वितीय चरण का परामर्श,

'परिनिन्दा' के अतिरिक्त कोई अन्य गौण शास्ति अधिरोपित किए जाने का है। चूंकि, विभाग द्वारा प्रकरण से संबंधित ऐसा कोई नया तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो पूर्व में दिए गए परामर्श पर पुनर्विचार किए जाने का कोई औचित्य सिद्ध कर सके, इसलिए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.12.2006 के का.ज्ञा. के अनुसार, उक्त प्रकरण, आयोग के पूर्व परामर्श को दोहराते हुए अगस्त, 2007 में मंत्रालय को वापस लौटा दिया गया।

7.3 जनवरी, 2008 में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने आयोग के परामर्श से असहमत होते हुए, "निदेशक (लागत) के वेतनमान में एक वर्ष की अवधि के लिए असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकने" की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश पारित कर दिए।

7.4 चूंकि, सरकार द्वारा पारित आदेश आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं है, इसे आयोग का परामर्श न मानने के मामले के रूप में समझा गया है।

आयकर विभाग के एक अधिकारी के विरुद्ध आरम्भ की गई अनुशासनिक कार्यवाही

8.1 आयकर विभाग के एक अधिकारी के विरुद्ध के.सि. से. (वर्गी., नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम-14 के अन्तर्गत इन आरोपों पर अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गई कि वार्ड-3, दुर्गापुर के आयकर अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए (i) उन्होंने चार मामलों में कर-निर्धारण करते समय गंभीर चूक और अनियमितताएं कीं और (ii) सांविधिक अनुदेशों के साथ-साथ प्रशासनिक अनुदेशों का घोर उल्लंघन करते हुए, निर्धारितियों को बिना किसी तर्कसंगत कारण के नोटिस/पत्र/सम्मन जारी कर दिए। जांच अधिकारी ने आरोप की पहली मद को 'सिद्ध नहीं हुआ' दूसरी मद को पर्याप्त रूप से सिद्ध हुआ माना। अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होते हुए मद-I को आंशिक रूप से और मद-II को पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ माना। आयोग का परामर्श मांगते हुए एक संदर्भ, आरोपित अधिकारी पर उपयुक्त दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के अनन्तिम प्रस्ताव के साथ जून, 2005 में प्राप्त हुआ। आयोग ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद मद (i) को सिद्ध नहीं हुआ और मद (ii) को आंशिक रूप से सिद्ध हुआ माना। आयोग ने मद (i) के तहत यह पाया कि हालांकि आरोपित अधिकारी ऋणों का प्रति-सत्यापन करने में असफल रहे, यह चूक जानबूझकर नहीं की गई थी और इससे निर्धारिती को कोई अनुचित लाभ नहीं हुआ; अनुशासनिक प्राधिकारी ने इस आधार पर भी आरोपित अधिकारी की कोई गलती नहीं पाई और मद (ii) के अन्तर्गत यह पाया कि आरोपित अधिकारी ने कर-निर्धारण

पूर्ण हो जाने के बाद, अतिरिक्त सूचना की माँग करके आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है; इससे कोई दुर्भावना आरोपित या सिद्ध नहीं होती और न ही आरोपित अधिकारी के विरुद्ध अभिप्रेरित स्वार्थ अथवा उत्पीड़न का कोई सबूत मिलता है। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, आयोग ने समझा कि इस प्रकरण में आरोपित अधिकारी पर “एक वर्ष की अवधि के लिए असंचयी प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोकने” की शास्ति का अधिरोपित किया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार, आयोग का परामर्श दिनांक 23 जनवरी, 2006 को संसूचित कर दिया गया।

8.2 अप्रैल, 2006 में आयोग द्वारा पूर्व में दिए गए परामर्श पर पुनर्विचार की माँग करते हुए मंत्रालय से एक नया संदर्भ यह कहते हुए प्राप्त हुआ कि मद I के तहत दो मामलों में, आरोपित अधिकारी की चूक स्पष्टतः दर्शाई गई है, जिसका आयोग ने खंडन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने अनुशासनिक प्राधिकारी के इस मत के विरुद्ध कि किसी उचित दीर्घ शास्ति का अधिरोपित किया जाना न्यायोचित होगा, गौण शास्ति लगाए जाने का परामर्श दिया था। आयोग ने मामले पर पुनर्विचार करने के बाद यह पाते हुए कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने न तो मामले की कोई अतिरिक्त जानकारी अथवा तथ्य प्रस्तुत किए थे और न ही आरोपित अधिकारी की दुर्भावना को सिद्ध करने वाला कोई आधार ही प्रस्तुत किया था, अपने पहले के दिए गए परामर्श को दोहराते हुए दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 को मंत्रालय को संसूचित कर दिया गया।

8.3 फरवरी, 2008 में राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने आयोग के परामर्श से असहमत होते हुए, “आरोपित अधिकारी के वेतन में, उनके अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत्त होने तक, संचयी प्रभाव से एक चरण की कटौती की शास्ति” अधिरोपित करने का आदेश पारित कर दिया।

8.4 चूंकि, सरकार द्वारा पारित आदेश आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं है, इसे आयोग का परामर्श स्वीकार न करने के मामले के रूप में माना गया है।

भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी के विरुद्ध आरम्भ की गई अनुशासनिक कार्यवाही

9.1 भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-8 के तहत इस आरोप पर अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गई कि सिल्वासा, संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली में उप वन संरक्षक के रूप में कार्य करते हुए, उन्होंने (i) खैर वृक्षों की बिक्री दरों को संशोधित न करके और खैर के वृक्षों के विक्रय की नई

संविदा को लागू करके प्रशासन को 3,19,78,592.70 रु. का नुकसान और उपर्युक्त फर्म को सदृश लाभ पहुँचाया तथा (ii) भारत निर्मित विदेशी शराब के थोक एवं फुटकर विक्रय के बिक्री लाइसेंस जारी करने की अनुशंसा करके अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया और एक टूरिस्ट फर्म को लाभ पहुँचाया और दूसरी फर्म के साथ भेदभाव किया। जांच अधिकारी ने आरोप की दोनों मदों को सिद्ध नहीं हुआ माना। अनु. प्राधिकारी ने, जांच अधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होते हुए, संचयी प्रभाव से 5 वेतनवृद्धियाँ रोकने तथा नुकसान की भरपाई सेवा के सदस्य से वसूल किए जाने की शास्ति अधिरोपित करने का अनन्तिम निर्णय लिया। इस प्रकरण में आयोग का परामर्श माँगते हुए नवम्बर, 2005 में एक संदर्भ प्राप्त हुआ। आयोग ने मामले के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह पाया कि जहाँ तक मद (i) का संबंध है, सेवा के सदस्य की नए पूरक समझौते में कोई ठोस भूमिका नहीं थी और उनकी भूमिका मात्र उसका प्रारूप तैयार करने और गवाह के रूप में हस्ताक्षर करने तक सीमित थी। समझौते के नवीनीकरण का आवेदन प्राप्त होने पर, सेवा के सदस्य ने प्रकरण पर कार्यवाही की और उनकी टिप्पणी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दी गई। सेवा के सदस्य की टिप्पणी सही तथा विस्तृत थी और चूंकि इसे सक्षम प्राधिकारी (वित्तीय सलाहकार सहित) के द्वारा क्लियर कर दिया गया था, अतः सेवा के सदस्य पर भ्रष्टाचार का आरोपण नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार उनके द्वारा किन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों का छिपाया जाना प्रतीत नहीं होता है। जहाँ तक मद (ii) का संबंध है, आयोग ने पाया कि अभियोजन साक्ष्यों के बयान साफ तौर पर यह दर्शाते हैं कि आई एम एफ एल लाइसेंस प्रदान किए जाने के मामले में, आरोपित अधिकारी ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया था और उन्होंने जो कुछ भी किया, वह संगत नियमों के अनुरूप, लोक हित में और सक्षम प्राधिकारी के उचित अनुमोदन के अनुरूप किया गया था। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, आयोग ने समझा कि इस प्रकरण में सेवा के सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दिया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार, आयोग का परामर्श दिनांक 27 अप्रैल, 2006 को मंत्रालय को संसूचित कर दिया गया।

9.2 नवम्बर, 2006 में, आयोग के पहले दिए गए परामर्श पर पुनर्विचार की माँग करते हुए मंत्रालय से एक नया संदर्भ प्राप्त हुआ। आयोग ने पाया कि उन्होंने प्रकरण पर पहले ही गंभीरता से विचार किया था और मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार कर विवेकपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचे थे और मंत्रालय द्वारा प्रकरण से संबंधित ऐसे कोई नए तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जो पूर्व में दिए गए परामर्श पर पुनर्विचार करने का आधार प्रस्तुत कर सकें। तदनुसार, अपने पूर्व में दिए गए परामर्श को दोहराते हुए आयोग का परामर्श मार्च, 2007 में

मंत्रालय को संसूचित कर दिया गया।

9.3 अप्रैल, 2008 में मंत्रालय ने आयोग के परामर्श से असहमत होते हुए “एक वर्ष की अवधि के लिए असंचयी प्रभाव से एक (अगली) वेतनवृद्धि रोकने” की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश पारित कर दिए।

9.4 चूंकि, सरकार द्वारा पारित आदेश आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं है, अतः इसे आयोग का परामर्श स्वीकार न करने के मामले के रूप में माना गया है।

सामान्य केन्द्रीय सेवा के एक अधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम-9 के अन्तर्गत कार्यवाही

10.1 वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के विरुद्ध के.सि.से. (वर्गी., नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम-14 के अन्तर्गत इस आरोप पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई कि (i) उन्होंने राज्य सरकार के प्राधिकारियों से एक झूठा जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया और आयकर विभाग के समक्ष इस आशय का झूठा दावा पेश किया कि वे ‘कट्टू नाईक्कन’ समुदाय के हैं जो कि अनुसूचित जनजाति का है और (ii) अपनी पुत्रियों एवं पुत्र के लिए झूठा जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। जाँच अधिकारी ने आरोपों को सिद्ध हुआ माना। अनुशासनिक कार्यवाही के विचाराधीन होने के दौरान, आरोपित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो गए और यह कार्यवाही के.सि.से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम-9 के तहत मानी गई। आरोपित अधिकारी की सम्पूर्ण पेंशन और उपदान में स्थायी आधार पर कटौती की शास्ति अधिरोपित करने के वित्त मंत्री के अनन्तिम निर्णय के साथ जनवरी, 2005 में इस मामले में आयोग का परामर्श माँगते हुए वित्त मंत्रालय से एक संदर्भ प्राप्त हुआ। आयोग ने मामले के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् पाया कि जाँच अधिकारी द्वारा दोनों आरोप सिद्ध पाए गए हैं और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा इन्हें स्वीकार किया गया है। उपर्युक्त के आलोक में, आयोग ने समझा कि इस प्रकरण में आरोपित अधिकारी पर मासिक पेंशन में स्थायी आधार पर 1/3 (एक तिहाई) की कटौती की शास्ति अधिरोपित करना न्यायोचित होगा। तदनुसार, आयोग का परामर्श 21 जून, 2006 को मंत्रालय को संसूचित कर दिया गया।

10.2 दिसम्बर, 2006 में, आयोग द्वारा पूर्व में दिए गए परामर्श पर पुनर्विचार की माँग करते हुए, मंत्रालय से एक नया संदर्भ यह कहते हुए प्राप्त हुआ कि आयोग के परामर्श पर विचार करने के पश्चात्, वित्त मंत्री का यह मत था कि चूंकि आरोपित अधिकारी नियुक्ति के लिए हकदार ही नहीं थे, अतः उनकी सम्पूर्ण पेंशन और उपदान स्थायी आधार पर रोक लिए जाने चाहिए। आयोग

ने इस प्रकरण पर पुनर्विचार के पश्चात् पाया कि आरोपित अधिकारी ने विभाग में 32 वर्ष तक सेवा की थी और उनमें न तो कभी कोई कमी पाई गई और न ही उनकी सत्यनिष्ठा पर कभी कोई प्रतिकूल टिप्पणी ही की गई। अतः, उनकी सम्पूर्ण पेंशन, जो कि उन्होंने 32 वर्ष की सेवा के दौरान किए गए अच्छे कार्य के आधार पर अर्जित की थी, को रोक देना अनुचित होगा। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कोई नए तथ्य या कानूनी पहलू प्रस्तुत नहीं किए थे, जिनसे पूर्व में दिए गए परामर्श पर पुनर्विचार की आवश्यकता दिखाई देती। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, आयोग ने अपने पूर्व के परामर्श को दोहराया, जिसे 8 फरवरी, 2007 को मंत्रालय को संसूचित कर दिया गया।

10.3 जनवरी, 2008 में वित्त मंत्रालय ने आयोग के परामर्श से असहमत होते हुए, आरोपित अधिकारी की मासिक पेंशन में स्थायी आधार पर 1/3 की कटौती करने और उन्हें देय उपदान की 50% राशि को स्थायी आधार पर रोक लेने की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश पारित कर दिए।

10.4 चूंकि, विभाग के द्वारा पारित आदेश आयोग के परामर्श के अनुरूप नहीं है, इसे आयोग का परामर्श स्वीकार न करने के मामले के रूप में माना गया है।

सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क विकास बोर्ड, जहाज़रानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में 22,400/- रु. - 24,500/- रु. (संशोधन-पूर्व) के वेतनमान में अपर महानिदेशक (सीमा सड़क), ग्रुप ‘क’ के पद पर पदोन्नति

11.1 सीमा सड़क संगठन, जहाज़रानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास बोर्ड में 22,400/- 24,500/- रु. (संशोधन-पूर्व) के वेतनमान में अपर महानिदेशक (सीमा सड़क), ग्रुप ‘क’ के ग्रेड में वर्ष 2007-08 की एक रिक्ति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (वि.प.स.) की बैठक बुलाने के लिए जहाज़रानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

11.2 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 अप्रैल, 1989 के का.ज्ञा.सं. 22011/5/86-स्था.घ) के द्वारा जारी वि.प.स. संबंधी दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था है कि 12,000-16,500 रु./- के स्तर के और ऊपर के स्तर के पदों के संबंध में, बैचमार्क ‘बहुत अच्छा’ होना चाहिए। कार्मिक एवं प्रशिक्षण

विभाग के दिनांक 08 फरवरी, 2002 के का.ज्ञा. में यह व्यवस्था है कि वि.प.स. को 'बहुत अच्छा' बेंचमार्क के संदर्भ में, अधिकारियों को 'योग्य' अथवा 'अयोग्य' की श्रेणी प्रदान करनी चाहिए। केवल उन्हीं अधिकारियों को जिन्हें 'योग्य' की श्रेणी में रखा गया है, फीडर ग्रेड में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के क्रम में, वि.प.स. द्वारा तैयार चयन पैनल में शामिल किया जाना चाहिए। उपर्युक्त निर्धारित 'बहुत अच्छा' बेंचमार्क के अनुसार, वि.प.स. द्वारा 'योग्य' पाए गए अधिकारियों में पदोन्नति में कोई अधिक्रमण नहीं होना चाहिए।

11.3 वि.प.स. की 27 जुलाई, 2007 को हुई बैठक में वर्ष 2007-08 से संबंधित एक रिक्ति के लिए विचार क्षेत्र में आने वाले 5 अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया। वि.प.स. ने का. एवं प्र. विभाग के दिनांक 16 जून, 2000 के उत्तरवर्ती का.ज्ञा. के साथ पठित दिनांक 8 सितम्बर, 1998 के का.ज्ञा.सं. 22011/9/98-स्था.(घ) के अनुसार, सेवा अभिलेखों के आधार पर और पिछले 5 वर्षों, अर्थात् वर्ष 2001-02 से 2005-06 तक की गोपनीय रिपोर्टों के

विशिष्ट संदर्भ में निष्पक्ष मूल्यांकन किया तथा फीडर श्रेणी में वरिष्ठतम अधिकारी को पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया।

11.4 जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास बोर्ड ने यह सूचित किया कि ए.सी. सी. ने पदोन्नति के लिए वि.प.स. द्वारा अनुशंसित वरिष्ठतम अधिकारी के नाम का अनुमोदन इस आधार पर नहीं किया कि 5 वर्षों की गणनीय अवधि के दौरान की 25 महीनों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में उनका स्तर 'बहुत अच्छा' से नीचे था।

11.5 अतः, जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास बोर्ड ने विधिवत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित अधिकारी को पदोन्नत करने के पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए। आयोग का यह विचार है कि यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में स्वयं सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। अतः, आयोग इसे परामर्श स्वीकार न करने के मामले के रूप में मानता है।

विविध

अध्याय

11

सूचना का अधिकार अधिनियम

1. सूचना का अधिकार, 2005 दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग, अधिनियम के खंड 2 (ज) के तहत "लोक प्राधिकरण" के रूप में शामिल है। तदनुसार, आयोग ने एक जिम्मेवार "लोक प्राधिकरण" के रूप में इस संबंध में उपयुक्त कार्यवाई की है। आयोग ने सूचना चाहने वाले व्यक्तियों से प्राप्त अनुरोधों पर कार्यवाई करने के लिए 17 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और 9 अपीलीय अधिकारी नियुक्त किए हैं।

2. प्रभावशाली उपायों के रूप में, निम्नलिखित सूचना सं.लो.से.आ. की वेबसाइट पर अपलोड की गई है:-

- (क) सं.लो.से.आ. का संगठनात्मक चार्ट
- (ख) के.लो.सू. अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों की सूची
- (ग) केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की सूची
- (घ) केन्द्रीय सूचना आयोग को दी जाने वाली जानकारी
- (ङ) विनियोजन का विवरण-सं.लो.से.आ. (प्रभारित)

3. प्राप्त एवं निपटाए गए आवेदनों और अपीलों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	विवरण	संख्या
1	(क) वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त आर टी आई आवेदनों की कुल संख्या	1,523
	(ख) वर्ष 2008-09 के दौरान निपटाए गए आवेदनों की कुल संख्या	1,523
2	(क) वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त हुई आर टी आई अपीलों की कुल संख्या	220
	(ख) वर्ष 2008-09 के दौरान निपटाई गई आर टी आई की कुल संख्या	220

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों/आदेशों का क्रियान्वयन

4. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दायर अनुशासनिक मामलों से संबंधित प्रकरणों में आयोग सामान्यतः औपचारिक

प्रतिवादी होता है और पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति से संबंधित केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण मामलों में, आयोग मात्र एक परामर्शी निकाय के रूप में कार्य करता है और संबंधित मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकारें, जो मुख्य प्रतिवादी होते हैं, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों/आदेशों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तथापि, हमें 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के 40 निर्णय/आदेश प्राप्त हुए हैं। इनमें से, के.प्र.अ. के 18 निर्णयों/आदेशों को क्रियान्वित किया जा चुका है, 7 निर्णयों/आदेशों को अब तक खारिज कर दिया गया है और 15 निर्णय/आदेश विभिन्न कारणों से क्रियान्वित नहीं किए गए हैं और संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों, जो कि मुख्य प्रतिवादी हैं, द्वारा परीक्षणाधीन हैं और यह निर्णय उनके द्वारा लिया जाएगा कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों/आदेशों को क्रियान्वित किया जाए या नहीं।

आयोग का स्थापना दिवस

5. आयोग का 82वां स्थापना दिवस 1 अक्टूबर, 2008 को मनाया गया। आयोग के माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यों एवं सेवानिवृत्त माननीय अध्यक्षों और सदस्यों ने इस समारोह में भाग लिया। आयोग के स्टाफ के सदस्यों में से प्रतिभाशाली कलाकारों तथा गीत एवं नाटक प्रभाग के कलाकारों ने इस समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

नागरिक घोषणा पत्र

6. संघ लोक सेवा आयोग का नागरिक घोषणा पत्र तैयार किया गया है और इसकी मुद्रित प्रति माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 01.10.2008 को, संघ लोक सेवा आयोग के 82वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में जारी की गई। नागरिक घोषणा पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। नागरिक घोषणा पत्र में संघ लोक सेवा आयोग के संक्षिप्त इतिहास, प्रस्तावना, अधिदेश, भर्ती की पद्धति, राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन, किससे संपर्क करें/सूचना कैसे प्राप्त करें और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों की सूची आदि का उल्लेख किया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958

7. वर्ष 2008-09 के दौरान, आयोग ने अपने अधिकार-क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में सरकार से

प्राप्त 18 प्रस्तावों पर विचार किया। इनकी जांच की गई और आयोग की राय संबंधित मंत्रालय/विभाग को संसूचित कर दी गई। संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के जारी होने के बाद से संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से मुक्त किए गए पदों/सेवाओं की सूची परिशिष्ट XLI में दी गई है।

वरिष्ठता तथा सेवा संबंधी मामले

8. आयोग ने वरिष्ठता संबंधी 6 मामलों में तथा सेवा संबंधी 5 विविध मामलों में अपनी सलाह दी।

राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन

9. राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन 8 एवं 9 जनवरी, 2009 को तिरुवनंतपुरम, केरल में हुआ। 24 राज्य लोक सेवा आयोगों के 21 अध्यक्षों एवं 5 सदस्यों ने इसमें भाग लिया और पारस्परिक हित के कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

प्रतिनिधिमंडलों द्वारा किए गए दौरे

10. वर्ष के दौरान, 11 राज्य लोक सेवा आयोगों के माननीय अध्यक्षों और सदस्यों ने विभिन्न अवसरों पर आयोग का दौरा किया और आपसी हित के अनेक मामलों पर विचार-विमर्श किया।

11. वर्ष के दौरान थाइलैंड, कनाडा, फिजी उच्चायोग, कीनिया, बंगलादेश, नेपाल, तंजानिया, अफगानिस्तान, कुवैत और कजाकिस्तान से 10 विदेशी प्रतिनिधिमंडलों ने आयोग का दौरा किया और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की।

उम्मीदवारों पर मिथ्यानिरूपण एवं अन्य कदाचारों के लिए अधिरोपित शास्तियाँ

12. वर्ष 2008-09 के दौरान, ऐसे दस मामले आयोग की जानकारी में आए, जिनमें उम्मीदवारों ने परीक्षाओं में सूचना छिपाई, अनुचित साधनों का प्रयोग किया, उत्तर पुस्तिका में से पृष्ठ निकाले, परीक्षा के अधिक अवसर लिए और जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए। आयोग ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया और यथोचित कार्यवाही के पश्चात् किसी विशिष्ट परीक्षा/चयन के लिए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द करने से लेकर, उन्हें आयोग की परीक्षाओं/चयनों से एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक की परिवर्ती अवधियों के लिए अथवा स्थायी रूप से अपवंचित करने की शास्तियाँ अधिरोपित की गईं।

अभिलेख प्रबंधन

13. अभिलेख प्रबंधन को सुधारने के लिए जारी प्रयासों के एक भाग के रूप में अवांछनीय अभिलेखों/फाइलों को रिकॉर्ड करने, समीक्षा और छटाई करने के लिए

दिनांक 17 नवम्बर, 2008 से 28 नवम्बर, 2008 तक एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः 2396, 3840 और 2245 फाइलों का अभिलेखन, समीक्षा और छंटनी की गई।

अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची

14. संघ लोक सेवा आयोग की सभी शाखाओं से संबंधित संशोधित/अद्यतन अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची (2009) आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

राज्य लोक सेवा आयोगों के अर्द्ध-वार्षिक सूचना-पत्र का प्रकाशन

15. राज्य लोक सेवा आयोगों का जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर तक की अवधि का अर्द्ध वार्षिक सूचना-पत्र राज्य लोक सेवा आयोगों और सं.लो.से.आ. की विभिन्न शाखाओं से आवश्यक जानकारी/आंकड़े प्राप्त कर मुद्रित एवं वितरित किया जा रहा है। सूचना पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, सं.लो.से.आ. और 28 राज्य लोक सेवा आयोगों का पदस्थता संबंधी विवरण, अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति, आयोजित परीक्षाएं/भर्तियां, विभागीय पदोन्नति समिति/आयोजित चयन समिति की बैठकें, गणमान्य व्यक्तियों का दौरा इत्यादि भी शामिल होता है। सूचना पत्र का 53वां एवं 54वां अंक वर्ष 2008-09 के दौरान मुद्रित एवं वितरित किया गया।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण

16. 2 जनवरी, 2009 से 17 मार्च, 2009 तक आयोग के 150 अधिकारियों को (8 बैचों में) एम एस ऑफिस की बुनियादी जानकारी पर इंटरमीडिएट स्तर का कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्येक बैच के लिए प्रशिक्षण की अवधि 35 घंटे थी। इसका आयोजन नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इन्कार्पोरेटेड (एन आई सी एस आई), नई दिल्ली के वेंडर एन आई आई टी के माध्यम से किया गया। इस पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पाइंट, इंटरनेट का प्रयोग करना और एम एस एक्सेस शामिल थे।

आयोग के कार्यालय में हिंदी के प्रयोग में प्रगति

17. केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने और राजभाषा के क्रियान्वयन संबंधी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए आयोग में एक स्वतःपूर्ण हिन्दी शाखा की व्यवस्था की गई है।

18. आयोग के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में से 80

प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और इस कार्यालय को राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम-10(4) के अंतर्गत, भारत के राजपत्र में पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। आयोग के तेरह अनुभागों को राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम-8(4) के अंतर्गत, अपना नेमी कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। हिन्दी शाखा के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किए गए और उन्हें राजभाषा नीति और नियमों से अवगत कराया गया। अधिकारियों द्वारा स्थल पर उपचारात्मक उपाय सुझाए गए।

19. आयोग में सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है और आयोग में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए इसकी तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

20. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही हैं :-

- (i) सरकारी कामकाज में हिन्दी में मौलिक टिप्पणी/मसौदा लिखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना;
- (ii) हिन्दी में डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन योजना; तथा
- (iii) आयोग के कार्यालय में अपना सर्वाधिक कार्य हिन्दी में करने वाले अनुभाग के लिए "राजभाषा पुरस्कार" देने संबंधी प्रोत्साहन योजना।

21. केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं के लिए आयोग द्वारा जारी किए गए सभी विज्ञापन द्विभाषी रूप में तैयार किए गए तथा "रोजगार समाचार" सहित देश के प्रमुख समाचार पत्रों में हिन्दी तथा अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशित किए गए। सभी पदों तथा सेवाओं के लिए 'उम्मीदवारों के लिए सूचना' भी द्विभाषी रूप में जारी की गई।

22. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और लोक सेवा आयोगों के "सूचना पत्र" तैयार किए गए तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, हिन्दी तथा अंग्रेजी में साथ-साथ मुद्रित/प्रकाशित किए गए।

23. आयोग के हिन्दी नहीं जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत एक कर्मचारी ने प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 11 कर्मचारियों ने हिन्दी टंकण परीक्षा और हिन्दी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण की, इनमें से सात कर्मचारियों ने नकद पुरस्कार प्राप्त किए।

24. आयोग में कार्यरत अधिकारियों के लिए जून, 2008 के महीने में 10 दिन के कम्प्यूटर हिन्दी टंकण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया।

25. आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना दैनिक सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिन्दी की दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं। आयोग की विभिन्न शाखाओं की मासिक संगठन एवं पद्धति बैठकों में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की भी नियमित रूप से समीक्षा की गई।

26. "मूल्यांकन समिति" की बैठक सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 28 अगस्त, 2008 को आयोजित की गई, जिसमें आयोग में चल रही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत अपना अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों और अनुभागों के लिए पुरस्कारों का निर्णय किया गया।

27. "हिन्दी दिवस" (15 सितम्बर) के अवसर पर हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से आयोग के कार्यालय में 1 सितम्बर - 15 सितम्बर, 2008 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं जैसे-हिन्दी टिप्पण/प्रारूप लेखन, हिन्दी निबंध, हिन्दी टंकण, हिन्दी भाषण, हिन्दी प्रश्नोत्तरी, हिन्दी कविता और गैर-हिन्दी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिन्दी श्रुतलेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। माननीय अध्यक्ष द्वारा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए एक अपील जारी की गई। 15 सितम्बर, 2008 को माननीय अध्यक्ष, प्रो. डी.पी. अग्रवाल की अध्यक्षता में मुख्य समारोह मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के 94 विजेताओं को पुरस्कार/प्रमाण-पत्र दिए गए।

परीक्षा सुधार शाखा

28. परीक्षा सुधार शाखा परीक्षाओं की प्रक्रिया के विविध पहलुओं का अध्ययन करती है। परीक्षण मर्कों तथा प्रश्न-पत्रों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए यह शाखा विभिन्न परीक्षाओं का नियमित रूप से विस्तृत सांख्यिकीय विश्लेषण करती है। ऐसा परीक्षण मर्कों की गुणवत्ता तथा आयोजित परीक्षाओं की प्रभाविकता पर निगरानी रखने तथा परीक्षा पद्धतियों एवं चयन प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है।

29. सिविल सेवा परीक्षा और इंजीनियरी सेवा परीक्षा के व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण

किया जाता है, ताकि उन उम्मीदवारों की उपनति और प्रोफाइल का अध्ययन किया जा सके, जो व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेते हैं और अन्ततः इन परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करते हैं।

30. सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, इंजीनियरी सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों का समुदाय, आयु, लिंग, योग्यता और विश्वविद्यालय-वार विस्तृत विश्लेषण भी किया जाता है, जो वार्षिक रिपोर्ट में शामिल होता है।

31. इसके अलावा, यह शाखा साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के मामलों तथा भर्ती संबंधी मामलों की प्रगति पर नज़र रखती है। यह साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के जरिए पिछले चयनों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करती है और इसी संबंध में आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री तैयार करती है।

आयोग के सचिवालय का आधुनिकीकरण

32. आयोग ने प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की कार्य योजना के अंतर्गत अपने सचिवालय के आधुनिकीकरण का कार्य आरंभ किया है ताकि स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थिति में कार्य करने का वातावरण तैयार किया जा सके एवं विभिन्न सरकारी विभागों से बड़ी संख्या में प्राप्त होने वाले आवेदनों और अन्य अभिलेखों को रिकॉर्ड करने के लिए समुचित भंडारण स्थान उपलब्ध कराया जा सके। आधुनिकीकृत अनुभागों को ऊपरी संग्रहण स्थान (ओवर हेड स्टोरेज स्पेस) के साथ-साथ, मॉड्यूलर फर्नीचर, टाइल युक्त फर्श, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था एवं अभिलेखों के संग्रहण के लिए कम्पैक्टर प्रदान किए जा रहे हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान 9 अनुभागों का आधुनिकीकरण कार्य प्रारम्भ किया गया है।

आयोग की कार्यकुशलता एवं कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किए गए परिवर्तन

33. वर्ष 2008-09 के दौरान, आयोग की कार्यकुशलता एवं कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए भर्ती शाखा के द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :-

34. प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, जब भी सरकारी सेवा में पहले से कार्य कर रहे अधिकारी सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए आवेदन करते हैं, तो संबंधित मंत्रालय/विभाग को साक्षात्कार से पूर्व इन उम्मीदवारों की गोपनीय रिपोर्ट, अंतिम संस्तुति किए जाने हेतु आयोग को उनके विचारार्थ उपलब्ध करानी होती थी। ऐसा महसूस किया गया कि केवल उन व्यक्तियों की गोपनीय रिपोर्टों पर विचार करना, जो सरकारी सेवा में हैं और उनकी उम्मीदवारी को, उन गोपनीय रिपोर्टों में

दी गई प्रतिकूल टिप्पणियों के आधार पर रद्द कर देना पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि आयोग उन उम्मीदवारों के संबंध में, ऐसा मूल्यांकन प्राप्त नहीं कर पाता है, जो सरकारी सेवा में नहीं हैं। तदनुसार, निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत उम्मीदवारों की गोपनीय रिपोर्ट मंगवाए जाने की प्रथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से बंद कर दी गई।

35. आयोग ने भर्ती मामलों को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय अंतराल को कम करने के प्रयास में, भर्ती मामलों के निपटान में लगने वाले सामान्य समय को 9 महीने से कम करके 6 महीने पुनर्निर्धारित किया है।

36. आयोग को, उम्मीदवारों की विभिन्न योग्यताओं के बीच समकक्षता निर्धारित करने में काफी मुश्किलों का अनुभव करना पड़ता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भर्ती प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में देरी होती है। समकक्षता से संबंधित मुद्दों को सुलझाने हेतु, आयोग द्वारा माननीय सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने उन्हें भेजे गए भर्ती मामलों में योग्यता की समकक्षता के प्रश्न पर निर्णय दिए हैं।

37. आयोग अध्यायचना करने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से, उनसे संबंधित मामलों को अंतिम रूप देने में बाधा पहुंचाने वाले मुद्दों को सुलझाने हेतु समय-समय पर बैठकें कर रहा है। आयोग के साथ-साथ, संबंधित मंत्रालयों/विभागों, दोनों के लिए, इन मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से, भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को अंतिम रूप देने में होने वाली प्रगति को मॉनीटर करने की दृष्टि से लक्ष्य भी निर्धारित किए जा रहे हैं और इसके द्वारा प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, निरन्तर आंतरिक समीक्षा भी की जा रही है और ऐसे मामलों को, जिन पर मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता होती है, उनकी जानकारी में लाया जाता है।

रक्तदान शिविर

38. भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 02 मार्च, 2009 को आयोग के बहुउद्देशीय हॉल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डॉ. वनश्री एवं डॉ. एस.पी. जिन्दल और उनके 6-सदस्यीय दल के द्वारा रक्तदान शिविर का संचालन किया गया। शिविर का उद्घाटन माननीय अध्यक्ष द्वारा किया गया। रक्तदान के लिए आए 51 व्यक्तियों में से 33 ने रक्तदान किया।

कृतज्ञता ज्ञापन

आयोग, भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता है। उनके इस सहयोग के बिना आयोग के लिए अपने संवैधानिक कार्यों को सम्पन्न करना संभव न हो पाता।

आयोग अपने अधिकारियों और स्टाफ के अन्य सदस्यों की भी हार्दिक सराहना करता है, जिन्होंने कठोर परिश्रम और दक्षता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है।

श्री सुबीर दत्ता (16 अगस्त, 2008 को पद मुक्त हुए)	अध्यक्ष
प्रो. डी.पी. अग्रवाल	अध्यक्ष
सुश्री परवीन तलहा	सदस्य
श्री के. रॉय पॉल (8 जून, 2009 को पदमुक्त हुए)	सदस्य
प्रो. के.एस. चलम्	सदस्य
प्रो. ई. बालागुरुसामी	सदस्य
श्रीमती शशि उबान त्रिपाठी	सदस्य
प्रो. पुरुषोत्तम अग्रवाल	सदस्य
डॉ. के.के. पॉल	सदस्य
लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) निर्भय शर्मा	सदस्य
श्री आई.एम.जी. खान	सदस्य
श्री प्रशांत कुमार मिश्रा	सदस्य

आलोक रावत

सचिव

संघ लोक सेवा आयोग

दिनांक : 23.9.2009

परिशिष्ट I

आयोग के माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यों के जीवन वृत्त

श्री सुबीर दत्ता

4 जुलाई, 2003 को संघ लोक सेवा आयोग में पदभार ग्रहण किया; 30 जून, 2007 (अपराहन) से 16 अगस्त, 2008 तक आयोग के अध्यक्ष रहे। एम.एससी. (भौतिकी) श्री दत्ता भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए (1967 बैच) और इन्हें पश्चिम बंगाल संवर्ग आबंटित किया गया। इन्होंने 25 जुलाई, 1968 से सरकारी सेवा में कार्य ग्रहण किया। राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार में कई वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। पश्चिम बंगाल सरकार में विभिन्न अवधियों के लिए जिला स्तर पर उप जिला मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट आदि के रूप में कार्य किया है (1968-1985); राज्य में तैनातियों के दौरान वे पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक (1985-88); पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में प्रबंध निदेशक (1988-90); पश्चिम बंगाल सरकार में सचिव (श्रम) (1995-96); पश्चिम बंगाल सरकार के प्रेसीडेंसी डिवीज़न में आयुक्त रहे (1996-97); केंद्र सरकार में तैनातियों के दौरान ये गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (1990-95); संघ लोक सेवा आयोग में सचिव (1997-98); रक्षा विभाग में अपर सचिव (1998-2000); टैक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स में विशेष सचिव तथा मिशन निदेशक (2000); रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग में सचिव (2000-2002); तथा रक्षा सचिव (2002-2003) रहे।

प्रोफेसर डी.पी. अग्रवाल

प्रोफेसर डी.पी. अग्रवाल ने 16 अगस्त, 2008 (अपराहन) से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने से पहले, ये 31 अक्टूबर, 2003 से 15 अगस्त, 2008 तक की अवधि में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। इससे पहले, प्रोफेसर डी.पी. अग्रवाल अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंफार्मेशन टैक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर के संस्थापक निदेशक थे। आई आई आई टी एम की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1998 में की गई और 2001 में भारत सरकार द्वारा इसे मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन के क्षेत्र में प्रणेता जन शक्ति (मैन पावर) तैयार करने के लिए आई आई आई टी एम एकमात्र शीर्ष संस्थान है और यह पीएच.डी., एम बी ए, एम. टेक पाठ्यक्रमों की सुविधा देता है। संस्थान ने भारत एवं विदेशों के उद्योग जगत में पहले ही अपने लिए विशेष स्थान बना लिया है। संस्थान उद्योग, सरकार एवं कारपोरेट क्षेत्र के कार्यकारियों के लिए बड़ी संख्या में एम डी पी प्रस्तुत कर रहा है। संस्थान कई उद्योगों को

परामर्शी सेवाएं भी दे रहा है। इनके प्रतिनिधित्व में आई आई आई टी एम ने संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन के संस्थानों/विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान, संकाय और विद्यार्थियों के लिए परस्पर अदला-बदली कार्यक्रमों और भारत तथा विदेशों में कम्पनियों को परामर्शी सेवाएं देने के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनके द्वारा आई आई आई टी एम, ग्वालियर में आरंभ की गई पहल की प्रतिकृति देश में देखने को मिली है।

प्रोफेसर डी.पी. अग्रवाल एक प्रतिष्ठित अध्यापक, शैक्षिक प्रशासक तथा संस्थान निर्माता रहे हैं। ये आई आई टी, दिल्ली में प्रोफेसर तथा डीन रहे, जहां से इन्होंने 1994 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त शिक्षा सलाहकार (टी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इन्होंने तकनीकी शिक्षा, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर कई पहल की हैं और उनकी योजना तैयार की है और उनका विकास किया है। इन्होंने परामर्श तथा मार्गदर्शन द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्रोफेसर अग्रवाल भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक समर्थित परियोजना के राष्ट्रीय परियोजना निदेशक रहे। इस परियोजना में 19 राज्य और 590 पॉलिटेक्निक शामिल थे। इन्होंने उच्चतर तकनीकी तथा पॉलिटेक्निक शिक्षा में उत्कृष्टता के केंद्रों के विकास में योगदान दिया है। ये कई नए संस्थानों की संकल्पना में सहयोगी रहे।

प्रोफेसर अग्रवाल भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम, एजुकेशनल कन्सलटेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रहे। इन्होंने इस संगठन की कार्य-पद्धति में भारी बदलाव किया, जिसमें निर्णय लेने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा कार्यात्मक उत्तरदायित्वों को निचले स्तर के कार्यकारियों को हस्तांतरित करना शामिल था।

प्रोफेसर अग्रवाल आई आई टी, दिल्ली में "डीन ऑफ स्टूडेंट्स" सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रहे। ये शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में भी काफी सक्रिय रहे और इन्होंने पीएच.डी., स्नातकोत्तर तथा पूर्व-स्नातक स्तर के लगभग 100 शोध प्रबंधों का पर्यवेक्षण किया। ये कई कम्पनियों के सलाहकार रहे हैं। ये कई राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादक-मंडल के सदस्य रहे हैं। इन्होंने आई आई टी, दिल्ली में, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए रक्षा, 'डी एस टी' तथा 'सी एस आई आर' से अनुसंधान हेतु धन जुटाया। इनके शोध पत्रों को इंस्टिट्यूट्स

ऑफ इंजीनियर्स द्वारा पुरस्कृत किया गया है। कई संस्थाओं के शासी निकायों के सदस्य होने के साथ-साथ, प्रोफेसर अग्रवाल कई व्यावसायिक संस्थाओं तथा समितियों के सदस्य भी हैं।

प्रो. अग्रवाल ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अपने सघन परस्पर संबंधों के जरिए देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की केंद्रीय क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष रहे हैं। इस समय, ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पी.जी. बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

प्रोफेसर अग्रवाल का जन्म 2 अक्टूबर, 1949 को हुआ। 1970 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री लेने के बाद, इन्होंने आई.आई.टी., दिल्ली से पीएच.डी. की। ये इम्पीरियल कॉलेज, लंदन तथा यू.के. की क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी में अतिथि प्राध्यापक रहे हैं। इन्होंने जर्मनी तथा चेकोस्लोवाकिया में व्याख्यान दिए हैं। इन्होंने भारत सरकार के कई प्रतिनिधिमंडलों का संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड तथा कनाडा में प्रतिनिधित्व किया है।

प्रोफेसर अग्रवाल को इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा 'इंजीनियर ऑफ द इयर 2006' की उपाधि दी गई। इंडियन सोसायटी फॉर टैक्निकल एजुकेशन द्वारा 14 दिसम्बर, 2006 को उन्हें ऑनररी फैलोशिप अवार्ड प्रदान किया गया।

सुश्री परवीन तलहा

लॉरेटो कॉन्वेंट हाई स्कूल/कॉलेज, लखनऊ से शिक्षित। लखनऊ विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में एम.ए. किया। 1965 से 1969 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। 1969 में भारतीय राजस्व सेवा में आई और सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से किसी भी प्रथम श्रेणी की सिविल सेवा में आने वाली प्रथम मुस्लिम महिला बनीं। मुम्बई, कोलकाता तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालयों में महत्वपूर्ण पदों पर रहीं। उत्तर प्रदेश की डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर रहीं। सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में कार्य करने वाली अब तक की एकमात्र महिला अधिकारी हैं। तस्करों तथा मादक द्रव्यों के अवैध व्यापारियों की सम्पत्ति जब्त करने की 1990-1997 तक सक्षम अधिकारी रहीं।

प्रशिक्षण महानिदेशक के रूप में, इन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम एक्साइज एण्ड नारकोटिक्स (एन ए सी ई एन) को, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए, विश्व सीमा-शुल्क

संगठन का प्रशिक्षण संस्थान बनने में मदद देकर इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। भारतीय सीमा-शुल्क अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करके, ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करने में सीमा-शुल्क विभाग को उसकी भूमिका से अवगत कराया।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके, एन ए सी ई एन को, ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों की तस्करी तथा पर्यावरण संबंधी अन्य अपराधों को नियंत्रित करने के लिए इस क्षेत्र के सीमा-शुल्क अधिकारियों को, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षित करने वाली एकमात्र प्रशिक्षण अकादमी बनाने में सहायक हुई।

सेवा के विशिष्ट कीर्तिमान के लिए वर्ष, 2000 में राष्ट्रपति पुरस्कार पाया। मानित सेवानिवृत्ति के समय, सीमा-शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में वरिष्ठतम महिला अधिकारी थीं।

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त प्रथम भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी तथा 30 सितम्बर, 2004 से संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य बनने वाली प्रथम मुस्लिम महिला।

श्री के. रॉय पॉल

श्री के. रॉय पॉल, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) ने केरल विश्वविद्यालय से बी.एससी. (इंजीनियरिंग) की; हेलसिंकी स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से ट्रेड प्रमोशन में डिप्लोमा तथा वर्ल्ड ट्रेड इंस्टिट्यूट, न्यूयॉर्क से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री डिवेलपमेंट एंड ट्रेड प्रमोशन में डिप्लोमा प्राप्त किया। आप 1967 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए और आपको बिहार संवर्ग आबंटित किया गया। अपनी 37 वर्षों की सरकारी सेवा के दौरान, आपने बिहार सरकार और भारत सरकार में अनेक महत्वपूर्ण एवं दायित्वपूर्ण कार्यकारी पदों पर कार्य किया।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में (अगस्त, 1989 से अक्टूबर, 1994), आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी को बाधा मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1991 में नई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर नीति के निरूपण कार्य से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे, जिसने भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि की नींव डाली।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में अपर सचिव (मई, 1997 से जनवरी, 2001) एवं विशेष सचिव (फरवरी, 2001 से फरवरी, 2002) के रूप में आपने विभिन्न प्रकार की

परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय निर्बाधता की एक पारदर्शी एवं उद्देश्यपूर्ण प्रणाली तैयार की।

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय (मार्च, 2002 से जून, 2004) के रूप में, भारतीय नागर विमानन क्षेत्र का खाका तैयार करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन करने और नागर विमानन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नीतिगत ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में अन्य कदम उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आपने कंपनी का भाग्य ही बदल दिया। बंगलौर और हैदराबाद तथा अन्य स्थानों पर नए ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए आपने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया को सक्रिय दिशा प्रदान की।

सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् आपको देश में विमानपत्तन आधारभूत संरचना को सुधारने के उपाय सुझाने वाली समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सरकार ने रॉय पॉल समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया और अब इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में 18 मई, 2005 को शपथ ग्रहण की।

प्रो. के.एस. चलम्

प्रो. के.एस. चलम् एक राजनैतिक अर्थशास्त्री हैं। आप अर्थशास्त्र के व्याख्याता, रीडर और प्रोफेसर के रूप में 30 वर्षों से अधिक समय तक आंध्र विश्वविद्यालय में रहे। आप 1987 में देश के पहले ऐकॅडेमिक स्टाफ कॉलेज, आंध्र विश्वविद्यालय के संस्थापक निदेशक थे। आप 1996 में आंध्र प्रदेश इकनॉमिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रहे। आप इंडियन पॉलिटिकल इकनॉमी एसोसिएशन के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक हैं।

आपने 2005 में द्रविड़ विश्वविद्यालय, कुप्पम्, आंध्र प्रदेश के कुलपति के रूप में कार्य किया। आप 2002-2004 के दौरान योजना बोर्ड, मध्य प्रदेश सरकार के सदस्य रहे। 1997-98 के दौरान, स्वामी रामानंद तीर्थ रूरल इंस्टिट्यूट, पोचम्पल्ली, हैदराबाद के निदेशक के रूप में आपका कार्यकाल उल्लेखनीय रहा।

आपने अब तक अंग्रेजी में 20 और तेलुगु में 5 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। आपके लगभग 85 शोध-पत्र अग्रणी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए और आपने तेलुगु में 100 से अधिक संपादकीय पृष्ठ लेख लिखे हैं। आपकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं – 1. फाईनैसिस, कॉस्ट्स एंड प्रॉडक्टिविटी ऑफ हायर एजुकेशन; 2. एजुकेशन एंड वीकर सेक्शन; 3. परफॉर्मंस ऑफ ऐकॅडेमिक स्टाफ कालेजिज़ इन इंडिया; 4. रीडिंग्स इन पॉलिटिकल इकनॉमी;

5. ह्यूमन डिवेलपमेंट इन साउथ : द द्रविड़ियन मार्चल; 6. कास्ट बेस्ड रिज़र्वेशंस एंड ह्यूमन डिवेलपमेंट इन इंडिया; और 7. पॉलिटिकल इकनॉमी ऑफ अंडर डिवेलपमेंट इन कलिंगघा। ये पुस्तकें भारत के अग्रणी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, आप त्रैमासिक पत्रिका "साउथ इंडिया जर्नल ऑफ सोशल साइंसिस" के संस्थापक सम्पादक के रूप में संपादन कार्य भी कर रहे हैं। आपकी अंतरविषयक अध्ययनों में रुचि है और आप आई सी पी आर, यू जी सी, एन सी आर आई आदि की अनुसंधान सलाहकार समिति में हैं।

आपने 10 पीएच. डी शोधकर्ताओं और 4 एम.फिल. शिक्षार्थियों का सफलतापूर्वक पर्यवेक्षण किया है। आपने यू जी सी, आंध्र सरकार, डी पी ई पी, आदि द्वारा प्रवर्तित 10 अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन किया है। प्रो. चलम् ने 8 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है। आपने तेहरान, काठमांडु, काहिरा और डर्बन में नस्लवाद पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भी भाग लिया है। आपने शैक्षिक उद्देश्यों से लगभग 15 देशों की यात्रा की है।

आप वर्तमान में सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग हैं (1 जून, 2005 से सं.लो.से.आ. में कार्यभार ग्रहण किया)। आप आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में पाठपट्टनम् से हैं।

प्रो. ई.बालागुरुसामी

प्रो. ई.बालागुरुसामी वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के सदस्य हैं। इससे पहले आप अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई के कुलपति थे, जो निरपवाद रूप से भारत का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय है (इसके शैक्षिक मार्गदर्शन के तहत 245 से अधिक इंजीनियरी संस्थान हैं)। इन्होंने इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एम.ई. (ऑनर्स) और सिस्टम्स इंजीनियरिंग में पीएच.डी – दोनों ही डिग्रियां आई आई टी, रुड़की से प्राप्त की हैं। ये इंस्टिट्यूशन ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स और इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के फैलो भी हैं।

इन्होंने अपने समस्त विविध प्रयासों द्वारा पिछले तीन दशकों में देश में तकनीकी शिक्षा, विशेषतः कम्प्यूटर शिक्षा एवं प्रशिक्षण के संवर्धन में अपने आपको समर्पित किया है। इनकी पूर्व नियुक्तियों में बी एच ई एल, एच सी एल, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल, लोक उद्यम संस्थान, हैदराबाद, पी एस जी प्रबंधन संस्थान, कोयम्बटूर एवं महावीर एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसिस, बंगलुरु में प्रतिष्ठित पद शामिल हैं।

ई.बी.जी., जैसा कि इन्हें स्नेहपूर्वक पुकारा जाता है, दस वर्ष तक आंध्र प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार रहे। इन्होंने आई.टी. को व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए एक साधन माना। एक सलाहकार के रूप में, 1980 तथा 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों के दौरान, इन्होंने आंध्र प्रदेश के प्रमुख नगरों में सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करके कम्प्यूटर शिक्षा को ग्रामीण जनता तक पहुंचाया। इन्होंने सरकारी प्रशासन तथा सार्वजनिक उपक्रमों में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को कार्यान्वित करने के लिए भी कई कदम उठाए।

इन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में, पंजाब और राजस्थान सरकार के परामर्शदाता के रूप में भी कार्य किया।

ई.बी.जी. को एक सृजक एवं संस्थान निर्माता के रूप में माना जाता है। इन्होंने बहुत सी संस्थाओं तथा कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना की है और ये भारत तथा विदेशों के कई विश्वविद्यालयों तथा संगठनों के बोर्डों के सदस्य हैं। ये एन आई आई टी लिमिटेड तथा आंध्र प्रदेश टेक्नोलॉजिकल सर्विसिस लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। इन्होंने वर्ष 1991 से 2005 तक यूनाइटेड नेशन्स इंडस्ट्रियल डिवलपमेंट आर्गनाइजेशन ऑन 'एक्सपर्ट सिस्टम्स' के सलाहकार के रूप में कार्य किया।

ये एक ऐसे सृजक लेखक हैं, जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटर विषयों पर 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से कई पुस्तकें पूरे भारत के विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में पाठ्यपुस्तकों के रूप में शामिल की गई हैं। अपनी अनोखी एवं विलक्षण शिक्षण पद्धति एवं सरल लेखन कला के कारण इनकी पुस्तकें विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में समान रूप से बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्हें एशिया का प्रोग्रामिंग संबंधी अग्रणी लेखक समझा जाता है।

नवीनता उनके जीवन की शैली है। वे अलग कार्य करने में नहीं, बल्कि कार्यों को अलग ढंग से करने में विश्वास रखते हैं। अपने समस्त लेखन कार्य में, उन्होंने तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा देने के लिए नए दृष्टिकोण, नई प्रणालियाँ तथा नए चिंतन प्रवर्तित किए हैं। इन्होंने (आई आई टी, रुड़की से) 14 महीने के रिकॉर्ड समय में रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग विषय पर (जब यह विषय अपनी प्रारम्भिक अवस्था में था) अभिनव एवं अग्रणी कार्य करके पीएच.डी की डिग्री प्राप्त की।

प्रो. बालागुरुसामी को उनके इस चिंतन कि "दक्षता आधारित शिक्षण, शिक्षण में दक्ष लोगों से आरंभ होता है" के लिए जाना जाता है। वे एक सच्चे देशभक्त हैं, इनका कहना है कि भारतीय उद्योग और अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता

करने के लिए हमारी आई.टी. प्रतिभा को देश में ही रोके रखा जाना चाहिए। ये सदैव तकनीकी शिक्षा में नीति परक और मूल्य आधारित दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए उत्सुक रहे हैं और एक आदर्श जीवन जीकर, वे आने वाली पीढ़ी में ये गुण (कथनी अनुसार करनी) अन्तर्निवेशित कर रहे हैं।

आप एक लोकोपकारी व्यक्ति हैं और समाज के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की सेवा करने के लिए आपने ई.बी.जी. फाउंडेशन नामक चेरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। युवा विद्यार्थियों में से प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें पुरस्कृत करना इस फाउंडेशन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

इन्हें कई पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है जैसे कि-चांसलर्स बेस्ट पी जी स्टुडेंट अवार्ड (1974), खोसला रिसर्च अवार्ड (1975), विशिष्ट नेतृत्व पुरस्कार (1988), मैन ऑफ द इयर अवार्ड (1992), विशिष्ट पी एस जी भूतपूर्व छात्र पुरस्कार (1994), वर्ल्ड लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड (1996), इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का आउटस्टैंडिंग फैलो अवार्ड (1996), ऑथर ऑफ द इयर अवार्ड (1998), राष्ट्रीय एकता पुरस्कार (1999), वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड (2000), भारत निर्माण उत्कृष्टता पुरस्कार (2000), भारत विकास पुरस्कार (2001), फॉर दि सेक ऑफ ऑनर अवार्ड (2002), सेवा रत्न पुरस्कार (2003), वंदे मातरम पुरस्कार (2004), डीड अवार्ड (2004), उच्चतर शिक्षा एवं विकास पुरस्कार (2004), लाइफ अचीवमेंट अवार्ड (2004), वर्ल्ड टेक्नोलॉजी अवार्ड (2004) के लिए नामित किए गए, पदम भूषण पुरस्कार (2004) और (2005) के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा नामित किए गए, अचीवमेंट अवार्ड (2004), डॉ. मेघनाद साहा पुरस्कार (2005) और भारत मेधा फैलोशिप (2005) और विश्व विद्याचार्य, 2007।

उनकी इन उपलब्धियों के सम्मान में, इनका नाम डायरेक्टरी ऑफ इंटरनेशनल हूज़ हू ऑफ इंटिलेक्ट्यूअल्स (यू के) तथा डायरेक्टरी ऑफ डिस्टिग्विशड लीडर्स (यू एस ए) में शामिल किया गया है।

प्रोफेसर बालागुरुसामी ने बैठकों, गोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भारत और विदेशों में दूर-दूर तक यात्रा की है। इनकी व्यावसायिक अभिरुचि के प्रमुख क्षेत्रों में ऑब्जेक्ट-ओरिएण्टेड टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट सिस्टम्स, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ई-बिजनेस, रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट ऑफ चेंज एंड स्ट्रेटिजिक मैनेजमेंट शामिल हैं।

इनकी पत्नी डॉ. बी. सुशीला, मानव संसाधन विकास प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत हैं और ई.बी.जी. को उनके समस्त कार्यों में पूरी तरह सहयोग देती हैं।

श्रीमती शशि उबान त्रिपाठी

श्रीमती शशि उबान त्रिपाठी का जन्म 6 जून, 1947 को नई दिल्ली में हुआ, आपने सीनियर कैम्ब्रिज दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, नई दिल्ली से उत्तीर्ण किया, जहाँ आप हेड गर्ल के पद पर रहीं। आपने अंग्रेजी ऑनर्स में स्नातक डिग्री पटना महिला महाविद्यालय से और एम.ए. (अंग्रेजी) डिग्री भी पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आप बी.ए. और एम.ए., दोनों परीक्षाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए पटना विश्वविद्यालय की स्वर्ण पदक धारक हैं।

श्रीमती त्रिपाठी 1970 में भारतीय विदेश सेवा में आई और एक राजनयिक के तौर पर 37 वर्ष तक भारतीय विदेश सेवा में कार्य किया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कई भारतीय मिशन में अलग-अलग नियुक्तियों पर रहते हुए विभिन्न पदों पर कार्य किया। आपकी तैनाती नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जर्मनी और रूस में हुई। आपने पोलेण्ड में भारत के राजदूत, जिम्बाब्वे में भारत के उच्चायुक्त, न्यूयॉर्क में भारत के महाकांसुल और कनाडा में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया। इस बीच, आपकी तैनाती नई दिल्ली के मुख्यालयों में पहले अवर सचिव के रूप में, तत्पश्चात् भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के उप-महानिदेशक और अंत में, विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) के रूप में हुई।

वर्तमान में, श्रीमती त्रिपाठी 17 मई, 2007 से सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग हैं।

श्रीमती शशि त्रिपाठी अनेकानेक विषयों में रुचि रखती हैं और कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में कुशल हैं। आपका विवाह श्री मणिलाल त्रिपाठी से हुआ है, जो अप्रैल, 2006 में जापान में भारत के राजदूत के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आपकी दो सन्तान हैं।

प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल

(जन्म वर्ष 1955 ग्वालियर, भारत), स्नातक (1974-महाराणी लक्ष्मीबाई कॉलेज, ग्वालियर, मध्य प्रदेश), एम.ए. (राजनीति विज्ञान, 1977-जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश), एम.ए. (हिंदी साहित्य, 1979-जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली), पीएच.डी. (हिंदी साहित्य, 1985, 'कबीर की भक्ति का सामाजिक अभिप्राय'; जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली)।

भूतपूर्व अध्यक्ष, सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; मुख्य सलाहकार, हिंदी पाठ्यपुस्तक (कक्षा VI-XII), एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

(2005-07), प्रोफे. अग्रवाल ने रामजस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया (1982-90), "जिज्ञासा" एक अंतर-विषयक शैक्षिक पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन किया (1983-84), एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में, सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज, जे एन यू में कार्य किया (1990-2003)। प्रोफेसर, हिन्दी साहित्य, सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़ (एस एल एल सी एस), जे एन यू (2003-07)।

फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़, केंब्रिज यूनिवर्सिटी में ब्रिटिश एकेडमी अतिथि प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और वर्ष 2002 में वोल्फसन कॉलेज, केंब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम में फेलो रहे। सेंटर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़, केंब्रिज यूनिवर्सिटी में "आइडेंटिटी डिस्कोर्सेज इन द करंट इंडियन पॉलिटिक्स" विषय पर दो गोष्ठियों का आयोजन किया। मई-जुलाई, 2002 में एल कोलेजियो डी मैक्सिको (नैशनल कॉलेज ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको सिटी) में अतिथि प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। भारतीय जनमानस की संस्कृति और इतिहास से संबंधित विषयों पर चार गोष्ठियों का आयोजन किया। नवम्बर-दिसम्बर, 2004 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के शैक्षिक दौरे के दौरान, प्रोफेसर अग्रवाल ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयार्क; एमोरी यूनिवर्सिटी, एटलांटा; राइस यूनिवर्सिटी, ह्यूस्टन में व्याख्यान दिए। हैले इंस्टिट्यूट ऑफ द एमोरी यूनिवर्सिटी ने उनके सम्मान में मध्याह्न भोजन (लंचीऑन) बैठक का आयोजन किया, जहाँ उन्होंने भारत में चुनाव-पश्चात राजनैतिक परिदृश्य पर चर्चा की।

प्रोफे. अग्रवाल ने वर्ष 1996 में "तीसरा रुख" के लिए देवी शंकर अवस्थी सम्मान और वर्ष 1997 में "संस्कृति: वर्चस्व और प्रतिरोध" के लिए मुक्तधर पांडे सम्मान प्राप्त किया। प्रोफ. अग्रवाल द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें निम्नलिखित हैं-कबीर : साखी और सबद (विश्लेषणात्मक परिचय सहित कबीर के काव्य का संग्रह), शिवदान सिंह चौहान (साहित्य अकादमी, दिल्ली द्वारा प्रकाशित "मेकर्स ऑफ इंडियन लिटरेचर" शृंखला में एक विनिबंध), मजबूती का नाम महात्मा गाँधी (गाँधी पीस फाउंडेशन, दिल्ली द्वारा आयोजित वार्षिक गाँधी व्याख्यान का प्रकाशित रूपांतर), निज ब्रह्म विचार : धर्म समाज और धर्मतर आध्यात्म (धर्म, आध्यात्मिकता और दर्शन पर निबंध), विचार का अनंत (सैद्धांतिक एवं सांस्कृतिक निबंधों का संग्रह), तीसरा रुख (साहित्यिक एवं सांस्कृतिक निबंधों का संग्रह), संस्कृति: वर्चस्व और प्रतिरोध (सांस्कृतिक एवं राजनैतिक निबंधों का संग्रह), हिन्दी नई चाल में ढली (आधुनिक हिन्दी के विकास क्रम पर पटना; भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय विचार-गोष्ठी की संपादित कार्यवाही)।

प्रोफे. अग्रवाल संस्कृति, साहित्य और सामयिक मामलों के बृहद्-स्तरीय मुद्दों पर लोकप्रिय पत्रिकाओं और शैक्षिक पत्रिकाओं में नियमित रूप से योगदान देते रहे हैं, गत पच्चीस वर्षों में शैक्षिक पत्र-पत्रिकाओं, लोकप्रिय पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों में इनके हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में बहुत से लेख प्रकाशित किए गए हैं। इन्होंने गोष्ठियों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों की समीक्षा की, यथा-स्टडीज़ इन हिस्ट्री, द बुक रिव्यू, बिब्लियो, आलोचना, हंस, कथादेश, वसुधा इत्यादि।

प्रोफेसर अग्रवाल ने कई शैक्षिक, अनुसंधान तथा अध्ययन बोर्डों, देश के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों की प्रबंध परिषद में सदस्य के रूप में कार्य किया। बहुत से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों में इन्होंने कई महत्वपूर्ण भाषण दिए, शोध पत्र प्रस्तुत किए, व्याख्यान दिए, "हिन्दी के विकास" पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के अलावा, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता एवं परामर्शकार, प्रोफेसर अग्रवाल ने अमन ट्रस्ट, दिल्ली की परियोजना "पीसफुल को-ऐक्जिस्टेंस इन साउथ-एशिया" के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य किया (2003-06)। ऑक्सफैम, इंडिया के परामर्शकार के रूप में (1998-2002), इन्होंने हिंसा सुधार एवं प्रशमन परियोजना (वी एम ए पी) के एक भाग के रूप में विद्वानों, रचनाशील कलाकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के इन्टर-फेसेस का आयोजन किया। कबीर संबंधी विद्वानों और कबीर पंथियों के बीच इन्टर-फेसेस और धर्म रहित आध्यात्मिकता पर संवाद तथा सामाजिक पहचान के प्रश्न पर सम्मेलनों का विशेष महत्व है। इनके लेखों को कॉलेज ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको सिटी द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम "पब्लिक इंटीलैक्ट्यूअल्स ऑफ इंडिया" में शामिल किया गया है।

2 जुलाई, 2007 से सदस्य, भारत का संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।

डॉ. के.के. पॉल

पंजाब विश्वविद्यालय से एम.एससी. (ऑनर्स) एवं रसायनविज्ञान में पीएच.डी., डॉ. कृष्ण कांत पॉल 1970 में भारतीय पुलिस सेवा में आए और इन्हें संघ राज्य क्षेत्र (ए जी एम यू टी) संवर्ग आबंटित किया गया। ये पुलिस सेवा में आए प्रथम पीएच.डी. डिग्रीधारकों में से थे। रसायन विज्ञान में इनके अनुसंधान कार्य के संदर्भ में, प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय विज्ञान पत्रिकाओं में इनके 20 से अधिक शोध-पत्र प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने शैक्षिक कार्यों से संबंध बनाए रखा है और सामयिक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर लिखते रहे हैं। इनका एक स्तंभ लेख "ब्रास टैक्स" "दि ट्रिब्यून" में नियमित रूप से प्रकाशित हुआ और व्यापक रूप से पढ़ा गया।

डॉ. कृष्ण कांत पॉल, संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग में रहते हुए अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में तैनात रहे और बाद में अरुणाचल प्रदेश में चीफ ऑफ पुलिस के पद पर रहे। इन्होंने केंद्रीय आसूचना एजेंसियों में भी कार्य किया। दिल्ली में पदस्थापित रहते हुए, इन्होंने शहरी पुलिस व्यवस्था में बृहत् स्तरीय अनुभव प्राप्त किया और कुछ बड़े आयोजनों जैसे, वर्ष 1982 में एशियन गेम्स, बाद में 1983 में नैम (एन ए एम) और सी एच ओ जी एम के संचालन से जुड़े कार्यों में शामिल रहे।

डॉ. पॉल को दिल्ली में पुलिस व्यवस्था में बहुत सी नई प्रौद्योगिकियों को आरम्भ करने और दिल्ली पुलिस को देश के सर्वाधिक आधुनिक पुलिस बलों में से एक बनाने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने पुलिस आयुक्त, दिल्ली के रूप में अब तक का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल पूरा किया और आम जनता के लाभ के लिए कई परिवर्तनकारी कदम उठाए। पुलिस व्यवस्था के सेवा पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए "सिटिजंस फर्स्ट" को मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया गया। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था की पहल को मजबूत आधार प्रदान किया गया, जिसने बल को केवल एक कानून एवं व्यवस्था बल नहीं, बल्कि एक सेवा संगठन होने की ओर अभिमुख किया। इस संदर्भ में पुलिस व्यवस्था संबंधी कई सक्रिय कदम उठाए गए।

आधुनिकीकरण एवं पारदर्शिता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली पुलिस की आर्म्स लाइसेंसिंग शाखा का आधुनिकीकरण किया गया और यह शाखा आई एस ओ प्रमाणन प्राप्त करने में सफल हुई। दिल्ली पुलिस की भर्ती प्रक्रिया का भी मानकीकरण किया गया है और इसने आई एस ओ प्रमाणन भी पाया है। दिल्ली पुलिस की प्रापण शाखा तथा यातायात पुलिस के कुछ खंडों को भी आई एस ओ प्रमाणन प्राप्त करने में सफलता मिली है। सभी पुलिस थानों को रिकार्ड समय में कंप्यूटरीकृत किया गया और नेटवर्क से जोड़ा गया। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का सामना करने के लिए "परिवर्तन" नामक एक विशेष योजना आरंभ की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। इनके कार्यकाल के दौरान दिल्ली पुलिस ने सामुदायिक पुलिस व्यवस्था और कानून प्रवर्तन के लिए प्रतिष्ठित "वेबर सेवी" पुरस्कार भी जीता। आधुनिकीकरण के अन्य प्रयासों में फिंगर प्रिंट्स का कंप्यूटरीकरण और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा तथा यातायात प्रबंधन के लिए सी सी टी वी कैमरों का गहन प्रयोग शामिल था। कंप्यूटर के माध्यम से ट्रैफिक सिग्नलों की नेटवर्किंग का कार्य भी किया गया।

इन्होंने "कठिन सेवा पदकों" के अलावा, सरकार से कई प्रशंसा पत्र एवं सराहना पत्र प्राप्त किए हैं और आन्तरिक सुरक्षा पदक के अतिरिक्त, विशिष्ट सेवाओं के लिए बार सहित राष्ट्रपति पुलिस मेडल और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्राप्त किए हैं।

26 जुलाई, 2007 को सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

लेफ्टि.जन. (सेवानिवृत्त) निर्भय शर्मा

आप भारतीय सेना के सर्वाधिक प्रतिष्ठित और सम्मानित फील्ड कमाण्डरों में से एक हैं। कमाण्ड और स्टाफ संबंधी किए गए अधिकतर कार्य जम्मू और कश्मीर अथवा पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित हैं, अंतिम कार्य कोर कमाण्डर और वर्ष 2003 से 2005 तक जम्मू और कश्मीर सरकार के सुरक्षा सलाहकार के रूप में किया। इस अवधि के दौरान, कश्मीर में चल रही प्रॉक्सि वार को लड़ने में आपका महत्वपूर्ण योगदान सर्वविदित है। सुरक्षा बल के एक लाख से अधिक कर्मियों के आतंकवाद-विरोधी अभियानों का प्रभावशाली ढंग से संचालन और समन्वयन करने के अतिरिक्त, इनमें नियंत्रण रेखा के साथ-साथ घुसपैठ-रोधी अवरोध प्रणाली का निर्माण करने, 'अमन सेतु' के साथ-साथ उड़ी-मुज़फ़्फराबाद प्रारंभिक मार्ग का निर्माण करने और इससे पूर्व 1999 में 'ऑपरेशन विजय' के दौरान एक डिवीजन के आकार का बल तैयार करने का कार्य भी शामिल है और यह सब आपने रिकॉर्ड समय में पूरा किया। आपके नारे "जवान और आवाम अमन है मुकाम" और इसकी वास्तविक अभिव्यक्ति ने, कश्मीर में चल रही शांति प्रक्रिया के प्रति एक नया दृष्टिकोण और गति प्रदान की है।

इन्होंने ढाका में प्रवेश करने वाली भारतीय सेना की प्रथम यूनिट, एयरबॉर्न असॉल्ट ग्रुप के सदस्य के रूप में 1971 में पूर्वी मोर्चे पर युद्ध में भाग लिया। 1980 और 90 के दशकों में, अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर बटालियन की कमान संभालने और भारत-चीन संयुक्त कार्यकारी दल का सदस्य होने के अतिरिक्त, इन्होंने सेना मुख्यालय की ओर से विभिन्न सिविल एजेंसियों, अंतर-मंत्रालयी ग्रुपों तथा विशेषज्ञ प्रतिनिधिमंडलों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह दमन संबंधी सभी कार्रवाइयों का समन्वयन भी किया। नागा विद्रोहियों के साथ शांति प्रक्रिया भी इसी दौरान आरंभ हुई। इस अवधि के दौरान, उग्रवादी/राष्ट्रविरोधी/आपराधिक/अपहरण जैसी गतिविधियों का सामना करने के लिए प्रभावी सीमा प्रबंधन और संयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए नेपाल, भूटान, म्यांमार और बंगलादेश की सेनाओं और सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ आपसी तालमेल बनाना भी इनके चार्टर का हिस्सा था।

आपने वर्ष 2001 से 2003 तक सेना मुख्यालय में पर्सपैक्टिव प्लानिंग डेस्क का कार्य देखा और सेना मुख्यालय के पुनर्गठन पर हुए एक अध्ययन में मुख्य भूमिका निभाने के साथ-साथ 'आर्मी विज़न 2020' का प्रारूप तैयार करने में सहयोग दिया। अक्टूबर, 2006 में मास्टर जनरल ऑफ

ऑर्डनेंस के रूप में सेवानिवृत्त हुए, जिसमें इनकी ओजस्विता की छाप 12 लाख कर्मियों की उस विशाल भारतीय सेना के उपादान प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत ही स्पष्ट दिखाई देती है, जिसके पास 50,000 करोड़ ₹ की विविध और महत्वपूर्ण आयुध सामग्री है और जिसका वार्षिक राजस्व बजट 6000 करोड़ ₹ का है।

7 मई, 2008 से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं।

श्री इदरीस मुहम्मद गनी खान

इनका जन्म 2 जुलाई, 1948 को रामपुर, उ.प्र. में हुआ। ला मार्टिनियर कॉलेज, लखनऊ और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जहां से इन्होंने एम.एससी. (भूविज्ञान) की, के भूतपूर्व छात्र हैं। भारतीय तेल निगम में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में संक्षिप्त कार्यकाल के बाद, 1970 में भारतीय डाक सेवा (ग्रुप 'क') में आए और इन्हें देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग हैसियत से डाक विभाग के सभी सोपानिक स्तरों पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। अन्य विभागों और संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर भी कार्य किया, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी (उपनिदेशक, वरिष्ठ के रूप में), संघ लोक सेवा आयोग (अपर सचिव के रूप में) और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (अपर सचिव के रूप में) में कार्य करना शामिल है। संघ लोक सेवा आयोग में रहते हुए आपने प्रो. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में सिविल सेवा परीक्षा सुधार समिति के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य किया और परीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन और सुधार लाने के लिए भी कार्य किया, जिसे सामूहिक रूप से "सम्पेरा" योजना के रूप में जाना जाता है।

इन्हें 1 जनवरी, 2007 को सचिव डाक विभाग, महानिदेशक (डाक) और अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया और प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन, विकास और व्यापार अभिमुखीकरण द्वारा विभाग का कायापलट करने की सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण अवस्था में विभाग का परिचालन करने का कार्य सौंपा गया। 9 जून, 2008 को सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री प्रशांत कुमार मिश्रा

अठामलिक गांव (उड़ीसा) के निवासी श्री प्रशांत कुमार मिश्रा ने अपनी हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रामीण परिवेश में प्राप्त की। ये अपने पूरे शैक्षणिक कैरियर में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्र थे। इन्होंने उड़ीसा की सबसे प्रतिष्ठित संस्था, रेवेनशा कॉलेज, कटक से राजनीति विज्ञान (ऑनर्स) से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वानी विहार, उत्कल विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री करते समय, इनका चयन पहले

एलाइड सर्विस (भारतीय रेलवे यातायात सेवा) में और उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ।

वर्ष 1972 में भा.प्र.से. में चयन के बाद से, ये उत्तर प्रदेश राज्य और भारत सरकार, दोनों में ही, कई प्रमुख पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में, इन्होंने जिला मजिस्ट्रेट, आयुक्त (व्यापार कर) और संस्थागत वित्त, पंचायत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सहकारिता विभाग आदि विभागों में सचिव तथा मुख्य कार्यपालक, नोएडा और आयुक्त, मेरठ प्रभाग के रूप में कार्य किया। इन्होंने प्रधान सचिव, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के रूप में और प्रधान सचिव एवं आयुक्त, कल्याण, उ.प्र. के रूप में कार्य किया।

भारत सरकार के स्तर पर, इन्होंने निदेशक, युवा मामले, महानिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, प्रबंध निदेशक, एन.सी.डी.सी., अध्यक्ष, इंडिया पोटाश लि., इफको, कृभको और केन्द्रीय मालगोदाम निगम के बोर्ड में निदेशक, अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय, अपर सचिव-विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और संस्कृति विभाग, इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया, होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और आई टी डी सी के बोर्ड में निदेशक, सचिव, संसदीय कार्य और सचिव, राजभाषा के पदों पर कार्य किया।

अगस्त, 2008 में सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, जुलाई, 2007 से मई, 2008 तक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में कार्य किया।

एक अधिकारी के रूप में इनकी विभिन्न उपलब्धियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

लघु बचत जुटाने के लिए श्रेष्ठ जिला मजिस्ट्रेट और श्रेष्ठ आयुक्त का अवार्ड प्राप्त किया।

प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन सी डी सी) के रूप में कार्य करने के दौरान, विकास ऋण के वितरण और लाभ में कई गुणा वृद्धि हुई।

इंडिया पोटाश लि. के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल के दौरान, घाटे में चल रही इस संस्था ने लाभ कमाने वाली संस्था के रूप में वापसी की।

नवम्बर, 1999 से सितम्बर, 2001 तक एफ ए ओ के एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में कृषि सहकारिता के विकास के क्षेत्रीय नेटवर्क (एन ई डी ए सी) के अध्यक्ष रहे और 2001 से 2003 तक एन ई डी ए सी (एफ ए ओ) के सह-अध्यक्ष के पद पर रहे।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में नवीन कार्य किए।

आपने दैनिक जीवन में नैतिक मूल्यों के महत्व और मनुष्य के स्वयं में एकीकार होने की दिशा में संभावित विकास को उजागर करते हुए, वर्ष 1996 में "एक दृष्टिकोण" नामक पुस्तक लिखी।

अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय कार्यशालाओं और संगोष्ठियों में विभिन्न शोध पत्र प्रस्तुत किए।

भा.प्र.से. में अपने 36 वर्षों के लम्बे कार्यकाल में, इन्होंने राष्ट्र के लिए पूरी सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से कार्य किया।

परिशिष्ट II

(देखिए अध्याय 3, 4 एवं 6)

आयोग द्वारा की गई सिफारिशें—उम्मीदवारों/अधिकारियों
की उपयुक्तता से संबंधित

क्र. सं.	विवरण	पदों/उम्मीदवारों की संख्या को अंतिम रूप दिया गया		विचलन प्रतिशतता
		2008-09	2007-08	
1.	साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती	1,016	509	+ 99.61 %
	क) इंजीनियरी पद	317	78	+ 306.41 %
	ख) चिकित्सा पद	203	304	- 33.22 %
	ग) वैज्ञानिक तथा तकनीकी पद	209	65	+ 221.54 %
	घ) गैर-तकनीकी पद	287	62	+ 362.90 %
2.	परीक्षा द्वारा भर्ती	4104	# 2889	+ 42.05 %
	क) सिविल पद/सेवाएं	2567	1466	+ 75.10 %
	ख) रक्षा सेवाएं	1537	1423	+ 8.01 %
3.	नियमन/उन्नयन द्वारा नियुक्तियां	142	8	+1675 %

टिप्पणी : उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस वर्ष 51 उम्मीदवारों को 24 जुलाई, 2008 को जारी आरक्षित सूची द्वारा केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2006 में अनुशंसित किया गया और 54 उम्मीदवारों को 19 अगस्त, 2008 को जारी आरक्षित सूची द्वारा इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2006 में अनुशंसित किया गया।

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2006 में अनुशंसित एक अ.पि.व. उम्मीदवार को रेल मंत्रालय द्वारा चिकित्सकीय रूप से अयोग्य सूचित किया गया।

परिशिष्ट III

(देखिए अध्याय 11)

आयोग द्वारा की गई सिफारिशें—भर्ती नियमों,
सेवा मामलों आदि से संबंधित

क्र. सं.	विवरण	मामलों की संख्या		विचलन प्रतिशतता
		2008-09	2007-08	
1.	सेवा मामले	5	25	- 80 %
2.	वरिष्ठता का निर्धारण (मामलों की संख्या)	6	4	+ 50 %

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

परिशिष्ट IV

(देखिए अध्याय 1 एवं 3)

परीक्षाओं द्वारा भर्ती-वर्ष 2008-09 के दौरान सिविल पदों / सेवाओं के लिए की गई सिफारिशों का विवरण

विवरण	पदों की संख्या	उम्मीदवारों की संख्या			अनुशंसित	आर. पी. आर.
		आवेदन किया	परीक्षा में बैठे	साक्षात्कार किया गया		
(क) वर्ष के दौरान आयोजित की गई परीक्षाएं						
सिविल सेवा (प्रा.) परीक्षा, 2008	-	3,25,433	1,67,035	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2008	-	11,669	11,330	-	-	-
भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008	85	32,872	7,659	230	£84	0.99
इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2008	-	65,156	21,753	-	-	-
भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2008	-	3,958	-	-	-	-
भूविज्ञानी परीक्षा, 2008	-	3,359	1,553	-	-	-
केंद्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2008	-	68,088	38,106	-	-	-
सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2009	-	29,096	-	-	-	-
(ख) पिछले वर्षों में आयोजित परीक्षाओं के आधार पर वर्ष के दौरान घोषित परिणाम						
सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2007	734	9,158 *	8,886 *	1,883	638 \$	0.87
भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007	40	31,887 *	7,696 *	128 *	40	1.00
इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2007	352	53,711 *	17,239 *	943	304 \$	0.86
भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2007	33	4,038 *	1,077 *	65	29 @	0.88
भूविज्ञानी परीक्षा, 2007	175	2,687 *	987	523	175	1.00
केंद्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2007	413	74,368 *	41,130 *	924	366 \$#	0.89
सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2008	615	25,519 *	14,775	1,537	556 \$	0.90
अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख' / ग्रेड-1) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2005	576	1,851 *	1,266 *	740	375 @	0.65
कुल	3,023	5,39,631	2,63,198	6,845	2,567	0.85

ला.न. लागू नहीं।

-- सूचना अभी उपलब्ध नहीं।

£ एक उम्मीदवार का परिणाम रोक लिया गया।

* सूचना पिछली रिपोर्ट में पहले ही दे दी गई है, जोड़ में आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया है।

\$ आरक्षित सूची अभी जारी की जानी है, रिक्त पद आरक्षित सूची से भरे जाएंगे।

@ काफी उम्मीदवार निर्धारित मानदंड प्राप्त नहीं कर सके।

08 पद रिक्त रहे, क्योंकि जो उम्मीदवार अनुशंसा क्षेत्र में आते थे और जिन्हें अयोग्य या अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित किया गया था, पुनः स्वास्थ्य परीक्षा में सफल घोषित नहीं किए गए। अनुशंसित किए गए 02 कम उम्मीदवारों को भी आरक्षित सूची के जरिए 37 उम्मीदवारों के साथ अनुशंसित किया जाएगा।

परिशिष्ट V

(देखिए अध्याय 1 एवं 3)

परीक्षाओं द्वारा भर्ती-वर्ष 2008-09 के दौरान रक्षा पदों / सेवाओं के लिए की गई सिफारिशों का विवरण

विवरण	पदों की संख्या	उम्मीदवारों की संख्या			अनुशंसित \$	आर. पी. आर.
		आवेदन किया	परीक्षा में बैठे	साक्षात्कार किया गया		
(क) वर्ष के दौरान आयोजित की गई परीक्षाएं						
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी परीक्षा (I), 2008	335	177922	88676	3480	456	1.36
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी परीक्षा (II), 2008	-	106346	46010	-	-	-
सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, (II), 2008	-	53794	30945	-	-	-
सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, (I), 2009	-	63824	-	-	-	-
(ख) पिछले वर्षों में आयोजित परीक्षाओं के आधार पर वर्ष के दौरान घोषित परिणाम						
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी परीक्षा, (II), 2007	335	105291 *	48810 *	3626	292	0.87
सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, (II), 2007	527	53868 *	30272 *	9320	448	0.85
सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, (I), 2008	512	51002 *	29352	5618	341	0.67
कुल	1709	401886	194983	22044	1537	0.90

-- सूचना अभी उपलब्ध नहीं।

* सूचना पिछली रिपोर्ट में पहले ही दे दी गई है, जोड़ में आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया है।

\$ वास्तविक अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या।

परिशिष्ट VI (देखिए अध्याय 3)
आयोग द्वारा वर्ष 2008-2009 के दौरान आयोजित परीक्षाएं

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	आवेदकों की संख्या				वास्तव में परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या				उन उम्मीदवारों की संख्या जिनके साक्षात्कार किए गए/सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया गया				नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या			
			कुल	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व	कुल	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व	कुल	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व	कुल	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	सिविल सेवा (प्रा.) परीक्षा 2008*	--	325433	88853	35312	95882	167035	44444	16742	51891	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
2.	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2008	--	11669	1826	840	4432	11330	1761	795	4309	--	--	--	--	--	--	--	--
3.	भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008	85	32872	8161	3992	8680	7659	1634	836	2280	230	36	17	89	\$84	14	06	33
4.	इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2008	--	65156	13421	4631	18917	21753	4030	1583	6642	--	--	--	--	--	--	--	--
5.	भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2008	--	3958	668	285	1005	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6.	भूविज्ञानी परीक्षा, 2008	--	3359	594	228	998	1553	262	96	450	--	--	--	--	--	--	--	--
7.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना	335	177922	20382	5039	58517	88676	8379	2420	28984	3480	151	16	739	456	15	2	67

संघ लोक सेवा आयोग

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	आवेदकों की संख्या				वास्तव में परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या				उन उम्मीदवारों की संख्या जिनके साक्षात्कार किए गए/सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया गया				नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या			
			कुल	अ.जा	अ.ज.जा	अ.पि.व	कुल	अ.जा	अ.ज.जा	अ.पि.व	कुल	अ.जा	अ.ज.जा	अ.पि.व	कुल	अ.जा	अ.ज.जा	अ.पि.व
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	अकादमी परीक्षा, (I), 2008																	
8.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी परीक्षा, (II), 2008	--	106346	11055	2879	32923	46010	3884	927	13902	--	--	--	--	--	--	--	--
9.	सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, (II), 2008	--	53794	5613	2378	12397	30945	2546	1115	7168	--	--	--	--	--	--	--	--
10.	सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, (I), 2009	--	63824	6960	2522	15961	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11.	सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2009	--	29096	4449	1940	8452	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12.	केंद्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2008	--	68088	12519	8193	21145	38106	6095	4077	12628	--	--	--	--	--	--	--	--
	कुल	420	941517	174501	68239	279309	413067	73035	28591	128254	3710	187	33	828	540	29	08	100

* अभ्यक्तियां : सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2008 के लिए 11,849 उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त की।

-- सूचना इस समय उपलब्ध नहीं।

ला.न. लागू नहीं।

\$ एक उम्मीदवार का परिणाम रोक लिया गया।

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

परिशिष्ट VII (देखिए अध्याय 3)

आयोग द्वारा वर्ष 2007-2008 के दौरान आयोजित की गई, लेकिन 2008-2009 के दौरान पूरी की गई/अंतिम रूप दी गई परीक्षाएं

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	आवेदकों की संख्या				वास्तव में परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या				उन उम्मीदवारों की संख्या जिनके साक्षात्कार किए गए/सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया गया				नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या			
			कुल	अ.जा	अ.ज.जा	अ.पि.व	कुल	अ.जा	अ.ज.जा	अ.पि.व	कुल	अ.जा	अ.ज.जा	अ.पि.व	कुल	अ.जा	अ.ज.जा	अ.पि.व
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2007	734	9158*	1409*	780*	3438*	8886*	1362*\$	740*\$	3327*\$	1883	295	135	654	638	109	53	190
2.	भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007	40	31887*	8244*£	3520*£	8420*£	7696*	1757*	798*	2204*	128*	19*	09*	49*	40	06	03	15
3.	इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2007	352	53711*	11583*	4013*	14831*	17239*	3522*	1259*	5109*\$	943	159	72	327	304	52	24	89
4.	भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2007	33	4038*	725*	294*	931*	1077*	164*	55*	254*	65	07	02	25	29	03	01	12
5.	भूविज्ञानी परीक्षा, 2007	175	2687*	453*	167*	717*	987	179	67	304	523	111	46	215	175	38	15	63
6.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी परीक्षा, (II), 2007	335	105291*	11206*	2680*	32637*	48810*	4390*	959*	14593*	3626	153	26	739	292	19	06	65

संघ लोक सेवा आयोग

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	आवेदकों की संख्या				वास्तव में परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या				उन उम्मीदवारों की संख्या जिनके साक्षात्कार किए गए/सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया गया				नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या			
			कुल	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व	कुल	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व	कुल	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व	कुल	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.	सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, (II), 2007	527	53868*	5880*	2340*	11874*	30272*	2551*	1108*	6657*	9320	404	266	1761	448	12	09	57
8.	सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, (I), 2008	512	51002*	5934*	2097*	11891*	29352	2733	969	6905	5618	222	124	1130	341	06	08	44
9.	सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2008	615	25519*	4108*	1685*	7413*	14775	2242	961	4523	1537	192	105	579	556	89	45	169
10.	केंद्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2007	413	74368*	13225*	8467*	22959*	41130*	6028*	4236*	13488*	924	85	55	375	366	54	29	111
11.	अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2005 @@@	576	1851*	265*	55*	ला.न.	1266*	168*	35*	ला.न.	740	81	21	ला.न.	375	31	20	ला.न.
	कुल	4312	413380*	63032*	26098*	115111*	45114	5154	1997	11732	25179	1709	852	5805	3564	419	213	815

*\$ आंकड़ों में परिवर्तन परीक्षा में शामिल होने के बाद उम्मीदवारों के समुदाय में परिवर्तन के कारण हुए हैं।

* आंकड़े पहले ही पिछली रिपोर्ट में प्रस्तुत कर दिए गए थे और उन्हें योग में शामिल नहीं किया गया है।

*£ आंकड़ों में परिवर्तन, प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों के आंकड़े अनजाने में पिछली रिपोर्ट में सूचित किए जाने के कारण है।

@@@ 2006-2007 में आयोजित की गई और 2008-2009 में पूरी की गई परीक्षा।

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

परिशिष्ट VIII

(देखिए अध्याय 4)

साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती-वर्ष 2008-09 के दौरान उन मामलों / पदों की संख्या की स्थिति एक नज़र में, जिनके लिए अधियाचनाएं प्राप्त हुई तथा अनुशंसा की गई

क्र. सं.	विवरण	2007-08		2008-09	
		मामलों की सं.	पदों की सं.	मामलों की सं.	पदों की सं.
1.	पिछले वर्ष से आगे लाए गए शेष मामले	240	1,492	202	1,264
2.	प्राप्त की गई नई अधियाचनाएं	389	1,551	385	1,743
3.	आरंभ की गई भर्ती कार्रवाई (1 + 2)	629	3,043	587	3,007
4.	मंत्रालयों/विभागों को स्पष्टीकरण के लिए लौटाई गई अधियाचनाएं	230	968	88	393
5.	जिनके लिए विज्ञापन जारी किया गया	142	506	293	1,247
6.	विज्ञापन जारी किए जाने के बाद रद्द की गई अधियाचनाएं	36	302	24	100
7.	कार्रवाई के लिए प्रभावी मामले/पद (3-4-6)	363	1,773	475	2,514
8.	अनुशंसाएं की गई	161	509 (418 उम्मीदवार)	247	1,016 (865 उम्मीदवार)
9.	उन पदों की संख्या, जिनके लिए आवेदनकर्ता उम्मीदवारों में से कोई उपयुक्त नहीं पाया गया	-	91	-	151
10.	वर्ष के अंत में लंबित भर्ती कार्रवाई (7-8)	202	1,264	228	1,498

परिशिष्ट IX

(देखिए अध्याय 3)

वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित की गई परीक्षाओं के अंतर्गत आने वाली सेवाएं

1. सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2008

निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती हेतु —

- i) भारतीय प्रशासनिक सेवा।
- ii) भारतीय विदेश सेवा।
- iii) भारतीय पुलिस सेवा।
- iv) भारतीय डाक और तार लेखा एवं वित्त सेवा, ग्रुप 'क'।
- v) भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा, ग्रुप 'क'।
- vi) भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क), ग्रुप 'क'।
- vii) भारतीय रक्षा लेखा सेवा, ग्रुप 'क'।
- viii) भारतीय राजस्व सेवा (आयकर), ग्रुप 'क'।
- ix) भारतीय आयुध कारखाना सेवा, ग्रुप 'क' (सहायक कार्य प्रबंधक, गैर-तकनीकी)।
- x) भारतीय डाक सेवा, ग्रुप 'क'।
- xi) भारतीय सिविल लेखा सेवा, ग्रुप 'क'।
- xii) भारतीय रेल यातायात सेवा, ग्रुप 'क'।
- xiii) भारतीय रेल लेखा सेवा, ग्रुप 'क'।
- xiv) भारतीय रेल कार्मिक सेवा, ग्रुप 'क'।
- xv) रेलवे सुरक्षा बल में सहायक सुरक्षा अधिकारी का पद, ग्रुप 'क'।
- xvi) भारतीय रक्षा संपदा सेवा, ग्रुप 'क'।
- xvii) भारतीय सूचना सेवा, (कनिष्ठ ग्रेड), ग्रुप 'क'।
- xviii) भारतीय व्यापार सेवा, ग्रुप 'क' (ग्रेड-III)।
- xix) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, ग्रुप 'ख' (अनुभाग अधिकारी ग्रेड)।
- xx) दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा तथा नगर हवेली सिविल सेवा, ग्रुप 'ख'।

xxi) दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा तथा नगर हवेली पुलिस सेवा, ग्रुप 'ख'।

xxii) पांडिचेरी पुलिस सेवा, ग्रुप 'ख'।

2. इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2008

निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा —

वर्ग I — सिविल इंजीनियरी :

ग्रुप 'क' सेवा/पद :

- i) भारतीय इंजीनियर रेल सेवा।
- ii) भारतीय रेल भंडार सेवा (सिविल इंजीनियरी पद)।
- iii) केंद्रीय इंजीनियरी सेवा।
- iv) भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा (सिविल इंजीनियरी पद)।
- v) केंद्रीय जल इंजीनियरी ग्रुप 'क' (सिविल इंजीनियरी पद)।
- vi) केंद्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) ग्रुप 'क' (सिविल इंजीनियरी पद)।
- vii) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल इंजीनियरी पद), सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'।
- viii) भारतीय सर्वेक्षण सेवा, ग्रुप 'क' (सिविल इंजीनियरी पद)।
- ix) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल), डाक एवं तार भवन निर्माण ग्रुप (क) सेवा।

वर्ग II — यांत्रिक इंजीनियरी :

ग्रुप 'क' सेवा/पद :

- i) भारतीय यांत्रिक इंजीनियर रेल सेवा।
- ii) भारतीय रेल भंडार सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।
- iii) केंद्रीय जल इंजीनियरी ग्रुप 'क' सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।
- iv) केंद्रीय विद्युत इंजीनियरों सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

- v) भारतीय आयुध कारखाना सेवा (इंजीनियरी शाखा)(यांत्रिक इंजीनियरी पद)।
- vi) भारतीय नौ सेना शस्त्रीकरण सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।
- vii) सहायक कार्यपालक इंजीनियर ग्रुप 'क' (यांत्रिक इंजीनियरी पद), ई.एम.ई.कोर, रक्षा मंत्रालय।
- viii) सहायक नौ सेना भंडार अधिकारी ग्रेड-I (यांत्रिक इंजीनियरी पद), भारतीय नौ सेना।
- ix) केंद्रीय वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।
- x) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (वैद्युत एवं यांत्रिक) (यांत्रिक इंजीनियरी पद), सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा, ग्रुप 'क'।
- xi) ड्रिलिंग इंजीनियर (कनिष्ठ) ग्रुप 'क', भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण।
- xii) भारतीय निरीक्षण सेवा, ग्रुप 'क' (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।
- xiii) भारतीय आपूर्ति सेवा, ग्रुप 'क' (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।
- xiv) भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

वर्ग III – वैद्युत इंजीनियरी :
ग्रुप 'क' सेवा/पद :

- i) भारतीय वैद्युत इंजीनियर रेल सेवा।
- ii) भारतीय रेल भंडार सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद)।
- iii) केंद्रीय वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद)।
- iv) भारतीय नौ सेना शस्त्रीकरण सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद)।
- v) केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद)।
- vi) भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद)।
- vii) सहायक कार्यपालक इंजीनियर ग्रुप 'क' (वैद्युत इंजीनियरी पद), ई.एम.ई. कोर, रक्षा मंत्रालय।

- viii) सहायक नौ सेना भंडार अधिकारी, ग्रेड-I (वैद्युत इंजीनियरी पद), भारतीय नौ सेना।
- ix) भारतीय निरीक्षण सेवा, ग्रुप 'क' (वैद्युत इंजीनियरी पद)।
- x) भारतीय आपूर्ति सेवा, ग्रुप 'क' (वैद्युत इंजीनियरी पद)।

वर्ग IV – इलैक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियरी :
ग्रुप 'क' सेवा/पद :

- i) भारतीय रेल सेवा सिगनल इंजीनियर।
- ii) भारतीय रेल भंडार सेवा (दूरसंचार/इलैक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी पद)।
- iii) भारतीय आयुध कारखाना सेवा (इंजीनियरी शाखा) (इलैक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी पद)।
- iv) भारतीय नौ सेना शस्त्रीकरण सेवा (इलैक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी पद)।
- v) केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा (इलैक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी पद)।
- vi) सहायक कार्यपालक इंजीनियर ग्रुप 'क' (इलैक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी पद), ई.एम.ई. कोर, रक्षा मंत्रालय।
- vii) इंजीनियर (जी.सी.एस.-ग्रेड 'क'), बेतार योजना तथा समन्वय स्कंध/निगरानी संगठन (संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग)।
- viii) सहायक नौ सेना भंडार अधिकारी, ग्रेड-I (इलैक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी पद), भारतीय नौ सेना।
- ix) भारतीय सर्वेक्षण सेवा, ग्रुप 'क' (इलैक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी पद)।
- x) भारतीय निरीक्षण सेवा, ग्रुप 'क' (इलैक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी पद)।
- xi) भारतीय आपूर्ति सेवा, ग्रुप 'क' (इलैक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी पद)।

3. भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008

भारतीय वन सेवा।

4. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी परीक्षा (I) और (II), 2008

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी (कार्यकारी शाखा) पाठ्यक्रम के सेना, नौ सेना तथा वायु सेना स्कंध में प्रवेश हेतु।

5. सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2008 तथा सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2009

निम्नलिखित में प्रवेश हेतु –

- भारतीय सेना अकादमी।
- नौ सेना अकादमी।
- वायु सेना अकादमी।
- अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, अल्पकालिक सेवा कमीशन कोर्स (एस.एस.सी.) (पुरुषों के लिए)
- अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस.एस.सी.) महिला (गैर-तकनीकी) पाठ्यक्रम।

6. केंद्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2008

केन्द्रीय पुलिस बल में सहायक कमांडेंट (ग्रुप 'क') की भर्ती के लिए –

- सीमा सुरक्षा बल।
- सैंट्रल रिज़र्व पुलिस बल।
- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।
- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस।
- सशस्त्र सीमा बल।

7. भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2008

ग्रेड-IV सेवाओं में भर्ती के लिए सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा :

- भारतीय आर्थिक सेवा।
- भारतीय सांख्यिकी सेवा।

8. भूविज्ञानी परीक्षा, 2008

निम्न पदों पर भर्ती के लिए :

श्रेणी - I (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय में पद)

- भूविज्ञानी (कनिष्ठ), ग्रुप 'क'।

श्रेणी - II (केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय में पद)

- कनिष्ठ जल भूविज्ञानी (वैज्ञानिक 'ख'), ग्रुप 'क'।
- सहायक जल भूविज्ञानी, ग्रुप 'ख'।

9. सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2009

सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित परीक्षा :

- सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी, रेलवे।
- सहायक चिकित्सा अधिकारी, भारतीय आयुध कारखाना स्वास्थ्य सेवा।
- कनिष्ठ वेतनमान पद, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा।
- चिकित्सा अधिकारी, दिल्ली नगर निगम।
- सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।

परिशिष्ट X

(देखिए अध्याय 3)

विभिन्न परीक्षाओं के व्यक्तित्व परीक्षण बोर्डों के अध्यक्ष

क. सिविल सेवा (प्र.) परीक्षा, 2007

1. प्रो. डी.पी. अग्रवाल
2. सुश्री परवीन तलहा
3. श्री के. रॉय पॉल
4. प्रो. के. एस. चलम्
5. प्रो. ई. बालागुरुसामी
6. श्रीमती शशि उबान त्रिपाठी
7. प्रो. पुरुषोत्तम अग्रवाल
8. डॉ. के.के. पॉल

ख. भूविज्ञानी परीक्षा, 2007

1. प्रो. के.एस. चलम्
2. प्रो. ई. बालागुरुसामी
3. श्रीमती शशि उबान त्रिपाठी
4. प्रो. पुरुषोत्तम अग्रवाल
5. डॉ. के.के. पॉल
6. लेफ्टि.जन. (से.नि.) निर्भय शर्मा
7. श्री आई.एम.जी. खान

ग. केंद्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2007

1. सुश्री परवीन तलहा
2. श्री के. रॉय पॉल
3. प्रो. के.एस. चलम्
4. प्रो. ई. बालागुरुसामी
5. श्रीमती शशि उबान त्रिपाठी
6. प्रो. पुरुषोत्तम अग्रवाल
7. डॉ. के.के. पॉल
8. लेफ्टि.जन. (से.नि.) निर्भय शर्मा
9. श्री आई.एम.जी. खान
10. श्री पी.के. मिश्रा

घ. सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2008

1. श्री के. रॉय पॉल
2. प्रो. के.एस. चलम्
3. प्रो. ई. बालागुरुसामी
4. श्रीमती शशि उबान त्रिपाठी
5. प्रो. पुरुषोत्तम अग्रवाल
6. डॉ. के.के. पॉल
7. लेफ्टि. जन. (से.नि.) निर्भय शर्मा
8. श्री आई.एम.जी. खान
9. श्री पी.के. मिश्रा

ङ. भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2007

1. सुश्री परवीन तलहा
2. श्री के. रॉय पॉल

च. भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008

1. सुश्री परवीन तलहा
2. श्री के. रॉय पॉल
3. प्रो. के. एस. चलम्
4. प्रो. ई. बालागुरुसामी
5. श्रीमती शशि उबान त्रिपाठी
6. प्रो. पुरुषोत्तम अग्रवाल
7. डॉ. के.के. पॉल
8. लेफ्टि. जन. (से.नि.) निर्भय शर्मा
9. श्री आई.एम.जी. खान
10. श्री पी.के. मिश्रा

परिशिष्ट XI

(देखिए अध्याय 3)

सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2007 तथा 2008 में वैकल्पिक विषय के रूप में किसी एक भारतीय/विदेशी भाषा के साहित्य सहित बैठे उम्मीदवारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	भाषा (वैकल्पिक विषय)	उन उम्मीदवारों की संख्या जो परीक्षा में बैठे			
		वर्ष 2007		वर्ष 2008	
		प्रश्नपत्र-I	प्रश्नपत्र-II	प्रश्नपत्र-I	प्रश्नपत्र-II
(क) वैकल्पिक विषय के रूप में एक भारतीय भाषा का साहित्य					
1.	असमिया	6	6	5	5
2.	बंगला	6	6	5	5
3.	गुजराती	41	41	42	42
4.	हिंदी	684	682	954	952
5.	कन्नड़	51	51	82	82
6.	कश्मीरी	-	-	-	-
7.	कोंकणी	-	-	1	1
8.	मलयालम	33	33	64	64
9.	माणिपुरी	15	15	22	22
10.	मराठी	41	41	42	42
11.	नेपाली	-	-	-	-
12.	उड़िया	6	6	4	4
13.	पाली	155	153	249	248
14.	पंजाबी	17	17	18	18
15.	संस्कृत	103	103	120	120
16.	सिंधी (देवनागरी)	-	-	1	1
17.	सिंधी (अरबी)	-	-	-	-
18.	तमिल	262	261	224	224
19.	तेलुगू	118	118	142	141
20.	उर्दू	21	21	29	29
21.	डोगरी	1	1	1	1
22.	मैथिली	7	7	25	25
23.	संथाली	-	-	-	-
24.	बोडो	-	-	-	-
कुल (क)		1567	1562	2031	2026
(ख) वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी भाषा का साहित्य					
कुल (ख)		24	24	40	39
(ग) वैकल्पिक विषय के रूप में एक विदेशी भाषा का साहित्य					
1.	अरबी	1	1	1	1
2.	चीनी	-	-	-	-
3.	जर्मन	-	-	-	-
4.	फारसी	3	3	10	10
5.	फ्रेंच	2	2	-	-
6.	रूसी	-	-	-	-
कुल (ग)		6	6	11	11
किसी एक भारतीय /विदेशी भाषा का साहित्य वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या (क + ख + ग)		1597	1592	2082	2076
वैकल्पिक विषय (क) के रूप में एक भारतीय भाषा रखने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की कुल संख्या (सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र। में वर्ष 2007 में 8884 तथा वर्ष 2006 में 11320)		17.98% (1597)	17.91% (1592)	17.94% (2031)	17.90% (2026)

परिशिष्ट XII (देखिए अध्याय 3)

सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2007 तथा 2008 में बैठे उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा देने के माध्यम
(भारतीय भाषाएं/अंग्रेजी) को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

विषय	वर्ष	असमिया	बंगला	गुजराती	हिंदी	कन्नड़	कश्मीरी	मलयालम	मराठी	उड़िया	पंजाबी	संस्कृत	सिंधी (डी)	सिंधी (ए)	तमिल	तेलुगू	उर्दू	कोंकणी	मणिपुरी	नेपाली	बोडो	डोगरी	संथाली	मैथिली	अंग्रेजी	उम्मीदवारों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
अनिवार्य प्रश्न-पत्र																										
भारतीय भाषाएं	2008	25	68	65	8424	289	-	202	506	92	172	1	-	-	620	545	44	-	1	3	-	-	-	-	-	11057
	2007	22	64	68	6425	227	-	116	379	102	136	1	-	-	665	432	22	-	-	-	-	-	-	-	-	8659
निबंध	2008	-	7	38	5082	14	-	3	93	1	2	-	-	-	98	117	7	-	-	-	-	-	-	-	5817	11279
	2007	-	8	39	3738	5	-	-	76	-	1	1	-	-	101	84	2	-	-	-	-	-	-	-	4804	8859
सामान्य अध्ययन-I	2008	-	7	37	5117	14	-	3	93	1	2	-	-	-	98	119	7	-	-	-	-	-	-	-	5822	11320
	2007	-	8	39	3751	5	-	-	76	-	1	1	-	-	101	85	2	-	-	-	-	-	-	-	4815	8884
सामान्य अध्ययन-II	2008	-	7	37	5105	14	-	2	93	1	2	-	-	-	98	118	7	-	-	-	-	-	-	-	5819	11303
	2007	-	8	39	3741	5	-	-	76	-	1	1	-	-	101	84	2	-	-	-	-	-	-	-	4806	8864
वैकल्पिक प्रश्न-पत्र																										
कृषि-I	2008	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	216
	2007	-	-	-	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	221
कृषि-II	2008	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	216
	2007	-	-	-	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207	220
पशुपालन व पशु चि.वि.-I	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60
पशुपालन व पशु चि.वि.-II	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60
मानव विज्ञान-I	2008	-	2	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	252	343
	2007	-	2	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	215	283
मानव विज्ञान-II	2008	-	2	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	252	343
	2007	-	2	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	215	283
वनस्पति विज्ञान-I	2008	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	270	297
	2007	-	2	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	234	259
वनस्पति विज्ञान-II	2008	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	269	295
	2007	-	2	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	234	258

विषय	वर्ष	असमिया	बंगला	गुजराती	हिन्दी	कन्नड़	कश्मीरी	मलयालम	मराठी	उड़िया	पंजाबी	संस्कृत	सिंधी (डी)	सिंधी (ए)	तमिल	तेलुगू	उर्दू	कोंकणी	मणिपुरी	नेपाली	बोडो	डोगरी	संथाली	मैथिली	अंग्रेजी	उम्मीदवारों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
रसायन विज्ञान-I	2008	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	103	121
	2007	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	92	105
रसायन विज्ञान-II	2008	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	103	121
	2007	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	92	105
सिविल इंजीनियरी-I	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21
सिविल इंजीनियरी-II	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21
वाणिज्य एवं लेखा-I	2008	-	-	1	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	262
	2007	-	-	2	23	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205	234
वाणिज्य एवं लेखा-II	2008	-	-	1	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	262
	2007	-	-	2	23	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	233
अर्थ-शास्त्र-I	2008	-	1	-	113	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202	318
	2007	-	-	-	85	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	248
अर्थ-शास्त्र-II	2008	-	1	-	113	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201	317
	2007	-	-	-	85	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	248
वैद्युत इंजीनियरी-I	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	68
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25
वैद्युत इंजीनियरी-II	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	68
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25
भूगोल-I	2008	-	1	4	1426	2	-	-	27	-	-	-	-	-	41	26	2	-	-	-	-	-	-	-	2474	4003
	2007	-	1	6	1007	-	-	-	20	-	-	-	-	-	44	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1995	3097
भूगोल-II	2008	-	1	4	1420	2	-	-	27	-	-	-	-	-	41	27	2	-	-	-	-	-	-	-	2467	3991
	2007	-	1	6	1006	-	-	-	19	-	-	-	-	-	43	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1992	3091
भू विज्ञान-I	2008	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	36
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24
भू विज्ञान-II	2008	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	36
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24

विषय	वर्ष	असमिया	बंगला	गुजराती	हिंदी	कन्नड़	कश्मीरी	मलयालम	मराठी	उड़िया	पंजाबी	संस्कृत	सिंधी (डी)	सिंधी (ए)	तमिल	तेलुगू	उर्दू	कोंकणी	मणिपुरी	नेपाली	बोडो	डोगरी	संथाली	मैथिली	अंग्रेजी	उम्मीदवारों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
इतिहास-I	2008	-	6	14	2910	9	-	3	59	-	1	-	-	-	30	59	5	-	-	-	-	-	-	-	727	3823
	2007	-	6	22	2298	3	-	-	50	-	1	-	-	-	34	38	2	-	-	-	-	-	-	-	623	3077
इतिहास-II	2008	-	6	14	2903	9	-	3	59	-	1	-	-	-	30	59	5	-	-	-	-	-	-	-	725	3814
	2007	-	6	22	2295	3	-	-	50	-	1	-	-	-	34	38	2	-	-	-	-	-	-	-	622	3073
विधि-I	2008	-	-	2	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239	359
	2007	-	-	1	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184	271
विधि-II	2008	-	-	2	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239	357
	2007	-	-	1	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183	270
प्रबंधन-I	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
	2007	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14
प्रबंधन-II	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
	2007	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14
गणित-I	2008	-	-	-	40	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	220	270
	2007	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	158	196
गणित-II	2008	-	-	-	40	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	220	270
	2007	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	157	195
यांत्रिक	2008	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	94
इंजीनियरी-I	2007	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	77
यांत्रिक	2008	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	92
इंजीनियरी-II	2007	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	77
दर्शन	2008	-	-	3	1806	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	232	2048
शास्त्र-I	2007	-	-	1	1261	-	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	1482
दर्शन	2008	-	-	3	1785	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	232	2027
शास्त्र-II	2007	-	-	1	1253	-	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	1474
भौतिकी-I	2008	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	227	230
	2007	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	225
भौतिकी-II	2008	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	226	229
	2007	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	225

विषय	वर्ष	असमिया	बंगला	गुजराती	हिंदी	कन्नड़	कश्मीरी	मलयालम	मराठी	उड़िया	पंजाबी	संस्कृत	सिंधी (डी)	सिंधी (ए)	तमिल	तेलुगू	उर्दू	कोंकणी	मणिपुरी	नेपाली	बोडो	डोगरी	संथाली	मैथिली	अंग्रेजी	उम्मीदवारों की कुल संख्या
राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध-I	2008	-	1	4	734	2	-	-	43	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	512	1306
	2007	-	-	1	510	1	-	-	31	-	-	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	385	937
राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध-II	2008	-	1	4	734	2	-	-	43	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	511	1305
	2007	-	-	1	509	1	-	-	31	-	-	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	385	936
मनो-विज्ञान-I	2008	-	-	-	20	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1030	1058
	2007	-	-	-	13	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980	999
मनो-विज्ञान-II	2008	-	-	-	20	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1030	1058
	2007	-	-	-	13	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976	995
लोक प्रशासन-I	2008	-	-	7	1017	3	-	-	11	-	-	-	-	-	15	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2081	3165
	2007	-	-	5	769	2	-	-	6	-	-	-	-	-	12	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1699	2518
लोक प्रशासन-II	2008	-	-	7	1016	3	-	-	11	-	-	-	-	-	15	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2081	3164
	2007	-	-	5	766	2	-	-	6	-	-	-	-	-	12	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1698	2513
समाज शास्त्र-I	2008	-	1	6	535	1	-	-	9	1	1	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	962	1527
	2007	-	1	4	331	-	-	-	6	-	-	-	-	-	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	724	1078
समाज शास्त्र-II	2008	-	1	6	534	1	-	-	9	1	1	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	961	1525
	2007	-	1	4	331	-	-	-	6	-	-	-	-	-	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	722	1075
सांख्यिकी-I	2008	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	12
	2007	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9
सांख्यिकी-II	2008	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13
	2007	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9
प्राणि विज्ञान-I	2008	-	1	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	413	472
	2007	-	1	1	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	347	391
प्राणि विज्ञान-II	2008	-	1	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	409	468
	2007	-	1	1	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	347	391
चिकित्सा विज्ञान-I	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	69
चिकित्सा विज्ञान-II	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	96
	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	68

परिशिष्ट XIII

(देखिए अध्याय 3)

सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2007 : उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण

1. सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन दो क्रमिक चरणों में किया जाता है अर्थात् प्रारंभिक परीक्षा तथा प्रधान परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र होते हैं और जो केवल प्रारंभिक स्क्रीनिंग के लिए होती है। केवल वे उम्मीदवार जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते हैं, वे ही प्रधान परीक्षा में प्रवेश के पात्र होते हैं। प्रधान परीक्षा में परंपरागत प्रकार के प्रश्नपत्रों में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार सम्मिलित है। सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2007 में 3,33,680 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिसमें से 3,15,389 उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के पात्र पाए गए। 20 मई, 2007 को हुई इस परीक्षा में 1,61,469 उम्मीदवार बैठे। इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर 9,266 (5.7 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने प्रधान परीक्षा देने के लिए अर्हता प्राप्त की। इन उम्मीदवारों का समुदायवार तथा लिंगवार ब्यौरा तालिका-1 में दिया गया है।

सारणी 1 : उन उम्मीदवारों का ब्यौरा जिन्होंने सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2007 में आवेदन किया, शामिल हुए और अर्हता प्राप्त की।

समुदाय	उम्मीदवारों की संख्या								
	आवेदन करने वाले			प्रविष्ट हुए			अर्हता प्राप्त		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
अनुसूचित जाति	71,789	18,897	90,686	34,745	8,955	43,700	1,284	142	1,426
अनुसूचित जनजाति	27,546	7,197	34,743	12,603	3,049	15,652	719	76	795
अन्य पिछड़ा वर्ग	78,103	19,739	97,842	40,159	9,578	49,737	3,233	271	3,504
सामान्य	78,905	31,240	1,10,145	37,947	14,433	52,380	3,106	435	3,541
कुल	2,56,343	77,073	3,33,680*	1,25,454	36,015	1,61,469	8,342	924	9,266

* 264 उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल हुए लेकिन जिन्होंने अर्हता प्राप्त नहीं की, उनके बारे में समुदाय तथा लिंगवार आंकड़ों को इस विवरण में शामिल नहीं किया गया है किन्तु योग में उन्हें शामिल किया गया है।

1.1 तालिका 1 में देखा जा सकता है कि सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2007 में आवेदन करने वाले 3,33,680 उम्मीदवारों में से केवल 1,61,469 या 48.4 प्रतिशत उम्मीदवारों ने ही लिखित परीक्षा में भाग लिया। दूसरे शब्दों में 51.6 प्रतिशत उम्मीदवार परीक्षा में नहीं बैठे। इसके अलावा, परीक्षा में शामिल न होने वाले अ.ज.जा. तथा सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की दर अ.जा. तथा अ.पि.व. के उम्मीदवारों की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा रही।

2. अक्टूबर-नवम्बर 2007 में आयोजित सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2007 के लिखित भाग में 9,266 उम्मीदवारों में से 8,886 (96 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने भाग लिया। प्रधान परीक्षा के लिखित भाग के आधार पर 1,886 (21 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त की, इनमें से 1,883 उम्मीदवार इसमें शामिल हुए। सिविल सेवा परीक्षा के नियम 16(4) के संदर्भ में रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आयोग ने 734 रिक्तियों के लिए 638 उम्मीदवारों की सिविल सेवा के लिए अनुशंसा की। परीक्षा के नियम 16(5) के अंतर्गत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की अध्यायना की पावती लंबित होने के कारण वर्ष 2008-09 की समाप्ति तक भी शेष 96 पदों का परिणाम घोषित नहीं किया गया, इसलिए इस अध्ययन के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या को 638 मान लिया गया है। सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2007 में शामिल होने वाले साक्षात्कार किए गए तथा अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों की लिंगवार तथा समुदायवार संख्या तालिका 2 में दर्शाई गई है।

सारणी 2 : सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2007 में शामिल हुए, साक्षात्कार लिए गए तथा अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या

समुदाय	शामिल हुए			साक्षात्कार लिए गए			अनुशंसित		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
अनुसूचित जाति	1224	138	1362	249	46	295	92	17	109
अनुसूचित जनजाति	669	71	740	113	22	135	42	11	53
अन्य पिछड़ा वर्ग	3073	254	3327	574	80	654	155	35	190
सामान्य	3026	431	3457	641	158	799	206	80	286
कुल	7992	894	8886	1577	306	1883	495	143	638

3. वर्ष 1998 से 2007 तक के वर्षों के दौरान सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या दर्शाने वाला एक तुलनात्मक (इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या सहित) सारणी 3 में दिया गया है :

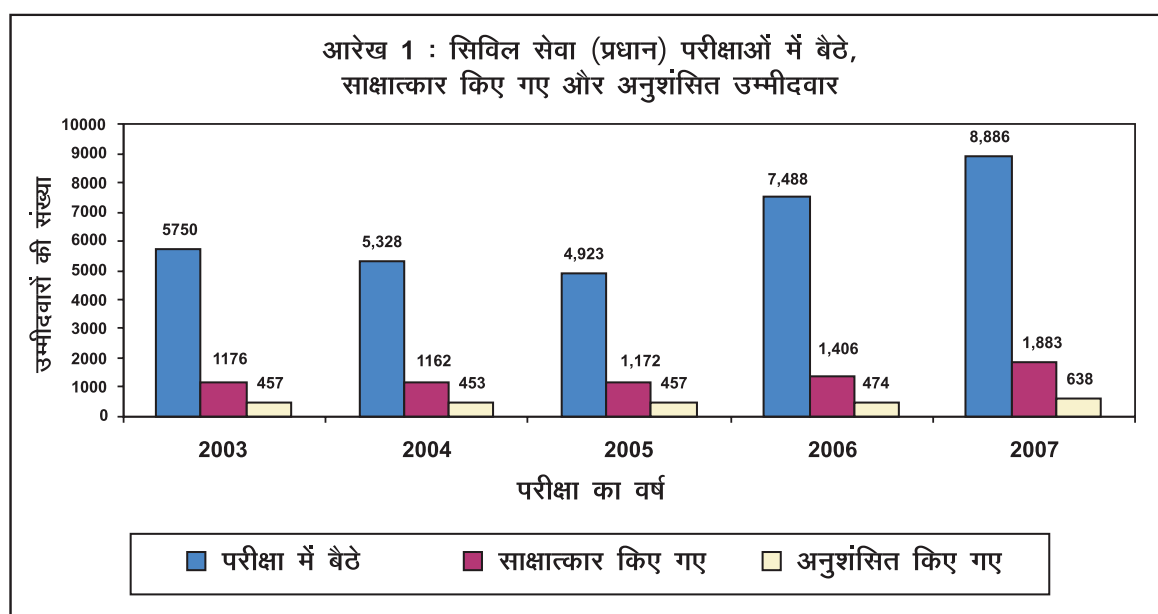
सारणी 3 : रिक्तियों की वर्गवार संख्या-सिविल सेवा परीक्षाएं

वर्ष	रिक्तियों की संख्या	वर्ष	रिक्तियों की संख्या
1998	470	2003	457
1999	411	2004	453
2000	427	2005	457
2001	417	2006	533*
2002	310	2007	734\$

* अंतिम रूप से चयन 474 पदों के लिए था।

\$ अंतिम रूप से चयन 638 पदों के लिए था।

4. पिछले 5 वर्षों के दौरान परीक्षा में बैठे, साक्षात्कार लिए गए और अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या को आरेख 1 में दर्शाया गया है।



वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

5. विषयों के व्यापक वर्गीकरण द्वारा परीक्षा में उम्मीदवारों की सफलता दर सारणी 4 में दी गई है।

सारणी 4 : सफलता दर और व्यापक स्तर पर विषय-सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा 2007

शैक्षणिक योग्यताएं	उम्मीदवारों की संख्या		सफलता दर (प्रतिशत)
	परीक्षा में बैठे	अनुशंसित	
I स्नातक डिग्रियां	4769	361	7.6
(i) मानविकी	1866	108	5.8
(ii) विज्ञान	807	42	5.2
(iii) चिकित्सा विज्ञान	410	48	11.7
(iv) इंजीनियरी	1,686	163	9.7
II उच्चतर डिग्रियां	4117	277	6.7
(i) मानविकी	2934	194	6.6
(ii) विज्ञान	982	54	5.5
(iii) चिकित्सा विज्ञान	59	9	15.3
(iv) इंजीनियरी	142	20	14.1
कुल	8886	638	7.2

टिप्पणी : सफलता दर परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की प्रतिशतता के रूप में अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या है।

5.1 इस प्रकार उच्च डिग्रीधारी उम्मीदवारों की सफलता दर संबंधित विषयों में स्नातक डिग्रीधारी उम्मीदवारों की अपेक्षा अधिक थी। हालांकि कुल मिलाकर देखें तो उच्च डिग्रीधारी उम्मीदवारों की सफलता दर स्नातक डिग्रीधारी उम्मीदवारों की सफलता दर से थोड़ी सी कम थी।

6. परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की सफलता दर उनकी शैक्षिक योग्यताओं (विस्तृत स्तर पर विषयों के बजाय) के अनुसार सारणी 5 में दी गई है।

सारणी 5 : उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यताएं और सफलता दर-सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा 2007

क्र. सं.	शैक्षणिक योग्यताएं	उम्मीदवारों की संख्या		सफलता दर (प्रतिशत)
		परीक्षा में बैठे	अनुशंसित	
1	बी.ए./बी.ए. (आनर्स)	1176	64	5.4
2	बी.काम/बी.काम. (आनर्स)	365	26	7.1
3	बी.एससी./बी.एससी. (आनर्स)/बी.फामो.	724	37	5.1
4	बी.एससी. (कृषि)	64	4	6.3
5	बी.ई./बी.टेक./बी.एससी. (इंजी.)/ए.एम.एम.आई.एम.	1685	163	9.7
6	एल.एल.बी.	316	17	5.4
7	बी.बी. साईंस एंड ए.एच.	60	4	6.7
8	बी.डी.एस.	36	2	5.6
9	बी.सी.ए.	17	1	5.9
10	एम.बी.बी.एस.	275	39	14.2
11	बी.आई.एम.एस./बी.ए.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.एस.एम.एस.	37	3	8.1
12	बी.एच.एम.	2	-	-
13	बी.पी.टी.	1	-	-
14	एम.ए./एम.फिल.	2676	164	6.1
15	एम.कॉम/एम.बी.ए./एम.एफ.टी.	242	30	12.4
16	एम.एससी.	766	39	5.1
17	एम.एससी. (कृषि)	161	12	7.5
18	एल.एल.एम.	18	1	5.6
19	एम.टेक.	142	20	14.1
20	एम.बी.एससी. एंड ए.एच.	42	6	14.3
21	एम.डी.	18	3	16.7
22	एम.सी.ए.	32	2	6.3
23	पी.एच.डी.	31	1	3.2
	कुल	8886	638	7.2

- 6.1 शामिल होने वाले 31 पी.एच.डी. डिग्री धारक उम्मीदवारों में से 25 विज्ञान, पांच मानविकी तथा एक इंजीनियरी के क्षेत्र से संबंधित था। यहां यह भी दर्शाया जाता है कि ऐसे 11 उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल हुए थे, वे एम.ए./एम.टेक./एम.एससी./एम.वी.एससी. ए.एच. तथा एम.सी.ए. के छात्र थे। उनमें से केवल एक उम्मीदवार की अनुशंसा की गई।
- 6.2 जैसाकि तालिका 5 से देखा जा सकता है कि परीक्षा में शामिल हुए कुल 638 या 7.2 प्रतिशत उम्मीदवारों की विभिन्न सिविल सेवा पदों के लिए अनुशंसा की गई। उनमें से 361 (57 प्रतिशत) स्नातक थे और 277 (43 प्रतिशत) स्नातकोत्तर या उच्च डिग्री धारक थे।
7. कालेज/विश्वविद्यालय स्तर पर उम्मीदवारों का कार्य निष्पादन यह दर्शाता है कि जिन उम्मीदवारों का कार्य निष्पादन विश्वविद्यालय परीक्षा में उच्च स्तर का है जैसा कि उनके द्वारा प्राप्त की गई श्रेणी से प्रकट होता है, ऐसे उम्मीदवारों ने प्रतियोगी परीक्षा में अन्य परिस्थितियों के समान होते हुए भी बेहतर कार्य निष्पादन किया है, जैसा कि सारणी 6 में दर्शाया गया है।

सारणी 6 : शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त श्रेणी के अनुसार उम्मीदवारों की सफलता दर-सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2007

शैक्षणिक योग्यताएं	उम्मीदवारों की संख्या		सफलता दर (प्रतिशत)
	परीक्षा में बैठे	अनुशंसित	
प्रथम श्रेणी			
1. स्नातक डिग्रियां	2456	234	9.5
2. उच्चतर डिग्रियां	2259	197	8.7
उप-योग	4715	431	9.1
प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त			
1. स्नातक डिग्रियां	2313	127	5.5
2. उच्चतर डिग्रियां	1858	80	4.3
उप-योग	4171	207	5.0
योग	8886	638	7.2

टिप्पणी : उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त उच्चतम डिग्री में प्राप्त श्रेणी को गिना गया है।

- 7.1 यह देखा गया है कि अनुशंसित 68 प्रतिशत उम्मीदवार प्रथम श्रेणी रैंक के थे जबकि उन उम्मीदवारों का प्रतिशत जिन्होंने कालेज/विश्वविद्यालय स्तर पर द्वितीय या निम्न श्रेणी प्राप्त की है, का प्रतिशत 32 था।
8. वैकल्पिक विषयवार परीक्षा में बैठे तथा नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या तथा सफलता दर का विवरण नीचे सारणी-7 में दिया गया है।

सारणी 7 : वैकल्पिक विषयवार परीक्षा में बैठे तथा अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा-2007

क्र. सं.	वैकल्पिक विषय	उम्मीदवारों की संख्या		सफलता दर (प्रतिशत)
		परीक्षा में बैठे	अनुशंसित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अरबी भाषा का साहित्य	1	1	100.0
2	फारसी भाषा का साहित्य	3	1	33.3
3	मणिपुरी भाषा का साहित्य	15	4	26.7
4	अंग्रेजी भाषा का साहित्य	25	6	24.0
5	प्रबंधन	16	3	18.8
6	असमिया भाषा का साहित्य	6	1	16.7
7	भू-विज्ञान	25	4	16.0
8	चिकित्सा विज्ञान	69	11	15.9

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

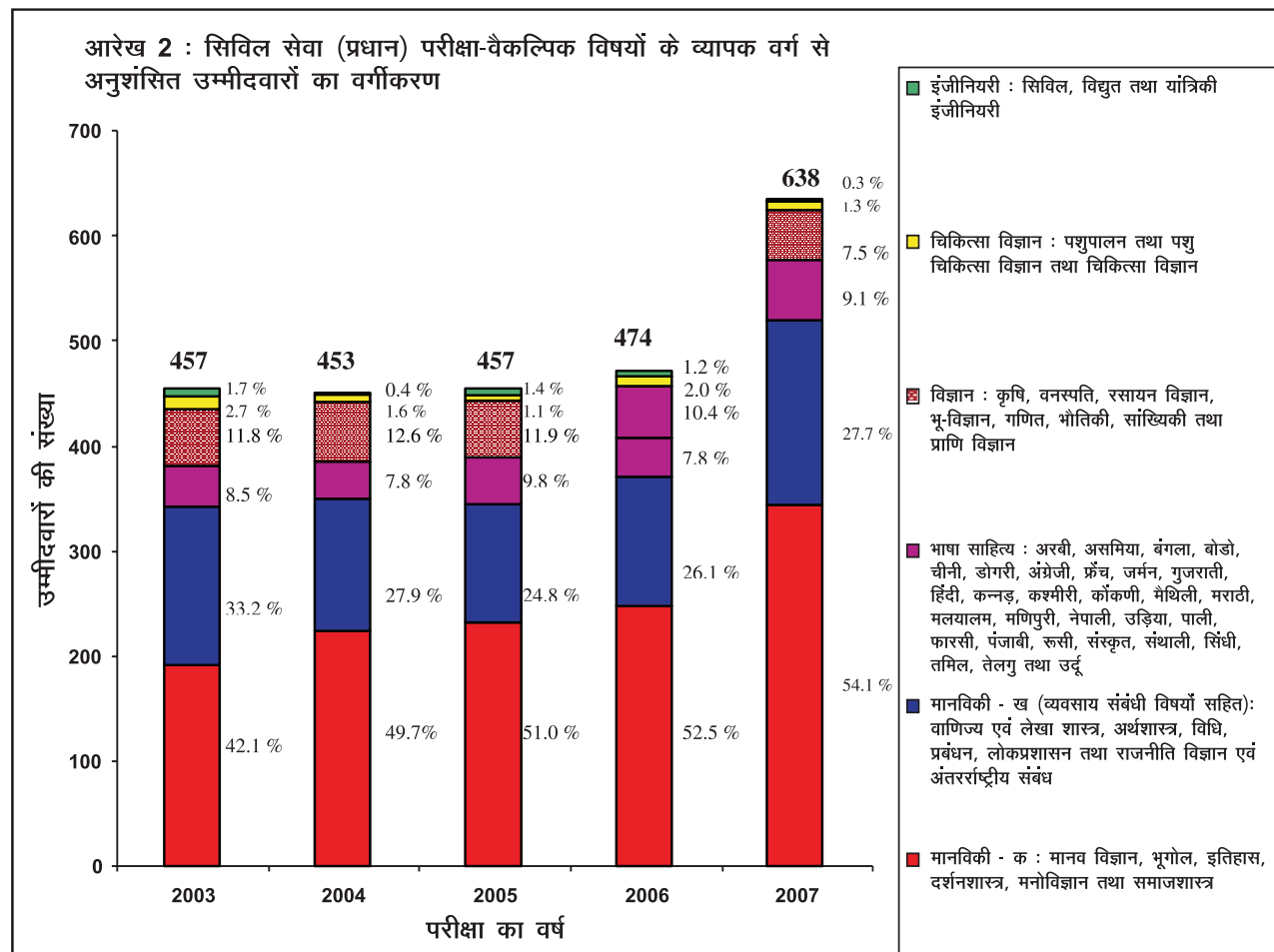
क्र. सं.	वैकल्पिक विषय	उम्मीदवारों की संख्या		सफलता दर (प्रतिशत)
		परीक्षा में बैठे	अनुशंसित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	मलयालम भाषा का साहित्य	33	5	15.2
10	मराठी भाषा का साहित्य	41	6	14.6
11	मैथिली भाषा का साहित्य	7	1	14.3
12	मनोविज्ञान	1009	127	12.6
13	तेलुगू भाषा का साहित्य	120	15	12.5
14	वाणिज्य एवं लेखा	239	29	12.1
15	पंजाबी भाषा का साहित्य	17	2	11.8
16	मानव विज्ञान	289	33	11.4
17	सांख्यिकी	9	1	11.1
18	संस्कृत भाषा का साहित्य	103	11	10.7
19	अर्थशास्त्र	251	26	10.4
20	उर्दू भाषा का साहित्य	21	2	9.5
21	समाज शास्त्र	1092	96	8.8
22	लोक प्रशासन	2,573	215	8.4
23	पशुपालन व पशु चिकित्सा विज्ञान	61	5	8.2
24	रसायन विज्ञान	110	9	8.2
25	प्राणि विज्ञान	401	32	8.0
26	वैद्युत इंजीनियरी	27	2	7.4
27	राजनीति शास्त्र एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध	958	67	7.0
28	भूगोल	3,123	216	6.9
29	तमिल भाषा का साहित्य	264	18	6.8
30	कृषि	226	15	6.6
31	वनस्पति विज्ञान	268	16	6.0
32	कन्नड़ भाषा का साहित्य	52	3	5.8
33	पाली भाषा का साहित्य	156	9	5.8
34	भौतिकी	229	12	5.2
35	विधि	280	14	5.0
36	गुजराती भाषा का साहित्य	41	2	4.9
37	इतिहास	3,099	148	4.8
38	दर्शन शास्त्र	1,512	71	4.7
39	हिंदी भाषा का साहित्य	689	28	4.1
40	गणित	198	7	3.5
41	यांत्रिक इंजीनियरी	77	2	2.6
42	सिविल इंजीनियरी	22	-	---
43	बंगला भाषा का साहित्य	6	-	---
44	उड़िया भाषा का साहित्य	6	-	---
45	डोगरी भाषा का साहित्य	1	-	---
46	फ्रेंच भाषा का साहित्य	2	-	---

टिप्पणी : सफलता दर के अनुसार 10 शीर्ष विषयों जिनमें 100 या अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, को रंगीन करके दर्शाया गया है।

8.1 सारणी 7 से निम्नलिखित बातें स्पष्ट हैं :-

- उम्मीदवारों द्वारा वैकल्पिक विषयों के रूप में चुने गए विषयों में भूगोल सर्वाधिक वरीयता प्राप्त विषय था जिसके बाद इतिहास तथा लोक प्रशासन को वरीयता दी गई थी।
- परीक्षा में 100 या उससे अधिक उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विषयों में से मनोविज्ञान ऐसे विषय के रूप में सामने आया जिसमें उच्चतम सफलता अनुपात (12.6 प्रतिशत) दर्ज किया गया जिसके बाद तेलुगू भाषा का साहित्य (12.5 प्रतिशत) तथा वाणिज्य एवं लेखा (12.1 प्रतिशत) का स्थान रहा।
- भाषा साहित्य सहित मानविकी से संबंधित विषयों का चयन 90.9 प्रतिशत उम्मीदवारों द्वारा, विज्ञान विषयों का चयन 7.5 प्रतिशत द्वारा, चिकित्सा विज्ञान का चयन 1.3 प्रतिशत द्वारा तथा इंजीनियरी विषयों का चयन 0.3 प्रतिशत उम्मीदवारों द्वारा किया गया। नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों में से 47.3 प्रतिशत सबसे अधिक प्रतिशत वाले उम्मीदवारों की शैक्षिक पृष्ठभूमि मानविकी थी, उसके पश्चात 28.7 प्रतिशत इंजीनियरी, 15.1 प्रतिशत विज्ञान और 8.9 प्रतिशत चिकित्सा विज्ञान रही।
- यह इस तथ्य को दर्शाता है कि इंजीनियरी, चिकित्सा तथा विज्ञान विषयों में शैक्षिक योग्यता रखने वाले कुछ सफल उम्मीदवारों ने अपने विषयों को छोड़कर परीक्षा में मानविकी विज्ञान के विषयों को चुना।

8.2 पिछली पांच सिविल (प्रधान) परीक्षाओं में उम्मीदवारों द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषयों की विस्तृत शाखाओं द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों का विवरण आरेख-2 में दर्शाया गया है।



9 नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों का पृथक विश्लेषण यह दर्शाता है कि 109 उम्मीदवार या 17.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति समुदाय के, 53 उम्मीदवार या 8.3 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के, 190 उम्मीदवार या 29.8 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग तथा 286 उम्मीदवार या 44.8 प्रतिशत सामान्य वर्ग से संबंधित थे। अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय तथा आयुवार विवरण निम्नलिखित तालिका 8 में दिया गया है।

सारणी 8 : अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय, आयु और लिंग वार विवरण सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2007 [1.8.2007 के अनुसार आयु]

समुदाय	अनुशंसित उम्मीदवार			आयु-वर्ग									
				21-24 वर्ष		24-26 वर्ष		26-28 वर्ष		28-30 वर्ष		30 वर्ष तथा उससे ऊपर	
	पु.	म.	कु.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
अ.जा.	92	17	109	5	2	19	5	27	3	11	7	30	-
अ.ज.जा.	42	11	53	4	2	2	1	10	7	11	-	15	1
अ.पि.व.	155	35	190	6	7	32	9	47	8	34	5	36	6
सामान्य	206	80	286	32	14	45	24	77	32	49	10	3	-
कुल	495	143	638	47	25	98	39	161	50	105	22	84	7

पु. ⇒ पुरुष ; म. ⇒ महिला; कु. ⇒ कुल

9.1 सारणी 8 इस बात को दर्शाती है कि अधिकतर अनुशंसित उम्मीदवारों में से 26-28 वर्ष के आयु वर्ग के (33.1 प्रतिशत), 24-26 वर्ष के आयु वर्ग के (21.5 प्रतिशत), 28-30 वर्ष के आयु वर्ग के (19.9 प्रतिशत), 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के (14.2 प्रतिशत) तथा 21-24 वर्ष के आयु वर्ग के (11.3 प्रतिशत) थे।

10. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भा.प्र.से.)/भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय तथा आयु-वार विवरण तालिका 9 में दर्शाया गया है।

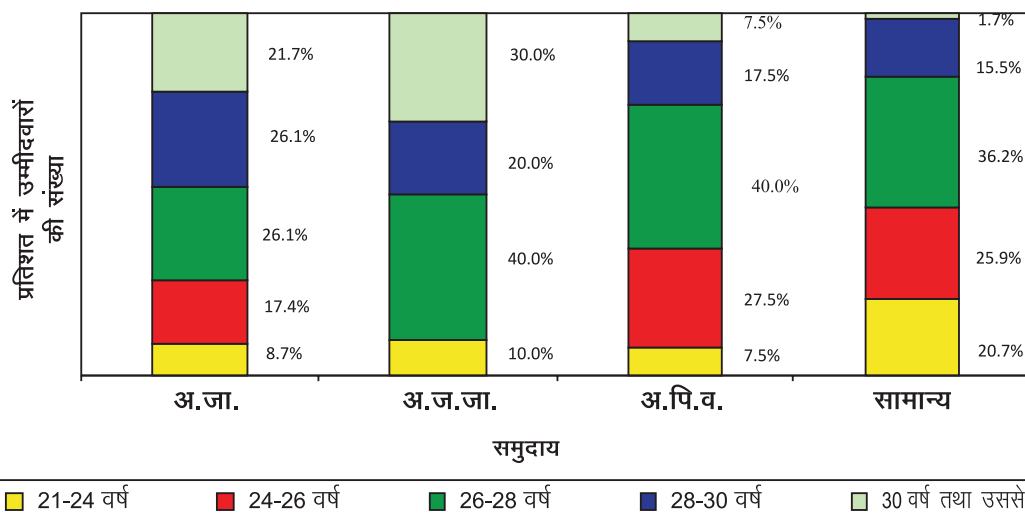
सारणी 9 : भा.प्र.से./भा.वि.से. के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की आयु और समुदाय-वार विवरण-सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2007 [01-08-2007 के अनुसार आयु]

समुदाय	अनुशंसित उम्मीदवार		आयु-वर्ग									
			21-24 वर्ष		24-26 वर्ष		26-28 वर्ष		28-30 वर्ष		30 वर्ष तथा उससे ऊपर	
	भा.प्र.से.	भा.वि.से.	भा.प्र.से.	भा.वि.से.	भा.प्र.से.	भा.वि.से.	भा.प्र.से.	भा.वि.से.	भा.प्र.से.	भा.वि.से.	भा.प्र.से.	भा.वि.से.
अ.जा.	19	4	2	-	4	-	4	2	5	1	4	1
अ.ज.जा.	9	1	-	1	-	-	4	-	2	-	3	-
अ.पि.व.	34	6	2	1	9	2	14	2	7	-	2	1
सामान्य	49	9	10	2	13	2	19	2	6	3	1	-
कुल	111	20	14	4	26	4	41	6	20	4	10	2

10.1 भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा के लिए समुदाय एवं आयुवार अनुशंसित उम्मीदवारों का विवरण आरेख 3 में दिया गया है।

11. परीक्षा में बैठने वाली कुल 894 महिला उम्मीदवारों में से 143 की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई और इस प्रकार सफलता अनुपात 16.0 प्रतिशत रहा। दूसरी ओर 7,992 पुरुष उम्मीदवारों में से 495 उम्मीदवार ही अर्हता प्राप्त कर सके, जिनका सफलता अनुपात 6.2 प्रतिशत रहा। इस प्रकार महिला उम्मीदवारों का सफलता अनुपात पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में अपेक्षाकृत काफी अधिक रहा।

आरेख 3 : भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के लिए (समुदाय एवं आयु - वार अनुशंसित उम्मीदवार) सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2007



12. समुदाय और लिंग – वार, उम्मीदवारों की सफलता दर सारणी 10 में दी गई है।

सारणी 10 : समुदाय और लिंग-वार, उम्मीदवारों की सफलता दर सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा-2007

समुदाय	उपस्थित हुए उम्मीदवार			अनुशंसित उम्मीदवार			सफलता अनुपात (प्रतिशत)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
अ.जा.	1224	138	1,362	92	17	109	7.5	12.3	8.0
अ.ज.जा.	669	71	740	42	11	53	6.3	15.5	7.2
अ.पि.व.	3073	254	3327	155	35	190	5.0	13.8	5.7
सामान्य	3026	431	3457	206	80	286	6.8	18.6	8.3
कुल	7,992	894	8,886	495	143	638	6.2	16.0	7.2

12.1 उपर्युक्त सारणी 10 से स्पष्ट है कि विभिन्न समुदायों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग या सामान्य श्रेणी से संबद्ध महिला उम्मीदवारों का प्रदर्शन उस समुदाय के पुरुष उम्मीदवारों से कहीं अच्छा रहा।

13. शारीरिक रूप से विकलांग 6,422 व्यक्तियों ने सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2007 के लिए आवेदन किया। 2,901 ने परीक्षा में भाग लिया और उनमें से 268 उम्मीदवारों ने परीक्षा में अर्हता प्राप्त की। उनमें से शारीरिक रूप से विकलांग 219 उम्मीदवार सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2007 में उपस्थित हुए और 65 उम्मीदवारों ने परीक्षा में अर्हता प्राप्त की तथा 22 ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई। उनमें पांच अनुसूचित जाति, पांच अन्य पिछड़े वर्ग और 12 सामान्य श्रेणी के थे। इनमें नियुक्ति के लिए अनुशंसित तीन महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इसके अलावा एक ऐसे उम्मीदवार ने अपने पहले प्रयास में ही परीक्षा में अर्हता प्राप्त की।

14. उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा के लिए किए गए प्रयासों की संख्या का समुदाय और लिंग-वार विश्लेषण सारणी 11 में दर्शाया गया है।

सारणी 11 : अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या – समुदाय और लिंग-वार सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा-2007

समुदाय	लिंग	अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या								कुल
		1	2	3	4	5	6	7	8 और इससे अधिक	
अ.जा.	पुरुष	8	9	9	13	15	9	8	21	92
	महिला	2	3	3	2	3	2	-	2	17
अ.ज.जा.	पुरुष	-	8	2	4	7	4	5	12	42
	महिला	-	2	1	2	3	1	1	1	11
अ.पि.व.	पुरुष	8	13	26	41	32	22	13	-	155
	महिला	4	6	4	11	6	2	2	-	35
सामान्य	पुरुष	25	57	72	52	-	-	-	-	206
	महिला	10	26	25	19	-	-	-	-	80
कुल	पुरुष	41	87	109	110	54	35	26	33	495
	महिला	16	37	33	34	12	5	3	3	143
	कुल	57	124	142	144	66	40	29	36	638

14.1 उपर्युक्त सारणी 11 से स्पष्ट है कि केवल 8.9 प्रतिशत उम्मीदवार प्रथम प्रयास में परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर सके। तथापि, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ प्रयास में सफल उम्मीदवारों का प्रतिशत क्रमशः 19.4 प्रतिशत, 22.3 प्रतिशत तथा 22.6 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में महिला उम्मीदवारों ने औसतन कम प्रयासों में परीक्षा में अर्हता प्राप्त की।

15. विश्वविद्यालय/संस्थावार, उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या परिशिष्ट-XIV में दी गई है।

परिशिष्ट XIV

(देखिए अध्याय 3)

सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2007 में बैठे उम्मीदवारों की विश्वविद्यालय/ संस्थावार संख्या की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या

सारणी 1 : सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2007 में बैठे उम्मीदवारों की विश्वविद्यालय/संस्थावार संख्या की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या

क्र. सं.	विश्वविद्यालय/संस्था का नाम	उम्मीदवारों की संख्या	
		उपस्थित हुए	अनुशंसित
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दिल्ली, विश्वविद्यालय, दिल्ली	612	69
2.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	248	32
3.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	471	27
4.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, पंजाब	136	23
5.	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र	145	23
6.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ.प्र.	243	17
7.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ.प्र.	779	17
8.	पूणे विश्वविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र	139	16
9.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु	160	15
10.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, उ.प्र.	88	14
11.	छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उ.प्र.	378	14
12.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, नई दिल्ली	94	11
13.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	96	10
14.	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु	51	9
15.	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	65	9
16.	तमिलनाडु डा. एम.जी.आर. चिकित्सा विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु	52	8
17.	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान	67	8
18.	महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान	100	7
19.	पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार	139	7
20.	डा. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, उ.प्र.	186	7
21.	डा. बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	27	6
22.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, म.प्र.	50	6
23.	भारती दासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	56	6
24.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	59	6
25.	पं. रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	59	6
26.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	69	6
27.	भरतियार विश्वविद्यालय, कोयंबटूर, तमिलनाडु	86	6
28.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार	147	6
29.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ.प्र.	150	6
30.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु	22	5
31.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब	26	5

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

(1)	(2)	(3)	(4)
32.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	27	5
33.	संत गडगा बाबा अमरावती, विश्वविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र	28	5
34.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई, मुंबई, महाराष्ट्र	30	5
35.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलुरु, कर्नाटक	47	5
36.	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा	74	5
37.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की, उत्तराखंड	76	5
38.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा	76	5
39.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै, तमिलनाडु	80	5
40.	चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ.प्र.	134	5
41.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू तथा कश्मीर	20	4
42.	काकतिया विश्वविद्यालय, वारंगल, आंध्रप्रदेश	23	4
43.	एन.टी.आर. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा, आंध्रप्रदेश	23	4
44.	डा. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर, मध्यप्रदेश	32	4
45.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक, महाराष्ट्र	33	4
46.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर	42	4
47.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात	44	4
48.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल	46	4
49.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश	47	4
50.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर, छत्तीसगढ़	48	4
51.	राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र	54	4
52.	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	69	4
53.	रांची विश्वविद्यालय, रांची झारखंड	86	4
54.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	5	3
55.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद, झारखंड	13	3
56.	बिड़ला विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पिलानी राजस्थान	14	3
57.	बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची, झारखंड	16	3
58.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, महाराष्ट्र	17	3
59.	अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, अलीगढ़, उ.प्र.	18	3
60.	थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पंजाब	19	3
61.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	20	3
62.	बंगलौर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक	23	3
63.	बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, फरीदकोट, पंजाब	27	3
64.	पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, जालंधर, पंजाब	31	3
65.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, म.प्र.	40	3
66.	आचार्य एन.जी.रंगा, कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आ. प्र.	46	3
67.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	52	3

(1)	(2)	(3)	(4)
68.	बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार	53	3
69.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु	54	3
70.	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल, म.प्र.	57	3
71.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी, उ.प्र.	78	3
72.	वी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उ.प्र.	208	3
73.	भारत का राष्ट्रीय विधि विद्यालय, बंगलुरु, विश्वविद्यालय कर्नाटक	3	2
74.	सभी यू.एस.ए. विश्वविद्यालय	5	2
75.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर	5	2
76.	तमिलनाडु डा. अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु	10	2
77.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु, कर्नाटक	12	2
78.	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा	15	2
79.	चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा	18	2
80.	भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर, उ.प्र.	19	2
81.	गोविन्द बल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर, उत्तराखंड	24	2
82.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़, कर्नाटक	26	2
83.	कालीकट विश्वविद्यालय, कोझीकोड, केरल	26	2
84.	केरल विश्वविद्यालय, तिरुवंतपुरम, केरल	26	2
85.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान	27	2
86.	मनोमणियम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेल्लि, तमिलनाडु	30	2
87.	राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, बंगलौर, कर्नाटक	33	2
88.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, म.प्र.	33	2
89.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा	42	2
90.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	45	2
91.	विश्वेश्वरय्या प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बेलगांव, कर्नाटक	64	2
92.	डा. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उ.प्र.	136	2
93.	गोखले राजनीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्र संस्थान, महाराष्ट्र	1	1
94.	भारतीय योजना तथा प्रबंधन संस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र	1	1
95.	सिम्बायोसिस अंतरराष्ट्रीय शिक्षण केंद्र, पुणे, महाराष्ट्र	1	1
96.	अविनाशलिंगम महिला गृह विज्ञान तथा उच्च शिक्षा संस्थान, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	2	1
97.	गोवा विश्वविद्यालय, तेलिगाव प्लेटो, गोवा	2	1
98.	गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा	2	1
99.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, राजस्थान	3	1
100.	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर, कर्नाटक	3	1
101.	किंगजार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	3	1

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

(1)	(2)	(3)	(4)
102.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुरी, तमिलनाडु	4	1
103.	भारती विद्यापीठ, पुणे, महाराष्ट्र	4	1
104.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर, राजस्थान	6	1
105.	स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़, महाराष्ट्र	6	1
106.	दयालबाग शिक्षण संस्थान, आगरा, उ.प्र.	7	1
107.	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर, कर्नाटक	7	1
108.	सिक्किम मणिपाल स्वास्थ्य चिकित्सा तथा प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, गंगटोक, सिक्किम	7	1
109.	जादवपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	8	1
110.	कुवेम्पू विश्वविद्यालय, शंकरघट्टा, शिमोगा कर्नाटक	8	1
111.	महाराजा सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदरा, गुजरात	9	1
112.	बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान, पश्चिम बंगाल	9	1
113.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, उ.प्र.	10	1
114.	उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा	10	1
115.	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान	10	1
116.	कोचीन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोची, केरल	12	1
117.	श्री कृष्ण देव राय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	17	1
118.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर, उड़ीसा	20	1
119.	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, आंध्र प्रदेश	23	1
120.	श्री वैकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	23	1
121.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़, कर्नाटक	25	1
122.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उ.प्र.	25	1
123.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	25	1
124.	कुमायू विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड	27	1
125.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	30	1
126.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश	31	1
127.	नार्थ इस्टर्न हिल विश्वविद्यालय, शिलांग मेघालय	35	1
128.	तिलका मांझी, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार	39	1
129.	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उ.प्र.	164	1
	कुल		638

नोट :

- (i) विश्वविद्यालय/संस्थाओं को उनसे संबंधित अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है।
(ii) उम्मीदवारों ने जिस विश्वविद्यालय/संस्थान से अपनी उच्चतम डिग्री प्राप्त की है, उनको ध्यान में रखकर गणना की गई है।

सारणी 2 : उम्मीदवारों का विश्वविद्यालय/संस्था-वार सफलता अनुपात सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2007

क्र. सं.	विश्वविद्यालय/संस्था का नाम	उम्मीदवारों की संख्या		सफलता अनुपात (प्रतिशत)
		उपस्थित हुए	अनुशंसित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु	22	5	22.7
2	डा. बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	27	6	22.2
3	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब	26	5	19.2
4	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	27	5	18.5
5	संत गडगा बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र	28	5	17.9
6	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु	51	9	17.6
7	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, पंजाब	136	23	16.9
8	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र	30	5	16.7
9	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, उ.प्र.	88	14	15.9
10	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र	145	23	15.9
11	तमिलनाडु डा. एम.जी.आर. चिकित्सा विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु	52	8	15.4
12	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	65	9	13.8
13	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	248	32	12.9
14	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, म.प्र.	50	6	12.0
15	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान	67	8	11.9
16	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, नई दिल्ली	94	11	11.7
17	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र	139	16	11.5
18	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	612	69	11.3
19	भारती दासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	56	6	10.7
20	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलुरु, कर्नाटक	47	5	10.6
21	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	96	10	10.4
22	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	59	6	10.2
23	पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	59	6	10.2
24	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई, मद्रास	160	15	9.4
25	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	69	6	8.7
26	महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान	100	7	7.0
27	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ.प्र.	243	17	7.0

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

क्र. सं.	विश्वविद्यालय/संस्था का नाम	उम्मीदवारों की संख्या		सफलता अनुपात (प्रतिशत)
		उपस्थित हुए	अनुशंसित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	भरतियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	86	6	7.0
29	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा	74	5	6.8
30.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की, रुड़की, उत्तराखंड	76	5	6.6
31.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा	76	5	6.6
32.	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, मदुरई, तमिलनाडु	80	5	6.3
33.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	471	27	5.7
34.	पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार	139	7	5.0
35.	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया बिहार	147	6	4.1
36.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ.प्र.	150	6	4.0
37.	डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, उ.प्र.	186	7	3.8
38.	चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ.प्र.	134	5	3.7
39.	छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उ.प्र.	378	14	3.7
40.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ.प्र.	779	17	2.2

नोट :

- विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को उनके उम्मीदवारों के सफलता दर के अनुसार घटते क्रम में दिखाया गया है।
- केवल उन सभी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को दर्शाया गया है जिनमें कम से कम 5 या अधिक उम्मीदवारों को अनुशंसित किया गया।
- उम्मीदवारों द्वारा उच्चतम डिग्री प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय/संस्था के नामों को शामिल किया गया है।

परिशिष्ट XV

(देखिए अध्याय 3)

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2007 : उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण

1. आयोग द्वारा इंजीनियरी सेवा परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाती है – लिखित परीक्षा और उसके पश्चात व्यक्तित्व परीक्षण। लिखित परीक्षा में तीन वस्तुनिष्ठ और दो परंपरागत प्रकार के प्रश्न-पत्र होते हैं जो कुल 1000 अंकों के होते हैं जबकि व्यक्तित्व परीक्षण अधिकतम 200 अंकों का होता है। केवल वही उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण के पात्र होते हैं जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं।

2. इंजीनियरी सेवा परीक्षा – 2007 के आधार पर चार इंजीनियरी विषयों में भरे जाने के लिए सरकार द्वारा सूचित रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :-

विषय	रिक्तियों की संख्या
(i) सिविल इंजीनियरी	- 168
(ii) यांत्रिक इंजीनियरी	- 87
(iii) वैद्युत इंजीनियरी	- 45
(iv) इलैक्ट्रानिकी एवं दूर संचार इंजीनियरी	- 52
कुल	- 352

3. इंजीनियरी सेवा परीक्षा-2007 के लिए जिन 53,711 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, उनमें से 17,239 (32.1%) उम्मीदवार लिखित परीक्षा में बैठे। इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर 1,016 (5.9 %) उम्मीदवार अर्हक घोषित किए गए। इनमें से 943 उम्मीदवारों ने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया और विभिन्न इंजीनियरी सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु 304 उम्मीदवार अनुशंसित किए गए। शेष 48 रिक्तियों के परिणाम वर्ष 2008-09 के अंत तक घोषित नहीं किए गए हैं और अनुशंसित 304 उम्मीदवारों की संख्या की इस अध्ययन हेतु गणना की गई है। आवेदन करने वाले तथा परीक्षा के लिखित भाग में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का समुदायवार विवरण सारणी-1 में दिया गया है।

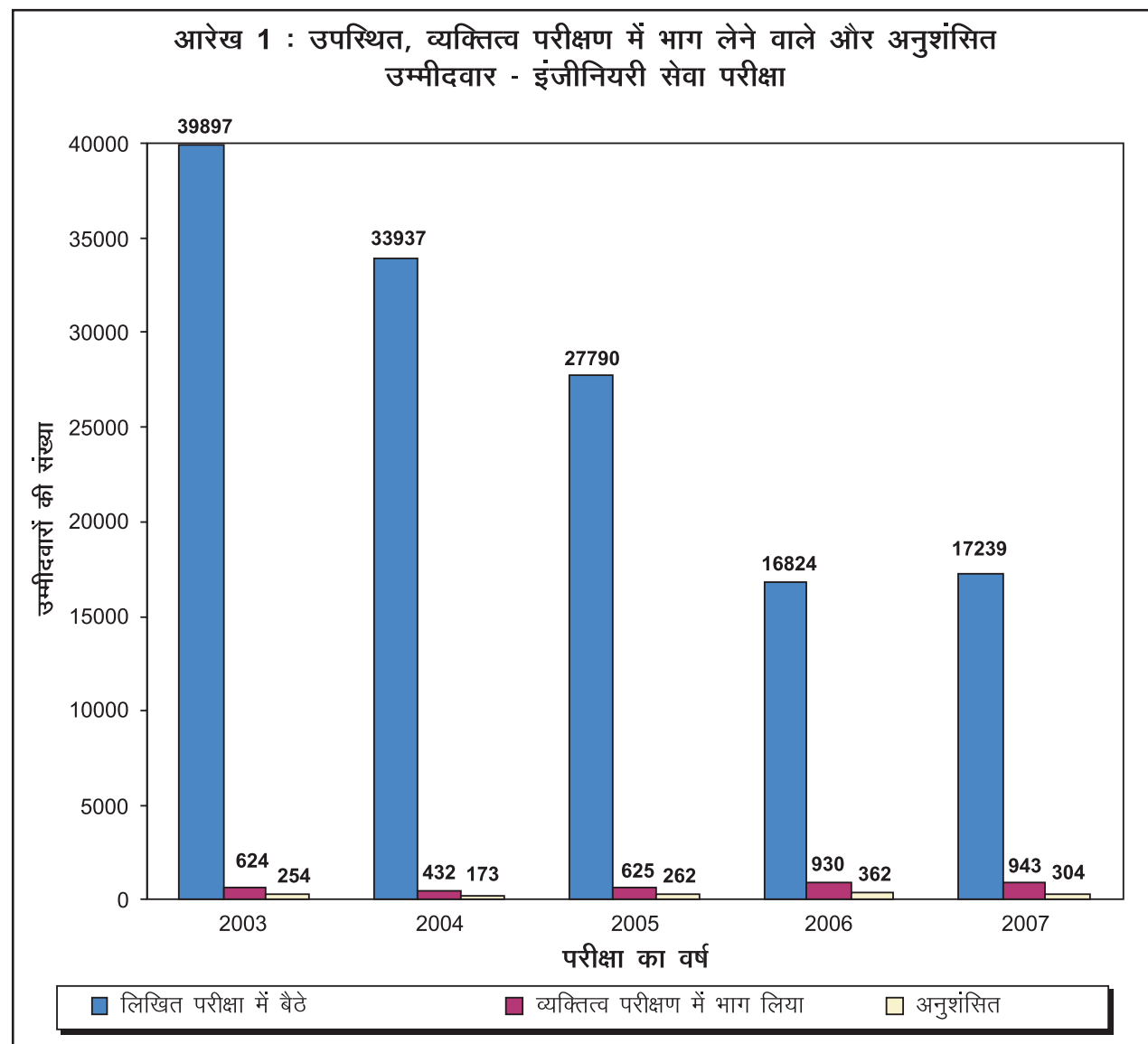
सारणी-1 इंजीनियरी सेवा परीक्षा-2007 के लिए आवेदन करने वाले तथा शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या

समुदाय	उम्मीदवारों की संख्या						छोड़ने वालों की दर (%)
	आवेदन करने वाले			शामिल होने वाले			
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	
अनुसूचित जाति	9,689	1,894	11,583	2,901	621	3,522	69.6
अनुसूचित जनजाति	3,504	509	4,013	1,106	153	1,259	68.6
अन्य पिछड़े वर्ग	12,642	2,189	14,831	4,411	698	5,109	65.5
सामान्य	18,982	4,289	23,271	6,020	1,329	7,349	68.4
कुल	44,817	8,881	53,711*	14,438	2,801	17,239	67.9

* 13 उम्मीदवार जिन्होंने आवेदन किया, के समुदायवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं अतः इन्हें शामिल नहीं किया गया है।

3.1 सारणी-1 से यह पता चलता है कि इंजीनियरी सेवा परीक्षा 2007 के लिए आवेदन करने वाले 53,711 उम्मीदवारों में से केवल 17,239 या 32.1% उम्मीदवार लिखित परीक्षा में बैठे। दूसरे शब्दों में, 67.9% उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए नहीं आए। साथ ही उम्मीदवारों के बीच अन्य पिछड़े वर्ग की तुलना में छोड़ने वालों की दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और सामान्य श्रेणी में अधिक रही।

3.2 पिछली 5 परीक्षाओं में लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले, व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होने वाले तथा नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों की संख्या को आरेख-1 में दिखाया गया है। 2003 से 2007 तक लिखित परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या में 43% की कमी हुई है।



4. शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर उम्मीदवारों का वितरण (अर्थात् उच्चतर योग्यताओं की तुलना में न्यूनतम निर्धारित योग्यताएं) तथा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर उम्मीदवारों की श्रेणी के संबंध में, जिन्होंने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया और जिनकी अनुशंसा की गई, सारणी-2 में दर्शाया गया है।

सारणी-2 शैक्षिक योग्यता तथा श्रेणी प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या-इंजीनियरी सेवा परीक्षा-2007

शैक्षिक योग्यताएं	व्यक्तित्व परीक्षण में बैठे उम्मीदवार			अनुशंसित उम्मीदवार		
	प्रथम श्रेणी	प्रथम श्रेणी के अलावा अन्य	कुल	प्रथम श्रेणी	प्रथम श्रेणी के अलावा अन्य	कुल
स्नातक डिग्रियां	670	101	771	219	26	245
उच्चतर डिग्रियां	162	10	172	55	4	59
कुल	832	111	943	274	30	304

टिप्पणी : उम्मीदवारों द्वारा उच्चतम डिग्री में प्राप्त श्रेणी को ध्यान में रखकर गणना की गई है।

4.1 सारणी-2 से यह पता चलता है कि नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों में से 80.6 प्रतिशत उम्मीदवार स्नातक थे, शेष 19.4 प्रतिशत उम्मीदवार उच्चतर योग्यता धारक थे। इसके अलावा, व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में स्नातक डिग्री धारकों तथा उच्च डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत क्रमशः 81.8 प्रतिशत तथा 18.2 प्रतिशत था।

4.2 सारणी-2 से यह पता चलता है कि नियुक्ति के लिए अनुशंसित 304 उम्मीदवारों में से 274 उम्मीदवार या 90.1 प्रतिशत उम्मीदवारों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी तथा 30 उम्मीदवार या 9.9 उम्मीदवारों ने कालेज/विश्वविद्यालय स्तर पर द्वितीय श्रेणी या उससे कम श्रेणी प्राप्त की थी। इसके अलावा, व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से 88.2 प्रतिशत उम्मीदवारों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी।

5 एक ओर एम.ई./एम.एस-सी./बी.टेक./बी.एस.सी. (इंजी.) आदि जैसे नियमित डिग्री धारकों तथा दूसरी ओर इंस्टीटयूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)/इंस्टीटयूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स/ऐरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया आदि द्वारा प्रदत्त समकक्ष योग्यताओं जैसे एसोशिएट मेम्बरशिप/ग्रेजुएट मेम्बरशिप रखने वाले उम्मीदवारों का विवरण सारणी-3 में दिया गया है।

सारणी 3 : समकक्ष योग्यताओं की तुलना में नियमित डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों की संख्या- इंजीनियरी सेवा परीक्षा - 2007

शैक्षिक योग्यताएं	उम्मीदवारों की संख्या व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित हुए उम्मीदवार	अनुशंसित उम्मीदवार
I नियमित डिग्रियां		
(क) प्रथम श्रेणी		
(i) बी.ई./बी.टेक./बी.एस.सी. (इंजी.)	670	219
(ii) एम.ई./एम.टेक./एम.एस.सी. (इंजी.)	162	55
(ख) अन्य श्रेणियां		
(i) बी.ई./बी.टेक./बी.एस.सी. (इंजी.)	75	19
(ii) एम.ई./एम.टेक./एम.एस.सी. (इंजी.)	10	4
उप-योग	917	297
II समकक्ष योग्यताएं		
इंस्टीटयूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) का खंड 'क' एवं 'ख'/इंस्टीटयूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स की ग्रेजुएट मेम्बरशिप परीक्षा/ऐरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया की एसोशिएट मेम्बरशिप परीक्षा, आदि	26	7
कुल	943	304

5.1 यह देखा गया है कि अनुशंसित किए गए कुल 304 उम्मीदवारों में से 297 (97.7%) उम्मीदवार विश्वविद्यालयों से प्राप्त नियमित डिग्रीधारी हैं और केवल 7(2.3%) उम्मीदवार ही ऐसे हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)/इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग/ऐयरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया से समकक्ष डिग्री प्राप्त की है।

6 व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों का विषयवार तथा योग्यतावार डिग्री के स्तर का विवरण सारणी-4 में दिया गया है।

सारणी-4 : विषयवार तथा योग्यतावार उम्मीदवारों की संख्या – इंजीनियरी सेवा परीक्षा-2007

विषय	व्यक्तित्व परीक्षण में उपस्थित उम्मीदवार			अनुशंसित उम्मीदवार		
	स्नातक डिग्री	उच्चतर डिग्रियां	कुल	स्नातक डिग्री	उच्चतर डिग्रियां	कुल
सिविल	392	111	503	105	29	134
यांत्रिक	165	35	200	68	17	85
वैद्युत	89	15	104	33	7	40
इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार	125	11	136	39	6	45
कुल	771	172	943	245	59	304

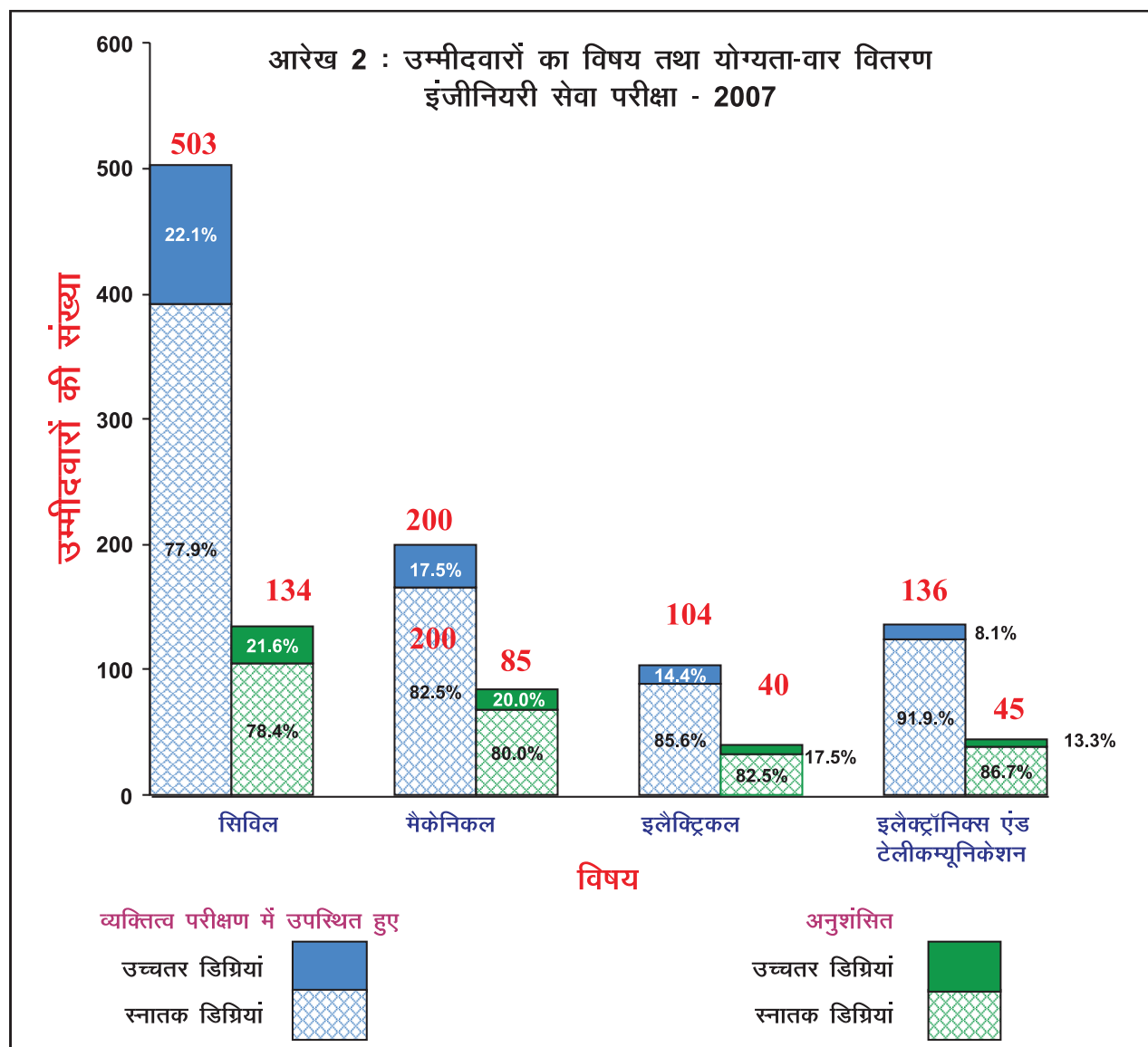
6.1 सारणी-4 से यह पता चलता है कि नियुक्ति के लिए अनुशंसित 304 उम्मीदवारों में से 134 उम्मीदवार या 44.1 प्रतिशत के सिविल इंजीनियरी पदों के लिए 85 उम्मीदवार या 28.0 प्रतिशत के यांत्रिक इंजीनियरी पदों के लिए, 40 उम्मीदवार या 13.1 प्रतिशत के वैद्युत इंजीनियरी पदों तथा 45 उम्मीदवार या 14.8 प्रतिशत उम्मीदवारों के इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार इंजीनियरी पदों के लिए अनुशंसा की गई।

6.2 अनुशंसित उम्मीदवारों में से सिविल, यांत्रिकी, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूर संचार इंजीनियरी में उच्च शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत क्रमशः 21.6 प्रतिशत, 20.0 प्रतिशत, 17.5 प्रतिशत तथा 13.3 प्रतिशत था। इस प्रकार अन्य इंजीनियरी विषयों की तुलना में सिविल इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री धारक उम्मीदवारों का सफलता अनुपात सर्वाधिक था।

6.3 व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वालों की तुलना में वे उम्मीदवार जिन्हें अनुशंसित किया गया है, का विषय तथा शैक्षिक अर्हतावार वितरण भी आरेख-2 में दर्शाया गया है।

7. व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले तथा अनुशंसित उम्मीदवारों की समुदाय तथा लिंगवार संख्या को सारणी-5 में दर्शाया गया है।

7.1 सारणी-5 से पता चलता है कि अनुशंसित किए गए कुल उम्मीदवारों में से 96.1 प्रतिशत पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत 3.9 प्रतिशत था।



सारणी-5 : उम्मीदवारों की समुदाय तथा लिंग-वार संख्या – इंजीनियरी सेवा परीक्षा-2007

समुदाय	व्यक्तित्व परीक्षण में उपस्थित उम्मीदवार			अनुशंसित उम्मीदवार		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
अनुसूचित जाति	157	2	159	52	-	52
अनुसूचित जनजाति	69	3	72	22	2	24
अन्य पिछड़े वर्ग	318	9	327	87	2	89
सामान्य	368	17	385	131	8	139
कुल	912	31	943	292	12	304

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

8. अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय, आयु तथा लिंग-वार वितरण सारणी-6 में दिया गया है।

सारणी-6 : अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय, आयु तथा लिंग-वार वितरण इंजीनियरी सेवा परीक्षा-2007 (1 अगस्त, 2007 के अनुसार आयु)

समुदाय	अनुशंसित उम्मीदवार			आयु-वर्ग (वर्षों में)									
				21-24		24-26		26-28		28-30		30 वर्ष तथा उससे ऊपर	
	पु.	म.	कु.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
अनुसूचित जाति	52	-	52	10	-	9	-	10	-	13	-	10	-
अनुसूचित जनजाति	22	2	24	9	1	6	1	5	-	1	-	1	-
अन्य पिछड़े वर्ग	87	2	89	16	-	19	1	19	-	17	-	16	1
सामान्य	131	8	139	29	5	27	2	38	-	33	1	4	-
कुल	292	12	304	64	6	61	4	72	-	64	1	31	1

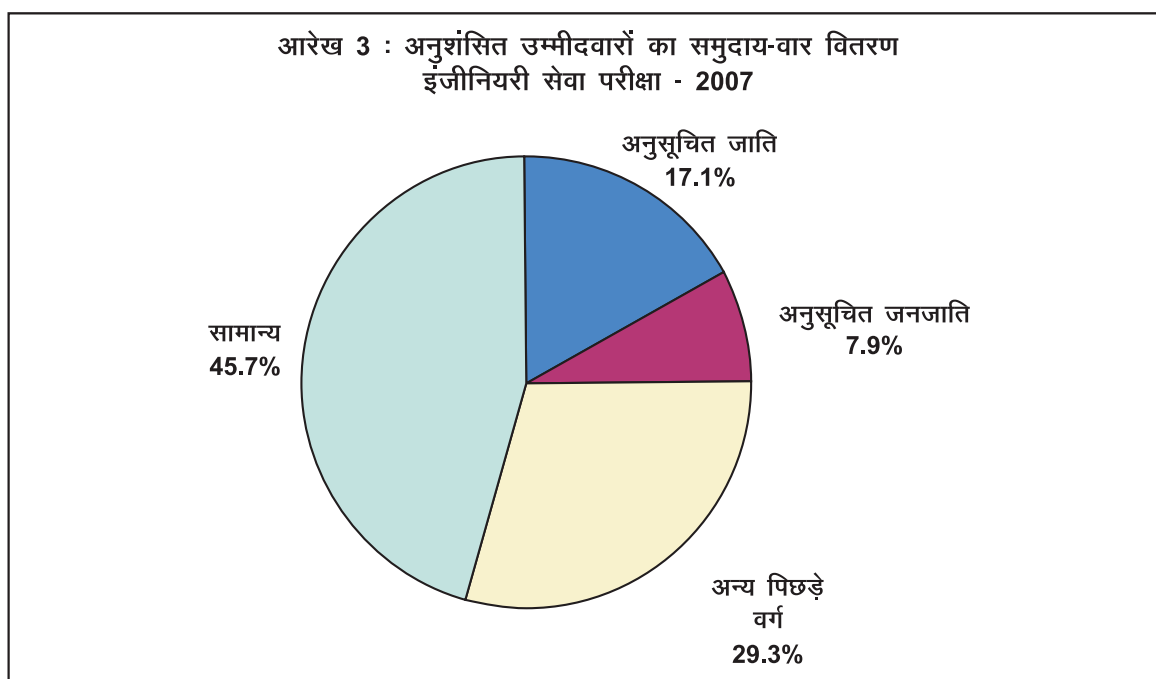
पु.: पुरुष;

म. : महिला;

कु.: कुल

8.1 सारणी-6 से देखा जा सकता है कि 52 उम्मीदवार या 17.1 प्रतिशत उम्मीदवार अनुसूचित जाति, 24 उम्मीदवार या 7.9 प्रतिशत उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, 89 उम्मीदवार या 29.3 प्रतिशत उम्मीदवार अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित थे तथा 139 या 45.7 प्रतिशत उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के थे।

8.2 अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदायवार वितरण आरेख-3 में भी दर्शाया गया है।



9. अनुशंसित उम्मीदवारों की समुदाय तथा लिंग-वार औसत आयु सारणी-7 में दी गई है।

सारणी-7 : अनुशंसित उम्मीदवारों की समुदाय तथा लिंग-वार औसत आयु इंजीनियरी सेवा परीक्षा-2007 (1 अगस्त, 2007 के अनुसार आयु)

समुदाय	अनुशंसित उम्मीदवारों की औसत आयु (वर्षों में)		
	पुरुष	महिला	कुल
अनुसूचित जाति	27.2	-	27.2
अनुसूचित जनजाति	25.0	24.9	25.0
अन्य पिछड़ा वर्ग	27.1	27.5	27.1
सामान्य	26.3	23.9	26.2
कुल	26.6	24.7	26.5

9.1 सारणी-7 से यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक समुदाय में नियुक्ति हेतु अनुशंसित पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में महिला उम्मीदवारों की आयु कम थी।

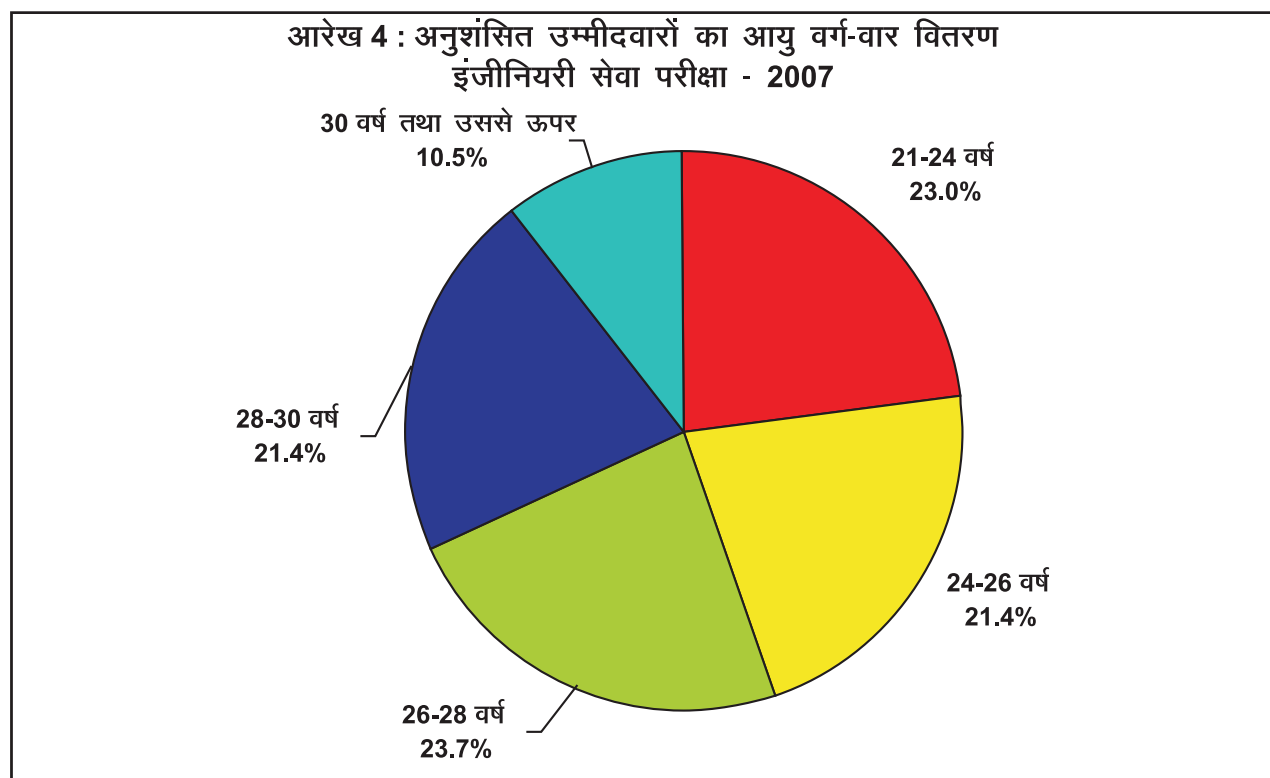
10. नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों का विषय तथा आयु वर्ग-वार वितरण सारणी-8 में दिया गया है।

सारणी-8 : नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों का विषय तथा आयु वर्ग-वार वितरण-इंजीनियरी सेवा परीक्षा-2007 (1 अगस्त, 2007 के अनुसार आयु)

विषय	अनुशंसित उम्मीदवार	आयु वर्ग (वर्षों में)				
		21-24	24-26	26-28	28-30	30 वर्ष तथा उससे ऊपर
सिविल	134	35	29	29	25	16
यांत्रिक	85	10	20	20	25	10
वैद्युत	40	8	8	12	8	4
इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूर संचार	45	17	8	11	7	2
कुल	304	70	65	72	65	32

10.1 सारणी-8 से यह देखा जा सकता है कि अनुशंसित उम्मीदवारों में से उच्चतम प्रतिशत 26-28 आयु वर्ग (23.7 प्रतिशत) था, इसके बाद 21-24 आयु वर्ग (23.0 प्रतिशत), 24-26 आयु वर्ग और 28-30 आयु वर्ग (21.4 प्रतिशत) तथा 30 वर्ष एवं उससे अधिक (10.5 प्रतिशत) की थी।

10.2 अनुशंसित उम्मीदवारों का आयु वर्ग-वार वितरण आरेख-4 में दिया गया है।



11. सरकार द्वारा इंजीनियरी सेवा परीक्षा - 2007 के आधार पर शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली आरक्षित रिक्तियों की संख्या 5 बताई गई। इन रिक्तियों में सिविल इंजीनियरी में पी.एच. प्रथम श्रेणी के लिए 1, तीन रिक्तियां (पी.एच. प्रथम श्रेणी के लिए 2 तथा पी.एच. 3 श्रेणी के लिए एक) यांत्रिक इंजीनियरी के लिए और एक रिक्ति इलेक्ट्रानिकी तथा दूर संचार इंजीनियरी विषय में पी.एच. 3 श्रेणी के लिए आरक्षित थी) (पी.एच. प्रथम-अस्थि विकलांग, पी.एच. 2 दृष्टि बाधित, पी.एच. 3 - श्रवण बाधित)

11.1 इंजीनियरी सेवा परीक्षा - 2007 की लिखित परीक्षा के लिए 219 शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों में से 14 उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त की 13 उम्मीदवारों ने व्यक्तिगत परीक्षण में भाग लिया तथा पांच उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया। जैसाकि आयोग ने उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए अपेक्षित संख्या में शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को अनुशंसित किया।

11.2 पांच उम्मीदवारों में से, एक उम्मीदवार अनुसूचित जाति के तथा दो उम्मीदवार अन्य पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त, इन पांच उम्मीदवारों में से चार पुरुष तथा एक महिला उम्मीदवार थी।

12. व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों की विश्वविद्यालय/संस्थावार संख्या को परिशिष्ट-XVI में दर्शाया गया है।

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2006 - उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण

13. वर्ष 2007-08 के दौरान, इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2006 के आधार पर नियुक्ति हेतु 363 रिक्तियों के लिए प्रारम्भ में 308 उम्मीदवारों की संस्तुति की गई। इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2006 में अनुशंसित उम्मीदवारों के रूप में

308 की संख्या मानते हुए उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण संबंधी विस्तृत विश्लेषण आयोग की 58वीं वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया। बाद में वर्ष 2008-09 के अन्त तक इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2006 के माध्यम से नियुक्ति हेतु कुल 362 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई है। इन 54 उम्मीदवारों का समुदाय लिंग, आयु, योग्यता तथा इंजीनियरी विषय-वार वितरण नीचे दिया गया है।

- (i) 23 उम्मीदवार अन्य पिछड़े वर्गों से तथा 31 उम्मीदवार सामान्य श्रेणी से संबंधित थे।
- (ii) 51 उम्मीदवार पुरुष थे तथा तीन महिलाएं थी। सभी महिलाएं सामान्य श्रेणी से संबंधित थी।
- (iii) नौ उम्मीदवार 21-24 वर्ष के आयु वर्ग के 24-26 वर्ष के आठ, 26-28 वर्ष के 20, 28-30 वर्ष के 13 तथा चार 30 वर्ष तथा अधिक आयु वर्गों के थे।
- (iv) 40 उम्मीदवार स्नातक थे तथा 14 उम्मीदवार स्नातकोत्तर थे। इसके अलावा, कॉलेज/विश्वविद्यालय स्तर पर 50 उम्मीदवार प्रथम श्रेणी के थे तथा चार उम्मीदवार द्वितीय अथवा निम्न श्रेणी के थे।
- (v) 53 उम्मीदवारों के पास बी.ई./बी.टेक/एम.ई./एम.टेक आदि जैसी नियमित डिग्रियां थीं और एक उम्मीदवार के पास समकक्ष योग्यता अर्थात् इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) की खंड 'क' एवं 'ख' योग्यता थी।
- (vi) 31 उम्मीदवारों की सिविल इंजीनियरी के लिए 11 उम्मीदवारों की यांत्रिक इंजीनियरी के लिए, आठ उम्मीदवारों की वैद्युत इंजीनियरी के लिए तथा चार उम्मीदवारों की इलैक्ट्रॉनिक्स एवं दूर संचार इंजीनियरी पदों के लिए अनुशंसा की गई।

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

परिशिष्ट XVI

(देखिए अध्याय 3)

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2007 के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की तुलना में अनुशंसित उम्मीदवारों की विश्वविद्यालय/संस्था-वार संख्या :

क्र. सं.	विश्वविद्यालय / संस्था का नाम	उम्मीदवारों की संख्या	
		उपस्थित हुए	अनुशंसित
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ.प्र.	68	23
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, नई दिल्ली	48	21
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की, उत्तराखंड	59	21
4.	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राज.	51	16
5.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, उ.प्र.	26	15
6.	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल, म.प्र.	35	15
7.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी उ.प्र.	33	14
8.	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखंड	33	9
9.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु, कर्नाटक	11	8
10.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद उ.प्र.	30	8
11.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	33	8
12.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ.प्र.	16	7
13.	पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार	22	7
14.	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, भारत	25	7
15.	गोबिंद वल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तरांचल	10	6
16.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर, राजस्थान	16	6
17.	डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उ.प्र.	9	5
18.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ.प्र.	9	5
19.	पं० रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	10	5
20.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	22	5
21.	मोलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल, म.प्र.	8	4
22.	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे महाराष्ट्र	8	4
23.	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उ.प्र.	15	4
24.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ उ.प्र.	16	4
25.	एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, उ.प्र.	3	3
26.	राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र	5	3

क्र. सं.	विश्वविद्यालय / संस्था का नाम	उम्मीदवारों की संख्या	
		उपस्थित हुए	अनुशंसित
(1)	(2)	(3)	(4)
27.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची, झारखंड	8	3
28.	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा	8	3
29.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल, आंध्र.	12	3
30.	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र.	26	3
31.	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	2	2
32.	चौ० चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ.प्र.	2	2
33.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, पंजाब	3	2
34.	थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला, पंजाब	3	2
35.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू ज. एवं क.	3	2
36.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, असम	4	2
37.	कुमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड	4	2
38.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा	4	2
39.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र.	4	2
40.	भारतीय खान विद्यापीठ, धनबाद, झारखंड	5	2
41.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र, हरियाणा	5	2
42.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी, उ.प्र.	6	2
43.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	7	2
44.	बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी संस्थान, राऊरकेला, उड़ीसा	8	2
45.	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम, आंध्र.	10	2
46.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलुरु, कर्नाटक	1	1
47.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़ असम	1	1
48.	इकोले सेन्ट्रले, पेरिस	1	1
49.	राष्ट्रीय सिंगापुर विश्वविद्यालय, सिंगापुर	1	1
50.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, म.प्र.	1	1
51.	महाराजा सयाजीराव बडौदा विश्वविद्यालय, बड़दरा, गुजरात	1	1
52.	कालीकट विश्वविद्यालय, कोझीकोड, केरल	1	1
53.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, म.प्र.	1	1
54.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	2	1
55.	उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव, महाराष्ट्र	2	1
56.	स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड़, महाराष्ट्र	2	1
57.	बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल, म.प्र.	3	1
58.	ककातिया विश्वविद्यालय, वारंगल, आंध्र.	3	1
59.	मदुरै-कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै, तमिलनाडु	3	1

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

क्र. सं.	विश्वविद्यालय / संस्था का नाम	उम्मीदवारों की संख्या	
		उपस्थित हुए	अनुशंसित
(1)	(2)	(3)	(4)
60.	पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, जालंधर, पंजाब	3	1
61.	डा० बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	4	1
62.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई, मुम्बई, महाराष्ट्र	4	1
63.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चैन्नई, तमिलनाडु	4	1
64.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, हि.प्र.	4	1
65.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट, केरल	5	1
66.	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई, महाराष्ट्र	5	1
67.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता, प.बं.	6	1
68.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर, झारखंड	6	1
69.	बंगाल इंजीनियरी तथा विज्ञान विश्वविद्यालय, शिबपुर, हावड़ा, पं.ब.	7	1
70.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, पं.ब.	7	1
71.	संबलपुर विश्वविद्यालय, संबलपुर उड़ीसा	7	1
72.	विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र	7	1
73.	तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार	8	1
74.	छत्रपति साहुजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उ.प्र.	9	1
	कुल		304

टिप्पणी : (i) विश्वविद्यालय/संस्थाओं को उनसे संबंधित अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है।

(ii) उम्मीदवारों ने जिन विश्वविद्यालय/संस्थान से अपनी उच्चतम डिग्री प्राप्त की है, उनको ध्यान में रखकर गणना की गई है।

परिशिष्ट XVII

(देखिए अध्याय 3)

भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007 : उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण

1. भारतीय वन सेवा परीक्षा दो क्रमिक चरणों में आयोजित की जाती है अर्थात् पहले लिखित परीक्षा तथा उसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार। लिखित परीक्षा में 6 परंपरागत (निबंध) शैली के प्रश्नपत्र होते हैं जो कुल 1400 अंकों के हैं, जबकि साक्षात्कार 300 अंकों का होता है। केवल वे उम्मीदवार साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षण) के लिए पात्र होते हैं जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं।

2. भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007 के आवेदन करने वाले 31,887 उम्मीदवारों में से 7696 (24 प्रतिशत) उम्मीदवार जुलाई, 2007 में आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुए। लिखित परीक्षा के परिणामों के आधार पर 129 उम्मीदवारों ने व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हक घोषित किया गया। 129 उम्मीदवारों में से 128 उम्मीदवारों ने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया जिसमें से आयोग द्वारा 40 उम्मीदवारों की भारतीय वन सेवा में नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई। पिछले पांच वर्षों के दौरान आयोजित की गई भारतीय वन सेवा परीक्षाओं में रिक्तियों तथा आवेदन करने वाले, परीक्षा में भाग लेने वाले, लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले, व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होने वाले और नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्याओं को सारणी-1 में दर्शाया गया है।

सारणी 1 : वर्ष-वार रिक्तियों की संख्या तथा उम्मीदवारों की संख्या – भारतीय वन सेवा परीक्षा

वर्ष	रिक्तियों की संख्या	उम्मीदवारों की संख्या				अनुशंसित
		आवेदन करने वाले	लिखित परीक्षा में सम्मिलित	लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले	व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2003	35	32,866	8,749	86	85	35
2004	30	40,576	9,963	121*	120	30
2005	50	43,187	9,951**	156	156	50
2006	35	35,601	8,882	113	112	35
2007	40	31,887	7,696	129	128	40

टिप्पणी : वर्ष 2004 तथा 2005 में क्रमशः * एक एवं **पांच उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को बाद में रद्द कर दिया गया।

2.1 पिछली पांच भारतीय वन सेवा परीक्षाओं में आवेदन करने वाले, भाग लेने वाले व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होने वाले तथा अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों की संख्या को आरेख-1 में दर्शाया गया है।

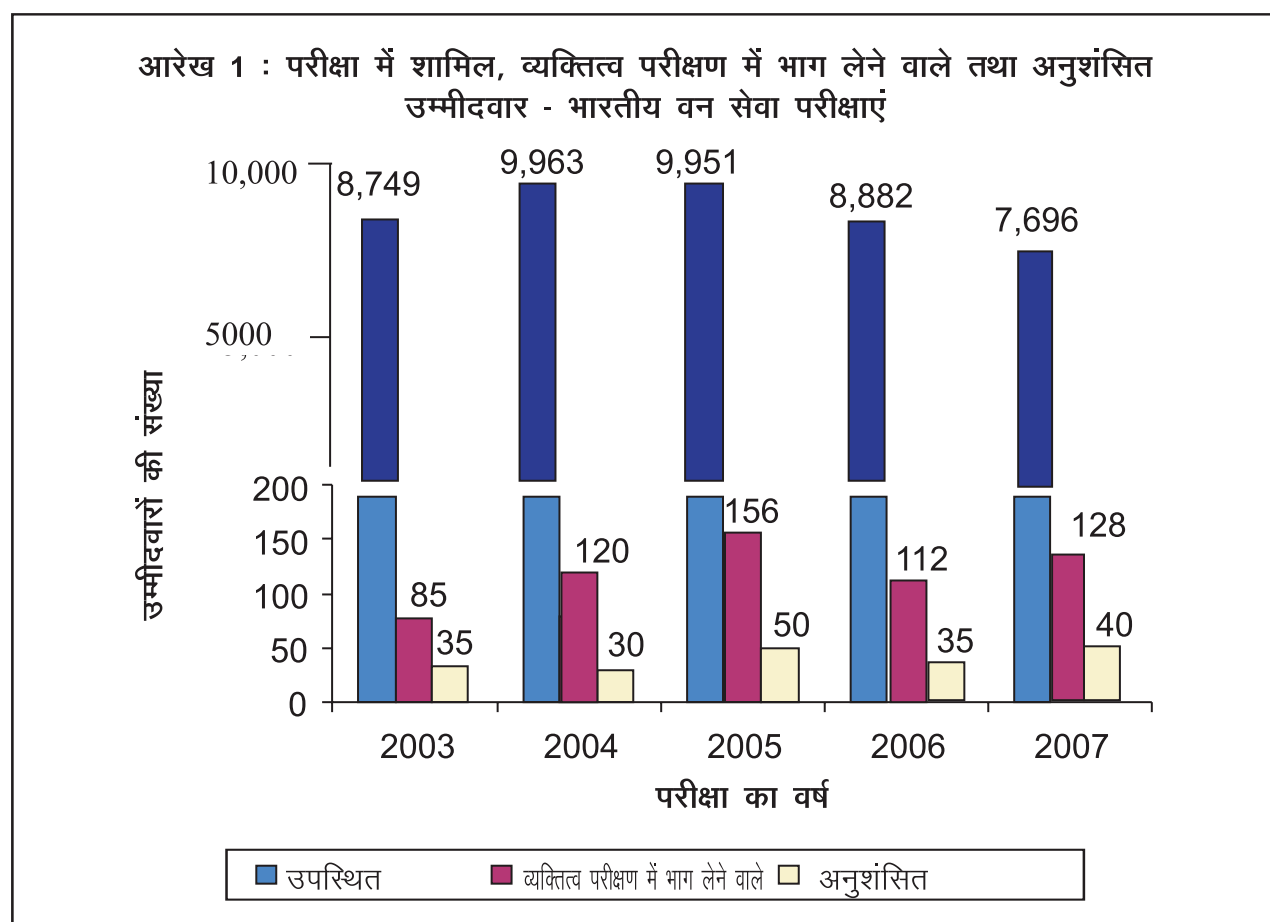
3. भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007 के लिए आवेदन करने वाले और सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों की समुदाय तथा लिंग-वार संख्या को सारणी-2 में दर्शाया गया है:

3.1 सारणी 2 से यह देखा जा सकता है कि वन सेवा परीक्षा, 2007 के लिए आवेदन करने वाले 31,887 उम्मीदवारों में से केवल 7,696 (24 प्रतिशत) उम्मीदवार ही लिखित परीक्षा में बैठे। दूसरे शब्दों में 76 प्रतिशत उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए नहीं आए। साथ ही, परीक्षा छोड़ देने वाले उम्मीदवारों की दर अन्य पिछड़े वर्ग तथा सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों में अधिक थी।

सारणी 2 : भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007 में आवेदन करने वाले तथा सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों की समुदाय तथा लिंग-वार संख्या

	आवेदन करने वाले				सम्मिलित होने वाले			
	पुरुष	महिला	कुल	कुल का प्रतिशत	पुरुष	महिला	कुल	कुल का प्रतिशत
अ.जा.	6206	2038	8244	26%	1295	462	1757	23%
अ.ज.जा.	2466	1054	3520	11%	550	248	798	10%
अ.पि.व.	6204	2216	8420	26%	1640	564	2204	29%
सामान्य	7598	4097	11695	37%	1905	1032	2937	38%
कुल	22474	9405	31,887*	100%	5390	2306	7696	100%

टिप्पणी : * जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था उनमें से 8 उम्मीदवारों के समुदाय-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।



3.2 भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007 में उपस्थित हुए 7,696 उम्मीदवारों में से कुल 2,306 (30प्रतिशत) उम्मीदवार महिलाएं थीं। उसी प्रकार, भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007 में अनुशंसित 40 उम्मीदवारों में से 8 (20प्रतिशत) महिलाएं (सारणी 7 देखिए) थीं। भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2006 में भी परीक्षा में उपस्थिति हुए 8,882 उम्मीदवारों में से 2,671 (30 प्रतिशत) महिलाएं थीं और अनुशंसित किए गए 35 उम्मीदवारों में से 6 (17 प्रतिशत) महिलाएं थी।

4. भारतीय वन सेवा, 2007 के लिए आवेदन करने वाले, सम्मिलित होने वाले, लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले, व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होने वाले तथा अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों की समुदाय-वार संख्या को सारणी 3 में दर्शाया गया है।

सारणी 3 : समुदाय-वार उम्मीदवारों की संख्या: – भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007

समुदाय	उम्मीदवारों की संख्या				अनुशंसित
	आवेदित	लिखित परीक्षा में शामिल	लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले	व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अ.जा.	8,244	1,757	20	19	6
अ.ज.जा.	3,520	798	9	9	3
अ.पि.व.	8,420	2,204	49	49	15
सामान्य	11,695	2,937	51	51	16
कुल	31,887*	7,696	129	128	40

* आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से शामिल किए गए 8 उम्मीदवार जिनका समुदाय-वार आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

5. भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007 के विस्तृत आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर उनकी शैक्षिक योग्यताओं के बारे में एक विश्लेषण किया गया है। इस प्रयोजन के लिए उम्मीदवारों की उच्चतम शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रखा गया है। शैक्षिक योग्यता-वार वे उम्मीदवार जिन्होंने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया तथा जिनकी नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई, का वितरण सारणी 4 में दर्शाया गया है।

सारणी 4 : उम्मीदवारों का अर्हता-वार वितरण : भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007

शैक्षिक योग्यताएं		उम्मीदवारों की संख्या	
		व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले	अनुशंसित
I. स्नातक डिग्रियां		33	8
(i)	कृषि विज्ञान या वानिकी में स्नातक डिग्री	16	3
(ii)	पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान सहित स्नातक डिग्री	2	2
(iii)	भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, गणित, सांख्यिकी या भूविज्ञान में स्नातक डिग्री	5	1
(iv)	इंजीनियरी में स्नातक डिग्री	10	2
II. उच्चतर डिग्रियां		95	32
(i)	कृषि या वानिकी में स्नातकोत्तर डिग्री	58	21
(ii)	पशुपालन तथा पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री	15	4
(iii)	इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री	2	-
(iv)	अन्य विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री	14	3
(v)	पी.एच.डी.	6	4
कुल		128	40

5.1 उपर्युक्त सारणी 4 से पता चलता है कि अनुशंसित उम्मीदवारों में से 20 प्रतिशत उम्मीदवार स्नातक थे तथा 80 प्रतिशत उम्मीदवारों ने स्नातकोत्तर या उच्चतर डिग्रियाँ प्राप्त की थीं।

6. वैकल्पिक विषय के माध्यम से जिन उम्मीदवारों ने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया था और जिनकी नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई थी, उनका वितरण सारणी 5 में दिया गया है।

सारणी 5 : उन उम्मीदवारों का वितरण जिन्होंने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया तथा नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई – भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007

क्र. सं.	वैकल्पिक विषय	उम्मीदवारों की संख्या		
		व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया	अनुशंसित	पास प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कृषि विज्ञान	80	26	32.5%
2	कृषि इंजीनियरी	3	1	33.3%
3	पशुपालन तथा पशु-चिकित्सा विज्ञान	19	6	31.6%
4	वनस्पति विज्ञान	42	14	33.3%
5	रसायन विज्ञान	3	-	-
6	रसायन इंजीनियरी	-	-	-
7	सिविल इंजीनियरी	-	-	-
8	वानिकी	55	18	32.7%
9	भूविज्ञान	2	-	-
10	गणित	8	1	12.5%
11	यांत्रिक इंजीनियरी	4	2	50%
12	भौतिकी	11	3	27.3%
13	सांख्यिकी	-	-	-
14	प्राणि विज्ञान	29	9	31.0%

6.1 सारणी 5 से यह पता चलता है कि व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से कृषि विज्ञान का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक थी, इसके बाद वानिकी, वनस्पति विज्ञान तथा प्राणि विज्ञान का स्थान रहा।

7. जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई, उनका समुदाय-वार, आयु-वार तथा लिंग-वार वितरण सारणी-6 में दिया गया है

सारणी 6 : उन उम्मीदवारों का समुदाय-वार, आयु-वार तथा लिंग-वार वितरण जिन्होंने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया – भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007 (1 जुलाई, 2007 के अनुसार आयु)

समुदाय	कुल			आयु-वर्ग (वर्षों में)									
				21-24		24-26		26-28		28-30		30 तथा उससे ऊपर	
	कु	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
अ.जा.	19	15	4	1	-	3	1	3	1	4	1	4	1
अ.ज.जा.	9	6	3	-	-	3	-	-	3	1	-	2	-
अ.पि.व.	49	43	6	6	1	5	1	10	2	11	1	11	1
सामान्य	51	39	12	4	-	8	3	17	6	10	2	-	1
कुल	128	103	25	11	1	19	5	30	12	26	4	17	3

कु : कुल; पु. : पुरुष; म. : महिला

जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई, उनका समुदाय-वार, आयु-वार तथा लिंग-वार वितरण सारणी-7 में दिया गया है

सारणी 7: अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय-वार, आयु-वार तथा लिंग-वार वितरण – भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007 (1 जुलाई, 2007 के अनुसार आयु)

समुदाय	कुल			आयु-वर्ग (वर्षों में)									
				21-24		24-26		26-28		28-30		30 तथा उससे ऊपर	
	कु	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
अ.जा.	6	5	1	-	-	2	-	-	-	3	1	-	-
अ.ज.जा.	3	2	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
अ.पि.व.	15	13	2	-	1	1	-	4	-	5	-	3	1
सामान्य	16	12	4	-	-	2	1	6	3	4	-	-	-
कुल	40	32	8	-	1	7	1	10	4	12	1	3	1

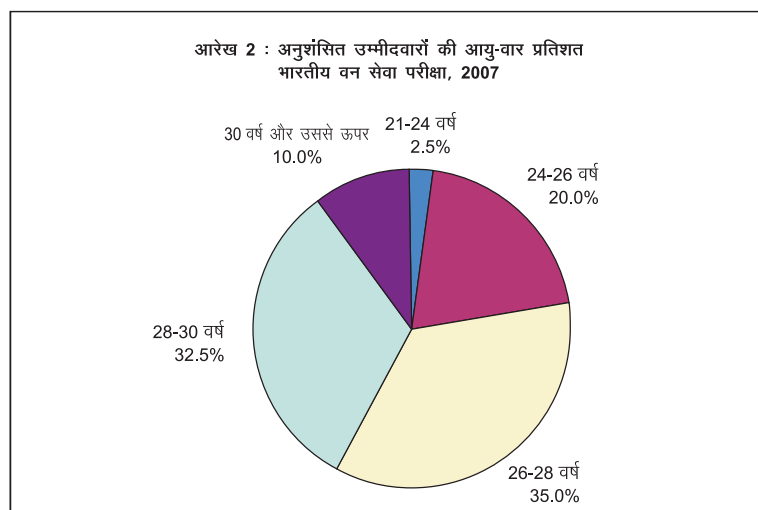
कु. : कुल; पु. : पुरुष; म. : महिला

7.1. उपर्युक्त सारणी 6 से यह देखा जा सकता है कि साक्षात्कार में 128 उम्मीदवार शामिल हुए 19 (15 प्रतिशत) उम्मीदवार अनुसूचित जाति, 9 (7 प्रतिशत) उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, 49 (38 प्रतिशत) उम्मीदवार अन्य पिछड़े वर्ग तथा 51 (40 प्रतिशत) उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के थे।

8. सारणी 7 से निम्नलिखित तथ्यों का पता चलता है:

- 40 अनुशंसित उम्मीदवारों में से (15 प्रतिशत) उम्मीदवार अनुसूचित जाति, 3 (7.5 प्रतिशत) उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, 15 (37.5 प्रतिशत) उम्मीदवार अन्य पिछड़े वर्ग तथा 16 (40%) उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के थे।
- कुल अनुशंसित उम्मीदवारों में से महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत 20 था।
- सभी संस्तुत उम्मीदवारों की औसत आयु 27 वर्ष 6 महीने की तुलना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा सामान्य श्रेणियों के उम्मीदवारों की औसत आयु क्रमशः 27 वर्ष 2 महीने, 25 वर्ष 4 महीने, 28 वर्ष 4 महीने और 27 वर्ष 3 महीने थी।

8.1 भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007 में अनुशंसित उम्मीदवारों के आयु-वार प्रतिशत आरेख 2 में दर्शाया गया है।



वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

9. सामान्य उम्मीदवारों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा में भाग लेने के लिए क्रमशः चार और सात अवसर प्रदान किए जाते हैं। परन्तु, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अवसर की संख्या पर कोई पाबन्दी नहीं है। परीक्षा के लिए संस्तुत उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या को समुदाय-वार तथा लिंग-वार सारणी-8 में दर्शाया गया है।

सारणी 8 : अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा समुदाय-वार तथा लिंग-वार किए गए प्रयास – भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007

समुदाय	लिंग	अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या					कुल
		1	2	3	4	4 से अधिक	
अ.जा.	पुरुष	-	1	2	1	1	5
	महिला	-	-	-	-	1	1
अ.ज.जा.	पुरुष	-	2	-	-	-	2
	महिला	-	1	-	-	-	1
अ.पि.व.	पुरुष	2	1	3	5	2	13
	महिला	1	-	-	-	1	2
सामान्य	पुरुष	5	4	2	1	-	12
	महिला	1	2	1	-	-	4
कुल	पुरुष	7	8	7	7	3	32
	महिला	2	3	1	-	2	8

9.1 सारणी 8 से पता चलता है कि 22.5 प्रतिशत उम्मीदवारों ने परीक्षा में पहले प्रयास में सफलता प्राप्त की तथा 27.5 प्रतिशत उम्मीदवारों ने दूसरे प्रयास में सफलता प्राप्त की। तथापि, तीसरे, चौथे तथा चार से अधिक प्रयासों में सफलता प्राप्त उम्मीदवारों का प्रतिशत क्रमशः 20 प्रतिशत, 17.5 प्रतिशत तथा 12.5 प्रतिशत था। इसके अलावा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भी उम्मीदवार प्रथम प्रयास में परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं कर सका।

10. भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007 में अनुशंसित उम्मीदवारों का विश्वविद्यालय-वार/ संस्था-वार वितरण सारणी 9 में दर्शाया गया है। इस उद्देश्य के लिए यह विश्वविद्यालय/संस्था जहां से उम्मीदवारों ने उच्चतम अर्हता प्राप्त की है, को दर्शाया गया है।

सारणी 9 : विश्वविद्यालय-वार/संस्था-वार अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या – भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007

क्र. सं.	विश्वविद्यालय / संस्था का नाम	अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या
1	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	8
2	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	6
3	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, उ.प्र.	3
4	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़, कर्नाटक	2
5	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड	2

क्र. सं.	विश्वविद्यालय / संस्था का नाम	अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या
6	गोविन्द बल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड	2
7	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर, कर्नाटक	2
8	चौ० चरणसिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा	2
9	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	1
10	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र	1
11	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापटनम, आंध्र.	1
12	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	1
13	आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र.	1
14	मनोमनियन सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरुनवैली, तमिलनाडु	1
15	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल	1
16	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची, झारखंड	1
17	तमिलनाडु पशु चिकित्सा तथा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु	1
18	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान संस्थान, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर	1
19	बंगलौर विश्वविद्यालय, कर्नाटक	1
20	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, असम	1
21	इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ.प्र.	1
	कुल	40

टिप्पणी : अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को उनके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है।

10.1 सारणी 9 से पता चलता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से अधिकतम आठ उम्मीदवार थे, उसके बाद तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (6 उम्मीदवार) तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश (3 उम्मीदवार) थे।

परिशिष्ट XVII-क

(देखिए अध्याय 3)

भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008 : उम्मीदवारों का संक्षिप्त विवरण

1. भारतीय वन सेवा परीक्षा दो क्रमिक चरणों में आयोजित की जाती है अर्थात् पहले लिखित परीक्षा तथा उसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार। लिखित परीक्षा में 6 परंपरागत (निबंध) शैली के प्रश्नपत्र होते हैं जो कुल 1400 अंकों के हैं, जबकि साक्षात्कार 300 अंकों का होता है। केवल वे उम्मीदवार साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षण) के लिए पात्र होते हैं जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं।

2. भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008 में आवेदन करने वाले 32,872 उम्मीदवारों में से 7,659 (23 प्रतिशत) उम्मीदवार जुलाई, 2008 में आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुए। लिखित परीक्षा के परिणामों के आधार पर 232 उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हक घोषित किया गया। 232 उम्मीदवारों में से 230 उम्मीदवारों ने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया जिसमें से आयोग द्वारा 84 उम्मीदवारों की भारतीय वन सेवा, 2008 में नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई। एक उम्मीदवार का परिणाम रोक लिया गया। पिछले पांच वर्षों के दौरान आयोजित की गई भारतीय वन सेवा परीक्षाओं में आवेदन करने वाले, परीक्षा में भाग लेने वाले, लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले, व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होने वाले और नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्याओं को सारणी-1 में दर्शाया गया है।

सारणी 1 : वर्ष-वार रिक्तियों की संख्या तथा उम्मीदवारों की संख्या – भारतीय वन सेवा परीक्षा

वर्ष	रिक्तियों की संख्या	उम्मीदवारों की संख्या				अनुशंसित
		आवेदन करने वाले	लिखित परीक्षा में सम्मिलित	लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले	व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004	30	40,576	9,963	121*	120	30
2005	50	43,187	9,951*	156	156	50
2006	35	35,601	8,882	113	112	35
2007	40	31,887	7,696	129	128	40
2008	85	32,872	7,659	232*	230	84

टिप्पणी : * वर्ष 2004, 2005 तथा 2008 में क्रमशः एक, पांच तथा दो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को बाद में रद्द कर दिया गया।

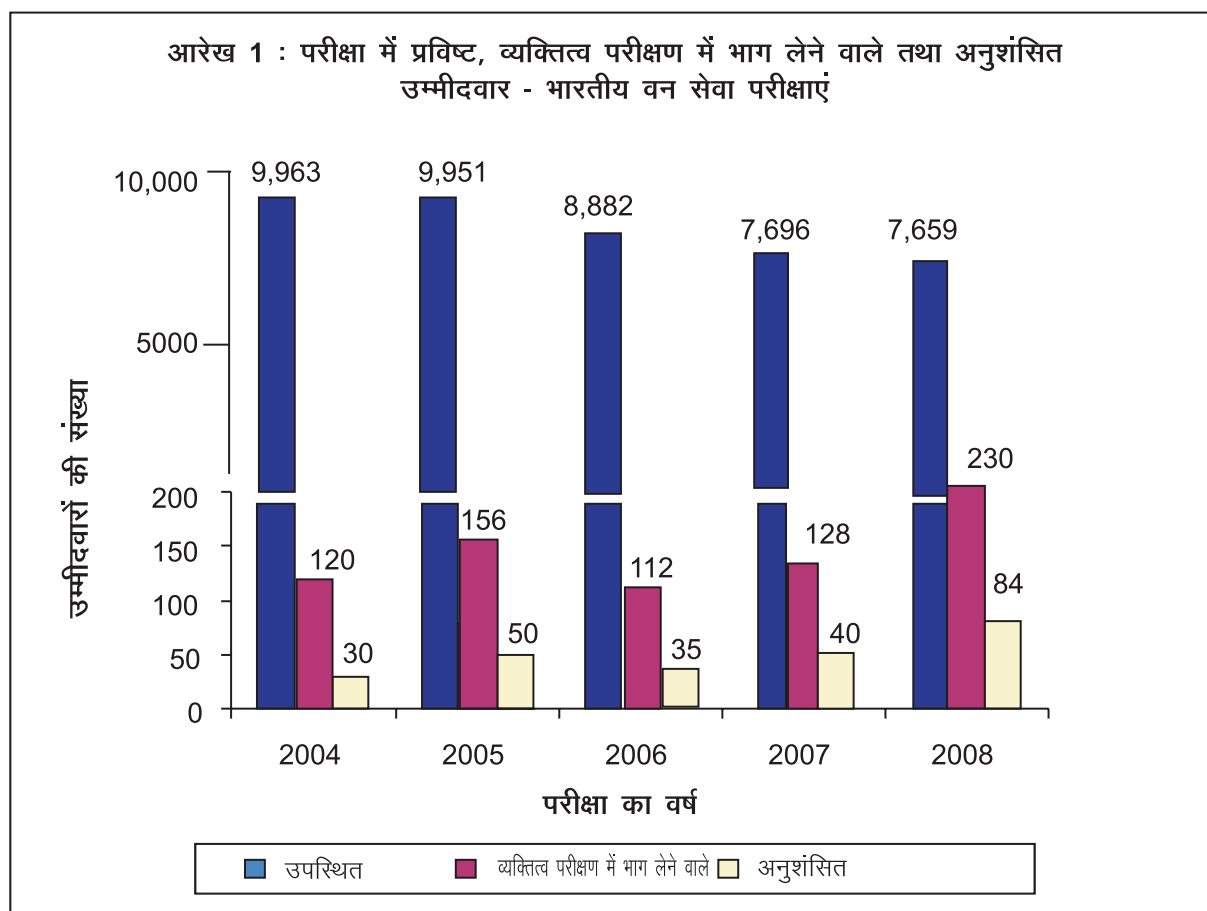
2.1 पिछली पांच भारतीय वन सेवा परीक्षाओं में आवेदन करने वाले, व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होने वाले तथा अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों की संख्या को आरेख-1 में दर्शाया गया है।

3. भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008 के लिए आवेदन करने वाले और सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों की समुदाय-वार तथा लिंग-वार संख्या को सारणी-2 में नीचे दर्शाया गया है :

3.1 सारणी 2 से यह देखा जा सकता है कि वन सेवा परीक्षा, 2008 के लिए आवेदन करने वाले 32,872 उम्मीदवारों में से केवल 7,659 (23 प्रतिशत) उम्मीदवार ही लिखित परीक्षा में बैठे। दूसरे शब्दों में 77 प्रतिशत उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए नहीं आए। साथ ही, परीक्षा छोड़ जाने वाले उम्मीदवारों की दर अन्य पिछड़े वर्ग तथा सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों से अधिक थी।

सारणी 2 : भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008 में आवेदन करने वाले तथा सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों की समुदाय तथा लिंग-वार संख्या।

	आवेदन करने वाले				सम्मिलित होने वाले			
	पुरुष	महिला	कुल	कुल का प्रतिशत	पुरुष	महिला	कुल	कुल का प्रतिशत
अ.जा.	6,049	2,112	8,161	25%	1193	441	1634	21%
अ.ज.जा.	2,789	1,203	3,992	12%	538	298	836	11%
अ.पि.व.	6,344	2,336	8,680	26%	1716	564	2280	30%
सामान्य	7,766	4,273	12,039	37%	1895	1014	2909	38%
कुल	22,948	9,924	32,872	100%	5,342	2,317	7,659	100%



3.2 भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008 में उपस्थित हुए 7,659 उम्मीदवारों में से कुल 2,317 (30 प्रतिशत) महिलाएं उम्मीदवार थीं। उसी प्रकार भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008 में अनुशंसित 84 उम्मीदवारों में से 9 (11प्रतिशत) महिलाएं (देखिए सारणी-7) थीं।

4. भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008 के लिए आवेदन करने वाले, सम्मिलित होने वाले, लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले, व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होने वाले तथा तथा अनुशंसित किए गए उम्मीदवारों की समुदाय-वार संख्या को सारणी 3 में दर्शाया गया है।

सारणी 3 : समुदाय-वार उम्मीदवारों की संख्या: भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008

समुदाय	उम्मीदवारों की संख्या				अनुशंसित
	आवेदित	लिखित परीक्षा में शामिल	लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले	व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अ.जा.	8,161	1634	36	36	14
अ.ज.जा.	3,992	836	18	17	6
अ.पि.व.	8,680	2280	89	89	33
सामान्य	12,039	2909	89	88	31
कुल	32,872	7,659	232	230	84

5. भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008 के विस्तृत आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर उनकी शैक्षिक योग्यताओं के बारे में एक विश्लेषण किया गया है। इस प्रयोजन के लिए उम्मीदवारों की उच्चतम शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रख गया है। शैक्षिक योग्यता-वार वे उम्मीदवार जिन्होंने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया तथा जिनकी नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई, का वितरण सारणी 4 में दर्शाया गया है।

सारणी 4 : उम्मीदवारों का अर्हता-वार वितरण : भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008

शैक्षिक योग्यताएं		उम्मीदवारों की संख्या	
		व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले	अनुशंसित
I. स्नातक डिग्रियां		80	32
(i)	कृषि विज्ञान या वानिकी में स्नातक डिग्री	40	15
(ii)	पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक डिग्री	6	2
(iii)	भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, गणित, सांख्यिकी या भूविज्ञान में स्नातक डिग्री।	8	1
(iv)	इंजीनियरी में स्नातक डिग्री।	26	14
II. उच्चतर डिग्रियां		150	52
(i)	कृषि या वानिकी में स्नातकोत्तर डिग्री	67	25
(ii)	पशुपालन तथा पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री	14	8
(iii)	इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री	6	2
(iv)	अन्य विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री	46	12
(v)	पी.एच.डी	17	5
कुल		230	84

5.1 उपर्युक्त सारणी 4 से पता चलता है कि अनुशंसित उम्मीदवारों में से 38 प्रतिशत उम्मीदवार स्नातक थे तथा 62 प्रतिशत उम्मीदवारों में स्नातकोत्तर या उच्चतर डिग्रियां प्राप्त की थीं।

6. वैकल्पिक विषय के माध्यम से जिन उम्मीदवारों ने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया और जिनकी नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई, उनका वितरण सारणी 5 में दिया गया है।

सारणी 5 : उन उम्मीदवारों का वितरण जिन्होंने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया तथा नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई – भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008

क्र. सं.	वैकल्पिक विषय	उम्मीदवारों की संख्या व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया	अनुशंसित	पास प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	यांत्रिक इंजीनियरी	5	3	60.0%
2	पशु-पालन तथा पशु-चिकित्सा विज्ञान	22	12	54.5%
3	कृषि इंजीनियरी	2	1	50.0%
4	रसायन विज्ञान	12	6	50.0%
5	भूविज्ञान	6	3	50.0%
6	भौतिकी	23	11	47.8%
7	गणित	21	8	38.1%
8	प्राणिविज्ञान	61	23	37.7%
9	वानिकी	106	38	35.8%
10	कृषि विज्ञान	131	45	34.4%
11	वनस्पति विज्ञान	68	18	26.5%
12	रसायन इंजीनियरी	1	-	-
13	सिविल इंजीनियरी	1	-	-
14	सांख्यिकी	1	-	-

6.1 सारणी 5 से यह पता चलता है कि व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से कृषि विज्ञान का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक थी, इसके बाद वानिकी, वनस्पति विज्ञान तथा प्राणि विज्ञान का स्थान रहा।

7. जिन उम्मीदवारों ने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया उनका समुदाय-वार, आयु-वार तथा लिंग-वार वितरण सारणी 6 में दिया गया है।

सारणी 6 : उन उम्मीदवारों का समुदाय-वार, आयु-वार तथा लिंग-वार वितरण जिन्होंने व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लिया – भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008 (1 जुलाई, 2008 के अनुसार आयु)

समुदाय	कुल			आयु-वर्ग (वर्षों में)									
				21-24		24-26		26-28		28-30		30 तथा उससे ऊपर	
	कु.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
अ.जा.	36	31	5	8	-	7	3	6	1	3	1	7	-
अ.ज.जा.	17	13	4	1	-	3	2	3	-	3	1	3	1
अ.पि.व.	89	75	14	14	3	7	5	12	2	22	-	20	4
सामान्य	88	70	18	10	4	20	6	18	5	21	3	1	-
कुल	230	189	41	33	7	37	16	39	8	49	5	31	5

कु. : कुल; पु. : पुरुष; म. : महिला

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई, उनका समुदाय-वार, आयु-वार तथा लिंग-वार वितरण सारणी 7 में दिया गया है।

सारणी 7 : अनुशंसित उम्मीदवारों का समुदाय-वार, आयु-वार तथा लिंग-वार वितरण – भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008 (1 जुलाई, 2008 के अनुसार आयु)

समुदाय	कुल			आयु-वर्ग (वर्षों में)									
				21-24		24-26		26-28		28-30		30 तथा उससे ऊपर	
	कु	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
अ.जा.	14	13	1	3	-	2	-	2	-	3	1	3	-
अ.ज.जा.	6	6	-	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-
अ.पि.व.	33	27	6	3	1	2	2	4	1	9	-	9	2
सामान्य	31	29	2	5	-	8	-	8	-	7	2	1	-
कुल	84	75	9	12	1	14	2	16	1	20	3	13	2

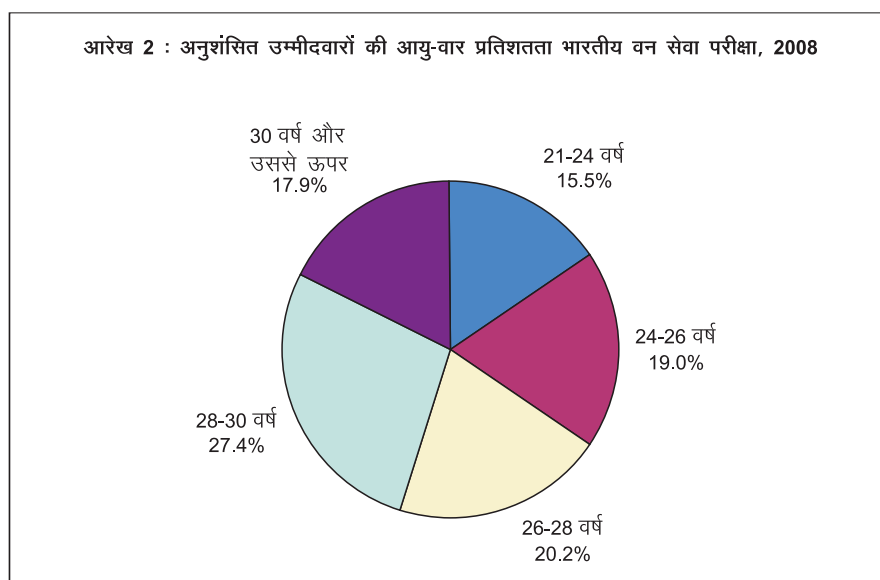
कु. : कुल; पु. : पुरुष; म. : महिला

7.1. उपर्युक्त सारणी 6 से यह देखा जा सकता है कि साक्षात्कार में 230 उम्मीदवार शामिल हुए, 36 (16 प्रतिशत) उम्मीदवार अनुसूचित जाति, 17 (7 प्रतिशत) उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति तथा 89 (39 प्रतिशत) उम्मीदवार अन्य पिछड़े वर्ग तथा 88 (38 प्रतिशत) उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के थे।

8. सारणी 7 से निम्नलिखित तथ्यों का पता चलता है।

- 84 अनुशंसित उम्मीदवारों में से 14 (17 प्रतिशत) उम्मीदवार अनुसूचित जाति, 6 (7 प्रतिशत) उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, 33 (39 प्रतिशत) उम्मीदवार अन्य पिछड़े वर्ग तथा 31 (37 प्रतिशत) उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के थे।
- कुल अनुशंसित उम्मीदवारों में से महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत 11 था।
- अनुशंसित उम्मीदवारों का उच्चतम प्रतिशत जो कि 28-30 वर्ष (27.4 प्रतिशत) की औसत आयु के थे उसके बाद की औसत आयु 26-28 वर्ष (20.2 प्रतिशत), 24-26 वर्ष (19.0 प्रतिशत), 30 वर्ष तथा उससे ऊपर (17.9 प्रतिशत) तथा 21-24 वर्ष (15.5 प्रतिशत) के थे।

8.1 भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008 में अनुशंसित उम्मीदवारों का आयुवार प्रतिशत आरेख 2 में दर्शाया गया है।



9. परीक्षा में भाग लेने के लिए सामान्य उम्मीदवारों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम क्रमशः चार और सात अवसर प्रदान किए जाते हैं। तथापि, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अवसरों की संख्या पर कोई पाबन्दी नहीं है। परीक्षा के लिए संस्तुत उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या को समुदाय-वार तथा लिंग-वार सारणी- 8 में दर्शाया गया है।

सारणी 8 : अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा समुदाय-वार तथा लिंग-वार किए गए प्रयास – भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008

समुदाय	लिंग	अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या					कुल
		1	2	3	4	4 से अधिक	
अ.जा.	पुरुष	2	3	3	3	2	13
	महिला	-	-	-	1	-	1
अ.ज.जा.	पुरुष	-	2	4	-	-	6
	महिला	-	-	-	-	-	-
अ.पि.व.	पुरुष	7	2	4	2	12	27
	महिला	-	4	1	1	-	6
सामान्य	पुरुष	8	13	4	4	-	29
	महिला	-	-	2	-	-	2
कुल	पुरुष	17	20	15	9	14	75
	महिला	-	4	3	2	-	9
	कुल	17	24	18	11	14	84

9.1 सारणी 8 से पता चलता है कि 20.2 प्रतिशत उम्मीदवारों ने परीक्षा में पहले प्रयास में सफलता प्राप्त की तथा 28.6 प्रतिशत उम्मीदवारों ने दूसरे प्रयास में सफलता प्राप्त की। तथापि, तीसरे, चौथे तथा चार से अधिक प्रयासों में सफलता प्राप्त उम्मीदवारों का प्रतिशत क्रमशः 21.4 प्रतिशत, 13.1 प्रतिशत तथा 16.7 प्रतिशत था।

10. भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008 में अनुशंसित उम्मीदवारों का विश्वविद्यालय-वार/ संस्था-वार वितरण सारणी 9 में दर्शाया गया है। इस उद्देश्य के लिए यह विश्वविद्यालय/संस्था जहां से उम्मीदवारों ने उच्चतम अर्हता प्राप्त की है, को दर्शाया गया है।

सारणी 9 : विश्वविद्यालय-वार/संस्था-वार अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या – भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2008

क्र. सं.	विश्वविद्यालय / संस्था का नाम	अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या
1	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	16
2	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, उ.प्र.	8
3	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, दिल्ली	7
4	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, उ.प्र.	7
5	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिसूर, केरल	5

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

क्र. सं.	विश्वविद्यालय / संस्था का नाम	अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या
6	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड	4
7	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, पं.बं.	4
8	यशवंत सिंह परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय सोलन, हि.प्र.	3
9	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर, कर्नाटक	3
10	चौ० चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा	3
11	आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	3
12	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड, कर्नाटक	2
13	तमिलनाडु पशु चिकित्सा तथा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु	2
14	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ.प्र.	1
15	महाराज सायाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा, गुजरात	1
16	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	1
17	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र	1
18	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आं.प्र.	1
19	भारतीय खनन विद्यापीठ धनबाद, झारखंड	1
20	उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, प.ब.	1
21	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा	1
22	डा० पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, महाराष्ट्र	1
23	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र	1
24	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, नई दिल्ली	1
25	नार्थ इस्टर्न हिल विश्वविद्यालय, शिलांग मेघालय	1
26	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर	1
27	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आ.प्र.	1
28	एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, उ.प्र.	1
29	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट, केरल	1
30	पंजाब इंजीनियरी महाविद्यालय, चंडीगढ़	1
	कुल	84

टिप्पणी : अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को उनके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है।

10.1 सारणी 9 से पता चलता है कि तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर से अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या अधिकतम अर्थात् 16 थी। उसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (8 उम्मीदवार), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, (प्रत्येक के 7 उम्मीदवार) थे।

परिशिष्ट XVIII

(देखिए अध्याय 4)

**इंजीनियरी, चिकित्सा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों की
मंत्रालय-वार संख्या जिनके लिए वर्ष 2008-09 के दौरान अध्याचनाएं प्राप्त हुईं**

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	विज्ञापित पदों की संख्या				योग
		इंजीनियरी	चिकित्सा	वैज्ञानिक तथा तकनीकी (इंजीनियरी को छोड़कर)	गैर-तकनीकी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कृषि	3	6	26	6	41
2.	चंडीगढ़ प्रशासन	-	31	-	1	32
3.	वाणिज्य और उद्योग	1	-	-	4	5
4.	उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	-	-	1	-	1
5.	कारपोरेट कार्य	-	-	-	19	19
6.	संस्कृति	-	-	2	1	3
7.	दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन	-	13	-	-	13
8.	रक्षा	428	2	30	46	506
9.	पर्यावरण और वन	-	-	31	-	31
10.	विदेश	-	-	-	3	3
11.	वित्त	-	-	5	21	26
12.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	8	-	-	-	8
13.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	218	17	82	24	341
14.	पुदुच्चेरी सरकार	-	24	-	2	26
15.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	-	153	93	-	246
16.	गृह	17	-	31	8	56
17.	सूचना तथा प्रसारण	-	-	-	21	21
18.	श्रम तथा रोजगार	18	-	3	51	72
19.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	7	-	-	-	7
20.	खान	17	-	84	1	102
21.	दिल्ली नगर निगम	1	-	-	-	1
22.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन	-	-	3	21	24
23.	योजना आयोग	-	-	-	3	3
24.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1	-	-	-	1
25.	जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	20	25	-	32	77
26.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	-	-	2	-	2
27.	कपड़ा	2	-	4	2	8
28.	पर्यटन	-	-	-	4	4
29.	संघ लोक सेवा आयोग	-	-	-	1	1
30.	शहरी विकास	6	-	-	34	40
31.	जल संसाधन	15	-	4	2	21
32.	महिला एवं बाल विकास	-	-	2	-	2
	कुल	762	271	403	307	1,743

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

परिशिष्ट XIX

(देखिए अध्याय 4)

**इंजीनियरी, चिकित्सा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों की
मंत्रालय-वार संख्या जिन्हें वर्ष 2008-09 के दौरान विज्ञापित किया गया**

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	विज्ञापित पदों की संख्या				योग
		इंजीनियरी	चिकित्सा	वैज्ञानिक तथा तकनीकी (इंजीनियरी को छोड़कर)	गैर-तकनीकी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कृषि	3	-	12	4	19
2.	चंडीगढ़ प्रशासन	-	17	-	-	17
3.	वाणिज्य और उद्योग	1	-	-	4	5
4.	उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	-	-	1	-	1
5.	कारपोरेट कार्य	-	-	-	14	14
6.	संस्कृति	-	-	2	1	3
7.	रक्षा	244	29	21	22	316
8.	पर्यावरण और वन	-	-	7	-	7
9.	विदेश	-	-	-	3	3
10.	वित्त	-	-	14	21	35
11.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	4	-	-	-	4
12.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	112	-	58	21	191
13.	पुदुच्चेरी सरकार	-	-	-	2	2
14.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	-	129	91	-	220
15.	गृह	17	-	30	7	54
16.	सूचना तथा प्रसारण	-	-	-	18	18
17.	श्रम तथा रोजगार	16	-	-	54	70
18.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	6	-	1	-	7
19.	खान	17	-	101	1	119
20.	दिल्ली नगर निगम	1	-	-	-	1
21.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन	-	-	3	-	3
22.	योजना आयोग	-	-	-	2	2
23.	जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	12	25	-	32	69
24.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	-	-	2	-	2
25.	कपड़ा	-	-	7	1	8
26.	पर्यटन	-	-	-	4	4
27.	संघ लोक सेवा आयोग	-	-	-	1	1
28.	शहरी विकास	3	-	-	34	37
29.	जल संसाधन	8	-	3	2	13
30.	महिला एवं बाल विकास	-	-	2	-	2
	कुल	444	200	355	248	1,247

परिशिष्ट XX

(देखिए अध्याय 4)

उन मामलों का विवरण, जिनके लिए वर्ष 2008-09 के दौरान विज्ञापन के बाद अध्याचनाएं रद्द/आशेषित की गईं

क्र. सं.	पद/मंत्रालय का नाम तथा वेतनमान	शामिल पदों की संख्या	रद्द/संशोधन किए जाने के कारण
1.	सहायक निदेशक (बागवानी) निर्माण महानिदेशालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास मंत्रालय। (6500-10500 रु0)	1	चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर आरक्षण की स्थिति पर स्पष्टीकरण के संबंध में मंत्रालय से पूछताछ का उत्तर न मिलने पर आयोग द्वारा भर्ती रद्द कर दी गई।
2.	आयुर्वेदिक काय चिकित्सक, स्वास्थ्य विभाग, पुदुच्चेरी सरकार। (8000-13,500 रु0)	13	पुदुच्चेरी सरकार के अनुरोध पर भर्ती नियमों में संशोधन करके उपर्युक्त ग्रुप 'क' के पद के स्थान पर स्थानीय भाषा की पर्याप्त जानकारी रखने वाले उम्मीदवार की भर्ती करने के लिए पद को डाउन ग्रेड करते हुए 6,500 - 10, 500 रु (ग्रुप ख) के वेतनमान में सहायक काय चिकित्सक के पद को सृजित करने का निर्णय लेने के कारण भर्ती रद्द कर दी गई।
3.	सहायक शल्य चिकित्सक (होम्योपैथी) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी विभाग, पुदुच्चेरी सरकार। (8000-13,500 रु0)।	3	भर्ती नियमों में परिवर्तन की संभावना तथा 6,500-10,500 (ग्रुप ख अराजपत्रित) के वेतनमान को कम करने के कारण पुदुच्चेरी सरकार के अनुरोध पर भर्ती रद्द कर दी गई।
4.	वरिष्ठ लेक्चरर-सह-जानपादिक रोग विज्ञानी (सामुदायिक आयुर्विज्ञान), राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल, चंडीगढ़, चंडीगढ़ प्रशासन। (14,300-18,150 रु0)	1	चंडीगढ़ प्रशासन के अनुरोध पर भर्ती रद्द कर दी गई क्योंकि पहले अनुमति प्राप्त पद के लिए अध्याचना भेजने के बाद अनुशंसित उम्मीदवार को त्यागपत्र वापस लेने तथा पद पर पुनः तैनात किया गया। पहले अनुशंसित उम्मीदवार ने त्यागपत्र दिया जिसे चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।
5.	सिद्ध काय चिकित्सक, स्वास्थ्य विभाग (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी), पुदुच्चेरी सरकार। (8,000-13500 रु0)	6	पुदुच्चेरी सरकार के अनुरोध पर भर्ती नियमों में संशोधन करके उपर्युक्त ग्रुप "क" के पद के स्थान पर स्थानीय भाषा की पर्याप्त जानकारी रखने वाले उम्मीदवार की भर्ती करने के लिए पद को डाउन ग्रेड करते हुए 6,500-10,500 रु (ग्रुप ख) के वेतनमान में सहायक काय चिकित्सक के पद को सृजित करने के निर्णय लेने के कारण भर्ती रद्द कर दी गई।

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

क्र. सं.	पद/मंत्रालय का नाम तथा वेतनमान	शामिल पदों की संख्या	रद्द/संशोधन किए जाने के कारण
6.	विशेषज्ञ ग्रेड-2 (कनिष्ठ वेतनमान), नेत्ररोग विज्ञान, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य), पुदुच्चेरी सरकार। (10,000-15,200 ₹0)	1	भर्ती पुदुच्चेरी सरकार के अनुरोध पर रद्द कर दी गई क्योंकि माननीय के.प्रशा. अधि. मद्रास खंडपीठ तथा माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास के निर्णय के अनुसार वे पदधारी जो उस समय सेवा में थे, का नियमितीकरण उस समय विद्यमान भर्ती नियमों के अनुसार 15 फरवरी, 1996 से पहले उस तारीख से की जानी है जब रिक्त अस्तित्व में आई। तदनुसार, सीधी भर्ती के लिए कोई रिक्तियां विद्यमान हैं।
7.	मत्स्य विज्ञानी भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, कृषि मंत्रालय (8,000-13,500 ₹0)	2	भर्ती मंत्रालय के अनुरोध पर रद्द की दी गई, विद्यमान अध्यायना के लिए भर्ती को रद्द माना जाता है क्योंकि पिछली भर्ती के दौरान दो अनुशंसित उम्मीदवारों के विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएं पिछले पांच वर्षों से भी अधिक समय से लंबित है।
8.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान), न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (8,000-13,500 ₹0)	1	भर्ती रद्द कर दी गई क्योंकि भर्ती नियमों में संशोधन लंबित होने के कारण पद के लिए भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत एकल पद्धति (वन टाइम मोड रिक्रूटमेंट) के आधार पर की गई। तथापि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार आयोग के लिए भर्ती की एकल पद्धति (वन टाइम मोड रिक्रूटमेंट) को पुनः अपनाया जाना संभव नहीं है।
9.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2, भारतीय नौ सेना, रक्षा मंत्रालय, (6,500-10,500 ₹0)	9	ओ.ए.सं 527 / 2007 में माननीय के प्र.अ., एरनाकुलम के निर्णय के अनुसार सीधी भर्ती माध्यम से भरे जाने वाले पदों की संख्या पूर्व विज्ञापित 9 पदों की संख्या के स्थान पर घटाकर 5 कर दी गई। मंत्रालय के अनुरोध पर भर्ती रद्द कर दी गई।
10.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान), न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (8,000-13,500 ₹0)	4	भर्ती रद्द कर दी गई क्योंकि भर्ती नियमों में संशोधन लंबित होने के कारण पद के लिए भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की एकल पद्धति (वन टाइम मोड रिक्रूटमेंट) के आधार पर की गई। तथापि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आयोग के लिए भर्ती की एकल पद्धति (वन टाइम मोड रिक्रूटमेंट) को पुनः अपनाया जाना संभव नहीं है।
11.	सहायक प्रोफेसर (निवारक तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान), केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग) का विशेषज्ञ ग्रेड-2, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय। (10,000-15,200 ₹0)	4	मंत्रालय के अनुरोध पर भर्ती रद्द कर दी गई क्योंकि अब ज़िपमेर पुदुच्चेरी केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत नहीं आता है और एक स्वायत्त संगठन बन गया है।

क्र. सं.	पद/मंत्रालय का नाम तथा वेतनमान	शामिल पदों की संख्या	रद्द/संशोधन किए जाने के कारण
12.	सहायक प्रोफेसर (मनश्चिकित्सा), केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग) का विशेषज्ञ ग्रेड-2, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय। (10,000-15,200 रु०)	1	मंत्रालय के अनुरोध पर भर्ती रद्द कर दी गई क्योंकि विज्ञापन में निर्धारित की गई योग्यताएं भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) विनियमावली के अंतर्गत निर्धारित योग्यताओं के साथ तालमेल नहीं रखती।
13.	सहायक रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, महानियंत्रक पेंटेंट डिजाइन एवं ट्रेडमार्क का कार्यालय, वाणिज्य मंत्रालय (10,000-15,200 रु०)	1	विभाग द्वारा सुझाए गए भर्ती नियमों में प्रस्तावित परिवर्तनों के कारण मंत्रालय के अनुरोध पर भर्ती रद्द कर दी गई।
14.	लेक्चरर (प्राणिविज्ञान), जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन। (8,000-13,500 रु०)	1	भर्ती आयोग द्वारा रद्द कर दी गई क्योंकि उक्त अध्यापना विध्वविद्यालय अनुदान आयोग के अद्यतन संशोधित विनियमावली के अनुरूप नहीं थी।
15.	सहायक प्रोफेसर मनश्चिकित्सा, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग) का विशेषज्ञ ग्रेड-2, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। (10,000-15,200 रु०)	1	मंत्रालय के अनुरोध पर भर्ती रद्द कर दी गई क्योंकि विज्ञापन में निर्धारित की गई योग्यताएं भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) विनियमावली के अंतर्गत निर्धारित योग्यताओं के साथ तालमेल नहीं रखती।
16.	लेक्चरर (विदेशी व्यापार) प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार। (8,000-13,500 रु०)	1	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी. टी.ई.) के दिशा निर्देशों के अनुसार पद की समाप्ति के कारण दिल्ली सरकार के अनुरोध पर भर्ती रद्द कर दी गई।
17.	लेक्चरर (ग्राफिक्स), राजकीय कला महाविद्यालय चंडीगढ़ प्रशासन। (2,200-4,000 रु०) (संशोधन-पूर्व)	4	अदालती मामले के निर्णय को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन के अनुरोध पर भर्ती रद्द कर दी गई।
18.	लेक्चरर चित्रकला, राजकीय कला महाविद्यालय, चंडीगढ़ प्रशासन। (2,200-4,000 रु०) (संशोधन-पूर्व)	5	अदालती मामले के निर्णय को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन के अनुरोध पर भर्ती रद्द कर दी गई।
19.	लेक्चरर अनुप्रयुक्त कला, राजकीय कला महाविद्यालय, चंडीगढ़ प्रशासन। (2,200-4,000 रु०) (संशोधन-पूर्व)	1	अदालती मामले के निर्णय को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन के अनुरोध पर भर्ती रद्द कर दी गई।

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

क्र. सं.	पद/मंत्रालय का नाम तथा वेतनमान	शामिल पदों की संख्या	रद्द/संशोधन किए जाने के कारण
20.	लेक्चरर मूर्तिकला, राजकीय कला महाविद्यालय, चंडीगढ़ प्रशासन। (2,200-4,000 ₹0) (संशोधन-पूर्व)	1	पदों की संख्या तीन से घटाकर दो कर दी गई। अदालती मामले के निर्णय को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन के अनुरोध पर एक अनारक्षित पद के लिए भर्ती रद्द कर दी गई।
21.	सहायक प्रोफेसर संवेदनाहरण विज्ञान, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग) का विशेषज्ञ ग्रेड-2, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। (10,000-15,200 ₹0)	9	मंत्रालय के अनुरोध पर भर्ती रद्द कर दी गई क्योंकि अब ज़िपमेर पुदुच्चेरी केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत नहीं आता है और अब एक स्वायत्त संगठन बन गया है।
22.	सहायक प्रोफेसर मूत्ररोग विज्ञान, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग) का विशेषज्ञ ग्रेड-2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। (10,000-15,200 ₹0)	1	मंत्रालय के अनुरोध पर भर्ती रद्द कर दी गई क्योंकि अब ज़िपमेर पुदुच्चेरी केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत नहीं आता है और अब एक स्वायत्त संगठन बन गया है।
23.	लेक्चरर ललितकला राजकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, चंडीगढ़ प्रशासन। (8,000-13,500 ₹0)	1	आयोग द्वारा भर्ती रद्द कर दी गई क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन से नई अधियाचना मांगी गई।
24.	लेक्चरर भौतिकी, राजकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, चंडीगढ़ प्रशासन। (8,000-13,500 ₹0)	1	आयोग द्वारा भर्ती रद्द कर दी गई क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन से नई अधियाचना मांगी गई।
25.	लेक्चरर भौतिकी, राजकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, चंडीगढ़ प्रशासन। (8,000-13,500 ₹0)	1	आयोग द्वारा भर्ती रद्द कर दी गई क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन से नई अधियाचना मांगी गई।
26.	लेक्चरर (आयुर्वेद), भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार। (8,000-13,500 ₹0)	10	पदों की संख्या 18 से घटाकर 8 कर दी गई।
27.	लेक्चरर (यूनानी), भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार। (8,000-13,500 ₹0)	10	पदों की संख्या 16 से घटाकर 6 कर दी गई।

क्र. सं.	पद/मंत्रालय का नाम तथा वेतनमान	शामिल पदों की संख्या	रद्द/संशोधन किए जाने के कारण
28.	शिक्षा अधिकारी / सहायक निदेशक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार। (10,000-15,200 ₹0)	6	पदों की संख्या 16 से घटाकर 10 कर दी गई।
29.	उप सरकारी अधिवक्ता उपविधिक सलाहकार (भारतीय विधिक सेवा का ग्रेड-3) में पुनः पदनामित, विधिक कार्य विभाग, विधि तथा न्याय मंत्रालय। (12,000-16,500 ₹0)	1	पदों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई।
30.	चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी), भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार। (8,000-13,500 ₹0)	1 (-)	पदों की संख्या 22 से बढ़ाकर 23 कर दी गई।

परिशिष्ट XXI (देखिए अध्याय 4)

इंजीनियरी पदों का विषय-वार विवरण जिनके लिए वर्ष 2008-09 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया

क्र. सं.	विषय/विशेषज्ञता	पदों की संख्या	आरक्षित पदों की संख्या				आवेदन किया				साक्षात्कार हेतु बुलाए गए				साक्षात्कार लिए गए				अनुशंसित				अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या की प्रतिशतता (%)
			अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1.	वैमानिकी	3	-	-	1	2	-	-	5	9	-	-	1	4	-	-	1	3	-	-	-	2	66.67
2.	कृषि	16	3	1	3	9	76	22	74	171	28	11	28	50	22	8	21	34	7	1	7	1	100.00
3.	ऑटोमोबाइल	5	2	1	-	2	85	18	33	136	30	12	1	21	24	9	1	19	2	1	-	2	100.00
4.	रसायन	26	6	1	7	12	593	79	603	408	32	4	57	23	18	4	36	21	7	1	10	8	100.00
5.	सिविल	7	1	-	2	4	62	10	69	138	16	1	18	30	12	-	14	19	1	-	2	4	100.00
6.	कम्प्यूटर इंजीनियरी/ विज्ञान	13	2	-	4	7	92	11	107	254	19	-	25	63	12	-	14	46	2	-	3	6	84.62
7.	वैद्युत	28	3	1	11	13	107	28	171	281	16	10	72	94	14	5	52	64	2	1	11	10	85.71
8.	यंत्रिकरण	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00
9.	यांत्रिकी	96	11	5	24	56	974	242	1114	1966	113	39	144	270	90	22	110	194	11	4	30	45	93.75
10.	धातुकर्म	36	3	1	9	23	196	45	167	320	46	8	62	90	31	6	52	67	4	1	10	20	97.22
11.	खनन	16	-	1	5	10	32	15	106	228	5	7	42	61	5	6	31	51	-	2	5	9	100.00
12.	उत्पादन	1	-	-	-	1	3	-	9	32	-	-	-	12	-	-	-	9	-	-	-	1	100.00
13.	इलेक्ट्रानिकी	13	2	-	3	8	148	24	239	466	27	-	40	79	19	-	29	55	2	-	4	6	92.31
14.	इलेक्ट्रानिकी एवं दूर संचार	32	5	2	6	19	216	53	237	698	42	20	42	91	25	11	35	63	4	2	12	12	93.75
15.	पर्यावरण इंजीनियरी	1	-	-	-	1	13	2	17	73	1	-	1	11	-	-	1	6	-	-	-	1	100.00
16.	प्लास्टिक/पॉलिमर प्रौद्योगिकी	1	-	-	-	1	5	-	12	19	3	-	3	5	3	-	2	3	-	-	-	1	100.00
17.	कपड़ा प्रौद्योगिकी	12	-	-	5	7	103	22	277	267	15	3	38	39	13	1	29	30	2	-	4	3	75.00
18.	विविध	10	2	-	3	5	85	8	96	139	7	2	10	27	6	2	8	19	2	-	3	4	90.00
	कुल	317	40	13	83	181	2790	579	3336	5606	400	117	584	971	294	74	436	704	46	13	101	136	93.38

टिप्पणी: अ.जा. : अनुसूचित जाति
 अ.ज.जा. : अनुसूचित जनजाति
 अ.पि.व. : अन्य पिछड़े वर्ग
 अना. : अनारक्षित

कुल आरक्षित पद : 317
 आवेदन किए गए : 12,311
 साक्षात्कार हेतु बुलाए गए : 2,072
 साक्षात्कार लिए गए : 1,508
 अनुशंसित उम्मीदवार : 296

परिशिष्ट XXII (देखिए अध्याय 4)

वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों का विषय-वार विवरण जिनके लिए वर्ष 2008-09 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया

क्र. सं.	विषय/विशेषज्ञता	पदों की संख्या	आरक्षित पदों की संख्या				आवेदन किया				साक्षात्कार हेतु बुलाए गए				साक्षात्कार लिए गए				अनुशंसित				अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या की प्रतिशतता (%)
			अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1.	कृषि विज्ञान शस्य विज्ञान/ कीट विज्ञान	4	-	-	-	4	42	12	63	132	2	-	9	15	2	-	7	9	-	-	2	1	75.00
2.	वनस्पति विज्ञान	2	1	-	1	-	236	7	35	15	12	-	6	-	9	-	4	-	1	-	-	-	50.00
3.	रसायन विज्ञान	73	10	10	16	37	694	174	1064	1719	163	53	241	407	94	30	142	243	10	7	15	34	90.41
4.	पर्यावरण विज्ञान	1	-	-	1	-	1	-	43	2	-	-	10	-	-	-	8	-	-	-	1	-	100.00
5.	भूगोल	2	-	-	-	2	10	-	9	39	3	-	4	11	3	-	4	10	-	-	2	-	100.00
6.	भू विज्ञान	1	-	-	-	1	8	-	8	32	1	-	-	13	1	-	-	11	-	-	-	1	100.00
7.	भू भौतिकी	30	7	5	6	12	245	50	278	434	62	10	99	172	30	5	45	70	8	1	8	8	83.33
8.	गाणित	5	-	-	2	3	7	2	30	47	-	-	10	15	-	-	6	15	-	-	-	3	60.00
9.	भेषजिकी/भेषज रसायन विज्ञान भेषजगुण विज्ञान	14	3	-	3	8	147	41	135	258	10	31	19	23	10	25	14	21	4	-	3	6	92.86
10.	भौतिकी	33	2	1	10	20	92	9	298	481	22	1	78	108	12	1	40	74	2	1	9	17	87.88
11.	मनोविज्ञान	4	-	-	1	3	23	2	38	86	2	-	11	21	2	-	10	17	1	-	1	1	75.00
12.	सांख्यिकी	20	3	-	5	12	299	73	573	907	30	15	54	82	22	9	37	65	3	-	5	12	100.00
13.	रसायन प्रौद्योगिकी	2	-	-	-	2	12	4	22	68	2	-	3	17	1	-	1	13	-	-	-	2	100.00
14.	ग्लास/मृत्तिका प्रौद्योगिकी	1	-	-	-	1	1	-	4	7	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	100.00
15.	कपड़ा प्रौद्योगिकी	1	-	-	-	1	3	-	13	23	-	-	1	2	-	-	1	2	-	-	1	-	100.00
16.	कम्प्यूटर विज्ञान/ अनुप्रयोग	15	2	-	4	9	76	13	255	521	3	-	51	81	3	-	30	59	1	-	3	6	66.67
17.	विविध	1	-	-	-	1	5	2	5	20	-	-	-	10	-	-	-	4	-	-	-	1	100.00
	कुल	209	28	16	49	116	1901	389	2873	4791	312	110	596	979	189	70	349	615	30	9	50	93	87.08

टिप्पणी: अ.जा. : अनुसूचित जाति
अ.ज.जा. : अनुसूचित जनजाति
अ.पि.व. : अन्य पिछड़े वर्ग
अना. : अनारक्षित

कुल आरक्षित पद : 209
आवेदन किए गए : 9,954
साक्षात्कार हेतु बुलाए गए : 1,997
साक्षात्कार लिए गए : 1,223
अनुशंसित उम्मीदवार : 182

परिशिष्ट XXIII (देखिए अध्याय 4)

गैर-तकनीकी पदों का विषय-वार विवरण जिनके लिए वर्ष 2008-09 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया

क्र. सं.	विषय/विशेषज्ञता	पदों की संख्या	आरक्षित पदों की संख्या				आवेदन किया				साक्षात्कार हेतु बुलाए गए				साक्षात्कार लिए गए				अनुशंसित				अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या की प्रतिशतता (%)
			अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1.	लागत सहित लेखा शास्त्र	17	3	3	-	11	41	23	81	445	24	13	2	90	17	12	-	75	2	2	-	11	88.24
2.	प्रशासन/लोक प्रशासन	4	-	-	2	2	57	11	161	216	2	-	30	24	1	-	21	12	1	-	2	1	100.00
3.	ललितकला/व्यावसायिक	1	-	-	-	1	17	6	34	51	3	1	1	3	3	-	1	2	-	-	-	1	100.00
4.	अर्थशास्त्र	25	3	1	8	13	65	28	147	139	13	12	42	43	11	9	32	34	3	1	10	10	96.00
5.	शिक्षा/शिक्षण	89	16	8	9	56	871	124	691	4184	120	29	83	358	105	21	53	277	19	6	12	50	97.75
6.	इतिहास	2	-	-	-	2	10	1	9	38	-	-	5	15	-	-	3	11	-	-	1	1	100.00
7.	पत्रकारिता/जन संचार/प्रचार	43	5	3	10	25	221	105	295	477	34	19	44	65	28	17	30	52	4	3	9	17	76.74
8.	भाषा-विदेशी	27	2	1	8	16	14	5	34	94	2	1	10	34	-	1	7	28	-	-	4	11	55.56
9.	भाषा-भारतीय	13	1	-	3	9	151	26	163	499	12	-	25	58	12	-	21	50	1	-	3	8	92.31
10.	विधि	29	2	5	4	18	789	145	894	1885	24	10	32	99	18	10	30	85	2	5	4	17	96.55
11.	राजनीति विज्ञान	2	-	-	-	2	4	1	8	37	-	-	2	18	-	-	1	9	-	-	1	1	100.00
12.	सामाजिक विज्ञान/समाज कार्य	8	1	-	-	7	187	38	89	236	11	5	3	25	5	3	1	19	1	1	1	5	100.00
13.	कार्यालय प्रबंधन/सचिवालयीय पद्धति	7	-	1	2	4	15	3	111	68	-	-	9	3	-	-	9	3	-	-	4	-	57.14
14.	फैशन	16	-	1	8	7	27	9	85	100	1	1	10	33	1	1	10	27	1	1	4	5	68.75
15.	विविध	4	-	-	-	4	35	7	34	41	5	2	5	12	4	1	5	11	1	-	-	2	75.00
	कुल	287	33	23	54	177	2504	532	2836	8510	251	93	303	880	205	75	224	695	35	19	55	140	86.76

टिप्पणी: अ.जा. : अनुसूचित जाति
 अ.ज.जा. : अनुसूचित जनजाति
 अ.पि.व. : अन्य पिछड़े वर्ग
 अना. : अनारक्षित

कुल आरक्षित पद : 287
 आवेदन किए गए : 14,382
 साक्षात्कार हेतु बुलाए गए : 1,527
 साक्षात्कार लिए गए : 1,199
 अनुशंसित उम्मीदवार : 249

परिशिष्ट XXIV (देखिए अध्याय 4)

चिकित्सा पदों का विषय-वार विवरण जिनके लिए वर्ष 2008-09 के दौरान भर्तियों को अंतिम रूप दिया गया

क्र. सं.	विषय/विशेषज्ञता	पदों की संख्या	आरक्षित पदों की संख्या				आवेदन किया				साक्षात्कार हेतु बुलाए गए				साक्षात्कार किए गए				अनुशंसित				पदों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या की प्रतिशतता (%)
			अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1.	संवेदनाहरण विज्ञान	3	-	-	-	3	-	-	-	18	-	-	-	8	-	-	-	6	-	-	-	2	66.67
2.	आयुर्वेद	8	2	1	2	3	77	12	87	275	10	1	26	31	9	-	13	15	2	-	4	1	87.50
3.	हृदयरोग विज्ञान	14	4	2	4	4	-	-	2	29	-	-	1	25	-	-	-	16	-	-	-	4	28.57
4.	दंत चिकित्सा	4	-	-	2	2	-	-	6	4	-	-	2	1	-	-	2	1	-	-	2	1	75.00
5.	कान-नाक एवं गला	1	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	न्यायाललय आयुर्विज्ञान	3	-	-	1	2	-	-	2	11	-	-	1	7	-	-	1	5	-	-	1	2	100.00
7.	आन्त्रशोथ विज्ञान	3	-	-	1	2	-	-	1	21	-	-	1	6	-	-	1	3	-	-	1	2	100.00
8.	चिकित्सा सामान्य	55	8	2	14	31	146	39	194	461	56	23	57	122	33	14	25	61	10	3	12	20	81.82
9.	होम्योपैथी	19	4	2	3	10	1012	162	1776	3641	16	8	14	40	16	8	14	40	5	2	5	7	100.00
10.	चिकित्सा शास्त्र	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	वृक्क विज्ञान	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00
12.	तंत्रिका वि/तंत्रिका शल्य चि.	5	1	-	3	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	प्रसूति तथा स्त्री रोग विज्ञान	2	-	1	1	-	-	4	4	2	-	4	4	-	-	1	3	-	-	1	1	-	100.00
14.	नेत्र रोग विज्ञान	5	-	-	4	1	-	-	21	35	-	-	12	26	-	-	4	20	-	-	3	1	80.00
15.	अस्थि रोग विज्ञान	3	-	-	2	1	-	-	6	11	-	-	5	9	-	-	2	5	-	-	1	1	66.67
16.	बाल रोग विज्ञान	7	1	-	5	1	7	2	12	34	5	1	10	23	3	1	7	18	1	-	5	1	100.00
17.	विकृति विज्ञान/जीवाणु विज्ञान/सूक्ष्म विज्ञान	7	2	-	3	2	10	-	7	6	8	-	3	2	3	-	1	2	2	-	1	2	71.43
18.	भेषज गुण	1	-	-	-	1	2	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	निवारक तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	जन स्वास्थ्य	25	-	3	13	9	32	1	22	112	9	1	5	48	4	1	4	28	1	-	3	6	40.00
21.	विकिरण विज्ञान	6	1	1	3	1	-	1	5	13	-	1	-	11	-	-	-	7	-	-	-	1	16.67
22.	शल्य चिकित्सा	3	1	-	2	-	9	1	10	-	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	66.67
23.	तपेदिक	2	-	-	1	1	-	-	-	11	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	1	50.00
24.	यूनानी	6	1	-	2	3	16	-	276	711	-	-	16	39	-	-	5	24	-	-	1	2	50.00
25.	चर्मरोग और यौन रोग विज्ञान	4	-	1	3	-	-	2	4	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	50.00
26.	अतःस्रावी विज्ञान	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	शास्रीय आयुर्विज्ञान और पुनर्वास	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	पशु चिकित्सा विज्ञान/पशु पालन विज्ञान	12	1	-	8	3	58	4	311	62	20	-	61	10	13	-	44	6	2	-	8	2	100.00
	कुल	203	26	14	81	82	1369	231	2752	5479	125	42	222	419	82	26	128	259	24	7	50	57	67.98

टिप्पणी: अ.जा. : अनुसूचित जाति
कुल आरक्षित पद : 203अ.ज.जा. : अनुसूचित जनजाति
आवेदन किए गए : 9,831अ.पि.व. : अन्य पिछड़े वर्ग
साक्षात्कार हेतु बुलाए गए : 808अना. : अनारक्षित
साक्षात्कार किए गए : 495

अनुशंसित उम्मीदवार : 138

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

परिशिष्ट XXV

(देखिए अध्याय 4)

उन मामलों का विवरण जिनके लिए वर्ष 2008-09 के दौरान
उपयुक्त उम्मीदवार नहीं पाए गए

क्र. सं.	पद/मंत्रालय/संगठन का नाम तथा वेतनमान	वर्गीकरण		पदों की संख्या				योग
		ग्रुप 'क'	ग्रुप 'ख'	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	अनारक्षित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
कृषि								
1	उप सहायक निदेशक (सैनिक फार्म), सैनिक फार्म निदेशालय, सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, (8000-13500 रु०)	1	-	-	-	-	1	1
	योग	1	-	-	-	-	1	1
वाणिज्य और लेखा-शास्त्र								
2	सहायक निदेशक (लागत) मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, (8000-13500 रु०)	2	-	1	1	-	-	2
	योग	2	-	1	1	-	-	2
शिक्षा								
3	शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य, (10000-15200 रु०)	2	-	-	2	-	-	2
	योग	2	-	-	2	-	-	2
इंजीनियरी								
4	अनुसंधान अधिकारी (इलैक्ट्रानिकी और यन्त्रण इंजीनियरी), केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, जल संसाधन मंत्रालय, (8000-13500 रु०)	1	-	-	-	-	1	1
5	सहायक कार्य प्रबन्धक (धातुविद) (कनिष्ठ समय वेतनमान), आयुध फैक्ट्री बोर्ड, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, (8000-13500 रु०)	1	-	-	-	-	1	1
6	निदेशक (तकनीकी), कपड़ा आयुक्त का कार्यालय, कपड़ा मंत्रालय, (12000-16500 रु०)	1	-	-	-	1	-	1

क्र. सं.	पद/मंत्रालय/संगठन का नाम तथा वेतनमान	वर्गीकरण		पदों की संख्या				योग
		ग्रुप 'क'	ग्रुप 'ख'	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	अनारक्षित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	मुख्य अभियंता, ग्रेड II, केन्द्रीय मत्स्य पालन समुद्र एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग कृषि मंत्रालय, (7450-11500 रु0)	-	1	-	-	-	1	1
8	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड- II (वैमानिकी), वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, (8000-13500 रु0)	1	-	-	-	1	-	1
9	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड- II (विद्युत), वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, (8000-13500 रु0)	1	-	-	-	1	-	1
10	उपनिदेशक (तकनीकी) कपड़ा आयुक्त का कार्यालय, कपड़ा मंत्रालय, (10000-15200 रु0)	2	-	-	-	1	1	2
11	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विद्युत), वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन, महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, (7500-12000 रु0)	-	3	1	-	2	-	3
12	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (यांत्रिकी), वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, (7500-12000 रु0)	-	1	-	1	-	-	1
13	कनिष्ठ समय वेतनमान (इलैक्ट्रानिकी और संचार इंजीनियरी), एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय, (8000-13500 रु0)	1	-	1	-	-	-	1
14	सहायक निदेशक, प्रशिक्षण, (यांत्रिकी) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, (8000-13500 रु0)	1	-	-	-	-	1	1
योग		9	5	2	1	6	5	14

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

क्र. सं.	पद/मंत्रालय/संगठन का नाम तथा वेतनमान	वर्गीकरण		पदों की संख्या				योग
		ग्रुप 'क'	ग्रुप 'ख'	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	अनारक्षित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
पत्रकारिता/प्रचार								
15	भारतीय सूचना सेवा, वरिष्ठ ग्रेड, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, (6500-10500 ₹0)	-	6	-	-	3	3	6
16	भारतीय सूचना सेवा, वरिष्ठ ग्रेड, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, (6500-10500 ₹0)	-	4	1	-	1	2	4
	योग	-	10	1	-	4	5	10
भाषाएं/भाषा विज्ञान								
17	अनुवाद अधिकारी (रूसी/अंग्रेजी), भारतीय नौसेना, रक्षा मंत्रालय, (6500-10500 ₹0)	-	10	2	1	7	-	10
18	कनिष्ठ दुभाषिया (अरबी), दुभाषिया संवर्ग, विदेश मंत्रालय, (8000-13500 ₹0)	1	-	-	-	-	1	1
19	हिन्दी अधिकारी, भारतीय रेल, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, (10000-15200 ₹0)	1	-	-	-	-	1	1
	योग	2	10	2	1	7	2	12
विधिक								
20	अधीक्षक (विधिक), विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, (7500-12000 ₹0)	-	1	-	-	-	1	1
	योग	-	1	-	-	-	1	1
चिकित्सा (ऐलोपैथी)								
21	विशेषज्ञ ग्रेड-II (त्वचा विज्ञान) विशेषज्ञ ग्रेड-II केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (गैर अध्यापन विशेषज्ञ) उपसंवर्ग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 ₹0)	2	-	-	-	2	-	2
22	चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II, जनरल रिजर्व इंजीनियर बल, सीमा सड़क संगठन, जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, (8000-13500 ₹0)	10	-	-	-	3	7	10

क्र. सं.	पद/मंत्रालय/संगठन का नाम तथा वेतनमान	वर्गीकरण		पदों की संख्या				योग
		ग्रुप 'क'	ग्रुप 'ख'	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	अनारक्षित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23	विशेषज्ञ ग्रेड-II (कनिष्ठ वेतनमान) (भौतिकीय चिकित्सा एवं पुनर्वास) विशेषज्ञ ग्रेड-II, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, (गैर-अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु0)	1	-	-	-	1	-	1
24	लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ विशेषज्ञ ग्रेड-II, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपसंवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (10000-15200 रु0)	11	-	-	2	9	-	11
25	लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, विशेषज्ञ ग्रेड-II, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपसंवर्ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु0)	4	-	-	1	1	2	4
26	विशेषज्ञ ग्रेड-II (कान, नाक, गला) (कनिष्ठ वेतनमान), विशेषज्ञ ग्रेड-II, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (गैर अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु0)	1	-	-	-	1	-	1
27	विशेषज्ञ ग्रेड-II (कनिष्ठ वेतनमान)(अस्थि शल्य चिकित्सा), विशेषज्ञ ग्रेड-II, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (गैर अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु0)	1	-	-	-	1	-	1
28	विशेषज्ञ ग्रेड-II, (सूक्ष्म जीव विज्ञानी), विशेष ग्रेड-II, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (गैर अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु0)	1	-	-	-	1	-	1
29	मैक्सिलोफेशियल शल्य चिकित्सक, सफदरजंग अस्पताल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000- 15200 रु0)	1	-	-	-	-	1	1
योग		32	-	-	3	19	10	32

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

क्र. सं.	पद/मंत्रालय/संगठन का नाम तथा वेतनमान	वर्गीकरण		पदों की संख्या				योग
		ग्रुप 'क'	ग्रुप 'ख'	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	अनारक्षित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
कार्यालय प्रबन्धन और सचिवालयीय प्रणाली								
30	प्रशिक्षण अधिकारी, (सचिवालयीय प्रणाली) महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, (6500-10500 ₹0)	-	3	-	1	-	2	3
	योग	-	3	-	1	-	2	3
भेषजिकी/भेषजगुण विज्ञान								
31	उप ड्रग नियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय ड्रग्स मानकीकरण नियंत्रण संगठन में नई औषधि, (12000-16500 ₹0)	1	-	-	-	-	1	1
32	भेषजिकीय रसायनज्ञ, स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला के अधीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 ₹0)	1	-	-	-	-	1	1
	योग	2	-	-	-	-	2	2
वैज्ञानिक एवं तकनीकी								
33	प्रोग्रामर, संयुक्त गूढलिपि ब्यूरो, रक्षा मंत्रालय, (7450-11500 ₹0)	-	1	-	-	1	-	1
34	रसायनज्ञ (कनिष्ठ), भारतीय भूसर्वेक्षण, खान मंत्रालय, (8000-13500 ₹0)	7	-	-	4	3	-	7
35	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-I (यंत्रण), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, (10000-15200 ₹0)	1	-	-	-	-	1	1
36	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-I (जेनेटेक्स-वनस्पति विज्ञान) गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, (10000-15200 ₹0)	1	-	-	-	1	-	1

क्र. सं.	पद/मंत्रालय/संगठन का नाम तथा वेतनमान	वर्गीकरण		पदों की संख्या				योग
		ग्रुप 'क'	ग्रुप 'ख'	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	अनारक्षित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	भू-भौतिकीविद् (कनिष्ठ), भारतीय भू-सर्वेक्षण, खान मंत्रालय, (8000-13500 रु०)	5	-	-	4	-	1	5
38	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (मनोविज्ञान), भारतीय रेल, रेल मंत्रालय, (7500-12000 रु०)	-	1	-	-	-	1	1
39	खनिज विज्ञानी (कनिष्ठ), भारतीय भू-सर्वेक्षण, खान मंत्रालय, (8000-13500 रु०)	2	-	-	-	2	-	2
	योग	16	2	-	8	7	3	18
अध्यापन-कम्प्यूटर विज्ञान								
40	सहायक प्रोफेसर, कम्प्यूटर इंजीनियरी (तकनीकी), दिल्ली इंजीनियरी कालेज, प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, (12000-18300 रु०)	2	-	-	-	2	-	2
41	प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा मंत्रालय, (16400-22400 रु०)	1	-	-	-	-	1	1
42	लेक्चरर (कम्प्यूटर विज्ञान), राजकीय कला एवं विज्ञान कालेज, चंडीगढ़ प्रशासन, (8000-13500 रु०)	-	4	1	-	1	2	4
	योग	3	4	1	-	3	3	7
अध्यापन-इंजीनियरी								
43	प्रोफेसर, यांत्रिक इंजीनियरी (तकनीकी)(बी.टेक अंशकालिक कार्यक्रम), दिल्ली इंजीनियरी कॉलेज, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, (16400-22400 रु०)	1	-	-	-	-	1	1

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

क्र. सं.	पद/मंत्रालय/संगठन का नाम तथा वेतनमान	वर्गीकरण		पदों की संख्या				योग
		ग्रुप 'क'	ग्रुप 'ख'	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	अनारक्षित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
44	प्रोफेसर (इलैक्ट्रानिकी एवं संचार इंजीनियरी), अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, (16400-22400 रु०)	1	-	-	-	-	1	1
45	प्रोफेसर (यांत्रिक इंजीनियरी) (तकनीकी), दिल्ली इंजीनियरी कालेज, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, (16400-22400 रु०)	3	-	1	-	1	1	3
	योग	5	-	1	-	1	3	5
अध्यापन – चिकित्सा								
46	लेक्चरर (यूनानी), भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, (8000-13500 रु०)	3	-	1	-	1	1	3
47	सहायक प्रोफेसर, हृदय रोग विज्ञान, विशेषज्ञ ग्रेड-II केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (10000-15200 रु०)	3	-	1	1	1	-	3
48	वरिष्ठ लेक्चरर (विकिरण निदान), राजकीय चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन, (14300-18150 रु०)	1	-	1	-	-	-	1
49	सहायक प्रोफेसर, हृदय रोग विज्ञान, विशेषज्ञ ग्रेड-II केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु०)	3	-	1	1	1	-	3

क्र. सं.	पद/मंत्रालय/संगठन का नाम तथा वेतनमान	वर्गीकरण		पदों की संख्या				योग
		ग्रुप 'क'	ग्रुप 'ख'	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	अनारक्षित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
50	सहायक प्रोफेसर (विकिरण निदान), विशेषज्ञ ग्रेड-II, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (10000-15200 रु०)	4	-	-	1	3	-	4
51	वरिष्ठ लेक्चरर (नेत्र विज्ञान), राजकीय चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन, (14300-18150 रु०)	1	-	-	-	1	-	1
52	वरिष्ठ लेक्चरर (प्रतिरक्षा-रूधिर विज्ञान एवं रक्त संचरण), राजकीय चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन, (14300-18150 रु०)	1	-	-	-	1	-	1
53	वरिष्ठ लेक्चरर (सामुदायिक चिकित्सा), राजकीय चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन, (14300-18150 रु०)	1	-	-	-	1	-	1
54	सहायक प्रोफेसर (सामान्य चिकित्सा), विशेषज्ञ ग्रेड-II, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (10000-15200 रु०)	1	-	-	1	-	-	1
55	सहायक प्रोफेसर (क्षय एवं वक्ष रोग), विशेषज्ञ ग्रेड-II, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु०)	1	-	-	-	1	-	1
56	सहायक प्रोफेसर, शल्य चिकित्सा, विशेषज्ञ ग्रेड-II, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु०)	1	-	-	-	1	-	1

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

क्र. सं.	पद/मंत्रालय/संगठन का नाम तथा वेतनमान	वर्गीकरण		पदों की संख्या				योग
		गुप 'क'	गुप 'ख'	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	अनारक्षित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
57	सहायक प्रोफेसर, हृदय रोग, विशेषज्ञ ग्रेड-II, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु०)	4	-	2	-	2	-	4
58	सहायक प्रोफेसर (तंत्रिका विज्ञान), जिपमेर, विशेषज्ञ ग्रेड-II, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु०)	1	-	-	-	-	1	1
59	सहायक प्रोफेसर (अन्तः स्राविकी), विशेषज्ञ ग्रेड-II, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु०)	1	-	-	-	1	-	1
60	सहायक प्रोफेसर (तंत्रिका शल्य चिकित्सा), विशेषज्ञ ग्रेड-II, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु०)	1	-	-	-	1	-	1
61	सहायक प्रोफेसर, संवेदनाहरण, विशेषज्ञ ग्रेड-II, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु०)	1	-	-	-	-	1	1
62	लेक्चरर (आयुर्वेद), भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, (8000-13500 रु०)	1	-	-	1	-	-	1
63	सहायक प्रोफेसर (तंत्रिका विज्ञान), विशेषज्ञ ग्रेड-II, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु०)	3	-	1	-	2	-	3
	योग	32	-	7	5	17	3	32

क्र. सं.	पद/मंत्रालय/संगठन का नाम तथा वेतनमान	वर्गीकरण		पदों की संख्या				योग
		ग्रुप 'क'	ग्रुप 'ख'	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	अनारक्षित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अध्यापन – प्राकृतिक विज्ञान								
64	सहायक प्रोफेसर, (गणित) (गैर तकनीकी), दिल्ली इंजीनियरी कालेज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, (12000-18300 ₹0)	1	-	-	-	1	-	1
65	लेक्चरर (भौतिकी) (गैर तकनीकी) बी.टेक अंशकालिक कार्यक्रम, दिल्ली इंजीनियरी कॉलेज, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, (8000-13500 ₹0)	1	-	-	-	-	1	1
	योग	2	-	-	-	1	1	2
अध्यापन – सामाजिक विज्ञान								
66	लेक्चरर (चीनी भाषा), राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा मंत्रालय, (8000-13500 ₹0)	1	-	-	-	-	1	1
	योग	1	-	-	-	-	1	1
विविध								
67	प्रौद्योगिकीविद् (प्रक्रिया), प्रिंटिंग निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय, (7450-11500 ₹0)	-	1	-	-	-	1	1
68	आर्थिक अधिकारी, योजना आयोग (6500-10500 ₹0)	-	1	-	-	-	1	1
69	प्रशिक्षण अधिकारी (कढ़ाई) महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, (6500-10500 ₹0)	-	1	-	-	-	1	1
70	प्रशिक्षण अधिकारी (केश एवं त्वचा देखभाल), महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, (6500-10500 ₹0)	-	4	-	-	4	-	4
	योग	-	7	-	-	4	3	7
	कुल योग	109	42	15	22	69	45	151

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

परिशिष्ट XXVI

(देखिए अध्याय 4)

विपुल मात्रा में भर्ती के मामले जिनके लिए वर्ष 2008-09 के दौरान अंतिम रूप दिया गया

क्र. सं.	पद/मंत्रालय का नाम तथा वेतनमान	पदों की संख्या	प्राप्त किए गए आवेदन-पत्र	अनुशंसित उम्मीदवार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी), भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, (8000-13500 ₹0)	23	6,591	19
2	सहायक लोक अभियोजक, अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (6500-10500 ₹0)	38	3,012	23
3	प्रधानाचार्य, सरकारी स्कूल, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, (10000-15200 ₹0)	53	2,702	49
4	कनिष्ठ कार्य प्रबन्धक (यांत्रिकी), आयुध कारखाना बोर्ड, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, (7450-11500 ₹0)	28	1,965	28
5	प्रधानाचार्य, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, (10000-15200 ₹0)	27	1,599	24
6	शिक्षा अधिकारी/सहायक शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, (10000-15200 ₹0)	10	1,428	10
7	रसायनज्ञ (कनिष्ठ), भारतीय भू-सर्वेक्षण, खान मंत्रालय, (8000-13500 ₹0)	98	1,423	43
8	सहायक कार्य प्रबन्धक (परि.) (रसायन इंजीनियर)/कनिष्ठ समय वेतनमान आयुध कारखाना बोर्ड, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, (8000-13500 ₹0)	21	1,082	21
9	भू-भौतिकविद् (कनिष्ठ), भारतीय भू-सर्वेक्षण, खान मंत्रालय, (8000-13500 ₹0)	75	1,007	25
10	लेक्चरर (यूनानी), भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, (8000-13500 ₹0)	6	1,003	3
11	सांख्यिकीय अन्वेषक, ग्रेड-1, भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय, (6500-10500 ₹0)	14	915	13
12	सहायक निदेशक, जनगणना संकार्य (तकनीकी), भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय, (8000-13500 ₹0)	6	861	6
13	हिन्दी अधिकारी, भारतीय रेल, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, (10000-15200 ₹0)	12	700	11
14	कनिष्ठ कार्य प्रबन्धक (रसायनिक), आयुध कारखाना बोर्ड, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, (7450-11500 ₹0)	5	601	5
15	सिविलियन चिकित्सा अधिकारी, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, (8000-13500 ₹0)	27	592	27
16	भारतीय सूचना सेवा, वरिष्ठ ग्रेड, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, (6500-10500 ₹0)	18	547	14
17	ड्रग्स निरीक्षक, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (7500-12000 ₹0)	14	525	12
	कुल	475	26,553	333

परिशिष्ट XXVII

(देखिए अध्याय 6)

**ऐसे संवर्ग जहां वर्ष 2008 की चयन सूची तैयार करना
अपेक्षित नहीं था—शून्य रिक्ति/कोई पात्र नहीं**

क्र.सं.	संवर्ग / उप-संवर्ग	सेवा
1.	आंध्र प्रदेश	भा.प्र.से. (गैर-राज्य सिविल सेवा)
2.	आंध्र प्रदेश	भा.व.से.
3.	असम	भा.प्र.से. (गैर-राज्य सिविल सेवा)
4.	बिहार	भा.व.से.
5.	छत्तीसगढ़	भा.प्र.से. (गैर-राज्य सिविल सेवा)
6.	गुजरात	भा.व.से.
7.	हरियाणा	भा.पु.से.
8.	हिमाचल प्रदेश	भा.प्र.से. (गैर-राज्य सिविल सेवा)
9.	झारखंड	भा.व.से.
10.	मणिपुर	भा.प्र.से.
11.	मणिपुर	भा.प्र.से. (गैर-राज्य सिविल सेवा)
12.	मणिपुर	भा.पु.से.
13.	मेघालय	भा.प्र.से.
14.	मेघालय	भा.व.से.
15.	नागालैण्ड	भा.प्र.से. (गैर-राज्य सिविल सेवा)
16.	नागालैण्ड	भा.पु.से.
17.	नागालैण्ड	भा.व.से.
18.	पंजाब	भा.प्र.से. (गैर-राज्य सिविल सेवा)
19.	पंजाब	भा.पु.से.
20.	राजस्थान	भा.प्र.से. (गैर-राज्य सिविल सेवा)
21.	सिक्किम	भा.प्र.से. (गैर-राज्य सिविल सेवा)
22.	सिक्किम	भा.पु.से.
23.	तमिलनाडु	भा.प्र.से. (गैर-राज्य सिविल सेवा)
24.	तमिलनाडु*	भा.व.से. *
25.	त्रिपुरा	भा.व.से.
26.	उत्तर प्रदेश	भा.प्र.से. (गैर-राज्य सिविल सेवा)
27.	उत्तराखंड	भा.प्र.से.
28.	अरुणाचल प्रदेश	भा.प्र.से. (गैर-राज्य सिविल सेवा)
29.	अरुणाचल प्रदेश	भा.पु.से.
30.	गोवा	भा.प्र.से.
31.	गोवा	भा.प्र.से. (गैर-राज्य सिविल सेवा)
32.	गोवा	भा.पु.से.
33.	मिजोरम	भा.प्र.से. (गैर-राज्य सिविल सेवा)
34.	संघ शासित क्षेत्र	भा.प्र.से. (गैर-राज्य सिविल सेवा)
35.	मिजोरम	भा.व.से.

* कोई योग्य नहीं पाया गया

संकेत शब्द : भा.प्र.से. : भारतीय प्रशासनिक सेवा
 भा.प्र.से. : भारतीय पुलिस सेवा
 भा.व.से. : भारतीय वन सेवा
 रा.सि.से. : राज्य सिविल सेवा
 गै.रा.सि.से. : गैर-राज्य सिविल सेवा

परिशिष्ट XXVIII

(देखिए अध्याय 6)

अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति-वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित बैठकें

1. आयोजित बैठकें

वर्ष 2008-2009 के दौरान आयोग ने 68 चयन समिति बैठकें तथा पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की जिनमें विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के राज्य सिविल सेवाओं, गैर राज्य सिविल सेवाओं, राज्य पुलिस सेवाओं तथा राज्य वन सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा (भा.प्र.से./भा.पु.से./भा.व.से.) में पदोन्नति के लिए 846 अधिकारी शामिल थे। इनमें से, 43 चयन समिति बैठकें वर्ष 2008 के लिए चयन सूचियाँ तैयार करने के लिए आयोजित की गईं।

- (i) **भा0प्र0से0 (रा0सि0से0)** : आयोग को वर्ष 2008 की विद्यमान रिक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए 21 प्रस्ताव प्राप्त हुए। राज्य सिविल सेवा से भा0प्र0से0 में पदोन्नति के लिए 15 संवर्गों/उपसंवर्गों के लिए चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। इनमें से एक संवर्ग (अरुणाचल-भा.प्र.से.) (रा.सि.से.) के बारे में चयन समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि इसके लिए कोरम पूरा नहीं हो सका। शेष संवर्ग के लिए चयन समिति की बैठक अपूर्ण दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण आयोजित नहीं हो सकी।
- (ii) **भा0प्र0से0 (गैर-रा0सि0से0)** : वर्ष के दौरान आयोग में गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की भा0प्र0से0 में नियुक्ति संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए 11 प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा 10 संवर्गों/उपसंवर्गों के बारे में बैठकें आयोजित की गईं और एक संवर्ग के लिए बैठक अपूर्ण दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण आयोजित नहीं हो सकी।
- (iii) **भा0पु0से0** : आयोग को वर्ष 2008 की विद्यमान रिक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा 11 संवर्गों/उप संवर्गों के लिए राज्य पुलिस सेवा से भा.पु.से. में पदोन्नति हेतु चयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। एक संवर्ग के लिए चयन समिति की बैठक अपूर्ण दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण आयोजित नहीं हो सकी।
- (iv) **भा0व0से0** : आयोग को वर्तमान रिक्तियों के लिए 2008 की चयन सूची तैयार करने के लिए 10 प्रस्ताव प्राप्त हुए। सात संवर्गों/उप संवर्गों के संबंध में राज्य वन सेवा से भा.व.से. में पदोन्नति हेतु चयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। शेष संवर्गों/उप-संवर्गों के लिए चयन समिति बैठकें आयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य सरकार दिनांक 31 दिसम्बर तक अपूर्ण दस्तावेज/सूचना को प्रस्तुत नहीं कर सकी।

2. वर्ष-वार चयन सूचियां तैयार करना :

भारत सरकार (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) ने अपनी दिनांक 25 जुलाई, 2000 की अपनी अधिसूचना के तहत भा.प्र.से./भा.पु.से./भा.व.से. पदोन्नति विनियमावली में संशोधन किया जिसमें प्रत्येक वर्ष की 31 दिसम्बर तक चयन समिति की बैठक आयोजित न की जा सकी हो, उस प्रत्येक वर्ष की अलग-अलग चयन सूची तैयार करने का प्रावधान किया गया था। तदनुसार मध्यप्रदेश - भा.प्र.से., नागालैण्ड-भा.पु.से., बिहार - भा.प्र.से. जम्मू और कश्मीर-भा0प्र0से0 असम-भा0प्र0से0 और गुजरात-भा0व0से0 के संबंध में 2008 की चयन सूची के साथ-साथ वर्ष 2007 की चयन सूचियाँ भी तैयार की गई थी। इसी तरह वर्ष, 2008 की झारखंड - भा.व.से., महाराष्ट्र-भा0प्र0से0, मिजोरम-भा0व0से0 और संघ शासित क्षेत्र (अण्डमान और निकोबार, उपसंवर्ग)भा0व0से0/उपसंवर्ग के संबंध में वर्ष 2008 की चयन सूची के साथ-साथ वर्ष 2006 और 2007 चयन सूची तैयार की गई थी। हरियाणा-भा0प्र0से0 के संबंध में वर्ष 2008 की चयन सूची के साथ-साथ वर्ष 2002 से 2007 की चयन सूची भी तैयार की गई थी। भा0व0से0-उड़ीसा के संबंध में वर्ष, 2008 की चयन सूची के साथ-साथ वर्ष 2004 से 2007 की चयन सूची भी तैयार की गई थी। उपर्युक्त के अलावा, झारखंड-भा0प्र0से0 के संबंध में वर्ष 2005 की चयन सूची, आंध्र प्रदेश-भा0प्र0से0 के संबंध में वर्ष 2006 और 2007 की चयन सूची, केरल-भा.व.से. से संबंधित चयन सूची 2006 और 2007 की चयन सूची, केरल भा0पु0से0 की चयन सूची 2007 और केरल - भा0प्र0से0 के संबंध में चयन सूची 2007 भी तैयार की गई थी।

3. पुनरीक्षा बैठकें :

वर्ष 2008-09 के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालनार्थ में 23 अधिकारियों को शामिल करते हुए पुनरीक्षा चयन समिति की आठ बैठकें आयोजित की गईं (परिशिष्ट-XXIX)।

परिशिष्ट XXIX

(देखिए अध्याय 6)

न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप आयोजित की गई पुनरीक्षा बैठकें

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	ओ.ए./डब्ल्यू.पी./सी.पी.संख्या	मामले में	निर्णय की तारीख	बैठक की तारीख	संबंधित अधिकारियों की संख्या
1.	केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, गुवाहाटी	ओ ए 187/05	रामसन मोदी	26.02.07	09.06.08	1
2.	उच्च न्यायालय, हरियाणा	डब्ल्यूपी सं.12691/2000	वी.के. झाझरिया	11.12.07	09.06.08	1
3.	केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली	ओ ए सं. 2616/05	राजीव अस्थाना	25.09.2007	19.06.08	1
4.	सर्वोच्च न्यायालय	सी.ए. सं. 1776/08 और 1777/08	एस.के. जायसवाल और के.एल. बिश्नोई	5.3.08	30.12.2008	15
5.	केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर	ओ ए सं. 1044/2005	वी.ए. पचौरी	30.10.2007	15.12.2008	1
6.	केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कटक	ओ ए सं. 615/97 और 110/96	एल.के. दास और बी.एन. मोहन्ती	05.02.2004	08.05.08	2
7.	केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधानपीठ	ओ ए सं. 2691/2008	एम.एल. सरवन	23.12.08	18.3.09	1
8.	केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधानपीठ	ओ ए सं. 1883/2008	भा.प्र.से. हरियाणा	7.9.2008	25.02.08	1

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

परिशिष्ट XXX

(देखिए अध्याय 6)

**अखिल भारतीय सेवाएं-वर्ष 2008-2009 के दौरान
आयोजित नहीं की गई चयन समिति की बैठकें**

क्र.सं.	संवर्ग	सेवा	कारण
1.	आंध्र प्रदेश	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
2.	असम	भा.पु.से.	अपूर्ण दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए
3.	असम	भा.व.से.	अपूर्ण दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए
4.	बिहार	भा.प्र.से. (गै.रा.सि.से.)	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
5.	बिहार	भा.पु.से.	रिक्तियां निर्धारित नहीं की गईं
6.	छत्तीसगढ़	भा.पु.से.	रिक्तियां निर्धारित नहीं की गईं
7.	छत्तीसगढ़	भा.व.से.	अपूर्ण दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए
8.	हरियाणा	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
9.	हिमाचल प्रदेश	भा.पु.से.	रिक्तियां निर्धारित नहीं की गईं
10.	जम्मू एवं कश्मीर	भा.प्र.से. (गै.रा.सि.से.)	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
11.	जम्मू एवं कश्मीर	भा.पु.से.	रिक्तियां निर्धारित नहीं की गईं
12.	जम्मू एवं कश्मीर	भा.व.से.	रिक्तियां निर्धारित नहीं की गईं/अदालती मामले
13.	झारखंड	भा.प्र.से. (रा.सि.से.)	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
14.	झारखंड	भा.प्र.से. (गै.रा.सि.से.)	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ/अदालती मामले
15.	केरल	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
16.	केरल	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
17.	मध्य प्रदेश	भा.प्र.से. (गै.रा.सि.से.)	अपूर्ण दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए
18.	मणिपुर	भा.व.से.	रिक्तियां निर्धारित नहीं की गईं
19.	नागालैण्ड	भा.प्र.से.	अपूर्ण दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए
20.	उड़ीसा	भा.प्र.से. (रा.सि.से.)	अपूर्ण दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए/अदालती मामले
21.	उड़ीसा	भा.पु.से.	भारत सरकार द्वारा रिक्ति निर्धारित नहीं की गईं
22.	पंजाब	भा.प्र.से. (रा.सि.से.)	बैठक स्थगित की गई/अदालती मामले
23.	पंजाब	भा.व.से.	रिक्तियां पुष्ट नहीं की गईं
24.	राजस्थान	भा.प्र.से.	अपूर्ण दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए/अदालती मामले
25.	राजस्थान	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
26.	सिक्किम	भा.प्र.से.	अपूर्ण दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए
27.	सिक्किम	भा.व.से.	अपूर्ण दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए
28.	त्रिपुरा	भा.प्र.से.	अदालती आदेश
29.	त्रिपुरा	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
30.	उत्तर प्रदेश	भा.प्र.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ/अदालती मामले
31.	उत्तर प्रदेश	भा.पु.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
32.	उत्तर प्रदेश	भा.व.से.	रिक्तियां निर्धारित नहीं की गईं/अदालती मामले
33.	उत्तराखण्ड	भा.व.से.	रिक्तियां निर्धारित नहीं की गईं/अदालती मामले
34.	अरुणाचल प्रदेश	भा.प्र.से.	कोरम पूरा न होने के कारण बैठक आयोजित नहीं की जा सकी
35.	अरुणाचल प्रदेश	भा.व.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
36.	गोवा	भा.व.से.	रिक्तियां निर्धारित नहीं की गईं
37.	संघ शासित क्षेत्र	भा.प्र.से.	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
38.	संघ शासित क्षेत्र	भा.पु.से.	रिक्तियां निर्धारित नहीं की गईं

परिशिष्ट XXXI

(देखिए अध्याय 6)

मंत्रालय/विभाग जिन्होंने वर्ष 2008-09 के दौरान गुप 'क' और 'ख' पदों/सेवाओं में की गई तदर्थ नियुक्तियों की अर्द्धवार्षिक विवरणी नहीं भेजी

- | | |
|---|--|
| 1. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग | 31. डाक विभाग |
| 2. कृषि तथा सहकारिता विभाग | 32. दूरसंचार विभाग |
| 3. पशु पालन एवं डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग | 33. विद्युत मंत्रालय |
| 4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग | 34. रेल मंत्रालय |
| 5. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो | 35. ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| 6. रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग | 36. पेय-जल आपूर्ति विभाग |
| 7. उर्वरक विभाग | 37. भू-संसाधन विभाग |
| 8. नागर विमानन मंत्रालय | 38. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग |
| 9. कोयला मंत्रालय | 39. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग |
| 10. वाणिज्य विभाग | 40. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग |
| 11. कारपोरेट कार्य मंत्रालय | 41. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय |
| 12. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय | 42. सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय |
| 13. भारतीय चुनाव आयोग | 43. कर्मचारी चयन आयोग |
| 14. पर्यावरण तथा वन मंत्रालय | 44. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय |
| 15. विदेश मंत्रालय | 45. इस्पात मंत्रालय |
| 16. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | 46. कपड़ा मंत्रालय |
| 17. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | 47. संस्कृति विभाग |
| 18. भारी उद्योग तथा लोक उद्यम विभाग | 48. पर्यटन विभाग |
| 19. माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग | 49. जनजाति कार्य मंत्रालय |
| 20. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय | 50. शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय |
| 21. श्रम तथा रोजगार मंत्रालय | 51. युवा मामले तथा खेल मंत्रालय |
| 22. विधि कार्य विभाग | 52. भारत के महापंजीयक का कार्यालय |
| 23. खान मंत्रालय | 53. राजभाषा विभाग |
| 24. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | 54. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो |
| 25. ओवरसीज भारतीय कार्य मंत्रालय | 55. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय |
| 26. पंचायती राज मंत्रालय | 56. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय |
| 27. संसदीय कार्य मंत्रालय | 57. दमन और दीव प्रशासन |
| 28. कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग | 58. अंडमान तथा निकोबार प्रशासन |
| 29. प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग | 59. पुदुच्चेरी प्रशासन |
| 30. पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 60. चंडीगढ़ प्रशासन |

परिशिष्ट XXXII (देखिए अध्याय 6)

मंत्रालयों/विभागों के ग्रुप 'क' और 'ख' पदों/सेवाओं में तदर्थ नियुक्तियां जो वर्ष 2008-09 के दौरान एक वर्ष से अधिक अवधि तक चली तथा अर्द्धवार्षिक विवरणियों द्वारा आयोग को सूचित की गईं

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	पद का नाम	क्या भर्ती नियम विद्यमान है	भर्ती का तरीका	वेतनमान (रु० में)/ पे बैंड	तदर्थ नियुक्ति का वर्ष	तदर्थ नियुक्तियों की संख्या			
							30.6.2008		31.12.2008	
							ग्रुप 'क'	ग्रुप 'ख'	ग्रुप 'क'	ग्रुप 'ख'
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय									
	औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग	विकास अधिकारी (इंजीनियरी)	भर्ती नियमों को अभी बनाया जाना है		10000-15200	2002	1	शून्य	1	शून्य
					10000-15200	2003	1	शून्य	1	शून्य
					10000-15200	2005	2	शून्य	2	शून्य
		विकास अधिकारी (रसायन)	भर्ती नियमों को अभी बनाया जाना है		10000-15200	2007	1	शून्य	1	शून्य
		औद्योगिक सलाहकार (रसायन)	भर्ती नियमों को अभी बनाया जाना है		16400-20500	2007	1	शून्य	1	शून्य
		औद्योगिक सलाहकार (इंजीनियरी)	भर्ती नियमों को अभी बनाया जाना है		16400-20500	2007	1	शून्य	1	शून्य
		अपर औद्योगिक सलाहकार	भर्ती नियमों को अभी बनाया जाना है		14300-18300	2005	2	शून्य	2	शून्य
					14300-18300	2007	2	शून्य	2	शून्य
		वरिष्ठ डेस्क अधिकारी	भर्ती नियम विद्यमान नहीं है		12000-16500	2007	1	शून्य	1	शून्य
	टैरिफ आयोग, नई दिल्ली	वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक	हाँ	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण	10000-15200	2005	1	शून्य		
		डीपीए ग्रुप 'बी'	हाँ	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण	6500-10500	2005	शून्य	1	शून्य	1

संघ लोक सेवा आयोग

145

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	पद का नाम	क्या भर्ती नियम विद्यमान है	भर्ती का तरीका	वेतनमान (रु० में)/ पे बैंड	तदर्थ नियुक्ति का वर्ष	तदर्थ नियुक्तियों की संख्या			
							30.6.2008		31.12.2008	
							गुप'क'	गुप'ख'	गुप'क'	गुप'ख'
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	पैट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक	हाँ	पदोन्नति, इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (एसटीसी सहित)	14300-18300	2007	3	शून्य		
	नमक आयुक्त का संगठन, जयपुर	उप नमक आयुक्त	हाँ	पदोन्नति	12000-16500	2005	1	शून्य	1	शून्य
	आर्थिक सलाहकार का कार्यालय	आर्थिक अधिकारी	हाँ	50% सीधी भर्ती द्वारा 25% पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 25% प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	6500-10,500	2004			शून्य	1
	ट्रेडमार्क पंजीयक का कार्यालय, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, मुम्बई						शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय									
	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	उप निदेशक (एस एण्ड आर)	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई		10,000-15,200	2006			1	शून्य
		सहायक निदेशक	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई		8000-13500	2005			1	शून्य
						2006			1	शून्य
	उपभोक्ता मामले विभाग						शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	रक्षा मंत्रालय									
	डीजीएफएमएस/डीजी 2बी						शून्य	शून्य		
	एनएचक्यू/डीसीपी						शून्य	शून्य		

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

146

संघ लोक सेवा आयोग

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	पद का नाम	क्या भर्ती नियम विद्यमान है	भर्ती का तरीका	वेतनमान (रु० में)/ पे बैंड	तदर्थ नियुक्ति का वर्ष	तदर्थ नियुक्तियों की संख्या			
							30.6.2008		31.12.2008	
							गुप'क'	गुप'ख'	गुप'क'	गुप'ख'
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	डीपीआर/पीआर(एक्स)						शून्य	शून्य		
	एचक्यूआईडीएस	लेक्चरर	हाँ	सीधी भर्ती	8000-13500	1986	1	शून्य		
					8000-13500	1987	1	शून्य		
					8000-13500	1993	1	शून्य		
					8000-13500	1994	1	शून्य		
					8000-13500	1995	1	शून्य		
					8000-13500	1996	3	शून्य		
					8000-13500	1997	1	शून्य		
					8000-13500	2001	2	शून्य		
4	वित्त मंत्रालय									
	आर्थिक कार्य विभाग						शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आईजीएम, कोलकाता	कार्य प्रबन्धक	लागू नहीं		10,000-15,200	2007	1	शून्य		
		उप महाप्रबन्धक	लागू नहीं		पीबी-4, 37400 रु.- 67000/-, जीपी 8700रु./-	2007			1	शून्य
	आईजीएम, हैदराबाद	उप महाप्रबन्धक	हाँ	50% पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50% सीधी भर्ती द्वारा	14,300-18,300/-	2007	शून्य	शून्य	1	शून्य
		कार्य प्रबन्धक	हाँ	पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	10,000-15,200/-	2007	शून्य	शून्य	1	शून्य
	एसपीएम, होशंगाबाद						शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	एसपीपी, हैदराबाद						शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बीएनपी, देवास	मुख्य इंजीनियर	हाँ	पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	12000-16500	2007	1	शून्य		
		उप कार्य प्रबन्धक	हाँ	पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा दोनों न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	10000-15200	2007	1	शून्य	1	शून्य

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

संघ लोक सेवा आयोग

147

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	पद का नाम	क्या भर्ती नियम विद्यमान है	भर्ती का तरीका	वेतनमान (रु० में)/ पे बैंड	तदर्थ नियुक्ति का वर्ष	तदर्थ नियुक्तियों की संख्या			
							30.6.2008		31.12.2008	
							गुप'क'	गुप'ख'	गुप'क'	गुप'ख'
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		सहायक कार्य प्रबन्धक (प्रिंटिंग और प्लेट मेकिंग)	हाँ	50% पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा 50% सीधी भर्ती द्वारा	8000-13500	2007	1	शून्य		
		रसायनज्ञ (लिक एवं अनुसंधान) ग्रुप-II	हाँ	331/3% पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, 662/3% प्र.नि. द्वारा इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	8000-13500	2007	1	शून्य	1	शून्य
		लेखा अधिकारी (प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) के रूप में पुनः पद नामित)	हाँ	पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	7500-12000	2006	शून्य	1	शून्य	1
		सहायक इंजीनियर (ए/सी)	हाँ	पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न होने पर भर्ती द्वारा	6500-10500	2006	शून्य	1	शून्य	1
		मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	हाँ	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण	10,000-15,200	2007			1	शून्य
	एनएसआई, नागपुर								शून्य	शून्य
	आईएसपी नासिक रोड								शून्य	शून्य
5	गृह मंत्रालय									
	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल						शून्य	शून्य		
	उत्तर क्षेत्रीय परिषद सचिवालय	समिति अधिकारी	हाँ	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति	6500-10500	2005	शून्य	1	शून्य	1
		अधीक्षक	हाँ	पदोन्नति	9300-34800 (पीबी-2)	2006	शून्य	1	शून्य	1
		सहायक	हाँ	पदोन्नति	9300-34800 (पीबी-2)	2006	शून्य	1		
6	विधि तथा न्याय मंत्रालय									
	विधायी विभाग						शून्य	शून्य		

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

148

संघ लोक सेवा आयोग

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	पद का नाम	क्या भर्ती नियम विद्यमान है	भर्ती का तरीका	वेतनमान (रु० में)/ पे बैंड	तदर्थ नियुक्ति का वर्ष	तदर्थ नियुक्तियों की संख्या			
							30.6.2008		31.12.2008	
							गुप'क'	गुप'ख'	गुप'क'	गुप'ख'
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	योजना आयोग									
		वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	हाँ	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति	10,000-15,200	2005	2	शून्य	2	शून्य
					10,000-15,200	2006	1	शून्य	1	शून्य
					10,000-15,200	2007	3	शून्य	2	शून्य
		अनुसंधान अधिकारी	हाँ	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति	8000-13,500	1996	1	शून्य	1	शून्य
					8000-13,500	1997	1	शून्य	1	शून्य
					8000-13,500	2000	1	शून्य	1	शून्य
					8000-13,500	2001	1	शून्य	1	शून्य
					8000-13,500	2005	1	शून्य	1	शून्य
		अनुभाग अधिकारी	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई		6500-10,500	2003	शून्य	1	शून्य	1
					6500-10,500	2004	शून्य	1	शून्य	1
					6500-10,500	2005	शून्य	1	शून्य	1
					6500-10,500	2006	शून्य	1	शून्य	1
					6500-10,500	2007	शून्य	2	शून्य	2
		सहायक	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई		6500-10,500	1997	शून्य	2	शून्य	2
					6500-10,500	2001	शून्य	5	शून्य	5
					6500-10,500	2002	शून्य	4	शून्य	4
					6500-10,500	2003	शून्य	1	शून्य	1
					6500-10,500	2004	शून्य	9	शून्य	9
					6500-10,500	2005	शून्य	9	शून्य	9
					6500-10,500	2006	शून्य	7	शून्य	7
					6500-10,500	2007	शून्य	3	शून्य	3
8	जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय									
	मुख्य इंजीनियर एवं प्रशासक का कार्यालय, एएलएचडब्ल्यू	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।		6500-10500	2007	शून्य	1		
	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग								शून्य	शून्य

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

संघ लोक सेवा आयोग

149

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	पद का नाम	क्या भर्ती नियम विद्यमान है	भर्ती का तरीका	वेतनमान (रु० में)/ पे बैंड	तदर्थ नियुक्ति का वर्ष	तदर्थ नियुक्तियों की संख्या			
							30.6.2008		31.12.2008	
							गुप'क'	गुप'ख'	गुप'क'	गुप'ख'
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	जहाजरानी विभाग								शून्य	शून्य
9	संघ लोक सेवा आयोग								शून्य	शून्य
10	जल संसाधन मंत्रालय									
	केन्द्रीय जल आयोग	ई ए डी/ए ई	हाँ	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई	6500-10500	1997	शून्य	9		
					6500-10500	1999	शून्य	2		
	केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सहायक जल भूविज्ञानी	हाँ	662/3% सीधी भर्ती द्वारा एवं 331/3% पदोन्नति द्वारा	7500-12000	1997	शून्य	14		
	फरक्का बराज परियोजना	चिकित्सा अधिकारी	हाँ	सीधी भर्ती द्वारा	8000-13500	1988	1	शून्य		
					8000-13500	1991	1	शून्य		
					8000-13500	2004	2	शून्य		
					8000-13500	2005	2	शून्य		
					8000-13500	2006	1	शून्य		
	केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र						शून्य	शून्य		
	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र						शून्य	शून्य		
	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग						शून्य	शून्य		
	सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति						शून्य	शून्य		

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

150

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	पद का नाम	क्या भर्ती नियम विद्यमान है	भर्ती का तरीका	वेतनमान (रु० में)/ पे बैंड	तदर्थ नियुक्ति का वर्ष	तदर्थ नियुक्तियों की संख्या			
							30.6.2008		31.12.2008	
							गुप'क'	गुप'ख'	गुप'क'	गुप'ख'
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	बाणसागर नियंत्रण बोर्ड						शून्य	शून्य		
	अपर यमुना नदी बोर्ड						शून्य	शून्य		
11	दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन									
	कार्मिक अनुभाग	जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, अब राज्य एम सी एच ओ	हाँ	पदोन्नति द्वारा	10000-15200	1990	1	शून्य	शून्य	शून्य
		आशुलिपिक (एच.जी.)	हाँ	पदोन्नति द्वारा	6500-10500	2006	शून्य	1	शून्य	शून्य
		अधीक्षक / भूमि सुधार अधिकारी / मामलातदार	हाँ	पदोन्नति द्वारा	5500-9000	2006	शून्य	5	शून्य	शून्य
					5500-9000	2007	शून्य	1	शून्य	शून्य

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट XXXIII

(देखिए अध्याय 6)

वर्ष 2008-09 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का मंत्रालय/विभाग-वार तथा विभागीय-पदोन्नति समितियों द्वारा आरक्षित/अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु अनुशंसित किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	आरक्षित रिक्तियों की संख्या			आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किए गए अधिकारियों की संख्या			अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किए गए अधिकारियों की संख्या		
		अ.जा.	अ.ज.जा	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	कृषि तथा सहकारिता	3	1	4	3	1	4	1	1	2
2	दूरसंचार	2	1	3	2	1	3	2	-	2
3	डाक	-	-	-	-	-	-	1	3	4
4	नागर विमानन	-	-	-	-	-	-	4	-	4
5	वाणिज्य	-	-	-	-	-	-	3	-	3
6	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-	-	1	-	1
7	रक्षा	205	108	313	123	22	145	16	5	21
8	विदेश	10	10	20	5	4	9	-	-	-
9	वित्त (सीएजी)	9	11	20	9	4	13	3	1	4
10	वित्त (राजस्व)	35	27	62	31	23	54	59	15	74
11	व्यय	-	-	-	-	-	-	1	-	1
12	आर्थिक कार्य	-	-	-	-	-	-	11	4	15
13	संस्कृति	-	-	-	-	-	-	2	-	2
14	गृह (न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय)	1	-	1	1	-	1	1	-	1
15	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	1	-	1
16	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	-	-	-	-	-	-	4	1	5
17	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय	6	3	9	-	-	-	6	2	8
18	गृह मंत्रालय	9	-	9	4	-	4	-	-	-
19	गृह (आर जी आई)	-	1	1	1	1	2	3	-	3
20	गृह (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)	-	1	1	-	1	1	-	-	-
21	आसूचना ब्यूरो (गृह)	47	22	69	41	17	58	1	2	3
22	गृह (राजभाषा)	-	-	-	-	-	-	2	-	2

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	आरक्षित रिक्तियों की संख्या			आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किए गए अधिकारियों की संख्या			अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किए गए अधिकारियों की संख्या		
		अ.जा.	अ.ज.जा	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
23	सूचना एवं प्रसारण	3	2	5	6	3	9	3	2	5
24	श्रम और रोजगार	2	-	2	4	-	4	11	3	14
25	रेल	151	61	212	175	73	248	34	17	51
26	जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	2	-	2	6	-	6	4	-	4
27	भारत का निर्वाचन आयोग	2	1	3	-	-	-	-	-	-
28	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	1	1	2	1	1	2	4	4	8
29	कपड़ा	2	2	4	2	2	4	2	-	2
30	पर्यटन	-	-	-	-	-	-	2	1	3
31	शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन	2	-	2	2	-	2	6	-	6
32	खान	73	37	110	26	9	35	4	3	7
33	जल संसाधन	2	3	5	1	-	1	5	1	6
34	दिल्ली नगर निगम	9	5	14	1	-	1	-	-	-
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	112	83	195	102	14	116	87	-	87
36	दिल्ली जल बोर्ड	3	2	5	3	1	4	-	-	-
37	ई एस आई सी	1	4	5	1	4	5	22	9	31
38	विद्युत	3	2	5	3	2	5	-	-	-
39	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	-	-	-	-	-	-	1	-	1
40	पर्यावरण एवं वन	-	1	1	1	2	3	1	1	2
41	चंडीगढ़ प्रशासन	2	-	2	2	-	2	-	-	-
42	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	28	1	29	1	-	1	2	-	2
43	रसायन एवं पेट्रो रसायन	-	-	-	-	-	-	1	-	1
44	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	-	-	-	-	-	-	1	-	1
45	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	कुल	725	390	1115	557	185	742	313	75	388

परिशिष्ट XXXIV

(देखिए अध्याय 7)

वर्ष 2008-09 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित पदों की सूची, जिनके लिए इन वर्गों के किसी भी उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया

क्र. सं.	पद का नाम तथा वेतनमान	निम्नलिखित के लिए आरक्षित पदों की संख्या			कुल
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	
1	सहायक प्रोफेसर, हृदय रोग विज्ञान, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ-II (अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु०)	1	1	1	3
2	सहायक प्रोफेसर (तंत्रिका विज्ञान), केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ ग्रेड-II (अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु०)	1	-	-	1
3	वरिष्ठ लेक्चरर (विकिरण-निदान), राजकीय चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन, (14300-18150 रु०)	1	-	-	1
4	सहायक प्रोफेसर, हृदय रोग विज्ञान, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ ग्रेड II (अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु०)	1	1	1	3
5	सहायक प्रोफेसर, हृदय रोग विज्ञान, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ ग्रेड-II (अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु०)	2	-	-	2
6	लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ग्रेड-II केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उप संवर्ग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु०)	-	1	-	1
7	सहायक प्रोफेसर विशेषज्ञ ग्रेड-II (क्षय एवं वक्ष रोग), केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ ग्रेड-II (अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु०)	-	-	1	1
8	विशेषज्ञ ग्रेड-II (कनिष्ठ वेतनमान)(भौतिकीय औषधि एवं पुनर्वास), केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ ग्रेड-II (अध्यापन विशेषज्ञ उप संवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु०)	-	-	1	1
9	सहायक प्रोफेसर (तंत्रिका शल्य-चिकित्सा), केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ ग्रेड-II (अध्यापन विशेषज्ञ उप संवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु०)	-	-	1	1
10	सहायक प्रोफेसर (अंतः स्त्राविकी), केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ ग्रेड-II (अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 रु०)	-	-	1	1
11	वरिष्ठ लेक्चरर (सामुदायिक चिकित्सा), राजकीय चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन, (14300-18150 रु०)	-	-	1	1
	योग	6	3	7	16

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

परिशिष्ट XXXV

(देखिए अध्याय 7)

वर्ष 2008-09 के दौरान साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की संख्या

क्र. सं.	पद का नाम तथा वेतनमान	उम्मीदवारों की संख्या			कुल
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सर्विस इंजीनियर (यांत्रिकी), भारतीय मत्स्य पालन सर्वेक्षण, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय, (8000-13500 रु०)	1	-	-	1
2	निदेशक (फसल विकास निदेशालय), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, (12000-16500 रु०)	-	-	1	1
3	फार्म अधीक्षक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, (6500-10500 रु०)	-	-	1	1
4	वैज्ञानिक एस बी (गैर-विध्वंसक), राष्ट्रीय परीक्षण गृह, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (8000-13500 रु०)	-	-	1	1
5	सिविलियन चिकित्सा अधिकारी, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, (8000-13500 रु०)	1	1	1	3
6	सहायक कार्य प्रबन्धक (परि०) (धातुविद्) (कनिष्ठ समय वेतनमान) आयुध कारखाना बोर्ड, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, (8000-13500 रु०)	1	-	1	2
7	सहायक कार्य प्रबन्धक (परि०) (रसायन इंजीनियर)/कनिष्ठ समय वेतनमान, आयुध कारखाना बोर्ड, रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय, (8000-13500 रु०)	1	-	3	4
8	कनिष्ठ कार्य प्रबन्धक (वस्त्र प्रौद्योगिकी), आयुध कारखाना बोर्ड, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, (7450-11500 रु०)	1	-	-	1
9.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II (इलेक्ट्रॉनिकी/संचार इंजीनियरी), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, (8000-13500 रु०)	-	-	1	1
10.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II रसायन विज्ञान (रसायन इंजीनियरी), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, (8000-13500 रु०)	-	-	1	1
11.	रीडर, इतिहास, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा मंत्रालय, (12000-18300 रु०)	-	-	1	1

क्र. सं.	पद का नाम तथा वेतनमान	उम्मीदवारों की संख्या			कुल
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	रीडर, राजनीति विज्ञान, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा मंत्रालय, (12000-18300 ₹0)	-	-	1	1
13	रीडर, रसायन विज्ञान, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा मंत्रालय, (12000-18300 ₹0)	-	-	1	1
14	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विद्युत), वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, (7500-12000 ₹0)	-	-	1	1
15	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिकी), वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, (7500-12000 ₹0)	-	-	2	2
16	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कम्प्यूटर), वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, (7500-12000 ₹0)	-	-	1	1
17	रीडर, भूगोल, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा मंत्रालय, (12000-18300 ₹0)	-	-	1	1
18	कनिष्ठ कार्य प्रबन्धक (यांत्रिकी), आयुध कारखाना बोर्ड, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, (7450-11500 ₹0)	-	-	4	4
19	अनुवाद अधिकारी (रूसी/अंग्रेजी), भारतीय नौसेना, रक्षा मंत्रालय, (6500-10500 ₹0)	-	-	3	3
20	लेक्चरर (कम्प्यूटर विज्ञान इंजीनियरी), नौसेना अकादमी, रक्षा मंत्रालय, (8000-13500 ₹0)	-	-	1	1
21	कनिष्ठ समय वेतनमान, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार इंजीनियरी, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, (8000-13500 ₹0)	-	-	3	3
22	सिविलियन ग्लाइडिंग अनुदेशक, एन सी सी एयर स्क्वाड्रन्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, (8000-13500 ₹0)	-	-	1	1
23	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड- II (विद्युत), वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, (8000-13500 ₹0)	-	-	1	1
24	लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ग्रेड-II, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उप-संवर्ग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (10000-15200 ₹0)	1	-	-	1
25	ड्रग्स निरीक्षक, केन्द्रीय ड्रग्स मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (7500-12000 ₹0)	1	-	-	1
26	कनिष्ठ विश्लेषक, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (6500-10500 ₹0)	-	1	-	1
27	सहायक निदेशक (हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि), गृह मंत्रालय, (7500-12000 ₹0)	-	-	2	2

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

क्र. सं.	पद का नाम तथा वेतनमान	उम्मीदवारों की संख्या			कुल
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	उप महा पंजीयक (नक्शा), भारत के महापंजीयक का कार्यालय गृह मंत्रालय, (14300-18300 ₹0)	-	-	1	1
29	भारतीय सूचना सेवा, वरिष्ठ ग्रेड, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, (6500-10500 ₹0)	-	-	1	1
30	भारतीय सूचना सेवा, वरिष्ठ ग्रेड, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, (6500-10500 ₹0)	-	-	1	1
31	प्रशिक्षण अधिकारी (केश एवं त्वचा देखभाल), महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, (6500-10500 ₹0)	1	-	-	1
32	उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, (6500-10500 ₹0)	-	1	1	2
33	उप निदेशक, यांत्रिक इंजीनियरी, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, (10000-15200 ₹0)	-	-	1	1
34	भू-भौतिक विज्ञानी (कनिष्ठ), भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण, खान मंत्रालय, (8000-13500 ₹0)	1	-	2	3
35	निदेशक (अयस्क ड्रेसिंग), भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय, (18400-22400 ₹0)	-	1	-	1
36	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (मनोविज्ञान), भारतीय रेल, रेल मंत्रालय, (7500-12000 ₹0)	1	-	-	1
37	सहायक निदेशक ग्रेड-II (आर्थिक अन्वेषण), लघु उद्योग विकास संगठन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, (6500-10500 ₹0)	-	-	2	2
38	सहायक निदेशक ग्रेड-II (यांत्रिक), लघु उद्योग विकास संगठन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, (6500-10500 ₹0)	-	-	1	1
39	चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II, जनरल रिजर्व इंजीनियर बल, सीमा सड़क संगठन, जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, (8000-13500 ₹0)	1	-	-	1
40	सहायक निदेशक ग्रेड-I (उत्पादन एवं विकास) सहायक निदेशक ग्रेड-I (तकनीकी) के रूप में पुनः नामोद्दिष्ट, कपड़ा आयुक्त का कार्यालय, कपड़ा मंत्रालय, (8000-13500 ₹0)	1	-	-	1
41	उप निदेशक (गैर-तकनीकी), कपड़ा आयुक्त का कार्यालय कपड़ा मंत्रालय, (10000-15200 ₹0)	1	-	-	1
42	वरिष्ठ लेक्चरर (कपड़ा रसायन विज्ञान), भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय कपड़ा मंत्रालय, (8000-13500 ₹0)	-	-	1	1

क्र. सं.	पद का नाम तथा वेतनमान	उम्मीदवारों की संख्या			कुल
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43	उप निदेशक (बुनाई), हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय कपड़ा मंत्रालय, (10000-15200 ₹0)	-	-	1	1
44	प्रौद्योगिकीविद् (प्रिंटिंग एवं बाईडिंग), मुद्रण निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय, (7450-11500 ₹0)	1	-	-	1
45	उप वास्तुविद्, निर्माण महानिदेशालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, (8000-13500 ₹0)	4	-	3	7
46	चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी), भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, (8000-13500 ₹0)	1	-	2	3
47	प्रिसिपल, राजकीय विद्यालय, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, (10000-15200 ₹0)	1	-	1	2
48	प्रिसिपल, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, (10000-15200 ₹0)	2	-	1	3
49	सूचना अधिकारी, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, (6500-10500 ₹0)	-	-	1	1
50	शिक्षा अधिकारी/सहायक शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, (10000-15200 ₹0)	-	-	1	1
51	लेक्चरर (आयुर्वेद), भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, (8000-13500 ₹0)	-	-	2	2
52	लेक्चरर, विद्युत इंजीनियरी (तकनीकी), अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, (8000 -13500 ₹0)	-	-	1	1
53	पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सक, ग्रामीण विकास विभाग (पशुपालन), पुदुच्चेरी सरकार, (8000-13500 ₹0)	1	-	-	1
54	सहायक वास्तुविद्, लक्षद्वीप लोक निर्माण विभाग, लक्षद्वीप प्रशासन, (6500-10500 ₹0)	-	-	1	1
	योग	23	4	58	85

परिशिष्ट XXXVI (देखिए अध्याय 8)
वर्ष 2008-09 के दौरान निपटाए गए अनुशासनिक मामले

अग्रणीत	218	निपटाए गए कुल मामले		743																			
वर्ष के दौरान प्राप्त	708	अन्तिम शेष		183																			
योग	926																						
क्र. सं.	कदाचार	मामले जिनमें सलाह संसूचित की गई															पुनर्विचार करके दोहराई गई सलाह	मामलों पर नए सिरे से कार्यवाही विविध सलाह	जारी किए गए सलाह पत्रों की कुल संख्या	अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु वापस किए गए मामलों का संदर्भ नहीं	सरकार द्वारा वापस लिए गए	निपटाए गए कुल मामले	
		गुपवार ब्योरा				शास्ति जिसकी सलाह दी गई																	
		गुप 'क'	गुप 'ख'	गुप 'ग'	गुप 'घ'	बर्खास्तगी	सेवा से हटाना	अनिवाय सेवानिवृत्ति	रैंक घटाना	# धन संबंधी शास्तियां	पदोन्नति रोकना	परिनिन्दा	पेंशन में कटौती	कार्यवाही समाप्त की	कुल प्रभावी सलाह								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	दोषसिद्धि	10	9	7	-	10	-	-	-	1	-	-	14	1	26	1	-	-	27	-	-	-	27
2	भ्रष्टाचार/ अनाचार	22	8	4	-	6	1	-	3	5	-	3	11	5	34	-	-	-	34	-	-	-	34
3	बेईमानी/ गबन	24	10	6	-	2	-	-	3	9	-	2	21	3	40	-	-	-	40	-	-	-	40
4	अनैतिक आचरण	7	2	1	-	1	1	1	-	4	-	1	2	-	10	-	-	-	10	-	-	-	10
5	बिना छुट्टी/ अनुमति लिए डयूटी से अनुपस्थिति	26	3	6	1	16	4	4	2	3	-	2	4	1	36	-	1	-	37	-	-	-	37
6	बाहरी रोजगार/ व्यवसाय	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
7	अवज्ञा	6	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	1	1	6	-	-	-	6	-	-	-	6
8	डयूटी की अवहेलना/ प्रक्रिया का अनुपालन न करना	83	27	6	-	1	-	1	4	53	-	16	31	10	116	1	-	1	118	-	-	-	118
9	संपत्ति के लेन-देन में अनियमितताएं	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1
10	दुर्य्यवहार	4	-	1	1	-	-	-	1	1	-	2	1	1	6	-	-	-	6	-	-	-	6
11	अन्य आरोप/ कदाचार	114	32	22	3	1	3	5	6	50	-	12	59	35	171	1	1	2	175	285	3	-	463
	योग	297	92	53	5	37	11	11	19	129	-	38	144	58	447	3	2	3	455	285	3	-	743

इसमें वेतन का समय वेतनमान के निचले स्तर पर घटाने, वेतन वृद्धि को रोकने और आदेशों के उल्लंघन या अवहेलना से सरकार को हुई धन संबंधी संपूर्ण हानि की पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वेतन से वसूली करने संबंधी शास्तियां सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट XXXVII (देखिए अध्याय 8)

वर्ष 2008-09 के दौरान आयोग द्वारा अनुशासनिक मामलों में दी गई सलाह का मंत्रालय-वार विवरण

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकार का नाम	सत्यनिष्ठा से संबंधित आरोपों के मामले				सत्यनिष्ठा से संबंधित आरोपों के अलावा अन्य मामले				परामर्श दोहरा दिया गया	नए सिरे से कार्यवाही आरंभ करने का परामर्श	विविध स्वरूप का परामर्श	6, 10 तथा 11-13 कॉलमों का कुल योग
		उन मामलों की संख्या जिनमें बड़ी शास्ति की सलाह दी है	उन मामलों की संख्या जिनमें किसी भी लघु शास्ति की सलाह दी है।	उन मामलों की संख्या जिनमें किसी भी शास्ति की सलाह नहीं दी है।	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें बड़ी शास्ति दी है	उन मामलों की संख्या जिनमें लघु शास्ति की सलाह दी है।	उन मामलों की संख्या जिनमें किसी भी शास्ति की सलाह नहीं दी है।	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	कृषि	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
2.	नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
3.	वाणिज्य एवं उद्योग	-	-	-	-	2	1	-	3	-	-	-	3
4.	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी	16	1	1	18	40	21	8	69	-	1	2	90
5.	रक्षा	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	3
6.	पर्यावरण एवं वन	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	3
7.	विदेश	3	-	-	3	4	5	-	9	-	-	-	12
8.	वित्त	10	-	-	10	24	13	11	48	2	-	-	60
9.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	-	-	1	3	-	-	3	-	-	-	4
10.	गृह	2	1	-	3	36	18	4	58	-	-	-	61
11.	मानव संसाधन विकास	1	-	-	1	3	1	1	5	-	-	-	6
12.	उद्योग	-	-	-	-	-	3	1	4	-	-	-	4
13.	सूचना एवं प्रसारण	1	-	-	1	4	7	2	13	-	-	-	14
14.	श्रम	2	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	3
15.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन	5	-	-	5	10	6	-	16	-	-	-	21
16.	योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
17.	रेल	7	2	-	9	52	29	21	102	1	1	1	114
18.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	2	-	-	2	3	2	-	5	-	-	-	7

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकार का नाम	सत्यनिष्ठा से संबंधित आरोपों के मामले				सत्यनिष्ठा से संबंधित आरोपों के अलावा अन्य मामले				परामर्श दोहरा दिया गया	नए सिरे से कार्यवाही आरंभ करने का परामर्श	विविध स्वरूप का परामर्श	6, 10 तथा 11-13 कॉलमों का कुल योग
		उन मामलों की संख्या जिनमें बड़ी शास्ति की सलाह दी है	उन मामलों की संख्या जिनमें लघु शास्ति की सलाह दी है।	उन मामलों की संख्या जिनमें किसी भी शास्ति की सलाह नहीं दी है।	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें बड़ी शास्ति की सलाह दी है	उन मामलों की संख्या जिनमें लघु शास्ति की सलाह दी है।	उन मामलों की संख्या जिनमें किसी भी शास्ति की सलाह नहीं दी है।	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	कपड़ा	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
20.	शहरी विकास	-	-	-	-	12	4	3	19	-	-	-	19
21.	जल संसाधन	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	3
22.	खान	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2
23.	आंध्र प्रदेश सरकार	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
24.	गुजरात सरकार	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
25.	कर्नाटक सरकार	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2
26.	मध्य प्रदेश सरकार	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	2
27.	महाराष्ट्र सरकार	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
28.	मिज़ोरम सरकार	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
29.	उड़ीसा सरकार	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
30.	राजस्थान सरकार	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
31.	तमिलनाडु सरकार	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	3
32.	उत्तर प्रदेश सरकार	-	-	-	-	1	1	5	7	-	-	-	7
33.	पश्चिम बंगाल सरकार	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
	योग	54	4	1	59	202	126	60	388	3	2	3	455

परिशिष्ट XXXVIII (देखिए अध्याय 9)

सरकार द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव संस्तुति की तारीख से एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से भेजे गए मामलों की संख्या का मंत्रालय-वार विवरण (31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	उन मामलों/पदों की संख्या जिनमें नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में विलम्ब हुआ				उन मामलों/पदों की संख्या जिनमें निम्नलिखित अवधि के बाद की नियुक्ति प्रस्ताव नहीं भेजे गए #				योग #
		1 वर्ष और अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम	2 वर्ष और अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम	3 वर्ष और अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम	4 वर्ष और अधिक	1 वर्ष और अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम	2 वर्ष और अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम	3 वर्ष और अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम	4 वर्ष और अधिक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
भाग क – परीक्षा द्वारा भर्ती										
1.	वाणिज्य	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.	संचार	--	2	--	--	--	--	--	--	2
3.	रक्षा	6	1	--	--	9	--	--	--	16
4.	सूचना एवं प्रसारण	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5.	खान	--	--	--	--	110	18	--	--	128
6.	विद्युत	4	--	--	--	--	4	--	--	8
7.	रेल	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	--	--	8	--	--	--	--	--	8
9.	जहाजरानी, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10.	शहरी विकास	--	--	1	--	9	--	--	--	10
11.	जल संसाधन	6	--	--	--	--	--	--	--	6
योग		16	3	9	--	128	22	--	--	178
भाग ख – साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती										
1.	चंडीगढ़ प्रशासन	1	-	-	-	-	1	1	-	3
2.	रक्षा	9	-	-	-	-	-	1	8	18
3.	विदेश	-	-	-	-	3	-	-	-	3
4.	वित्त	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	1	-	-	-	1	-	-	3	5

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	उन मामलों/पदों की संख्या जिनमें नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में विलम्ब हुआ				उन मामलों/पदों की संख्या जिनमें निम्नलिखित अवधि के बाद की नियुक्ति प्रस्ताव नहीं भेजे गए #				योग #
		1 वर्ष और अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम	2 वर्ष और अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम	3 वर्ष और अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम	4 वर्ष और अधिक	1 वर्ष और अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम	2 वर्ष और अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम	3 वर्ष और अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम	4 वर्ष और अधिक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.	पुदुच्चेरी सरकार	-	-	-	1	7	1	2	-	11
7.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4	-	-	-	4	-	-	1	9
8.	श्रम एवं रोजगार	-	-	-	-	-	-	-	1	1
9.	विधि तथा न्याय	-	-	-	-	-	-	-	3	3
10.	दिल्ली नगर निगम	-	-	-	-	-	-	-	1	1
11.	योजना	-	-	-	-	-	1	-	-	1
12.	जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	-	-	-	-	-	-	-	8	8
13.	शहरी विकास	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	योग	15	1	-	1	15	3	4	26	65

टिप्पणी : इनमें वे मामले भी शामिल हैं जिनमें नियुक्ति प्रस्तावों के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा सूचना नहीं भेजी गई है।

भाग-ग इंजीनियरी सेवा परीक्षा के नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने में विलम्ब

परीक्षा का वर्ष और प्रत्येक वर्ष के सामने दशाए गए मामलों की संख्या जहां नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में विलम्ब हुआ है और अभी तक नहीं भेजे गए हैं							
क्र.सं.	मंत्रालय	2003	2004	2005	2006	2007	समेकित मामलों की कुल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	वाणिज्य	--	--	--	--	--	--
2.	संचार	--	--	--	--	--	--
3.	रक्षा	--	--	--	--	9	9
4.	सूचना एवं प्रसारण	--	--	--	--	--	--
5.	खान	--	--	--	--	--	--
6.	विद्युत	--	--	--	4	--	4
7.	रेल	--	--	--	--	--	--
8.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	--	--	--	--	--	--
9.	जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	--	--	--	--	--	--
10.	शहरी विकास	--	--	--	--	9	9
11.	जल ससाधन	--	--	--	--	--	--
	योग	--	--	--	4	18	22

परिशिष्ट XXXIX

(देखिए अध्याय 9)

सरकार द्वारा भर्ती नियम अधिसूचित न किए जाने वाले मामलों की संख्या और विलंब की अवधि दर्शाने वाला विवरण (31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	>5 वर्ष से अधिक	4-5 वर्ष	3-4 वर्ष	2-3 वर्ष	1-2 वर्ष	कुल
1	कृषि						44
	कृषि एवं सहकारिता	5	7	4	5	2	23
	पशुपालन एवं डेयरी	7	3	4	4	3	21
2	रसायन एवं उर्वरक						2
	रसायन एवं उर्वरक	-	-	-	-	-	-
	उर्वरक	1	-	-	-	1	2
3	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण						15
	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	7	1	-	-	-	8
	उपभोक्ता मामले	-	-	1	5	1	7
4	वाणिज्य एवं उद्योग						15
	वाणिज्य	7	-	2	1	1	11
	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन	2	1	-	-	1	4
5	संचार						3
	डाक	-	1	-	2	-	3
	दूरसंचार	-	-	-	-	-	-
6	रक्षा						73
	रक्षा	27	7	13	6	10	63
	रक्षा उत्पादन	1	-	2	2	1	6
	रक्षा अनुसंधान एवं विकास	-	-	-	-	-	-
	रक्षा (सी ए ओ)	-	-	-	-	-	-
	रक्षा (डी/नियुक्तियाँ)	-	-	1	3	-	4
7	विदेश						6
	विदेश	3	-	-	2	1	6
8	विद्युत						-
	विद्युत	-	-	-	-	-	-
9	पर्यावरण एवं वन						5
	पर्यावरण एवं वन	-	-	-	4	1	5
10	वित्त						67
	आर्थिक कार्य	25	3	1	2	1	32
	व्यय	1	1	4	1	1	8
	राजस्व	10	2	-	9	5	26
	कंपनी कार्य	-	-	-	1	-	1
11	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग						2
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1	-	-	1	-	2
12	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण						29
	स्वास्थ्य	9	-	4	6	5	24

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	>5 वर्ष से अधिक	4-5 वर्ष	3-4 वर्ष	2-3 वर्ष	1-2 वर्ष	कुल
	परिवार कल्याण	-	1	-	1	1	3
	आयुष	1	1	-	-	-	2
13	गृह						87
	आंतरिक सुरक्षा	7	1	1	1	1	11
	राजभाषा	1	-	-	1	-	2
	गृह	19	8	10	16	21	74
14	मानव संसाधन विकास						7
	माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा	3	2	-	-	1	6
	प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता	-	-	-	-	-	-
	महिला एवं बाल विकास	-	-	-	1	-	1
15	भारी उद्योग						2
	भारी उद्योग	2	-	-	-	-	2
16	सूचना एवं प्रसारण						5
	सूचना एवं प्रसारण	2	1	-	1	1	5
17	श्रम						6
	श्रम	-	-	-	1	-	1
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	-	1	-	-	1	2
	रोज़गार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय	1	-	-	-	2	3
18	विधि एवं न्याय						4
	विधिक कार्य	-	-	-	-	-	-
	विधायी विभाग	2	1	1	-	-	4
19	संसदीय कार्य						4
	संसदीय कार्य	3	1	-	-	-	4
20	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन						25
	कार्मिक एवं प्रशिक्षण	4	1	3	13	1	22
	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत	2	-	-	1	-	3
21	रेल						4
	रेल	2	-	-	1	1	4
22	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी						9
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	-	1	-	-	8	9
23	गैर पारंपरिक ऊर्जा						2
	गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	1	1	-	-	-	2
24	जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग						10
	जहाजरानी	4	1	-	1	1	7
	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	2	-	-	-	1	3
25	कारपोरेट कार्य						2
	कारपोरेट कार्य	-	-	-	-	2	2
26	कपड़ा						9
	कपड़ा	1	2	5	1	-	9
27	पर्यटन						2
	पर्यटन	-	-	2	-	-	2

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	>5 वर्ष से अधिक	4-5 वर्ष	3-4 वर्ष	2-3 वर्ष	1-2 वर्ष	कुल
28	संस्कृति						28
	संस्कृति	5	-	2	14	7	28
29	संघ लोक सेवा आयोग						1
	संघ लोक सेवा आयोग	-	-	-	-	1	1
30	शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन						5
	शहरी विकास	-	1	-	-	3	4
	शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन	-	-	-	1	-	1
31	जल संसाधन						10
	जल संसाधन	1	2	1	1	5	10
32	अंडमान एवं निकोबार प्रशासन						19
	अंडमान एवं निकोबार	1	1	3	10	4	19
33	चंडीगढ़ प्रशासन						18
	चंडीगढ़ प्रशासन	11	3	-	2	2	18
34	दमन, दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली						5
	दमन, दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली	3	1	-	-	1	5
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार						26
	प्रशासन	-	-	2	1	1	4
	तकनीकी शिक्षा	2	1	-	1	-	4
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3	-	1	1	3	8
	गृह	-	-	1	3	2	6
	विकास	-	1	-	-	-	1
	श्रम	-	1	-	1	-	2
	भूमि एवं भवन	1	-	-	-	-	1
36	लक्षद्वीप प्रशासन						3
	लक्षद्वीप प्रशासन	1	-	1	1	-	3
37	पुदुच्चेरी सरकार						9
	पुदुच्चेरी सरकार	3	1	1	2	2	9
38	दिल्ली नगर निगम						34
	दिल्ली नगर निगम	19	1	5	4	5	34
39	योजना आयोग						1
	योजना आयोग	-	-	-	1	-	1
40	प्रधान मंत्री सचिवालय						1
	प्रधान मंत्री सचिवालय	1	-	-	-	-	1
41	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्						13
	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्	4	2	5	2	-	13
42	ग्रामीण विकास						4
	ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार	-	1	-	-	-	1
	ग्रामीण विकास	1	-	-	-	-	1
	भू संसाधन	-	-	-	1	-	1
	पेय जल एवं आपूर्ति	-	-	-	-	1	1

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	>5 वर्ष से अधिक	4-5 वर्ष	3-4 वर्ष	2-3 वर्ष	1-2 वर्ष	कुल
43	नागर विमानन						6
	नागर विमानन	4	1	-	-	1	6
44	दिल्ली जल बोर्ड						11
	दिल्ली जल बोर्ड	3	3	1	3	1	11
45	विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)						4
	विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)	-	1	-	1	2	4
46	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय						1
	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	-	1	-	-	-	1
47	खान मंत्रालय						5
	खान	1	1	2	-	1	5
48	कोयला मंत्रालय						-
	कोयला	-	-	-	-	-	-
49	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास						10
	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	1	5	3	1	-	10
50	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता						1
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	-	-	-	-	1	1
51	जनजातीय मामले						-
	जनजातीय मामले	-	-	-	-	-	-
52	भारत मौसम विज्ञान विभाग						1
	भारत मौसम विज्ञान विभाग	1	-	-	-	-	1
53	पंचायती राज						-
	पंचायती राज	-	-	-	-	-	-
54	अल्पसंख्यक मामले						1
	अल्पसंख्यक मामले	-	-	-	-	1	1
	योग	229	77	86	144	120	656

परिशिष्ट XL

(देखिए अध्याय 11)

**1 सितम्बर, 1958 को संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट)
विनियमावली के जारी होने के बाद से संघ लोक सेवा आयोग के
अधिकार क्षेत्र से पृथक किए गए पद/सेवाएं**

अनुसूची - I

(संविधान के अनुच्छेद 320(3) (क) और (ख) प्रयोजन के लिए पृथक किए गए पद)

क्र. सं.	पद/सेवाओं के पदनाम	तारीख जिससे पृथक किए गए
1.	मद (7) में सम्मिलित मद से भिन्न उच्च न्यायालय या न्यायिक आयुक्त के न्यायालय के नियंत्रणाधीन संघ राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और दाण्डिक न्यायिक पद।	1.9.1958
2.	राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के सचिवालय में तथा वैयक्तिक स्टाफ संबंधी पद।	26.3.1962
3.	विदेश मंत्रालय के अधीन राजकीय आतिथ्य संगठन में पद।	26.3.1962
4.	शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के पद।	25.3.1963
5.	योजना आयोग में परामर्शदाता तथा मुख्य परामर्शदाता # के पद।	25.4.1964
6.	भारत के सॉलिसिटर जनरल तथा भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के निजी सचिव के पद	14.4.1965
7.	संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्त, अपर न्यायिक आयुक्त, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश।	9.3.1966
8.	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) अनुपूरक विनियमावली, 1970 के अंतर्गत भारत सरकार में विदेश आसूचना से संबद्ध संगठन के अधीन या उससे संबंधित समस्त सेवाएं और पद	14.8.1970
9.	अनुभाग अधिकारी के पदों के अलावा आसूचना ब्यूरो में ग्रुप 'ख' अनुसचिवीय पद।	12.2.1973
10.	(क) अंतरिक्ष विभाग और (ख) अंतरिक्ष आयोग में अथवा उनके अधीन सभी तकनीकी तथा प्रशासनिक पद।	14.11.1974
11.	(क) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और (ख) इलैक्ट्रॉनिकी आयोग में अथवा उनके अधीन सभी तकनीकी तथा प्रशासनिक पद।	13.8.1975
12.	रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी आर डी ओ) में वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों की भर्ती/पदोन्नति।	18.5.1985
13.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अथवा उसके अधीन सभी ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' पद।	10.1.1986
14.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं० 39018/2/86-स्था. ख, दिनांक 01.04.1987 के अनुबंध में यथानिर्दिष्ट विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, समुद्री विकास विभाग, गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग और पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव विभाग में वैज्ञानिक पद, इनमें वे पद शामिल नहीं हैं जिन पर नियुक्ति विभागीय पदोन्नति समिति (डी.ओ.पी. एण्ड टी की दिनांक 06.05.96 की अधिसूचना सं० 39018/1/96 स्था. ख के तहत संशोधन) के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जानी है।	6.5.1996
15.	खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सहायक (अराजपत्रित) ग्रुप 'ख' और आशुलिपिक ग्रेड 'ग' के पद।	7.9.1989
16.	योजना आयोग में 5900-8000 रु० संशोधन-पूर्व के वेतनमान में सलाहकार और उसके समतुल्य पद किन्तु इसमें वे पद शामिल नहीं हैं जो सीनियर स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत भरे जाने अपेक्षित हैं या जो किसी संगठित सेवा में सम्मिलित हैं।	7.9.1989

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

क्र. सं.	पद/सेवाओं के पदनाम	तारीख जिससे पृथक किए गए
17.	दूरसंचार विभाग में ग्रुप 'ख' अराजपत्रित पद।	29.12.1989
18.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन ग्रुप 'ख' अराजपत्रित	18.9.1990
19.	वे पद/सेवाएं जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली की अनुसूची की मद (20) के अंतर्गत पृथक रखना आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था :- (i) विदेश मंत्रालय के अधीन विशेष सीमा सुरक्षा योजना से संबद्ध पद। (ii) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और भारत तिब्बत सीमा बल के अंतर्गत पद। (iii) भारतीय उच्चायोग, लंदन और विदेश स्थित अन्य भारतीय दूतावासों में वे पद, जिन पर संबंधित भारतीय दूतावासों द्वारा स्थानीय भर्ती की जाती है।	1963-64 22.7.1960 4.8.1988
20.	औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत पेटेंट कार्यालय में पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक, सहायक नियंत्रक, पेटेंट एवं डिजाइन, उप नियंत्रक, पेटेंट एवं डिजाइन, संयुक्त नियंत्रक पेटेंट एवं डिजाइन, वरिष्ठ संयुक्त नियंत्रक पेटेंट एवं डिजाइन, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वरिष्ठ प्रलेखन अधिकारी, वरिष्ठ रिप्रोग्राफी अधिकारी, कनिष्ठ प्रलेखन अधिकारी, रिप्रोग्राफी अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रोग्रामर के पद।	6.7.1999
21.	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय में लेफ्ट, जनरल, वैज्ञानिक 'एच' मेजर जनरल, वैज्ञानिक 'जी' सचिव*, अपर सचिव, * संयुक्त सचिव, निदेशक, उपसचिव, अवर सचिव, प्रधान निजी सचिव, वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक,* अनुसंधान अधिकारी, निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी, नयाचार अधिकारी, सहायक, अनुसंधान सहायक, वैयक्तिक सहायक, नयाचार सहायक, वरिष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक तथा नक्शानवीस ग्रेड-I के पद।	31.1.2001
22.	प्रोफेसर, विधि, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मंसूरी	31.1.2003
23.	राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अंतर्गत सभी पद	14.7.2005

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 25 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई।

* कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 31 जनवरी, 2003 की अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई।

अनुसूची - II

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(3) (ख) प्रयोजन के लिए पृथक किए गए पद)

क्र. सं.	पद/सेवाओं के पदनाम	तारीख जिससे पृथक किए गए
1.	जल संसाधन मंत्रालय के अधीन ग्रुप 'ख' अराजपत्रित पद	13.11.1991
2.	भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रुप 'ख' के ऐसे सभी पदों के लिए सीधी भर्ती जो ऐसे वेतनमान के हैं जिनका अधिकतम वेतनमान 10,500 रु0 से कम है।	21.5.1999
3.	6,500-10,500 रु0 के वेतनमान वाले सभी अराजपत्रित पदों की सीधी भर्ती वाले पद	29.9.2005
4.	प्रवर्तन निदेशालय में 16,400 - 20,000 रु0 के वेतनमान में विशेष प्रवर्तन निदेशक के पद	1.6.2006

परिशिष्ट XLI

(देखिए अध्याय 11)

आयोग में कर्मचारियों की संख्या का विस्तृत विवरण

तालिका 1 – वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 की स्वीकृत संख्या की तुलना

क्र. सं.	पद का नाम	31.03.08 को स्वीकृत संख्या	31.03.09 को स्वीकृत संख्या	अंतर
1.	संयुक्त सचिव	13	10	-3
2.	उप सचिव	27	29	+2
3.	अपर सचिव (प.सु.)	--	1	+1
4.	उप निदेशक (प.सु.)	6	5	-1
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	--	1	+1
6.	अध्यक्ष के स्टाफ अधिकारी	--	1	+1
7.	सचिव के स्टाफ अधिकारी	--	1	+1
8.	अधीक्षक (टंकण भाषा)	3	1	-2
9.	अवर श्रेणी लिपिक	170	159	-11
10.	अनुसंधान सहायक (आर एस एंड ए)	7	6	-1
	कुल अंतर			-12
	31.3.2008 को स्वीकृत संख्या	31.3.09 को स्वीकृत संख्या		अंतर
	2073	2061		-12

तालिका 2 : आयोग के कर्मचारियों के पदों की संवर्ग तथा गुपवार संख्या

विवरण	गुप 'क'		गुप 'ख'				गुप 'ग'		गुप 'घ'		योग	
			राजपत्रित		अराजपत्रित							
	31.3.08	31.3.09	31.3.08	31.3.09	31.3.08	31.3.09	31.3.08	31.3.09	31.3.08	31.3.09	31.3.08	31.3.09
सचिवालय संवर्ग	122	121	185	185	357	357	466	455	194	194	1324	1312
संघ लोक सेवा आयोग संवर्ग	55	55	37	40	33	32	216	214	344	344	685	685
अन्य सहभागी मंत्रालयों/ विभागों के संवर्ग	2	2	7	7	9	9	8	8	-	-	26	26
विभागीय कैटीन	-	-	-	-	-	-	16	16	22	22	38	38
योग	179	178	229	232	399	398	706	693	560	560	2073	2061

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

तालिका 3 : कर्मचारियों की संख्या का समूह, संवर्ग और पदनाम-वार विस्तृत विवरण

क्र. सं.	विवरण	31.3.08 को	31.3.09 को
(1)	(2)	(3)	(4)
	ग्रुप 'क'	179	178
I	सचिवालय संवर्ग	122	121
1	सचिव	1	1
2	अपर सचिव	1	1
3	अपर सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक	1	1
4	संयुक्त सचिव	13	10
5	उप सचिव	27	29
6	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	5	5
7	अवर सचिव	67	67
8	प्रधान निजी सचिव	7	7
II	संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग	55	55
9.	कार्यकारी निदेशक (परीक्षा सुधार)	1	1
10.	अपर सचिव (परीक्षा सुधार)	-	1
11.	कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रणाली)	1	1
12	संयुक्त निदेशक (अनुसंधान सांख्यिकी एवं विश्लेषण)	1	1
13	अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य अधिकारी	1	1
14	संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार)	2	2
15	प्रबंधक (ईडीपी)	3	3
16	प्रबंधक (एसडी) एवं सी पी	1	1
17	प्रबंधक (डी पी)	1	1
18	वित्त एवं बजट अधिकारी	1	1
19	पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	1	1
20	प्रशासनिक अधिकारी	1	1
21	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (अनु. सां. एवं वि.)	2	2
22	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा माध्यम)	1	1
23	वरिष्ठ प्रोग्रामर	5	5
24	वरिष्ठ इंजीनियर	1	1
25	उपनियंत्रक (डी पी)	2	2
26	उपनिदेशक (प सु)	6	5
27	सहायक निदेशक (सतर्कता)	1	1
28	सहायक नियंत्रक (डी पी)	3	3
29	अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान सांख्यिकी एवं विश्लेषण)	4	4
30	प्रोग्रामर	10	10
31	इंजीनियर	1	1
32	विशेष कार्य अधिकारी (गोपनीय)	3	3
33	सहायक निदेशक (गोपनीय)	1	1
34	वरिष्ठ संपदा अनुरक्षण एवं बैठक अधिकारी	1	1
III	अन्य सहभागी मंत्रालयों/विभागों के संवर्ग	2	2
35	निदेशक (राजभाषा)	1	1
36	उपनिदेशक (राजभाषा)	1	1

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

क्र. सं.	विवरण	31.3.08 को	31.3.09 को
(1)	(2)	(3)	(4)
	ग्रुप 'ख'		
	ग्रुप 'ख' राजपत्रित	229	232
I	सचिवालय संवर्ग	185	185
37	अनुभाग अधिकारी	141	141
38	निजी सचिव	44	44
II	संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग	37	40
39	कनिष्ठ विश्लेषक	1	1
40	कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	4	4
41	लेखा अधिकारी	6	6
42	अधीक्षक (डी पी)	21	21
43	स्वागत अधिकारी	1	1
44	संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी	2	2
45	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	1	1
46	सुरक्षा अधिकारी	1	1
47	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	-	1
48	अध्यक्ष के स्टाफ अधिकारी	-	1
49	सचिव के स्टाफ अधिकारी	-	1
III	अन्य सहभागी मंत्रालयों/विभागों के संवर्ग	7	7
50	सहायक निदेशक (राजभाषा)	4	4
51	वेतन एवं लेखा अधिकारी	1	1
52	सहायक लेखा अधिकारी/कनिष्ठ लेखा अधिकारी (वे एवं ले अधि.)	2	2
	ग्रुप 'ख' अराजपत्रित	399	398
I	सचिवालय संवर्ग	357	357
53	सहायक	285	285
54	वैयक्तिक सहायक (के स आ से का ग्रुप 'ग')	72	72
II	संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग	33	32
55	डाटा प्रोसेसिंग एवं प्रोग्रामिंग सहायक	3	3
56	वरि. मशीन आपरेटर	1	1
57	अधीक्षक (टंकण-भाषा)	3	1
58	सहायक अधीक्षक (दूरभाष)	1	1
59	अनुसंधान सहायक (कार्य-अध्ययन)	4	4
60	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	9	9
61	प्रोग्राम सहायक-सह-कन्सोल ऑपरेटर	5	5
62	सतर्कता सहायक	2	2
63	पर्यवेक्षक (गोपनीय)	1	1
64	संपदा पर्यवेक्षक	2	2
65	नयाचार अधिकारी	1	1
66	स्वागती	1	1
67	हाउस कीपर	-	1
III	अन्य सहभागी मंत्रालयों/विभागों के संवर्ग	9	9
68	वरिष्ठ अनुवादक	4	4
69	कनिष्ठ अनुवादक	5	5

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

क्र. सं.	विवरण	31.3.08 को	31.3.09 को
(1)	(2)	(3)	(4)
	ग्रुप 'ग'	706	693
I	सचिवालय संवर्ग	466	455
70	उच्च श्रेणी लिपिक	258	258
71	आशुलिपिक (के स आ से का ग्रेड 'घ')	22	22
72	अवर श्रेणी लिपिक	170	159
73	स्टाफ कार चालक	16	16
II	संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग	216	214
74	प्रधान टंकक (हिन्दी)	1	1
75	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (ग्रेड 'घ')	47	47
76	अनुसंधान सहायक (अनुसंधान सांख्यिकी एवं विश्लेषण)	7	6
77	तकनीकी सहायक (लेखा)	15	15
78	पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	1	1
79	गोपनीय सहायक	1	1
80	वरिष्ठ टंकक (हिन्दी)	2	2
81	केयर टेकर	2	2
82	मोटर परिवहन पर्यवेक्षक	1	1
83	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (ग्रेड 'ग')	10	10
84	कनिष्ठ स्वागत अधिकारी	2	2
85	नयाचार सहायक	1	1
86	बढ़ई	1	1
87	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (ग्रेड 'ख')	25	25
88	सहायक पर्यवेक्षक (गोपनीय)	1	1
89	मशीन ऑपरेटर	4	4
90	अवर श्रेणी लिपिक (संवर्ग-बाह्य)	39	39
91	सामान्य ड्यूटी लिपिक	5	5
92	डिस्पैच राइडर	2	2
93	कनिष्ठ मशीन ऑपरेटर	2	2
94	सहायक केयरटेकर	1	1
95	वरिष्ठ रिकार्ड कीपर	13	13
96	कुक (सलाहकार कक्ष)	5	5
97	सहायक कुक (सलाहकार कक्ष)	1	1
98	पुस्तकालय लिपिक	2	2
99	रिकार्ड कीपर	21	21
100	स्टाफ कार चालक (बुलेट प्रुफ)	1	1
101	सुरक्षा सहायक	1	1
102	हाउस कीपर	1	-
103	टंकक (हिन्दी)	1	1
III	अन्य सहभागी मंत्रालयों/विभागों के संवर्ग	8	8
104	वरिष्ठ लेखाकार/लेखाकार (वे एवं ले कार्या. एकक)	8	8

क्र. सं.	विवरण	31.3.08 को	31.3.09 को
(1)	(2)	(3)	(4)
	ग्रुप 'घ'	560	560
I	सचिवालय संवर्ग	194	194
105	चपरासी	194	194
II	संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग	344	344
106	फ्रैंकिंग मशीन ऑपरेटर	2	2
107	रिकार्ड सॉर्टर	3	3
108	हैड फराश	3	3
109	दफ्तरी	109	109
110	वरिष्ठ चपरासी	11	11
111	लाइन मैन	1	1
112	वरिष्ठ पुस्तकालय परिचर	1	1
113	फराश	16	16
114	हैल्पर	164	164
115	बैरा (सलाहकार कक्ष)	4	4
116	स्वीपर	26	26
117	वॉशब्याय (सलाहकार कक्ष)	2	2
118	पुस्तकालय परिचर	1	1
119	कनिष्ठ पुस्तकालय परिचर	1	1
	कैंटीन स्टाफ	38	38
	ग्रुप 'ग'	16	16
120	महाप्रबंधक (कैंटीन)	1	1
121	सहायक प्रबंधक सह-लेखाकार	1	1
122	सहायक प्रबंधक-सह-भंडारपाल	2	2
123	हलवाई	2	2
124	कैंटीन लिपिक	6	6
125	कुक	2	2
126	सहायक हलवाई	2	2
	ग्रुप 'घ'	22	22
127	टी/कॉफी मेकर	2	2
128	बैरा	14	14
129	वॉश ब्याय	4	4
130	सफाई कर्मचारी	2	2

परिशिष्ट XLII

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों तथा विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व

तालिका-1 अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या				पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			अन्य पद्धतियों द्वारा		
	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ग्रुप 'क'	139	29	8	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ग्रुप 'ख'	595	85	30	21	-	-	-	-	88	13	5	4	-	-
ग्रुप 'ग'	490	91	21	15	-	-	-	-	38	7	1	2	-	-
ग्रुप 'घ' (सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त)	404	129	18	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग्रुप 'घ' (सफाई कर्मचारी)	17	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	1645	349	77	50	-	-	-	-	126	20	6	7	-	-

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती								पदोन्नति							
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				
	योग	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	योग	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	योग	वीएच	एचएच	ओएच		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
क	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ख	595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-		
ग	490	3	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	2	2		
घ	421	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-		
योग	1645	4	5	9	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	13	3	2	2		

परिशिष्ट XLIII

(देखिए अध्याय 11)

वर्ष 2008-09 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग की प्राप्तियां और व्यय दर्शाने वाला विवरण

क - प्राप्तियां (अनन्तिम)

क्र.सं.	प्राप्तिओं का नाम	(रु० लाख में)
1.	अन्य प्राप्तियां	39.56*

ख - व्यय

क्र.सं.	प्रशासनिक व्यय	(रु० लाख में)
1.	वेतन	5244.31
2.	मजदूरी	33.99
3.	समयोपरि भत्ता	12.00
4.	चिकित्सा	89.88
5.	यात्रा व्यय (स्वदेश)	150.50
6.	यात्रा व्यय (विदेश)	0.78
7.	कार्यालय व्यय	588.52
8.	प्रकाशन	2.93
9.	अन्य प्रशासनिक व्यय	41.91
10.	फुटकर कार्य	62.44
11.	व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान	104.00
12.	सहायता अनुदान	1.00
13.	अन्य प्रभार	1.00
14.	अन्य व्यय (लघु शीर्ष) विभागीय कैंटीन परीक्षा एवं चयन पर व्यय	58.38
15.	यात्रा भत्ता (परीक्षाएं एवं चयन)	349.65
16.	अन्य प्रभार (परीक्षाएं एवं चयन)	2781.12
	कुल योग	9522.41

* कर्मचारी चयन आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग के लिए संयुक्त रूप से लेखा महानियंत्रक द्वारा प्रत्यक्षतः : लेखांकित भर्ती शुल्क टिकट तथा आवेदन शुल्क के अंतर्गत प्राप्तियां इसमें शामिल नहीं हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

परिशिष्ट XLIV

(देखिए अध्याय 2)

आयोग के पूर्व अध्यक्षों और सदस्यों की सूची

तालिका 1 : आयोग के पूर्व अध्यक्षों की सूची (1926 से)

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	कार्यभार छोड़ने की तारीख
1.	सर रॉस बार्कर	अक्टूबर, 1926	अगस्त, 1932
2.	सर डेविड पैट्री	अगस्त, 1932	1936
3.	सर आयर गॉर्डन	1937	1942
4.	सर एफ. डब्ल्यू. रॉबर्टसन	1942	1947
5.	श्री एच.के. कृपलानी	1.4.1947	13.1.1949
6.	श्री आर.एन. बनर्जी	14.1.1949	9.5.1955
7.	श्री एन. गोविंदराजन	10.5.1955	9.12.1955
8.	श्री वी.एस. हेजमादी	10.12.1955	9.12.1961
9.	श्री बी.एन. झा	11.12.1961	22.2.1967
10.	श्री के.आर. दामले	18.4.1967	2.3.1971
11.	श्री आर.सी.एस. सरकार	11.5.1971	1.2.1973
12.	डॉ. ए.आर. किदवई	5.2.1973	4.2.1979
13.	डॉ. एम.एल. शहारे	16.2.1979 (AN)	16.2.1985
14.	श्री एच.के.एल. कपूर	18.2.1985	5.3.1990
15.	श्री जे.पी. गुप्ता	5.3.1990 (AN)	2.6.1992
16.	श्रीमती आर.एम. बैथ्यू (खारबुली)	23.9.1992	23.8.1996
17.	श्री एस.जे.एस. छतवाल	23.8.1996 (AN)	30.9.1996
18.	श्री जे.एम. कुरेशी	30.9.1996 (AN)	11.12.1998
19.	श्री ले.ज. (सेवानिवृत्त) सुरिन्दर नाथ	11.12.1998 (AN)	25.6.2002
20.	श्री पी.सी. होता	25.6.2002 (AN)	8.9.2003
21.	श्री माता प्रसाद	8.9.2003 (AN)	4.1.2005
22.	डॉ. एस.आर. हाशिम	4.1.2005 (AN)	1.4.2006
23.	श्री गुरबचन जगत	1.4.2006 (AN)	30.6.2007
24.	श्री सुबीर दत्त	30.06.2007 (AN)	16.08.2008

तालिका 2 : आयोग के पूर्व सदस्यों की सूची (1926 से)

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	कार्यभार छोड़ने की तारीख	अभ्युक्ति
1.	सर फिलिप हतोग	1.10.1926	5.4.1930	
2.	मि. ए.एच. ले	1.10.1926	1.10.1931	
3.	श्री सैयद रज़ा अली	1.10.1926	31.11.1931	
4.	सर टी.वी. राघवाचारी	1.10.1926		
5.	मि. एम. कीने			
6.	खानबहादुर सर अब्दुल कादिर	13.7.1929	30.11.1929	
7.	मि. जे.आर. चुनिंघम	16.9.1929	2.4.1930	
8.	रायबहादुर ए.एन. चटर्जी	6.1.1930	1.10.1930	
9.	मि.जे.आर. चुनिंघम	20.1.1930	5.4.1930	
10.	सर जे. चार्ल्स वेयर	16.6.1930	16.12.1935	
11.	रायबहादुर बी.पी. वर्मा	1.10.1930	1.10.1935	

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	कार्यभार छोड़ने की तारीख	अभ्युक्ति
12.	सर डेविड पैट्री	1.10.1931	8.8.1932	अध्यक्ष नियुक्त हुए
13.	डॉ. एल.के. हैदर	2.1.1932	31.12.1936	
14.	मि. एच.एस. क्रास्थवेट	16.2.1935	1.5.1939	
15.	सर शफात अहमद खान	18.5.1935	10.9.1935	
16.	श्री पी.एल. धवन	18.5.1935	20.9.1940	
17.	मि. डी. रैनेल	31.8.1936	29.11.1936	
18.	सर ए.एफ. रहमान	7.1.1937	7.5.1942	
19.	सर सी.सी. चिथम	2.12.1938	15.4.1939	
20.	मि. एल.पी. मिश्रा	18.7.1938	4.9.1938	
21.	सर जॉन रदरफोर्ड डेन	8.5.1939	16.2.1942	
22.	श्री के. संजीवा राव	20.9.1940	1.4.1947	
23.	मि. डब्ल्यू आर.जी. स्मिथ	16.2.1942	1.4.1947	
24.	कर्नल एम.ए. रहमान	1.1.1946	30.6.1946	
25.	मि. डब्ल्यू ए. कासग्रव	7.4.1944	25.10.1944	
26.	मि. एन.जे. रॉफटन	1.1.1945	20.9.1945	
27.	मे. नौनिहाल सिंह मान	31.7.1946	17.11.1946	
28.	मि. एफ.सी. अडमंडस	12.4.1946	6.6.1946	
29.	मि. ओ.ई. विंडले	1.7.1946	6.8.1946	
30.	मि. आर.पी. पटवर्धन	5.2.1947	5.8.1947	
31.	मि. एस.जी. ग्रब	1.11.1945 9.12.1946	6.10.1946 एवं 23.2.1950	
32.	श्री जावैद हुसैन	14.3.1947	31.3.1952	
33.	मि. के. जकारिया	1.7.1947	18.1.1950	
34.	मि. डब्ल्यू.आर. पुराणिक	1.4.1947	31.3.1952	
35.	मि. जे.एल. कपूर	4.12.1947	31.5.1949	
36.	मि. बलवन्त सिंह पुरी	1.6.1948 17.9.1948	31.7.1948 30.4.1949	
37.	मि. एस.सी. त्रिपाठी	5.6.1948	14.2.1950	
38.	डॉ. एल.डी. जोशी	12.6.1948	18.2.1949	
39.	मि. जी.सी. चटर्जी	1.8.1949	31.10.1953	
40.	मि. एन. गोविन्दराजन	31.5.1950	9.5.1955	अध्यक्ष नियुक्त हुए
41.	मि. सी.बी. नागरकर	18.12.1950	18.12.1956	
42.	मि. एन.के. सिद्धांता	16.4.1951	31.7.1955	
43.	मि. ए.ए.ए. फैज़ी	2.6.1952	31.5.1957	
44.	मि. एस.वी. कानूनगो	29.9.1952	29.9.1958 (एफएन)	
45.	मि. जे.एस. पिल्लै	17.8.1955	16.8.1961 (एफएन)	
46.	मि. सी.वी. महाजन	2.1.1956	2.1.1960 (एफएन)	
47.	डॉ. जे.एन. मुखर्जी	1.9.1956	22.4.1958	
48.	मि. पी.एल. वर्मा	24.11.1956	24.11.1962 (एफएन)	
49.	मि. एस.एच. ज़हीर	1.6.1957	31.5.1963 (एफएन)	
50.	डॉ. जी.एस. महाजनी	1.7.1957	30.6.1963 (एफएन)	
51.	डॉ. ए.टी. सेन	1.9.1958	31.8.1964 (एफएन)	
52.	मि. एम.एल. चतुर्वेदी	1.3.1960	6.7.1964 (एफएन)	
53.	मि. एम.ए.वी. नायडू	11.3.1960	14.1.1965 (एफएन)	

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	कार्यभार छोड़ने की तारीख	अभ्युक्ति
54.	मि. ए.वी. रामास्वामी	14.12.1961	14.7.1964 (एएन)	
55.	मि. बटुक सिंह	19.4.1963	20.9.1968 (एएन)	
56.	मि. एन.एल. अहमद	1.6.1963	25.4.1967 (एएन)	
57.	श्रीमती बी खोंगमेन	9.1.1964	8.1.1970 (एएन)	
58.	मि. देशराज मेहता	29.1.1964	20.11.1967 (एएन)	
59.	डॉ. ए. अप्पादुरै	9.12.1964	15.3.1967 (एएन)	
60.	मि. एम.एस. दोरीस्वामी	14.9.1965 (एएन)	14.11.1967 (एएन)	
61.	मि. आर.सी.एस. सरकार	31.1.1966	11.5.1971	अध्यक्ष नियुक्त हुए
62.	मि. हरी शर्मा	22.5.1967 (एएन)	22.5.1973	
63.	डॉ. ए.आर. किदवई	29.9.1967	5.2.1973	अध्यक्ष नियुक्त हुए
64.	मेजर जनरल पी.सी. गुप्ता	3.2.1968	2.2.1974	
65.	डॉ. एम.एल. शहारे	14.2.1968	13.2.1974	अध्यक्ष नियुक्त हुए
66.	मि. डी.पी. कोहली	16.10.1968	08.2.1972	
67.	प्रो. एच.एन. रामचन्द्र राव	9.5.1969	08.5.1975	
68.	मि. आर.एन. मट्टु	25.6.1971	24.6.1977	
69.	डॉ. ए.के. धान	28.6.1971	5.11.1975	
70.	मि. आर.जी. राजवाड़े	23.8.1973	5.1.1974	
71.	प्रो. पी.एल. भटनागर	1.10.1973	18.7.1975	
72.	मि. अशोक सेन	22.1.1974	21.1.1980	
73.	एयर मार्शल टी.एस. विर्क	22.4.1974	21.4.1980	
74.	मि. एम. सिंगारवेलु	24.7.1974	16.3.1980	
75.	डॉ. सरूप सिंह	12.2.1975	14.3.1978	
76.	मि. एन.एस. सक्सेना	4.6.1977	4.6.1983	
77.	डॉ. पी.सी. वैद्य	1.7.1977	22.10.1978	
78.	प्रो. एस. सम्पत	10.8.1977	28.8.1981	
79.	डॉ. एन.ए.नूर मुहम्मद	30.11.1978	17.10.1981	
80.	श्रीमती आर.ओ. धान	1.12.1978	30.11.1984	
81.	प्रो. भुवनेश्वर बेहरा	12.12.1978	31.12.1980	
82.	मि. एस.आर. मेहता	17.3.1980	16.12.1982	
83.	मि. जे.आर. बंसल	17.5.1980	16.5.1986	
84.	एयर वाइस मार्शल ए.के.एस. बक्शी	27.7.1981	14.11.1986	
85.	मि. ए.एम. अब्दुल हमीद	11.12.1981	25.3.1986	
86.	डॉ. के. वेंकट रामय्या	24.12.1981	23.12.1987	
87.	मि. एस. समादार	24.5.1982	23.5.1988	
88.	मि. जगदीश राजन	25.9.1984	25.9.1990	
89.	मि. जे.पी. गुप्ता	1.7.1985	5.3.1990 (एफएन)	अध्यक्ष नियुक्त हुए
90.	डॉ. आर. एरोकीसामी	5.7.1985	4.7.1991	
91.	मि. सुरेन्द्र नाथ	23.12.1985	7.8.1991 (एफएन)	
92.	मि. काजी मुख्तार अहमद	4.4.1986	14.3.1991	
93.	श्रीमती आर.एम. बैथ्यू (खारबुली)	8.6.1987	22.9.1992	अध्यक्ष नियुक्त हुए
94.	ले.ज.आर.एस. दयाल	31.7.1987	13.5.1988	
95.	वाइस एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी	13.4.1989	12.4.1995	
96.	मि. ए. पद्मनाभन	17.4.1989	13.12.1993	
97.	मि. जे.ए. कल्याणकृष्णन	29.12.1989	28.12.1995	

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	कार्यभार छोड़ने की तारीख	अभ्युक्ति
98.	मि. हरीश चन्द्र	15.1.1990	14.1.1996	
99.	श्रीमती ओटिमा बोर्डिया	11.5.1990	10.5.1996	
100.	मि. एस.जे.एस. छतवाल	14.1.1991	23.8.1996 (एएन)	अध्यक्ष नियुक्त हुए
101.	मि. जे.एम. कुरेशी	1.4.1991	30.9.1996 (एएन)	अध्यक्ष नियुक्त हुए
102.	मि. एस.के. मिश्रा	21.8.1991 (एएन)	21.08.1997	
103.	डॉ. (सुश्री) पी.सेल्वी दास	19.9.1991	28.5.1997	
104.	मि. बी. कृष्ण मोहन	20.9.1993 (एएन)	25.1.1998	निधन हो गया
105.	श्रीमती कान्ता कथूरिया	24.5.1995	22.8.1998	
106.	ले.ज. (सेवानिवृत्त) सुरिन्दर नाथ	20.9.1995	11.12.1998	अध्यक्ष नियुक्त हुए
107.	श्री पी.सी. होता	27.9.1996 (एएन)	25.6.2002	अध्यक्ष नियुक्त हुए
108.	श्री के.के. मदान	1.11.1996 (एएन)	1.11.2002	
109.	डॉ. के.जी. आडियोटि	14.11.1996 (एएन)	28.5.2001	28.5.2001 को निधन हुआ
110.	श्री पी. अब्राहम	5.6.1997	4.6.2003	
111.	श्री एम.के. देब बर्मा	6.6.1997	5.6.2003	
112.	डॉ. एल. सिद्धवीर गौड़ा	11.6.1997 (एएन)	5.9.2001	
113.	श्री टी.के. बनर्जी	21.8.1997 (एएन)	21.8.2003	
114.	श्री माता प्रसाद	23.4.1998 (एएन)	8.9.2003	अध्यक्ष नियुक्त हुए
115.	कु. अरुंधति घोष	3.9.1998	2.9.2004	
116.	डॉ. ओम नागपाल	5.4.1999 (एएन)	2.3.2002	2.3.2002 को निधन हुआ
117.	डॉ. शशिकांत डी. कार्निक	18.9.2001	16.7.2002	16.7.2002 को त्यागपत्र दिया
118.	डॉ. एस.आर. हाशिम	19.3.2002 (एएन)	4.1.2005 (एएन)	अध्यक्ष नियुक्त हुए
119.	डॉ. (श्रीमती) प्रकाशवती शर्मा	20.3.2002 (एएन)	7.2.2005	
120.	श्री गुरबचन जगत	14.8.2002 (एएन)	1.4.2006	अध्यक्ष नियुक्त हुए
121.	श्री बी.एन. नवलावाला	05.12.2002 (एएन)	14.04.2007	
122.	श्री सुबीर दत्त	04.07.2003 (एएन)	30.06.2007	अध्यक्ष नियुक्त हुए
123.	एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) सतीश गोविन्द ईनामदार	12.12.2003 (एएन)	09.01.2008	
124.	डॉ. भूरे लाल	14.10.2004 (एएन)	08.02.2008	
125.	सुश्री चोकिला अय्यर	01.02.2005 (एएन)	28.06.2007	
126.	प्रोफेसर डी.पी. अग्रवाल	31.10.2003	16.08.2008	अध्यक्ष नियुक्त हुए